नवम माला, खण्ड 6, अंक 41

मंगलवार, 15 मई, 1990
25 वैशाख, 1912 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(नौवीं लोक सभा)

( खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं )

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 15 मई, 1990/25 वैशाख, 1912 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ | पंक्ति | शुद्धि |
|---|---|---|
| विषय सूची में (iii) | 14 | "दू किएर" के स्थान पर "दूर किये" पढ़िये। |
| 1 | नीचे से 6 | "श्री एम0एस0गुरुमदस्वामी" के स्थान पर "श्री एम0एस0गुरुमादस्वामी" पढ़िये। |
| 13 | नीचे से 14 | "डा0वेंकटेश काबड़े" के स्थान पर "डा0वेंकटेश काबडे" पढ़िये। |
| 64 | नीचे से 7 | "दौलतराव सोनूजी अहेर" के स्थान पर "डा0दौलतराव सोनूजी अहेर" पढ़िये। |
| | अन्तिम पंक्ति | "(ग)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये। |
| 74 | 5 | "87 2" के स्थान पर "8702" पढ़िये। |
| 75 | नीचे से 6 | "8705" के स्थान पर "8705" पढ़िये। |
| 77 | 6 | "[illegible]ट रेड्डी कृष्ण कासु" के स्थान पर "[illegible] वेंकट कृष्ण रेड्डी कासु" पढ़िये। |
| 94 | नीचे से 2 | "श्रीमती सुखवंश कौर" के स्थान पर "श्रीमती सुखबंस कौर" पढ़िये। |
| 97 | नीचे से 6 | "श्री रमेन्द्र कुमार यादव रवि" के स्थान पर "श्री रमेन्द्र कुमार रवि यादव" पढ़िये। |
| 112 | 11 | "श्री सुखदेव पासबान" के स्थान पर "[illegible]" पासवान" पढ़िये। |

| | | |
|---|---|---|
| 116 | 7 | "रसाई" के स्थान पर "रसोई" पढ़िये। |
| 150 | नीचे से 7 | "880-" के स्थान पर "8809" पढ़िये। |
| 185 | नीचे से 2 | "-942" के स्थान पर "1942" पढ़िये। |
| 192 | नीचे से 5 | "श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह" के स्थान पर "श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह" पढ़िये। |
| 250 | नीचे से 14 | "श्री देसई चौधरी" के स्थान पर "श्री दसई चौधरी" पढ़िये। |
| 264 | 6 | "प्रो०मधु दंडवते" के स्थान पर "प्रो०मधु दण्डवते" पढ़िये। |

# विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 6, दूसरा सत्र, 1990/1911-12 (शक)

अंक 41, मंगलवार, 15 मई, 1990/ 25 वैशाख, 1912 (शक)

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर ... ... ... ... ... | 1—18 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 820 से 822 और 824, से 826 ... ... ... | 1—15 |
| हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना के बारे में दिनांक 15 मई, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 822 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण ... ... ... ... ... | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर ... ... ... ... ... | 18—199 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 827, से 839 ... ... | 18—27 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : 8634 से 8694, 8696 से 8712, 8714 से 8741, 8743 से 8799, 8801 से 8822, 8824 से 8856 और 8858 से 8867 ... ... | 28—182 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र ... ... ... ... ... | 199—202 |
| नियम 377 के अधीन मामले ... ... ... ... ... | 202—205 |
| (एक) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में वनों की कटाई रोकने की मांग श्री मानकूराम सोढ़ी ... ... ... | 202—203 |

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

# लोक सभा

मंगलवार, 15 मई, 1990/25 वैशाख, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### भूतपूर्व मैसर्ज पर्ल इन्वेस्टमैंट एंड ट्रेडिंग कम्पनी के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

[अनुवाद]

*820. श्री अरविन्द नेताम :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और विशाखापत्तनम की भूतपूर्व मैसर्ज इन्वैस्टमैंट एंड ट्रेडिंग कम्पनी के बीच इस तरह का कोई समझौता हुआ था कि इस कम्पनी का मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के साथ विलय करने के बाद इन कर्मचारियों को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेट के कर्मचारियों के समान ही पदोन्नति तथा अन्य लाभ दिए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समझौते का पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि इसमें कोई परिवर्तन किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अरविन्द नेताम : माननीय मंत्री ने इसका नकारात्मक उत्तर दिया है, इसके बावजूद क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने विशाखापत्तनम की मैसर्स पर्ल इन्वेस्टमैंट एंड ट्रेडिंग कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है। यदि हां, तो उस कम्पनी के कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य लाभों के बारे में शर्तें क्या हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : सरकार ने इस कम्पनी को अपने हाथ में नहीं लिया है अथवा इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इस कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है। यह कम्पनी खाना पकाने की गैस के वितरण का कार्य देख रही थी और यह एक बहुत ही आवश्यक सेवा है ? खाना पकाने की गैस का वितरण कार्य सरकार के पास है। हमने केवल उसका प्रबन्ध अपने हाथों में लिया है और उसकी परिसम्पत्तियों और देनदारियों को अपने हाथों में नहीं लिया है।

श्री अरविन्द नेताम : माननीय मंत्री ने कहा है कि उसका प्रबन्ध अपने हाथों में लिया गया है।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या इन्हीं कर्मचारियों को उस प्रबन्ध में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो उस कम्पनी के कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य लाभों के बारे में शर्तें क्या है ?

श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी : कर्मचारी अभी भी कम्पनी के पास है और हमारा उस कम्पनी के कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। हमने कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथों में लिया है, हमने उस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण नहीं किया है। यह कम्पनी का कार्य है कि वह अपने श्रमिकों अथवा अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे।

## इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों की कनाडा यात्रा

*821. श्री पी० एम० सईद :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में इंडियन एयरलाइन्स की ए-320 एयरबस की हुई दुर्घटना की न्यायिक जांच से संबद्ध कुछ अधिकारी दुर्घटना के बहुत दिनों के बाद 15 अप्रैल, 1990 को जांच के सिलसिले में कनाडा की राजधानी गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, हां। अधिकारियों ने जांच न्यायालय के अनुदेशों पर यात्रा की।

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, ए-320 विमान का प्रश्न महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि यह 420 का मामला बन रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह विषय किस प्रकार बनता जा रहा है। जैसाकि आप जानते हैं, हाल ही में माननीय मंत्री ने वक्तव्य दिया कि बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल खो गई है। जिस क्षण यह विमान दुर्घटना घटी उसी समय संघी ने जांच न्यायालय की घोषणा की। बाद में कुछ अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह मामला सौंपा गया। उन्होंने भी इसकी जांच की और उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन उसमें खो गई फाइल का कहीं भी उल्लेख नहीं था। उन्होंने इसका उल्लेख तक नहीं किया। रामदास समिति ने भी अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है और उसने भी इस गुम हुई फाइल के बारे में कोई सुराग नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रहस्यमयी फाइल में ऐसा क्या है। क्या इसमें बिक्री की शर्तें दी गई है अथवा इसमें क्या दिया हुआ है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : महोदय, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। वास्तव में, मैंने माननीय सदस्य द्वारा की गई इस मांग का उत्तर दिया है कि ए-320 विमान से संबंधित सभी पत्र सभा पटल पर रखे जाने चाहिए। एक बार फिर मैं यह दोहराना चाहता हूं कि मैंने वक्तव्य नहीं दिया है। मैंने केवल उस मांग का उत्तर दिया है और मैंने उस तथ्य के प्रति अपनी असमर्थता व्यक्त की है कि मैं सभी पत्रों को सभा पटल पर रखने में असमर्थ हूं क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य फाइल मंत्रालय के रिकार्डों से गुम है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्वयं इस तथ्य के बारे में उल्लेख है। कुछ माननीय सदस्य प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां इतराकर दिखा रहे थे। उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उसको नहीं पढ़ा है। यदि उन्होंने उसे

पढ़ा होता तो संभवत: वे स्वयं इन सभी पत्रों को सभा पटल पर रखने की अपनी मांग को छोड़ देते।

**श्री पी० एम० सईद** : क्या रामदास समिति ने भी इसके बारे में उल्लेख किया है ?

**श्री आरिफ मोहम्मद खान** : मैंने पहले ही कई अवसरों पर यह स्पष्ट कर दिया है कि रामदास समिति की नियुक्ति इंडियन एयरलाइन्स की तैयारी के प्रश्न की जांच करने के लिए की गई थी। पिछली बार मैंने यह उद्धृत किया था कि रामदास समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस भावी पीढ़ी के विमान को जिस तेजी से इंडियन एयरलाइन्स में शामिल किया गया है उनको इसमें सम्मिलित करने तथा इस विमान के सुरक्षित संचालन की दृष्टि से यह कार्य बहुत तेज गति से किया गया। रामदास समिति का यह विचार है।

अधिकारियों के कनाडा जाने के बारे में—प्रथम दल ओटावा में डी० एफ० डी० आर० डिवोड करवाने के लिए गया था वे जांच न्यायालय के कहने पर वहां गए थे। जांच न्यायालय ने तकनीकी आधार पर कुछ जांच करने के लिए हमें कहा था। हमने प्रश्न के गुण-दोषों को नहीं देखा। हमने वही किया जो हमें करने के लिए कहा और जांच न्यायालय को उसकी रिपोर्ट दे दी है।

**श्री पी० एम० सईद** : इस विमान की दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए सरकार और कितना समय लेगी ?

**श्री आरिफ मोहम्मद खान** : महोदय, जांच न्यायालय स्थापित करने का वास्तव में यही उद्देश्य है। यह बताना सरकार का काम नहीं है। सरकार जांच न्यायालय के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती। उच्च न्यायालय के जज के अधीन जांच न्यायालय गठित किया जाता है और जांच न्यायालय का कार्य जांच करना है कि वह इस प्रश्न के विस्तार में जाए और निष्कर्ष पर पहुंचे।

**श्री पी० एम० सईद** : समाचार पत्रों में यह पहले ही प्रकाशित हो गया था कि इस विमान दुर्घटना के पीछे मानवीय दोष था और तकनीकी दोष नहीं था।

**श्री आरिफ मोहम्मद खान** : माननीय सदस्य सही है। ऐसा इसलिए कि सभी प्रकार की बातें प्रकाशित हो रही हैं। वास्तव में, पिछली बार, जब हम इस सदन में इस सौदे में प्रकाशित अनियमितताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे तो अधिकतर माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया था, प्रकाशित अनियमितताओं के संबंध में बोलने की बजाए, वह विमान की गुणवत्ता और हवाई क्षमता के बारे में बोल रहे थे। मैं इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकता। बल्कि मैंने बार-बार कहा है कि यह उचित नहीं है, बल्कि दुर्घटना के कारण के बारे में अनुमान लगाना मेरे लिए अथवा किसी के लिए सही नहीं है। जांच न्यायालय को दुर्घटना के कारण का पता लगाना है और जांच न्यायालय इस प्रश्न की जांच कर रहा है। हमने उन्हें 30 मई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया है, लेकिन यदि उनकी कार्यवाहियां पूरी नहीं होती और यदि वे जांच के लिए और समय चाहते हैं तब वे इसके लिए और समय देने के लिए कह सकते हैं।

**श्री भवानी शंकर होटा** : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को सरकार द्वारा दुर्घटना के लिए गठित किसी अन्य समिति अथवा जांच न्यायालय से कोई अन्तरिम अथवा अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ?

यदि यह रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, तो क्या यह सच है कि समिति ने सीधे उस विमान चालक

पर दोष लगाया है जो उसको चला रहा था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और यदि हां, तब उसका कारण क्या है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : महोदय, दुर्घटना के कारण के बारे में हमें कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस स्तर पर जब जांच न्यायालय अपनी जांच कार्यवाहियां कर रहा है, तो ऐसे में दुर्घटना के प्रश्न के बारे में मेरे लिए अथवा किसी के लिए कुछ कहना उचित नहीं है— चाहे यह किसी तकनीकी दोष अथवा डिजाइन के दोष अथवा मानवीय दोष रहा हो, चाहे इसके लिए कोई अन्य कारण रहा हो—क्योंकि इसके कारण के बारे में जांच न्यायालय को पता लगाना है।

हां, जांच निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। वह रिपोर्ट सरकार को नहीं दी गई है क्योंकि जांच न्यायालय का गठन कर दिया गया है। अतः जिस समय जांच न्यायालय का गठन किया गया, जांच निरीक्षक ने दुर्घटना के तत्काल बाद जांच शुरू कर दी तो यह जांच न्यायालय का एक हिस्सा बन गया। उसकी रिपोर्ट जांच न्यायालय को प्रस्तुत कर दी गई है। अब उसकी रिपोर्ट को केवल साक्ष्य के एक हिस्से के रूप में माना जाएगा जो कि जांच न्यायालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

श्री बसंत साठे : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं क्या वह गुम हुई फाइलों को छोड़कर सभी अन्य पत्र और फाइलें सभा पटल पर रखने को इच्छुक हैं। यदि हां, तो क्या आप उन्हें सभा पटल पर रखने की अनुमति देंगे ? यह पहला मुद्दा है।

दूसरी, यह एक सामान्य प्रथा है कि यदि एक फाइल गुम है, तो विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से संबंधित फाइलों में कागजों से इसे फिर से बनाया जा सकता है। क्या मैं जान सकता हूं कि जब तक आप वास्तव में यह पता नहीं लगा लेते कि यह फाइल कहां गुम हुई है क्या आपने तथाकथित रूप से गुम हुई फाइल को फिर से बनाने के लिए कोई प्रयास किया है। (व्यवधान)

कुछ लोग जो इस गोपनीय विषय के बारे में कुछ जानते हैं उन्हें इतना अधिक प्रतिवाद करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

मेरा अन्य प्रश्न यह है।

डा० विप्लव दासगुप्त : महोदय, आप एक से अधिक प्रश्न की कभी भी अनुमति नहीं देते अब आप दो प्रश्नों की अनुमति क्यों दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह केवल एक ही प्रश्न है।

श्री बसंत साठे : आप तो संसद में नये आए है। मेरे प्रिय मित्र, प्रश्न के विभिन्न भाग होते हैं जैसे क, ख, ग, घ आदि।

उन्होंने जो कुछ कहा है उसे देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि दुर्घटनाएं हुई हैं। एयर इंडिया का बोईंग भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ परन्तु सौभाग्य से बचा लिया गया। दुर्घटनाएं होती रहती हैं, परन्तु हम एयर लाइन के पूरे बेड़े को उड़ान भरने से नहीं रोकते हैं और वह भी अनिश्चित समय के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास अपनी इस सन्तुष्टि के लिए कम से कम कुछ तकनीकी सूचना है कि ये विमान प्रयोग में लाए जा सकते हैं अथवा आप यह कह रहे हैं कि जब तक दुर्घटना के कारणों की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इन विमानों को सेवा योग्य नहीं बनाया जायेगा, प्रयोग में नहीं लाया जाएगा ? इन विमानों को उड़ान भरने से रोकने के कारण एयर लाइन्स को

कितनी हानि हो रही है ?

**श्री आरिफ मोहम्मद खान** : महोदय, मैं यह बात दोहराना चाहता हूं। मुझे उस बात को दोहराने के लिए बाध्य किया गया है, जो मैंने पहले ही कह दी है। मैंने कहा था कि कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ दस्तावेजों के हवाले दिए थे। उन्होंने उन दस्तावेजों का हवाला दिया था और इस सदन में मांग की गई थी। माननीय सदस्य मूलत: उन दस्तावेजों की प्रमाणिकता और औचित्यता के बारे में जानना चाहते थे। मैंने कहा था कि ये कागजात मेरे पास नहीं हैं, मामला जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है, उन्होंने पहले ही एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मैंने कहा था कि यदि माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे निर्देश दें तो मैं उन कागजातों को सदन के पटल पर प्रस्तुत कर सकता हूं।

जब यह मांग की गई थी कि सभी कागजातों को सदन के पटल पर पेश किया जाए, तो मैंने पुन: अपनी असमर्थता व्यक्त की थी कि मैं सभी पत्रों को सदन के पटल पर पेश करने की स्थिति में नहीं हूं। पुन: मैंने इसे आपके विवेक पर छोड़ दिया था। महोदय, मैंने इस बात को पहले ही बता दिया है। मैं तैयार हूं, आप जो भी कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं। मैं इसे आपके विवेक पर छोड़ता हूं, जो उससे सम्बन्धित पत्र हैं, मैं किसी भी पत्र को सदन में पेश करने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, श्री विप्लव बाबू। यह क्या है ? उन्हें बात को स्पष्ट करने दीजिए, मंत्री महोदय जब बोल रहे हैं तो इस प्रकार बीच में व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री कालका दास** : यह तो निर्णय हो गया था कि आप पेपर देख लें।

[अनुवाद]

**श्री आरिफ मोहम्मद खान** : अब दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध विमान बेड़े को खड़ा करने से है। दुर्घटना के एक दिन बाद मैंने इस बात को बंगलौर में ही स्पष्ट कर दिया था कि एक दुर्घटना के कारण पूरे बेड़े को खड़ा नहीं किया गया है। जब यह मांग की गई थी तो मैंने विमानों को खड़ा करने का निर्णय लेने के लिए मना कर दिया था। परन्तु उसके बाद, लगातार तीन दिन तक चार बड़ी त्रुटियां हुई थीं जिससे विमान को वापिस लाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा—कुछ त्रुटियां पाई गईं, विमान को उड़ान भरने के 15 अथवा 20 मिनट बाद वापिस आना पड़ा। एक विमान तो उड़ान ही नहीं भर सका। जिन मामलों में विमान को वापिस लाया गया वहां उस कमी को ठीक कर दिया गया, परन्तु जो व्यक्ति उस विमान से यात्रा कर रहे थे, उन्होंने विमान में चढ़ने से मना कर दिया। हमने इस बात को कई बार कहा है कि दुर्घटना के बाद तीन दिन तक लगातार हुई इन चार बड़ी त्रुटियों के कारण यात्रियों के मन में अत्यधिक गम्भीर आशंका और संदेह पैदा हो गया था। विमान के सुरक्षित संचालन के लिए यह बात अत्यन्त आवश्यक है कि यात्रियों के मन में विमान की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई सन्देह अथवा आशंका नहीं होनी चाहिए, भले ही विमान अत्यधिक उच्च अथवा अच्छी किस्म का क्यों न हो। अत: इन गम्भीर आशंकाओं के कारण, हमें मजबूर होकर यह निर्णय लेना पड़ा।

यात्रियों पर इसका काफी प्रभाव पड़ा। अब इन संदेहों और आशंकाओं को दूर किया जाना था। सरकार ने उसके लिए रामदास समिति नियुक्त की थी। यह समिति इंडियन एयर लाइन्स की विमान

उड़ाने की तैयारी के सीमित प्रश्न पर विचार करने के लिए थी। इस बात पर बार-बार जोर दिया गया है कि विमान एक अति उच्च किस्म का है। मैंने किसी विमान की उड़न योग्यता पर कभी शक नहीं किया है। उदाहरण के रूप में, जापान में ऐसे विमान निर्मित किए जाते हैं, जो 230 कि० मी० प्रति घण्टा की गति से उड़ सकते हैं। अब यदि हम इस विमान का आयात करते हैं और उदाहरण के रूप में, इसे दिल्ली से कानपुर के मार्ग पर अथवा किसी और मार्ग पर उड़ाने का प्रयास करते हैं, जो उस गति वाले विमान के लिए अनुकूल नहीं है, तो क्या होगा ? यह विमान अत्यधिक उच्च तकनीकी किस्म का हो सकता है। परन्तु जिस मार्ग पर इसे उड़ना है, यदि उसका तालमेल उस उच्च तकनीक से नहीं होता, तो यह अवश्य ही दुर्घटनाग्रस्त होगा। किसी प्रकार के विमान के सुरक्षित संचालन के प्रश्न पर विचार के समय केवल विमान की उड़न योग्यता का प्रश्न ही महत्वपूर्ण नहीं है, विमान की केवल तकनीकी अच्छाई ही महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरी बातें जैसे विमान संचालन सुविधाएं, विमान उतारने की यांत्रिक सुविधाएं, कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाएं, रखरखाव संबंधी कर्मचारियों की सुविधाएं, इंजीनियरिंग कर्मचारियों की सुविधाएं आदि अनेक सम्बन्धित प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, यदि विमानों का सुरक्षापूर्वक संचालन करना है। मैंने पहले ही कह दिया है कि रामदास समिति की अन्तरिम रिपोर्ट में, जो सरकार को पेश की गई है, इस बारे में जिक्र किया गया है। इंडियन एयर लाइन्स ने जिस रफ्तार से इस विमान के सुरक्षित संचालन के लिए अपने आपको तदरूप बनाने और तैयार करने की दिशा में कार्य किया, इस विमान को उससे अधिक रफ्तार से इसके बेड़े में शामिल किया गया, इससे अधिक कठोर आक्षेप कोई और नहीं हो सकता। इन सभी प्रश्नों पर ध्यान दिया जाना है। सन्देहों को दूर किया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जब तक जांच न्यायालय की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक इंण्डियन एयर लाइन्स इस विमान को नहीं उड़ायेगी। इसने दुर्घटना के कारणों के बारे में निश्चय करना है कि यह मानवीय गलती के कारण हुई अथवा यह विमान के निर्माण में किसी बड़ी कमी के कारण हुई। मैं उस बारे में कोई अनुमान लगाने नहीं जा रहा हूं।

माननीय सदस्य श्री वसंत साठे ने इंडियन एयर लाइन्स को होने वाली हानि के बारे में जो पूछा है, इसे प्रति सप्ताह लगभग 2.5 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इंडियन एयर लाइन्स को यह नुकसान इस विमान बेड़े को खड़ा कर देने के कारण हो रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से हमें इस बारे में और अधिक चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही इस पर नियम 198 के अधीन एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। कार्य मन्त्रणा समिति इस पर होने वाली कल की चर्चा के लिए समय नियत करेगी। अगला प्रश्न।

## हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना

*822. **श्री चित्त बसु** :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना के सभी पहलुओं पर विचार कर उसे अन्तिम रूप से स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एल० गुरुपादस्वामी)** : (क) और (ख) पहले इथाइलीन की प्रति वर्ष 100,000 टन की क्षमता से हल्दिया में एक पेट्रो-रसायन समूह स्थापित करने के लिए नवम्बर, 1977 में एक आशय-पत्र जारी किया गया था।

हाल ही में, फरवरी, 1990 में, पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लि० ने इथाइलीन की प्रति वर्ष 300,000 टन की क्षमता से हल्दिया में पेट्रो-रसायन समूह के लिए जो ऐसी परियोजनाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम आकारों के अनुरूप है, नये आशय-पत्र हेतु आवेदन दिया है। आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है।

**श्री चित्त बसु :** मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस बात से अवगत है कि पश्चिम बंगाल सरकार नेफ्था क्रेकर परियोजना और आठ सहायक परियोजनाओं को एक साथ स्थापित करना चाहती है। यह अलग नहीं है। क्या भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यथाप्रस्तुत परियोजना से सहमत है। इस सम्बन्ध में, मैं सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार की इच्छा यह है कि 'इन्टेग्रेटिड पैट्रो-कैमिकल काम्पलेक्स प्रोजेक्ट' को वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए। और क्या मैं इस अवस्था में सरकार से यह जानकारी हासिल कर सकता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत उस विशेष उद्देश्य को पूरा करने से पूर्व कौन-कौन-से चरण शेष हैं जिन्हें अभी पूरा करना है? क्या माननीय मंत्री महोदय उन अवस्थाओं के बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :** यदि यह एक लम्बी सूची है तो वे इसे बाद में दे सकते हैं।

**श्री चित्त बसु :** हां, यदि यह एक लम्बी सूची है तो वे इसे बाद में दे सकते हैं।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** महोदय, प्रश्न का प्रथम भाग उन उत्पादों के बारे में है जिन्हें हल्दिया में बनाया जायेगा। मेरे पास एक लम्बी सूची है परन्तु जो मद हल्दिया परियोजना में तैयार की जायेगी उनकी कुल संख्या ग्यारह है। यदि माननीय मंत्री महोदय चाहते हैं तो मैं उन्हें पूरी सूची दे सकता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** जो माननीय सदस्य खड़े है वे अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** सरकार उन सभी मिश्रित उत्पादों—सम्पूर्ण उत्पाद मिश्र को स्वीकृति दे रही है जो पश्चिमी बंगाल सरकार ने भेजे है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस परियोजना को वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में शामिल किया जायेगा? जहां तक मेरे मन्त्रालय का संबंध है हमने अनुमति दे दी है और यह संयुक्त क्षेत्र में है और पश्चिम बंगाल सरकार अथवा पश्चिम बंगाल का औद्योगिक विकास निगम टाटा स्टील एसोसिएट्स के सहयोग से यह मामला उठा सकता है।

हम रुकावट नहीं डाल रहे हैं। और यह पश्चिम बंगाल द्वारा इसी वर्ष की योजना में सम्मिलित किया जा सकता है।

**श्री चित्त बसु :** मैं केवल मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य की प्रशंसा करूंगा; पर मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि सभा को आश्वासन दे कि अगले और विलम्ब नहीं होगा क्योंकि इस विलम्ब के कारण परियोजना की अनुमानित लागत में वृद्धि हुई है। आप यह जानना चाहेंगे कि···

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :** ···दिलचस्पी है ··

**श्री चित्त बसु**···दिलचस्पी यह जानने में होगी कि 1980 में अनुमानित लागत 428 करोड़ रुपये थी, यह 1470 करोड़ रुपये तक बढ़ गई और अनुमान यह है कि अब इसमें 3000 करोड़ रुपये की लागत लगेगी। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि परियोजना को पूरा करने में

और अधिक विलम्ब न हो ताकि परियोजना की लागत में जो वृद्धि होगी उसे आसानी से टाला जा सके टाल दिया जाए ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध है, विलम्ब के संबंध में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मैं परियोजना को तेजी से पूरा करने में लगा हूं। क्या मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिला सकता हूं कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने तीन लाख टन क्षमता वाले इथिलीन संयंत्र की स्थापना के लिए 15 फरवरी, 1990 को नए आशय पत्र के लिए आवेदन-पत्र दिया है ? तत्पश्चात् उन्होंने 26 मार्च, 1990 को अर्थात दो महीने पूर्व मंत्रालय को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने हमें सूचित किया है कि विस्तार अथवा इसकी इकाई के रूप में पोली-एथिलीन इकाई की स्थापना के प्रस्ताव पर और अधिक विचार करना उन्हें उचित नहीं लगा अतः इसका आशय-पत्र भी घरेलू (देशी) बाजार के लिए जारी किया जाए ? हमने इसकी भी अनुमति दे दी और इसी मामले पर योजना परियोजना स्वीकृति बोर्ड द्वारा 21-3-1990 को और बाद में 25-4-1990 को विचार किया गया और यह प्रस्ताव सी० ई० ए० को विचार विमर्श के लिए भेजा गया। जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है हम इस परियोजना को जितनी जल्दी पूरी करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : अध्यक्ष महोदय, मैं आज पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री की न केवल प्रशंसा करता हूं पर उनको बधाई भी देता हूं कि उन्होंने आज इस बात की घोषणा की है कि वह पश्चिम बंगाल के लिए 3000 करोड़ के पेट्रो-रसायन उद्योग की अनुमति दे दी है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की पेट्रो-रसायन परियोजनाएं भारत के अन्य पत्तनों पर भी हैं। विशेषकर पारादीप पत्तन पर क्या पेट्रो-रसायन समूह स्थापित करने का प्रस्ताव है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस चरण पर पहुंचा है। प्रस्ताव तो पहले ही पारादीप पत्तन से इलाहाबाद डीजल, पेट्रोल तथा अन्य तेल कूपों में ले जाने के लिए तैयार है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रस्ताव किस चरण पर है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या आप चाहते है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं ?··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जैसे चाहेंगे। यदि आप स्वेच्छा से उत्तर देना चाहते हैं तो दीजिए।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं इसका उत्तर देता हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पारादीप में 60 लाख टन का एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है, इस पर विचार किया जा रहा है। महोदय, आपको भी इसमें रुचि है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें रुचि है। मुझे भी पश्चिम बंगाल में दिलचस्पी है।

श्री संतोष मोहन देव : असम में क्यों नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : असम में भी है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, इस परियोजना का लाभ पूरे पूर्वी क्षेत्र को होगा। हमने पूरी तरह इस परियोजना की परीक्षा नहीं की है। मैं समझता हूं कि सभा को विश्वास में लाकर हम आठवीं और नवीं दोनों योजनाओं पर विचार कर रहे है और पारादीप की ओर हमारा पूरा-पूरा ध्यान है। संभवतः सब काम ठीक-ठाक होने पर पारादीप परियोजना नवीं योजना में आएगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० बिप्लव दासगुप्त।

श्री समरेन्द्र कुण्डू : महोदय, मैंने पारादीप से इलाहाबाद तक लगभग 300 कि० मी० लम्बी पाइपलाइन की मांग की थी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही डा० बिप्लव दासगुप्त का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : वह इस बारे में प्रस्ताव तो दें।

डा० बिप्लव दासगुप्त : मैं मंत्रीजी से इस बात की पुष्टि कराना चाहता हूं कि पेट्रो-रसायन संयंत्र को स्थापित करने में लगभग चार वर्ष लगेंगे और उसके पश्चात् पेट्रो-रसायन संयंत्र से सम्बद्ध अन्य दूसरी गतिविधियां आरम्भ होने में और तीन या चार वर्ष लगेंगे। वस्तुतः इस पेट्रो-रसायन संयंत्र को पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी क्षेत्र में पूरी तरह स्थापित होने में लगभग 8 या नौ वर्ष लगेंगे। महोदय, भूतपूर्व सरकार द्वारा चलाई गई भेदभाव की नीति के कारण पहले ही हमारे 13 वर्ष व्यर्थ हो गए। इस भेदभाव से पूर्वी क्षेत्र की जनता को बहुत कठिनाई हुई है। मैं यह प्रश्न इस कारण से पूछ रहा हूं, कि यदि हमने यह तेरह वर्ष व्यर्थ न गंवाए होते तो अभी तक संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र में उद्योग ही उद्योग होते? इस कारण से और विलम्ब से पूर्वी क्षेत्र को बहुत भारी क्षति होगी। अतः मैं आपसे आश्वासन प्राप्त करना चाहता हूं कि कम से कम आने वाले वर्ष में संयंत्र में काम आरंभ करना संभव हो सकेगा इसलिए सभी औपचारिकताओं की ओर ध्यान दिया जाए। अभी तक पिछली सरकार ने हमें बहुत आश्वासन दिए। मैं मंत्री महोदय की ओर से सुस्पष्ट उत्तर चाहता हूं,···(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : जब तक मार्क्सवादियों की सरकार है इसे नहीं लिया जाएगा।···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे स्वयं दोषी होने के कारण बेचैन हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम मन्त्री की बात सुनते हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जानता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों की इस प्रश्न में रुचि है···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें कोई रुचि नहीं है···(व्यवधान)

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं अपने मित्र की इस बात से सहमत हूं कि इस परियोजना में बहुत सारा धन खर्च होगा। इसमें बहुत समय लग जाएगा और परियोजना—पूर्व की तैयारियों में ही कम से कम एक वर्ष लग जाएगा। परियोजना पूरी होने के लिए कम से कम चार वर्ष की समयावधि है। अतः कुल मिलाकर पांच वर्ष चाहिएं। मैं यह कह देता हूं कि हम इस परियोजना के प्रति वचन-बद्ध हैं। हम इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को पूरी-पूरी सहायता दे रहे हैं ताकि हाल्दिया परियोजना पूरी हो जाए।

श्री ललित विजय सिंह : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस बात का पता लगाने के लिए हस्तक्षेप करें कि क्या बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने सितम्बर, 1985 में बरौनी में ऐसे पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स के लिए आवेदन पत्र भरा था जिसके उत्पादन बेन्जीन, पैरेक्सिलीन ऑर्थोक्सिलीन आदि हैं। पता नहीं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून से पूंजी निवेश व्यवहार्यता रिपोर्ट मांगी गई है या नहीं जिन्होंने बरौनी के लिए सीमित पाइपलाइन—पी० टी० ए० संयंत्र की सिफारिश

की थी। यह जानकारी भी सरकार तक 1987 में पहुंचा दी गई थी। मैं मंत्री महोदय का आभारी रहूंगा यदि वह मुझे इस प्रस्ताव की स्थिति की जानकारी देंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हां, यह प्रश्न भी मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता फिर भी मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बरौनी में एक पेट्रो-रसायन परियोजना आरम्भ करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है। किंतु हमने पहले ही बिहार सरकार को यह सूचना दे दी है कि एक एरो-मेटिक* संयंत्र और एक केप्रोलेक्टम संयंत्र को स्वीकृति दी गई है। हमने इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए बिहार सरकार से कहा है।

हमें इन दोनों परियोजनाओं के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। बिहार सरकार द्वारा अभी तक इस मामले में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है अन्य परियोजना की तो बात ही छोड़िये। अतः हमें प्रस्ताव भेजने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन, राज्य सरकारों को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसलिए माननीय सदस्य से मेरी अपील है कि यदि उनका बिहार सरकार पर प्रभाव है तो वह बिहार सरकार से कहें कि वे पहले से स्वीकृत परियोजनाओं पर अमल शुरू करें।

**अचलपुर—यवतमाल और पुलगांव—आरवी छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना**

*824. **श्री उत्तम राठौड़** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का अचलपुर—यवतमाल और पुलगांव - आरवी को जोड़ने वाली छोटी रेल लाइन को बन्द करने का विचार है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपर्युक्त छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु अभ्यावेदन दिये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

**रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि यह निजी स्वामित्व वाली रेलवे है जिसे मध्य रेलवे द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए इसके स्वामित्व ग्रहण करने से पहले इसके आमाप परिवर्तन के बारे में विचार करना कठिन है। समझौते के अनुसार इस आधुनीकीकरण का अगला विकल्प 1997 में उपलब्ध होगा।

**श्री उत्तम राठौड़** : वर्ष 1997 में हांगकांग चीन को दे दिया जाएगा लेकिन बातचीत जारी है। जब हम इस लाइन को बनाने जा रहे हैं तो इस लाइन को बदलने का काम हमें कठिन क्यों लग रहा है ? हम यह नहीं चाहते कि आप तुरन्त इस कार्य को शुरू करें। लेकिन आप हमें यह निश्चय ही बता सकते हैं कि आप इसे बदलेंगे जिससे कि आप कुछ योजनाओं के अन्तर्गत काम शुरू कर सकते हैं।

* पृष्ठ संख्या 11 भी देखिये।

इस लाइन की लम्बाई 225 कि० मी० है। अत. इसमें काफी समय लगेगा। अत: आप इस पर निर्णय क्यों नहीं लेते ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : न तो इसे तोड़ने का कोई प्रस्ताव है और न ही इसे बदलने का कोई प्रस्ताव है। मैं नहीं जानता वास्तव में माननीय सदस्य मुझसे क्या चाहते हैं।

श्री उत्तम राठौड़ : मैं नहीं जानता माननीय मंत्री के लिये आश्वासन देना कठिन क्यों है कि 1996 के बाद लाइन बदलने का कार्य शुरू किया जाएगा। दूसरी तरफ, आपके गृह मंत्रालय ने मराठवाड़ा कोंकण, विदर्भ जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए एक सांविधिक बोर्ड बनाया है। इन परिस्थितियों के अधीन, इस पर विचार क्यों नहीं करते और आश्वासन क्यों नहीं देते ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने कहा है कि इसे बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तो मैं आश्वासन कैसे दे सकता हूं।

---

## हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना के बारे में दिनांक 15 मई, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 822 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : श्री ललित विजय सिंह द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न* के उत्तर में मैंने थोड़ी सी गलती की है। मैंने कहा था कि एरोमैटिक परियोजना को मेरे मंत्रालय द्वारा बिहार के लिए स्वीकृति दी गई है। यह 'एरोमेटिक' नहीं है, इसे तो नामंजूर कर दिया गया है। यह पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न परियोजना है, जिसे मंजूरी दी गई है।

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर (जारी)

### चामराज नगर—मेट्टुपालायम रेल लाइन

*825. श्री सी० पी० मुदल्लर गिरियप्पा† :

श्री बी० कृष्ण राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चामराजनगर और मेट्टुपालायम बरास्ता सत्यमंगलम् (बड़ी लाइन) के बीच रेल लाइन बिछाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब पूरा किया गया था;

(ग) इस परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

---

*कृपया पृष्ठ 10 देखिये।

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी नहीं। तथापि एक प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, 1986 में पूरा किया गया था।

| सर्वेक्षण की गई लाइन का ब्यौरा | लम्बाई | लागत (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 1. बेल्लारी और मेट्टुपालायम के रास्ते चामराज नगर से कोयम्बत्तूर तक | 185 कि०मी० | 155.91 |
| 2. बेल्लारी और सत्यमंगलम के रास्ते चामराज नगर से कोयम्बत्तूर तक | 183 कि०मी० | 169.45 |

(घ) इस परियोजना को निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं दी गई है।

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि प्रारम्भिक इन्जीनियरी और परियोजना सर्वेक्षण किया गया है जो चामराज नगर—मैट्टुपालायम रेलवे लाइन के बारे में है। लेकिन अभी तक विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। केवल प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने अपने प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उसकी व्याख्या के बारे में भी बताया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं इसे स्वीकृति क्यों नहीं दी गई और विस्तृत सर्वेक्षण क्यों नहीं किया गया है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बहुत से सर्वेक्षण किये गये हैं। पहला सर्वेक्षण 1932-33 में, दूसरा 1940-41 में और तीसरा 1946-47 में, चौथा 1969-70 में और अन्तिम 1980 में किया गया था। महोदय, इस क्षेत्र की क्षमता की जांच करने पर यह पाया गया कि इस समय आगे सर्वेक्षण करना लाभकर नहीं है।

श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा : अध्यक्ष महोदय, चामराज नगर एक पर्यटक आकर्षण का शहर है और यहां के लिए बहुत से पर्यटक आकर्षित होते हैं और इसी तरह मैट्टुपालायम एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है और चामराज नगर और मैट्टुपालायम के बीच परम्परागत व्यापार सम्बन्ध हैं इस दृष्टि से क्या मैं माननीय मन्त्री से नई रेल लाइन बिछाने पर फिर से विचार करने का अनुरोध कर सकता हूं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, यह जानकारी है कि इस क्षेत्र पर निवेश करने से कोई फायदा नहीं है। अब अगर कोई अन्य सर्वेक्षण किया जाता है या अन्य कोई विचार किया जाता है तो इसके लिए पर्याप्त कारण होने चाहिएं। मुझे नहीं लगता कि इस समय नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहती

हूं कि ललितपुर—सिंगरौली रेलवे लाइन का सर्वे हुआ था—(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** यह दूसरा सवाल है। जो जवाब मन्त्री जी ने दिया है, उससे यह सवाल उत्पन्न नहीं होता है। आप स्पैसिफिक सवाल पूछिये।

(व्यवधान)

**कुमारी उमा भारती :** मैं वही बात पूछ रही हूं। मैं उसको ज्यादा घुमा-फिरा कर नहीं पूछ रही हूं। मैं उसको सीधा पूछ रही हूं, इतना उसमें फर्क पड़ गया है। 1977 से 1980 के बीच में ललितपुर—सिंगरौली रेलवे लाइन का सर्वे हुआ था और उस समय इसको लाभप्रद पाया गया था। उसके बाद कांग्रेस शासन आने के बाद उसका दोबारा सर्वे हुआ और उसको आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं पाया गया। उसके बाद मुझे जानकारी मिली है कि पुनः इसका सर्वे होने वाला है। ऐसी सूचना मुझे मंत्री महोदय के मंत्रालय से मिली है। मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है क्या उसी तरह के सर्वे का अन्त यहां भी होने वाला तो नहीं है क्योंकि तीन बार ललितपुर—सिंगरौली रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन कर दूं कि उन्होंने जो यह साफ घोषित किया हुआ है कि जिन पिछड़े क्षेत्रों का विकास नई रेलवे लाइन के आने से हो सकता है, वहां पर रेलवे लाइन अवश्य डाली जायेगी। क्या ऐसे में ललितपुर—सिंगरौली रेलवे लाइन को आप कंसीडर करेंगे या नहीं ? जो नया सर्वे हो रहा है, उसमें ललितपुर—सिंगरौली रेलवे लाइन का 1977—80 के बीच जो प्रस्तावित मार्ग था, उसमें कहीं कोई परिवर्तन करने की मंशा तो आपके मंत्रालय की नहीं है ?

**श्री जार्ज फर्नान्डीज :** अध्यक्ष महोदय, मैंने जो विचार सदन में इस मामले में रखे हैं, मैं उस पर अटल हूं। जहां तक ललितपुर-- सिंगरौली रेलवे लाइन का फिर से सर्वे होने की बात है मैं आशा करता हूं कि उसकी रिपोर्ट इस बार ठीक आ जायेगी।

[अनुवाद]

**डा० वेंकटेश काबड़े :** मैं जानता हूं कि माननीय रेल मन्त्री का कार्य कठिन है। देश में बहुत से क्षेत्रों में नई रेल लाइनों की मांग हो रही है। जब कभी नई रेल लाइन के लिए कहा जाता है तो प्रत्येक बार रेलवे विभाग यातायात और माल भाड़े से होने वाली आय का एक तकनीकी सर्वेक्षण करता है। लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, क्या रेलवे मंत्रालय ने नई रेलवे लाइनों को मंजूरी देने के बारे में दिशानिर्देशों में कोई परिवर्तन किए हैं ?

**श्री जार्ज फर्नान्डीज :** महोदय, ऐसे कोई नये दिशा निर्देश नहीं हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, प्रत्येक व्यक्ति को उन सीमित संसाधनों को भली प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए।

**श्री आर० गुण्डू राव :** महोदय, मैं माननीय मंत्री से इस चामराज नगर—मैंदुपालायम रेल लाइन के बारे में जानना चाहता हूं, मैं यह पिछले चालीस वर्षों से सुन रहा हूं कि सर्वेक्षण किया गया है और टेक्नीकल रिपोर्ट ठीक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मैंदुपालायम और चामराज नगर के बीच इस लाइन को बिछाने के बारे में सोच रही है। या वे स्पष्ट करें कि यह इस शताब्दी में सम्भव नहीं है और वे अगली शताब्दी में इस पर विचार करेंगे। यह अनावश्यक ही हंगामा क्यों मचा रखा है।

[हिन्दी]

आज देखते हैं, परसों देखते हैं।

[अनुवाद]

मैं सरकार से स्पष्ट रूप से उत्तर चाहता हूं कि क्या इस लाइन को बिछाया जाएगा या नहीं। इन सब सर्वेक्षणों पर धन बर्बाद क्यों करते हैं। कितने सर्वेक्षण किए जा चुके हैं? जैसा कि मैं जानता हूं लगभग आधे दर्जन या एक दर्जन सर्वेक्षण पहले ही किये जा चुके हैं। मेरा इससे कोई मतलब नहीं कि यह सरकार सत्ता में थी या नहीं। मैं सरकार से, टेक्नीकल इंजीनियरों से या अन्य से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस लाइन को बिछाएंगे या नहीं अथवा क्या वे यह स्पष्ट करेंगे कि यह कार्य करना असम्भव है, क्योंकि उनके पास धन नहीं है, उनके पास कोई तकनीकी रिपोर्ट नहीं है। वे अनावश्यक ही यह क्यों कहते हैं कि यह सर्वेक्षण किया जायेगा? वह सर्वेक्षण किया जायेगा? अतः मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या इस शताब्दी में वे इस कार्य को करेंगे या नहीं···(व्यवधान)।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह सर्वेक्षण पिछले चालीस वर्षों से नहीं हो रहा है, यह पिछले साठ वर्षों से हो रहा है क्योंकि प्रथम सर्वेक्षण 1932 में किया गया था अर्थात् मेरे पैदा होने के दो वर्ष बाद।

श्री आर० गुण्डू राव : महोदय, हमें स्पष्ट रूप से लोगों को बताने दीजिए कि भारत सरकार इस रेलवे लाइन को बिछाने में समर्थ नहीं है। हम अनावश्यक ही प्रश्न क्यों उठा रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि इस कार्य को किया जायेगा तकनीकी लोगों को भी यह कहने दीजिए कि अन्य पन्द्रह या बीस वर्षों तक किन्हीं परिस्थितियों के अन्तर्गत यह सम्भव नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मुझे नहीं लगता कि माननीय सदस्य इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएंगे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री प्रश्न की सीमा से कुछ हद तक हट रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि करूर—डिंडिगुल लाइन के बीच काम चल रहा है और यह पूरा भी हो चुका है। न केवल यह बल्कि रेल भी चल पड़ी है। करूर और सलेम के बीच की लाइन का थोड़ा-सा और विस्तार किया जाएगा जिससे कि रेल सलेम से बंगुर सीधी जा सके। क्या वे सर्वेक्षण की दृष्टि तथा कार्य की दृष्टि को ध्यान में रखकर इस पर विचार करेंगे?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी हां, श्रीमान्।

[हिन्दी]

प्रो० यदुनाथ पांडेय : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस हजारीबाग के लोग एम० ए० और बी० ए० पास कर जाते हैं लेकिन आज तक वहां लोगों ने रेल नहीं देखी है। क्या मैं आशा रखूं कि माननीय रेल मंत्री हजारीबाग को रेलवे लाइन से जोड़ने का प्रयास करेंगे, वहां पहले भी सर्वे हो चुका है इसलिए हजारीबाग को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मुझे इस पर नोटिस की आवश्यकता है।

## तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए किराये पर हेलीकॉप्टर सेवा

*826. आर० जीवरत्नम :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम क्षेत्र में किए जा रहे कार्य के लिए विदेशी कम्पनियों से किराये पर हेलीकॉप्टर सेवाएं प्राप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का दक्षिण क्षेत्र में भी विशेषकर तमिलनाडु में कावेरी बेसिन में तट से दूर और तट पर ड्रिलिंग कार्य के लिए, ऐसी सेवा प्राप्त करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई अपतटीय क्षेत्र के लिए तीन माह की अवधि के लिए दो बड़े आकार के हेलीकाप्टर भाड़े पर लेने के लिए 10-4-1990 को मैसर्स कनाडियन हेलीकाप्टर्स, कनाडा को टैलेक्स आदेश दिया था। इसके अलावा 8-5-1990 से एक माह की अवधि के लिए इस कम्पनी का एक मध्यम आकार का भी हेलीकाप्टर भाड़े पर लिया गया था।

(ख) जी, नहीं।

श्री आर० जीवरत्नम : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि सरकार ने दो बड़े हेलीकाप्टरों को तीन माह के लिए ओ० एन० जी० सी० के प्रयोग के लिए एक कनाडा की कम्पनी से भाड़े पर लेने का आदेश 10 अप्रैल, 1990 को दिया है। उसी कम्पनी को एक दूसरा आदेश 8-5-90 को एक छोटा हेलीकाप्टर भाड़े पर लेने का आदेश दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए दूसरी विदेशी कम्पनियों से भी निविदा आमंत्रित किए गए थे। प्रति हेलीकाप्टर मासिक कितना किराया है ? विदेशी मुद्रा को बचाने के दृष्टिकोण से क्या इन हेलीकाप्टरों को स्थाई तौर पर प्राप्त करने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, इन्होंने एक ही साथ कई प्रश्न कर डाले हैं। महोदय, मैं उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। उन्होंने पूछा है कि क्या हेलीकाप्टर भाड़े पर लेने की सामान्य प्रथा रही है या हेलीकाप्टर को किराए पर लिया जाता है। यह एक सामान्य बात है इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। जब भी हेलीकाप्टर की आवश्यकता होती है, तो हम किराए के आधार पर भाड़े पर हेलीकाप्टर लेते हैं और हम आवश्यकता पड़ने पर हेलीकाप्टर खरीदते भी हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या किसी एक कम्पनी को हेलीकाप्टर की सप्लाई करने को कहा गया था अथवा क्या अन्य कम्पनियों को भी सप्लाई के लिए कहा गया था। इस संबंध में निविदाएं तैयार की गई और जारी भी की गई थीं। चार कम्पनियों ने कोटेशंस भेजी थीं और इन चार कम्पनियों में से हमने कनाडा की कम्पनी का चयन किया है। इस संबंध में एक फायदा यह है कि कनाडा हमें अनुदान और ऋण दे रहा है तथा अनुदान की राशि 38% के लगभग राशि भाड़े में लगा दी जाएगी और 62% ऋण पर उपलब्ध यह हेलीकाप्टर लाभदायक और अच्छा है। इसलिए हमने इन दो हेलीकाप्टरों को कनाडा से लेने का निर्णय लिया है। जहां तक छोटे हेलीकाप्टर का प्रश्न है। हम लोगों ने एक माह के लिए एक हेलीकाप्टर किराए पर लिया है और उक्त अवधि के लिए इसका किराया निर्धारित कर लिया गया है जो कि करीब 475 अमरीकी डालर प्रति घण्टा है। देश और विशेषकर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) हेलीकाप्टर सेवा की कमी का सामना कर रहा था।

श्री आर० जीवरत्नम : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कावेरी और कृष्णा बेसिन तथा बंगाल की खाड़ी में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज के लिए हेलीकाप्टरों की आवश्यकता है। यदि ऐसा है तो इसके लिए सरकार ने हेलीकाप्टर प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, तेल कम्पनियों को हेलीकाप्टर की आवश्यकता होती है, और उन्हें हमेशा इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में हेलीकाप्टरों को लगाया हुआ है। बम्बई एक क्षेत्रीय व्यापारिक केन्द्र है। दक्षिण क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र, मध्य क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र, पूर्वी क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र, पश्चिम क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र और उत्तर क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र सभी को हेलीकाप्टर सेवा उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जब भारतीय कम्पनियों के हेलीकाप्टर उपलब्ध थे, तो क्यों विदेशी कम्पनियों के हेलीकाप्टर लिए गए? टैंडर जो आमन्त्रित किए गए हैं, उन टेंडरों के निर्णय में भी अनियमितताएं बरती गई हैं। ऐसी सामग्री भी उपलब्ध है। क्या यह बात सही है कि विदेशी कम्पनियों को तरजीह दी गई हैं। जबकि भारतीय कम्पनी के हेलीकाप्टर उपलब्ध हो सकते थे? यदि हेलीकाप्टर का उपयोग अल्पकालिक है, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, क्या इसके लिए आप प्राकृतिक तेल और गैस आयोग के माध्यम से अपना हेलीकाप्टर खरीदने का प्रस्ताव रखते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, स्वदेशी स्रोतों से हेलीकाप्टर प्राप्त करने का हर-सम्भव प्रयास किया गया है। हमने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की राज्य सरकारों से भी सम्पर्क किया। परन्तु दुर्भाग्यवश···

श्री सन्तोष मोहन देव : रक्षा मन्त्रालय से क्यों नहीं?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : थोड़ा ठहरिये। दुर्भाग्यवश इन प्रयासों को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों ने हेलीकाप्टरों को उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की। लेकिन, गुजरात सरकार एक हेलीकाप्टर उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई, परन्तु वह हेलीकाप्टर काम करने योग्य नहीं पाया गया। हमने स्वदेशी स्रोतों से हेलीकाप्टर प्राप्त करने की कोशिश की है।

श्री सन्तोष मोहन देव : हम उन्हें रक्षा मन्त्रालय से क्यों नहीं प्राप्त कर सकते?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हम कुछ हेलीकाप्टर रक्षा मन्त्रालय से लेते रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : अभी वे उत्तर दे रहे हैं। आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मुझे श्री देव के प्रश्न का उत्तर देने दें। महोदय, क्या मैं माननीय सदस्य को बता दूं···।

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : मेरे दूसरे प्रश्न का क्या हुआ ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। आप प्रश्न पूछ चुके हैं, वे जवाब दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

महोदय, भारतीय वायु सेना हमें 200 घंटों के लिए हैलीकाप्टर उपलब्ध करा रही है। इसलिए हम उन हेलीकाप्टरों को ले रहे हैं।

अनियमितताओं के संबंध में, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, योजना में कोई अनियमितता नहीं है। यदि किसी खास अनियमितता को बता सकते हो तो मैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करने को तैयार हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं जानना चाहता हूं कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के माध्यम से पश्चिम क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर ड्रिलिंग का काम हो रहा है जिनमें कि हेलीकाप्टर की सेवाएं ली जा रही हैं ? पश्चिम में क्या राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में भी ये सेवाएं ली जा रही हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शायद नहीं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : महोदय, पश्चिम क्षेत्र मैंने पहले ही क्षेत्र बता दिये हैं। पश्चिम क्षेत्र के लिए हमारे पास एक चेतक हेलीकाप्टर है।

श्री बालगोपाल मिश्र : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी मुद्रा भी हेलीकाप्टर के भाड़े पर लेने में शामिल है और हेलीकाप्टर के मामले में भारतीय वायु सेना की क्षमता क्या है और क्या वे किराये पर या भाड़े पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ०एन०जी०सी०) को हेलीकाप्टर उपलब्ध करा सकते हैं अथवा नहीं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : कनाडा से लिए गए दो हेलीकाप्टरों पर लगा विदेशी मुद्रा खर्च 1,800,000 लाख अमरीकी डालर है जो कि 3.11 करोड़ रुपये के बराबर है। दूसरे मध्यम आकार वाले हेलीकाप्टर के मामले में, इस पर 475 अमरीकी डालर प्रति घण्टा के दर से खर्च होता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी बताया कि कनाडा से हेलीकाप्टर भाड़े पर लिए गए हैं और उन पर करोड़ों-करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में एक से एक अच्छे हेलीकाप्टर हैं। उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गई ?

[अनुवाद]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरे माननीय मित्र की समझ में बात नहीं आई है। हम रक्षा मंत्रालय से भी सहायता ले रहे हैं। अन्य स्रोत भी होंगे और हमें जिस किसी भी स्रोत से हेलीकाप्टर लेने की आवश्यकता होती है, उन पर हम किसी भी तरह विदेशी मुद्रा का अपव्यय नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों की समस्याएं

[अनुवाद]

*827. श्री इरा अन्नारासु :

श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों की सभी समस्याओं पर नये सिरे से विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार की औद्योगिक नीति में लघु और ग्रामीण उद्योगों के विकास पर प्रमुख जोर दिया जाता है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार के अवसरों को अधिकतम किया जा सके। उत्पन्न हो रही आवश्यकताओं को देखते हुए लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन, रियायतों की प्रणाली और सहायता की पद्धति का पुनरीक्षण एक निरन्तर प्रक्रिया है।

### मॉडल रेलवे स्टेशन

*828. श्री एडुआर्डो फलेरो :

श्री कल्पनाथ राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में मॉडल रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं;

(ख) इन मॉडल रेलवे स्टेशनों की विशेष बातें क्या हैं;

(ग) क्या कुछ और अधिक रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशनों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री आर्वे फर्नान्डीज) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जिन स्टेशनों को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है, वहां सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ताकि वे शताब्दी के अन्त तक यात्री सुविधाओं और यातायात की आवश्यकताओं को संभालने के सम्बन्ध में उस क्षेत्र के अन्य स्टेशनों के लिए एक उदाहरण बनें ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

| क्रम सं० | राज्य | आदर्श स्टेशनों की सं० | आदर्श स्टेशनों के नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 4 | हैदराबाद |
| | | | विजयवाड़ा |
| | | | तिरुपति |
| | | | वाल्तेर |
| 2. | असम | 4 | न्यू बोंगाईगांव |
| | | | गुवाहाटी |
| | | | लमडिंग |
| | | | तिनसुकिया |
| 3. | बिहार | 8 | धनबाद |
| | | | गया |
| | | | पटना |
| | | | समस्तीपुर |
| | | | मुजफ्फरपुर |
| | | | कटिहार |
| | | | रांची |
| | | | टाटानगर |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | दिल्ली | 1 | नयी दिल्ली |
| 5. | गुजरात | 3 | अहमदाबाद |
| | | | राजकोट |
| | | | जूनागढ़ |
| 6. | हरियाणा | 1 | भिवानी |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 1 | शिमला |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 1 | जम्मू तवी |
| 9. | केरल | 1 | तिरुवनन्तपुरम |
| 10. | कर्नाटक | 1 | मैसूर |
| | | | बैंगलूरु सिटी |
| | | | बेल्लारी |
| 11. | महाराष्ट्र | | अकोला |
| | | | बम्बई बी० टी० |
| | | | पुणे |
| | | | नागपुर |
| | | | शोलापुर |
| | | | नान्देड़ |
| | | | गोंदिया |
| | | | बम्बई सेन्ट्रल |
| 12. | मध्य प्रदेश | 1 | ग्वालियर |
| | | | भोपाल |
| | | | जबलपुर |
| | | | बिलासपुर |
| | | | रायपुर |
| | | | इन्दौर |
| | | | दुर्ग |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | उड़ीसा | 1 | भुवनेश्वर |
| 14. | पंजाब | 1 | जालन्धर |
| 15. | राजस्थान | 5 | बीकानेर |
| | | | जोधपुर |
| | | | जयपुर |
| | | | भरतपुर |
| | | | अजमेर |
| 16. | तमिलनाडु | 4 | मद्रास |
| | | | तिरुच्चिरापल्ली |
| | | | मदुरै |
| | | | कोयम्बतूर |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 9 | मेरठ सिटी |
| | | | लखनऊ अं० (उ०रे०) |
| | | | इलाहाबाद |
| | | | मुरादाबाद |
| | | | लखनऊ अं० (पूर्वोत्तर रेलवे) |
| | | | गोरखपुर |
| | | | काठगोदाम |
| | | | इलाहाबाद सिटी |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 5 | सियालदह |
| | | | हवड़ा |
| | | | दुर्गापुर |
| | | | मालदा टाउन |
| | | | खड़गपुर |
| | | जोड़ 67 | |

बालासोर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म

*829. श्री समरेन्द्र कुन्डू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे बालासोर रेलवे स्टेशन पर सभी मौसमों के लिए उपयुक्त पक्की छत का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब से आरम्भ होने की सम्भावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बालासोर रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्मों को ऊंचा करने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री आर्वे फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मानदंडों के अनुसार अपेक्षित 88 वर्ग मीटर की तुलना में बालासोर रेलवे स्टेशन पर 1812 वर्ग मीटर के प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था की गई है। लगभग 150 वर्ग मीटर के अतिरिक्त सायबान का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहां 87 वर्ग मीटर का एक प्रतीक्षालय है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कांडला—भटिण्डा पाइपलाइन

*830. श्री यशवन्त राव पाटिल :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला—भटिंडा पाइपलाइन परियोजना हेतु जितने ऋण का उपयोग नहीं किया गया उसके लिए विश्व बैंक को प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ऋण का कब उपयोग किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) कांडला—भटिंडा पाइपलाइन परियोजना हेतु 11-1 -89 से 14 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि में उपयोग न किए गए ऋण के प्रति लगभग 2.00 लाख स्विस फ्रैंक (22.60 लाख रुपये के बराबर) की राशि प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में विश्व बैंक को भुगतान की गयी है।

(ग) कांडला—भटिंडा परियोजना के लिए ऋण का इस्तेमाल सरकार द्वारा इस परियोजना के अनुमोदित किए जाने की तारीख से लगभग 40 माह के भीतर किए जाने की संभावना है। यह परियोजना अभी सरकार के विचाराधीन है।

## खोई पर आधारित कागज के कारखाने

*831. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिखने के कागज, छपाई के कागज, क्राफ्ट पेपर और निम्न श्रेणी के कागज के लिए खोई पर आधारित कागज के कारखानों की सामान्य अर्थ क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कागज उद्योग में जल प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए, इस उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिए तथा इसे कुछ और प्रोत्साहन दिए जाने हेतु निरन्तर मांग की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस उद्योग को विद्यमान रियायतों/प्रोत्साहनों के अलावा और कौन-कौन से अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) खोई पर आधारित लुगदी/कागज परियोजना की आर्थिक जीव्यता हर परियोजना में अलग-अलग होती है। तथापि, सैलुलोसिक कच्चे माल की उपलब्धता, संसाधनों संबंधी बाधाओं और विदेशी मुद्रा की बचत आदि को ध्यान में रखते हुए खोई से लुगदी/कागज का निर्माण किया जाना वांछनीय समझा जाता है।

(ख) से (घ) कागज उद्योग सरकार को दिए गए अपने विभिन्न अभ्यावेदनों में और अधिक राजकोषीय रियायतों/प्रोत्साहनों की अपील करता रहा है। समय-समय पर कागज उद्योग के दीर्घ-कालीन विकास के लिए नीतियां तैयार करते समय इस सम्बन्ध में दिए गए सुझावों को सरकार ध्यान में रखती है। जिन कुछ विशिष्ट रियायतों/प्रोत्साहनों की अनुमति दी गयी है, वे निम्नलिखित हैं :—

1. वजन के अनुसार जिस कागज में खोई, कच्ची पटसन और मेस्टा से बनी लुगदी का अंश 75% से कम नहीं है उसे उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

2. जो बडी/मझोली/छोटी कागज मिलें कम से कम 50% कृषि अपशेषों तथा अन्य गैर-परम्परागत कच्चे माल का इस्तेमाल करती है उनसे रियायती दर पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है।

3. कृषि अपशेष पर आधारित कागज और कागज बोर्ड उद्योग को न्यूनतम आर्थिक क्षमता योजना के अन्तर्गत रख दिया गया है जिसकी क्षमता 33,000 टी० पी० ए० निर्धारित की गई है।

4. ओ० जी० एस० के अधीन लकड़ी की लुगदी, लकड़ी के चिप्स, लट्ठों तथा रद्दी कागज का नाममात्र अथवा कम सीमा शुल्क की दर पर आयात करने की अनुमति है।

5. गैर एम० आर० टी० पी०/गैर फेरा कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट दे दी गयी है, बशर्ते कि किसी केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्र में स्थित एकक में परियोजना के लिए निवेश 50 करोड़ रु० तक अथवा किसी गैर-पिछड़े क्षेत्र में स्थित एकक में निवेश 15 करोड़ रु० तक हो और वह कुछ मानक शर्तें पूरी करती हों।

खड़गपुर—दीघा रेल लाइन

*832. डा० देवी प्रसाद पाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर से दीघा के बीच, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, रेल लाइन का निर्माण पूरा करने की मांग जनता द्वारा निरन्तर की जाती रही है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं। तथापि, तामलुक—दीघा लाइन के लिए मांग की गयी थी जिसे अनुमोदित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मंगलौर रिफाइनरी की क्षमता में वृद्धि

*833. श्री जी० एस० वासवराज :

श्रीमती वासवराजेश्वरी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन को प्रस्तावित मंगलौर रिफाइनरी (तेल शोधक कारखाना) की क्षमता बढ़ाने की संभावना का अध्ययन करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को कहा गया है कि वह 6 मि० टन प्रतिवर्ष की क्षमता की एक रिफाइनरी की अथवा दो चरणों में ऐसी ही क्षमता स्थापित करने की वांछनीयता का आकलन करे जिसे आरंभिक तौर पर पहले चरण में 3 मि० टन प्रतिवर्ष की क्षमता से चालू की जा सके।

रेलवे की भूमि का उपयोग

*834. श्री जनार्दन पुजारी :

श्री बे० चोक्का राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे की कुल कितनी भूमि का रेल विभाग द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस भूमि का समुचित प्रयोग करने हेतु कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) लगभग 60,000 हेक्टेयर।

(ख) जी हां।

(ग) खाली भूमि की आवश्यकता दोहरी लाइन बिछाने, आमान परिवर्तन करने, रेल पथों के अनुरक्षण, स्टेशन भवनों और परिचालन क्षेत्रों के विस्तार, कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण आदि जैसे भविष्य में होने वाले विकासात्मक कार्यों के लिए होगी। जब तक इस भूमि की आवश्यकता रेलवे के विकासात्मक कार्यों के लिए नहीं होती, तब तक रेलवे की खाली भूमि पर वृक्षारोपण किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**उत्तर बिहार में बड़े उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव**

*835. श्री चन्देश्वर प्रसाद वर्मा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिलों में बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की मंजूरी हेतु भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को मंजूरी कब तक प्रदान की जाएगी ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1987 से 1990 (30-4-90 तक) की अवधि में बिहार के पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारन जिले में उद्योग लगाने के लिए 11 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए थे। इन 11 आवेदनों में से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों से 2 आवेदन प्राप्त हुए थे जो अनुमोदित किये गये और निम्न प्रकार से आशय पत्र मंजूर किये गये :—

| क्र०सं० | निगम का नाम | विनिर्माण की मद | स्थापना स्थल | आशय पत्र की संख्या और तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम | अखबारी कागज, लिखाई तथा छपाई का कागज | पश्चिमी चंपारन | अ० प० : 125 (88) दिनांक 29-3-88 |
| 2. | बिहार राज्य चीनी निगम लि० | सफेद दानेदार चीनी | —वही— | अ० प० : 486 (89) दिनांक : 10-7-88 |

चार और आवेदन भी स्वीकृत किये गये हैं और आशय पत्र मंजूर किए गए। शेष 5 आवेदनों में से 2 नामंजूर किए गए और 3 प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। सरकार औद्योगिक लाइसेंस धारकों को यथा शीघ्र क्रियान्वित के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है।

## रसोई गैस और डीजल पम्पों के लिए डीलरशिप का आवंटन

[हिन्दी]

*836. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल पम्प और रसोई गैस की डीलरशिप के आवंटन में भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग व्यक्तियों और अनुसूचित जातियों के लिए कोटा आरक्षित है; और

(ख) यदि हां, तो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) जी, हां। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के आरक्षण (25%) के लिए अपनाया गया मानदंड मुख्यत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अथवा उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी है आरक्षण का कोटा इस तरह से भरा जाता है कि ये समुदाय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष में अपनी आबादी के अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकें।

## सालेकसा स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर नई लूप लाइन

*837. प्रो० महादेव शिवनकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में सालेकसा स्टेशन पर नई रेल लाइन (लूप लाइन) के निर्माण के लिए, जो अब सालेकसा स्टेशन के दक्षिणी भाग के बजाये, जैसा कि पहले निर्णय लिया गया था, उत्तरी भाग की तरफ बिछाई जाएगी, कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो निर्णय में इस परिवर्तन के क्या कारण हैं और इस कारण कितना धन और समय नष्ट हुआ;

(ग) क्या रेलवे स्टेशन के दक्षिण की ओर इस रेलवे लाइन को बिछाने के संबंध में खर्च की गई धनराशि के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, कलकत्ता और दक्षिण पूर्व रेलवे के नागपुर स्थित मंडल रेलवे प्रबन्धक को शिकायतें की गई हैं; और

(च) यदि हां, तो इन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) उत्तरी भाग की ओर एक डाउन लूप लाइन की व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव केवल योजना के स्तर पर ही है।

(ग) और (घ) अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) इस सम्बन्ध में प्रो० एम० शिवनकर के पत्र के साथ कुछ नागरिकों की ओर

एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और श्री शिवनकर को उत्तर भी भेज दिया गया था। इस संबंध में कोई और शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

## एयरबस इंडस्ट्रीज द्वारा मानहानि के मुकदमें की धमकी

[अनुवाद]

*838. श्री डी० एन० पुट्टे गौड़ा :

श्री आर० गुंडू राव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरबस इंडस्ट्रीज, फ्रांस ने धमकी दी है कि वह उन सभी के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा करेगा जो ए-320 विमान को दोषपूर्ण बतायेंगे, जैसा कि समाचारपत्रों में समाचार छपा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : क) और (ख) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है। तथापि, सरकार को मैसर्स एयरबस इंडस्ट्री से इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

## कोंकण रेलवे योजना की लागत कम करना

*839. श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

श्री शंकर सिंह वघेला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलोर—बम्बई—कोंकण रेल लाइन परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना की लागत कम करने की संभावना का, विशेष रूप से 9 अप्रैल, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित सुझाव के संदर्भ में अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इस परियोजना के संबंध में और क्या कदम उठाये जाने हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) मंगलोर से रोहा तक (837 कि०मी०) रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 1043 करोड़ रुपये है। बम्बई और रोहा के बीच रेलवे लाइन मौजूद है।

(ख) और (ग) 9-4-90 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपी रिपोर्ट में दिये गये सुझाव किसी भी विस्तृत अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

(घ) मंगलोर—उडुपी रेलवे लाइन परियोजना को 1989-90 और उडुपी—रोहा को 1990-91 के रेलवे बजट में पहले ही मंजूरी दे दी गई है।

कुजु कोयला खान श्रमिकों के आश्रितों को रोजगार

[हिन्दी]

*8634. श्री पीयूष तीरकी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में कुजु कोयला खान में काम के दौरान कितने श्रमिक मारे गए तथा मृतक श्रमिकों के परिवारों के कितने सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ख) कितने मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) पिछले 5 वर्षों की अवधि के दौरान कुजु कोलियरी में काम के दौरान मारे गए 82 श्रमिकों में से, 51 श्रमिकों के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। शेष 21 मृतक कर्मचारियों के संबंध में केवल 3 कर्मचारियों के आश्रितों ने रोजगार के लिए आवेदन किया है तथा उनके आवेदन-पत्रों की जांच की जा रही है।

पिलौदा में फ्लैग स्टेशन

8635. डा० किरोड़ीलाल मीणा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 जून, 1989 को दिल्ली बम्बई बड़ी रेल लाइन पर सवाई माधोपुर जिले में पिलौदा के निकट 3 डाउन फ्रंटियर मेल पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो इससे जान-माल की कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या इसमें फंसे यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने वाले इस क्षेत्र में लोगों को रेलवे अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि पिलौदा में एक फ्लैग स्टेशन स्थापित किया जाएगा जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) कोई जनहानि नहीं हुई थी। रेल सम्पत्ति को 1.65 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है।

(ग) जी नहीं। पिलौदा एक आधारभूत यात्री सुविधाओं वाला फ्लैग स्टेशन पहले से ही मौजूद है। तथापि, पिलौदा गांव के सरपंच से एक अलग मांग प्राप्त होने पर, छोटी खोदई और पिलौदा स्टेशनों के बीच पिलौदा गांव के निकट यात्री हाल्ट के खोले जाने के प्रस्ताव की जांच की गई थी लेकिन परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल एक्सप्रेस में पेय जल और भोजन की सप्लाई

[अनुवाद]

8636. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से त्रिवेन्द्रम तक चलने वाली केरल एक्सप्रेस में शुद्ध पेय जल के थैलों की सप्लाई करने का है;

(ख) क्या इस रेलगाड़ी में सप्लाई किए जाने वाला भोजन किसी स्टेशन-विशेष पर बने रसोई-घर (बेस-किचन) में तैयार करके इस रेलगाड़ी के रसोई-भंडार (पैन्ट्रीकार) में लाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) 25-9-1989 से त्रिवेन्द्रम से नयी दिल्ली और वापस त्रिवेन्द्रम तक केरल एक्सप्रेस के भोजन यानों में कैसरोल भोजन के साथ-साथ 250 मि० ली० की थैलियों में ओजोनीकृत पीने का पानी सप्लाई किया जाता है।

(ख) और (ग) इस गाड़ी में कैसरोल भोजन परोसा जाता है। यह भोजन मार्गवर्ती आधार रसोईघरों/जलपानगृहों से लिया जाता है। चूंकि भोजन तैयार करने, पैकिंग और स्वास्थ्य की दृष्टि से आधार रसोईघर/जलपान गृह अधिक उपयुक्त है, इसलिए इन गाड़ियों में कैसरोल भोजन तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है।

बी० सी० सी० एल० कोयला खानों में वायु-संचार व्यवस्था

[हिन्दी]

8637. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० सी० सी० एल, धनबाद (बिहार) के अंतर्गत कोयला खानों में अपर्याप्त वायु संचार व्यवस्था के कारण हजारों कामगार बीमार पड़ते जा रहे हैं;

(ख) क्या "ब्रिटिश माइनिंग कौंसिल" के सदस्यों ने उक्त कोयला खानों का दौरा किया था और वायु संचार व्यवस्था के बारे में कुछ सुझाव दिए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ब्रिटिश माइनिंग कौंसिल द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर वायु-संचार व्यवस्था में सुधार करने के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) भा०को०को०लि० धनबाद की कोलियरियों में वायु संचार व्यवस्था कोयला खान विनियमन, 1957 के प्रावधानों के अनुरूप है। किन्तु इस व्यवस्था में सुधार किए जाने की गुंजाइश है। यह बात सत्य नहीं है कि अपर्याप्त

वायु संचार के कारण हजारों श्रमिक अस्वस्थ हो गए हैं।

(ख) से (ङ) ब्रिटिश खनन परामर्शदाताओं ने भा० को० को० लि० की मूनीडीह खानों का दौरा किया है तथा वायु संचार संबंधी और सुधार किए जाने के लिए निम्नलिखित अल्पावधि और दीर्घावधि सुझाव दिए हैं :—

**अल्पावधि सुझाव :**

(1) फैन ड्रिफ्ट में डिफ्लेक्टर्स बनाकर विद्यमान पंखे की कार्य क्षमता में सुधार किया जाना।

(2) ऐयर लॉक के जरिए रिसाव में कमी किया जाना।

(3) रुकावट कम किए जाने के लिए वापसी के वायु मार्ग को चौड़ा किया जाना।

(4) उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में बूस्टर पंखों का लगाया जाना।

(5) छत गिरने के कारण अवरुद्ध निकासी के विकल्प में साथ से रास्ते का निकाला जाना।

**दीर्घावधि सुझाव :**

वर्तमान मुख्य पंखे को उच्चतर क्षमता वाले मुख्य पंखे से बदलना।

भा० को० को० लि० द्वारा उपर्युक्त सुझावों को क्रियान्वित किए जाने संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

## सेन्ट्रल रेलवे में कुलियों के लिए विश्राम गृह

8638. **श्रीमती ऊषा वर्मा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के भुसावल, मनमाड, खंडवा, बीना और अकोला रेलवे स्टेशनों पर लाइसेंसधारी कुलियों के लिए विश्राम गृह बनाने की काफी समय से मांग की जा रही है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने 9 दिसम्बर, 1989 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें सभी महाप्रबंधकों से लाइसेंसधारी कुलियों के लिए विश्राम गृहों का निर्माण करने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या रेलवे प्रशासन को "नेशनल फेडरेशन आफ रेलवे पार्टर्स, बेन्डर्स एण्ड बीयरर्स" से उपर्युक्त रेलवे स्टेशनों पर उनके लिए विश्राम गृहों का निर्माण करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) :** (क) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी हां। स्टेशनों पर लाइसेंसधारी कुलियों के लिए विश्राम की सुविधाओं की समीक्षा करने और जहां कहीं ये अपर्याप्त हों, इनकी व्यवस्था करने के संबंध में क्षेत्रीय रेलों को 9 दिसम्बर,

1988 को (न कि 9-12-89 को) एक परिपत्र जारी किया गया था।

(ग) विभिन्न स्टेशनों पर ऐसे विश्राम स्थलों की आवश्यकता/औचित्य को ध्यान में रखते हुए, धन की उपलब्धता के अंतर्गत रेलें कार्रवाई की हैं/कर रहीं हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) लाइसेंसधारी कुलियों के लिए भुसावल तथा अकोला में विश्राम स्थल उपलब्ध हैं और खंडवा तथा बीना स्टेशनों पर निर्माणाधीन हैं। 1990-91 के निर्माण कार्यक्रम में मनमाड स्टेशन पर एक विश्राम स्थल को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते धन उपलब्ध हो।

**दक्षिणी जोन में एयर टैक्सी चलाना**

[अनुवाद]

8639. **श्री मुस्तापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिणी क्षेत्र में अर्थात् त्रिवेन्द्रम, कोचीन, कालीकट, मद्रास, बंगलौर इत्यादि विमानपत्तनों से एयर टैक्सी चलाने की अनुमति देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) 30-4-1990 को हुई हवाई टैक्सी समिति की बैठक के बाद, दक्षिणी क्षेत्र में हवाई टैक्सी के प्रचालन के लिए कोई और आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

**मध्य प्रदेश में रेलगाड़ी सेवाएं**

[हिन्दी]

8640. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश से गुजरने वाली नई गाड़ियां चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली निम्नलिखित नई गाड़ियां मई, 1990 की समय सारणी से चलाई गई हैं :—

(i) सप्ताह में एक बार चलने वाली जम्मूतवी—मंगलौर/तिरुच्चिरापल्ली एक्सप्रेस (बरास्ता ग्वालियर—बीना—भोपाल—इटारसी)

(ii) सप्ताह में दो बार चलने वाली सूरत—वाराणसी एक्सप्रेस (बरास्ता खंडवा—इटारसी—जबलपुर—कटनी—सतना।

(iii) सप्ताह में एक बार चलने वाली दादर—मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (बरास्ता खंडवा—इटारसी—जबलपुर—कटनी—सतना)

(iv) बिलासपुर—गेवरारोड पैसेंजर

इसके अतिरिक्त 18-6-1990 से दिल्ली और गोआ (बरास्ता भोपाल—बीना) के बीच एक दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जा रही है।

**राजस्थान में बन्द/रुग्ण औद्योगिक एकक**

[अनुवाद]

8641. **श्री कैलाश मेघवाल :**

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :**

**श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में बड़े तथा छोटे औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है तथा इसमें कुल कितने कामगार कार्य कर रहे है;

(ख) राजस्थान में कितने औद्योगिक एकक रुग्ण घोषित किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं तथा इसके फलस्वरूप कितने कामगारों की छंटनी की गई;

(ग) राजस्थान में 1 अप्रैल, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक कितने औद्योगिक एकक बन्द हुए हैं तथा इसके क्या कारण है;

(घ) राजस्थान में रुग्ण तथा बन्द एककों में सरकार तथा बैंक की कुल कितनी धनराशि लगी हुई है; और

(ङ) इन एककों को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (**श्री अजित सिंह**) : (क) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक इकाइयों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस परिभाषा के अनुसार एकत्र किए जाते हैं जो इसने अपनाई हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित आंकड़े राजस्थान में मौजूदा बड़े, मझोले और लघु औद्योगिक एककों की कुल संख्या और इसमें काम कर रहे श्रमिकों की कुल संख्या को नहीं दर्शाते। इसमें केवल रुग्ण औद्योगिक एककों के बारे में सूचना दी गई है।

(ख) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार राजस्थान में दिसम्बर, 1987 के अन्त में 44 गैर-लघु औद्योगिक रुग्ण एकक और 9,989 लघु औद्योगिक रुग्ण एकक थे और इनके पास बकाया राशि क्रमशः 80.40 करोड़ रु० और 50.05 करोड़ रु० थी।

आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के अनेक कारण औद्योगिक रुग्णता के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारण यह हैं—दोषपूर्ण आयोजना, प्रबन्धात्मक कमियां, अकुशल वित्तीय नियन्त्रण, संसाधनों का विविधीकरण, अनुसंधान तथा विकास पर पर्याप्त ध्यान न देना, प्रौद्योगिक और मशीनरी का पुरानापन, खराब औद्योगिक सम्बन्ध, अपर्याप्त मांग, कच्चे माल तथा अन्य निविष्टियों की

कमी तथा बन्दीकरण संबंधी बातचीत ।

जैसा कि श्रम मंत्रालय ने सूचित किया है 1989 के दौरान राजस्थान में 1255 श्रमिकों (आंकड़े अनन्तिम) का निकाला गया है ।

(ग) औद्योगिक एकक बन्द होने से संबंधित आंकड़े श्रम मंत्रालय द्वारा रखे जाते हैं। जिसमें 1989 के दौरान राजस्थान में किसी औद्योगिक एकक के बन्द होने की सूचना नहीं दी है।

(ङ) रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनरुत्थान करने के लिए भारत सरकार द्वारा सारे देश में समान नीति अपनाई गई है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :—

1. सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् "रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985" बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०)" नामक एक अर्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है । इसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है ।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारम्भिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु, बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक कदम उठाये जा सकें ।

3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन: स्थापन पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निर्देश दिये गये हैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुन: स्थापना पैकेज बनाते हैं।

4. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से विशद निर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रुग्ण इकाइयों की पुन: स्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे ।

5. लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमांत धन योजना" शुरू की है । इस उदारीकृत योजना के अन्तर्गत पुन: स्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/- रु० से बढ़ाकर 50,000/- रु० कर दिया गया है ।

6. कमजोर एककों के लिए एक उत्पाद राहत योजना की भी घोषणा की गई । यह योजना किसी भी एकक पर लागू होगी जिसमें किसी भी पिछले पांच लेखा वर्षों में अधिकतम निव्वल मूल्य 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक संचित हानियों द्वारा कम हुआ है । उक्त एकक का पुनर्स्थापना, आधुनिकीकरण अथवा दिशांतरण पैकेज निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत होना चाहिए । पात्र एकक ब्याज मुक्त पाने के हकदार होंगे जिसके लिए राहत अवधि 3 वर्ष होगी और इसे 7 वर्षों के भीतर अदा करना होगा जो इस योजना के स्वीकृत होने के बाद 3 वर्षों के लिए इसके वास्तविक उत्पाद भुगतान का 50% होगा। दिये गये ऐसे "उत्पाद ऋणों" की कुल राशि पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण/दिशांतरण की कुल लागत से 25% से अधिक नहीं होगी ।

7. एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की जा रही है जो अत्यन्त लघु और लघु उद्योगों के लिए एपेक्स बैंक के रूप में कार्य करेगा। इस बैंक की प्राधिकृत पूंजी 250 करोड़ रुपये होगी इसे आई० डी० बी० आई० द्वारा दिया जायेगा। इस बैंक की स्थापना 2 अप्रैल, 1990 से कर दी गई है।

**राजस्थान में बायो-गैस और सौर ऊर्जा कार्यक्रम**

[हिन्दी]

8642. प्रो० रासा सिंह रावत :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन स्थानों में बायो-गैस और सौर-ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं;

(ख) राजस्थान के प्रत्येक जिले में अब तक कितने बायो-गैस और सौर-ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं; और

(ग) इन संयंत्रों द्वारा राजस्थान के किन जिलों के कितने गांव लाभान्वित हुए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) बायोगैस संयंत्रों और सौर ऊर्जा प्रणालियों की संख्या तथा उन स्थानों (जिलों) के नाम जहां पर ये राजस्थान में स्थापित किए गए हैं संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना से राज्य के 27 जिलों के लगभग 647 गांवों को लाभ पहुंचा है। बायो गैस संयंत्रों की स्थापना से 27 जिलों के अत्यधिक गांवों को लाभ पहुंचा है।

**विवरण**

| क्र० सं० | जिले का नाम | 31-3-1989 तक स्थापित की गई सौर प्रणालियों की संख्या | 31-3-1989 तक स्थापित किए गए बायो गैस संयंत्रों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अजमेर | 65 | 1502 |
| 2. | अलवर | 64 | 1315 |
| 3. | बांसवाड़ा | 353 | 440 |
| 4. | बाड़मेर | 125 | 275 |
| 5. | भरतपुर | 217 | 1128 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | भीलवाड़ा | 189 | 1765 |
| 7. | बीकानेर | 33 | 847 |
| 8. | बून्दी | 51 | 649 |
| 9. | चित्तौड़ | 131 | 808 |
| 10. | चूरू | 104 | 1100 |
| 11. | धौलपुर | 73 | 295 |
| 12. | डूंगापुर | 145 | 542 |
| 13. | गंगानगर | 1196 | 3064 |
| 14. | जैसलमेर | 438 | 271 |
| 15. | जयपुर | 313 | 1289 |
| 16. | जालौर | 76 | 737 |
| 17. | झलवार | 187 | 649 |
| 18. | झुंझनू | — | 1295 |
| 19. | जोधपुर | 63 | 1376 |
| 20. | कोटा | 153 | 1216 |
| 21. | नागपुर | 56 | 957 |
| 22. | पाली | 66 | 1240 |
| 23. | सीकर | 3 | 783 |
| 24. | सिरोही | 2 | 500 |
| 25. | सवाई माधोपुर | 125 | 1720 |
| 26. | टोंक | 72 | 650 |
| 27. | उदयपुर | 271 | 4460 |

**पान की टोकरियों की ढुलाई**

[अनुवाद]

8643. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में मेचेदा, पांसकुड़ा, हावड़ा, बायनान और श्रीरामपुर स्टेशनों से पान की टोकरियों की शीघ्र ढुलाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं

अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : पान के पत्तों की नश्य पदार्थ होने के कारण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में निकासी के लिए पार्सल यातायात में प्राथमिकता दी जाती है। इन स्टेशनों से शुरू होने/होकर गुजरने वाली विभिन्न मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में लदान के प्रबन्ध किये गये हैं।

**राजस्थान में आरक्षण का कम्प्यूटरीकरण**

8644. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्टेशनों पर विभिन्न रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के किन रेलवे स्टेशनों में कम्प्यूटरीकृत सेवा आरम्भ की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1990-91 के दौरान राजस्थान के कुछ और स्टेशनों में कम्प्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण सुविधा आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, बैंगलूर, भोपाल और लखनऊ में आरक्षण-प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इस प्रणाली में प्रारम्भिक स्टेशनों से चलने वाली या इन स्टेशनों से होकर गुजरने वाली सभी गाड़ियां आती हैं। 1990-91 के दौरान इस प्रणाली का नौ और स्टेशनों अर्थात् पुणे, गुवाहाटी, जयपुर, पटना, गोरखपुर, तिरुवनन्तपुरम, जम्मू तवी, भुवनेश्वर और कटक तक विस्तार किया जाएगा।

(ख) अभी तक राजस्थान में किसी भी रेलवे स्टेशन पर इस सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ग) और (घ) 1990-91 के दौरान इस सुविधा का जयपुर तक विस्तार किये जाने का कार्यक्रम है।

**आई० एल०-62 विमान में आपात आक्सीजन की व्यवस्था**

8645. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेट लोज एग्रीमेंट पर भारत-सोवियत संघ सैक्टर पर चलने वाले आई० एल०-62 विमान के केबिन में आपात आक्सीजन की व्यवस्था होती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या विसंपीडन (डिकम्प्रसन) की स्थिति में चालक-दल तथा यात्रियों के लिए गंभीर खतरा हो सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बेट लोज एग्रीमेंट की समीक्षा कर रही है; और

(घ) क्या इस सैक्टर पर एअर इंडिया के 747 जम्बो विमान चलाना संभव है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) इस प्रकार के विमान में आक्सीजन मास्क नहीं होते जो विसंपीडन की स्थिति में स्वतः ही नीचे आ जाते हैं। तथापि, विमान में आक्सीजन बोतलों की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार के विमानों का प्रचालन एयरोफ्लोट के संजाल पर सभी तरफ किया जाता है। एक आई० एल०-62 एम यात्री विमान के पट्टे के लिए एयर इंडिया और एयरोफ्लोट के बीच करार 14 नवम्बर, 1990 तक वैध है।

(घ) जी, हां।

## बिहार में रिफ्रैक्टरी यूनिटों का बन्द किया जाना

8646. श्री ए० के० राय :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में कौन-कौन सी रिफ्रैक्टरी यूनिटें बंद हो गई हैं अथवा उन्होंने उत्पादन बन्द कर दिया है;

(ख) इन यूनिटों में कितनी पूंजी फंसी हुई है, और कितने मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, तथा 1 अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कारखानों के बन्द होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रिफ्रैक्टरी बनी हुई ईंटों और मिट्टी के अन्य बर्तनों की मांग में कोई गिरावट आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार का बिहार के महत्वपूर्ण उद्योग की रुग्णता दूर करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) सरकार को बिहार में धनबाद जिले के संगठित क्षेत्र में किसी रिफ्रैक्टरी यूनिट के बन्द होने या उनके उत्पादन बन्द किये जाने की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (छ) रिफ्रैक्टरी उद्योग मुख्य रूप से इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, पैट्रो-रसायन इत्यादि जैसे प्रयोगकर्ता उद्योगों द्वारा परम्परागत रिफ्रैक्टरीज से परिष्कृत रिफ्रैक्टरीज में परिवर्तन करने के फलस्वरूप मांग में कमी होने की स्थिति का सामना कर रहा है जिसके कारण लगभग 50% क्षमता उपयोग हुआ है। सरकार इस उद्योग में प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु नवीनतम आधारभूत प्रवेश की अनुमति दे रही है।

## मेरठ में रेलवे दावा न्यायाधिकरण की स्थापना

8647. श्री ओ० के० शेखड़ा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, तीसरा रेलवे दावा न्यायाधिकरण स्थापित करने की लगातार मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे मे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी हां।

(ख) रेल दावा अधिकरण की कोई अतिरिक्त पीठ सृजित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

**शिवपुर-भिंड छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना तथा इटावा से कोटा तक बड़ी लाइन बिछाना**

[हिन्दी]

8648. श्री बलिराम भगत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवपुर से भिंड तक छोटी रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या सरकार का भिंड से इटावा तक और शिवपुर से कोटा तक रेलवे लाइन का निर्माण कर इटावा से कोटा तक बड़ी रेलवे लाइन बिछाने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) ग्वालियर- भिंड छोटी लाइन खंड को गुना—ग्वालियर—इटावा नई लाइन परियोजना के भाग के रूप में, जिसे स्वीकृति दे दी गई है, बड़ी लाइन में बदले जाने का प्रस्ताव है। ग्वालियर—शिवपुर कलां छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदलने और इसका कोटा तक विस्तार करने के लिए 1989-90 में एक सर्वेक्षण का अनुमोदन किया गया है।

(ग) गुना—ग्वालियर खंड पर कार्य प्रगति पर है, गुना—कोलारस को खोल दिया गया है। इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**आंध्र प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां**

[अनुवाद]

8649. श्री एम० एम० पल्लम राजू :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां खोलने के लिए किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है और प्रत्येक स्थान पर कितने व्यक्तियों को यह सुविधा पहुंचाये जाने की आशा है; और

(ख) इन नई रसोई गैस एजेंसियों द्वारा संभावित अनुमानतया किस वर्ष कार्य आरम्भ कर देंगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) आंध्र प्रदेश में

एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए इस समय 15 प्रस्ताव हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नये एल० पी० जी० कनैक्शन उपभोक्ताओं के नामांकन के लिए वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप में जारी किए जाते हैं। जो आबादी के आधार पर वितरकों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा शर्त के अधीन होते हैं।

(ख) एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करने से पूर्व उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों को देखते हुए यह बताना संभव नहीं है कि ये निश्चित रूप से कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगी।

विवरण

आंध्र प्रदेश के उन स्थानों के नाम जहां एल० पी०जी० की नई डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रस्तावित हैं :—

1. गोपालपटनम
2. गांसपोरवरम
3. हैदराबाद (2 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें)
4. सिरिकोकूलम
5. विजयवाड़ा (2 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें)
6. अलवल
7. गुडूर
8. पट्टनवारु
9. भीमावरम
10. पिदुगुराला
11. तिरुपति
12. नलगौंडा
13. कोयलागूंडम

कुल : 15 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें

रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी० वी०

8651. श्री ए० विजयराघवन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने रेलवे स्टेशनों पर "क्लोज सर्किट टी० वी० "सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 में किन-किन अन्य स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी० वी० लगाए जाएंगे; और

(क) क्या सरकार पालघाट जंक्शन पर भी क्लोज सर्किट टी०वी० लगाएगी ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) 33

(ख) 36 और स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी० वी० प्रणाली लगाने का प्रस्ताव है।

(ग) पालघाट जं० पर क्लोज सर्किट टी० वी० प्रणाली शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

## दिल्ली में कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण

8651. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रेलवे-आरक्षण के कम्प्यूटरीकृत केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों पर प्रतिदिन औसतन कितने यात्रियों को यह सेवा उपलब्ध है;

(ग) क्या निकट भविष्य में दिल्ली में और कम्प्यूटरीकृत केन्द्र खोलने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मृत्यु, रोगियों की गंभीर हालत तथा इसी प्रकार किन्हीं आपात-मामलों में आम जनता द्वारा आकस्मिक रेल-आरक्षण कराए जाने की कोई व्यवस्था है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण की सुविधा दिल्ली में निम्नलिखित जगहों पर उपलब्ध है :

स्टेट एन्ट्री रोड पर मुख्य आरक्षण कार्यालय; नई दिल्ली (चालू आरक्षण), दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली साहदरा, कीर्ति नगर और सरोजिनी नगर स्टेशनों; विकास मार्ग एक्सटेंशन और संसद भवन, इन केन्द्रों पर सम्हाली गयी यात्रियों की दैनिक औसत संख्या क्रमश: 20961, 4 :4, 6901, 2135, 3 :15, 2045, 3542, 1308, 636 है।

(ग) 1990-91 के दौरान एक और आरक्षण केन्द्र नोएडा में खोले जाने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) प्रत्येक गाड़ी में सीटों/शायिकाओं की कुछ सीटें/शायिकाएं आपातकालीन कोटा के रूप में रखी जाती हैं जो जहां तक संभव हो, मृत्यु, गम्भीर बीमारी आदि की आकस्मिकताओं में भी प्रदान की जाती हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

## विद्युत वित्त निगम द्वारा केरल में विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण

8652. श्री पल्लई के० एम० मैथ्यु :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम द्वारा केरल में किसी विद्युत परियोजना का वित्त पोषण किया गया है या किये जाने का विचार है;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विद्युत वित्त निगम द्वारा दी गई वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) विद्युत वित्त निगम ने केरल राज्य बिजली बोर्ड की पोरिंगल कुथु जल विद्युत परियोजना के लिए लगभग 91.00 लाख रुपए की राशि की वित्तीय सहायता हेतु 1-9-1989 को स्वीकृति प्रदान की थी। स्वीकृत राशि अप्रैल, 1990 में संवितरित की गई थी।

केरल राज्य बिजली बोर्ड ने निम्नलिखित कैपेसिटर प्रतिष्ठापन स्कीमों का विद्युत वित्त निगम द्वारा वित्त पोषण किए जाने के लिए अनुरोध किया है :—

(1) 40 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर प्रतिष्ठापन स्कीम; तथा

(2) 1994-95 तक के लिए 415 एम०वी०ए०आर० कैपेसिटर प्रतिष्ठापन स्कीम।

**बिजली परियोजनाओं की मरम्मत और मरम्मत पर किया गया खर्च**

[हिन्दी]

8653. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से 1990 के दौरान बिहार में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और राष्ट्रीय पन विद्युत निगम के ताप और पन बिजली संयंत्रों की मरम्मत और रखरखाव पर कितना खर्च किया गया है; और

(ख) इन संयंत्रों की बिजली उत्पादन की क्षमता में कितनी वार्षिक वृद्धि हुई अथवा कमी आयी है और इनके द्वारा कितनी बिजली का उत्पादन किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अथवा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का कोई विद्युत संयंत्र प्रचालनाधीन नहीं है।

**कागज के मूल्यों में वृद्धि**

[अनुवाद]

8654. श्री रामदास सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर वर्ष 1989-90 में विभिन्न किस्मों के कागज

के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कागज के बढ़ते मूल्यों को रोकने तथा कागज उद्योग की प्रतिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) उद्योग द्वारा भिन्न-भिन्न किस्म के कागज तथा गत्ते का उत्पादन और विपणन किया जाता है और एक मिल से दूसरे मिल व एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उनकी कीमतों में अन्तर पाया जाता है। 1988 के प्रारम्भ से ही कागज के मूल्यों में वृद्धि होती देखी गई है। बताया जाता है कि मूल्यों में यह वृद्धि निविष्टियों, भाड़ों, उत्पादन शुल्क इत्यादि की लागतों में वृद्धि के कारण आवश्यक हो गयी थी।

(ख) इस समय देश में कागज के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। सरकार द्वारा कागज तथा गत्ते के उत्पादन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कदम उठाये गये हैं जिनके परिणाम स्वरूप जहां तक सामान्य किस्म के कागज का सम्बन्ध है, देश प्रायः आत्म-निर्भर है।

## विद्युत उत्पादन

[हिन्दी]

8655. श्री गुलाबचन्द कटारिया :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950 से प्रत्येक योजना अवधि में विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई और क्या यह प्रतिशतता वर्ष 1980 के बाद कम हो गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ख) क्या विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक व्यापक समय-बद्ध योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री शारिक मोहम्मद खान) : (क) योजनावार विद्युत उत्पादन नीचे दिया गया है :—

| योजना | योजनावधि के अन्त में विद्युत उत्पादन (यूटिलिटीज) (मेगावाट आवर) | पिछली योजना की तुलना में प्रतिशत वृद्धि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| प्रथम योजना (1951—56) | 8592 | 68.2 |
| द्वितीय योजना (1956—61) | 16937 | 97.1 |
| तृतीय योजना (1961—66) | 32990 | 94.8 |
| 3 वार्षिक योजनाएं (1967—69) | 47434 | 43.8 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| चौथी योजना (1969—74) | 66689 | 40 6 |
| पांचवी योजना (1974—79) | 102523 | 53.7 |
| वार्षिक योजना (1979—80) | 104627 | 2.1 |
| छठी योजना (1980—85) | 156859 | 49.9 |
| सातवीं योजना (1985—90) | 244971 | 56.2 |

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974—79) की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना (1980—85) के अन्त में विद्युत उत्पादन के प्रतिशत में कमी का कारण, क्षमता संवर्धन में पिछड़ना, ताप विद्युत केन्द्रों का कार्य निष्पादन असंतोषजनक होना, निधियां पर्याप्त न होना आदि है। तथापि, विद्युत की कमी 1979-80 में 16.1 प्रतिशत थी जो कि 1984-85 में घटकर 6.1 प्रतिशत हो गई थी।

(ख) आठवीं योजना के दौरान देश में लगभग 38,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने की अनन्तिम रूप से परिकल्पना की गई है। कुछ विद्यमान विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, दक्षतापूर्ण भार प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण आदि कुछ ऐसे अन्य उपाय हैं जिनसे विद्युत की उपलब्धता में सुधार होगा।

**एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा क्षतिपूर्ति का अधिनिर्णय देना**

[अनुवाद]

8656. **श्री जनकराज गुप्त :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन करने के बाद उपभोक्ताओं के पक्ष में किसी क्षतिपूर्ति का अधिनिर्णय दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) और (ख) जी, हां। 1-1-1985 से 31-3-1990 तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने क्षतिपूर्ति के लगभग 5000 आवेदन निपटाए हैं। इनमें अनेक वे क्षतिपूर्ति के आवेदन शामिल हैं जिनमें आयोग ने संबंधित पक्षकार को क्षतिपूर्ति का अधिनिर्णय दिया है या अन्यथा उनका निपटान किया है। मामलों की अत्यधिक संख्या होने के कारण आयोग द्वारा प्रत्येक मामले में अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति की राशि से संबंधित विवरणों के संकलन में लगने वाला समय तथा प्रयास प्राप्त होने वाले प्रयोजन के अनुरूप नहीं होगा।

## उत्तर प्रदेश में रसोई गैस सिलिंडर फटने के कारण दुर्घटनाएं

[हिन्दी]

8657. श्री शिव शरण वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रसोई गैस उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1989 के दौरान रसोई गैस सिलिंडरों के फटने से कितनी दुर्घटनाएं हुईं; और

(ग) सरकार द्वारा इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) 1 फरवरी, 1990 को उत्तर प्रदेश में लगभग 17.16 लाख एल० पी० जी० के उपभोक्ता थे।

(ख) वर्ष 1989 के दौरान उत्तर प्रदेश से एल० पी० जी० सिलिंडर फटने की केवल एक दुर्घटना की सूचना मिली थी।

(ग) उपभोक्ताओं के एल० पी० जी० सिलिंडरों के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जानकारी प्रचार माध्यमों, समाचारपत्रों, उपभोक्ता, मार्गदर्शी संगोष्ठियों, सुरक्षा उपचार गृहों, होर्डिंग और पेम्फलेटों के माध्यम से ही की जाती है। तेल कम्पनियों द्वारा एल० पी० जी० वितरकों और डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्य चलाए जाते हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सिलिंडर विनिर्माताओं पर गुणवत्ता नियंत्रण सम्बन्धी कड़े पूर्वोपाय लागू किए जाते हैं।

## पंजाब में रेल परियोजनाएं

[अनुवाद]

8658. बाबा सुच्चा सिंह :

श्री कमल चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कार्यान्वयनाधीन रेल परियोजनाओं का, परियोजनावार लक्ष्य तिथि, किये गये कार्य और परियोजना लागत सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पंजाब में और रेल परियोजनाएं शुरू करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) निम्नलिखित नई रेल लाइन परियोजनाओं के संबंध में प्रगति इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

| | परियोजना का नाम और लम्बाई | अनुमानित लागत | 3/90 तक व्यय | 90-91 में आवंटन | प्रगति का % | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | नांगल डैम-तलवाड़ा (84 कि० मी०) और मुकेरियां से तलवाड़ा तक साइडिंग का अधिग्रहण करते हुए (29 कि० मी०) (अनुमोदन का वर्ष 1981-82) | 100.00 | 19.04 | 5.00 | 21 | पंजाब में दो चरणों में केवल 22 कि० मी०। अभी तक पूरा होने की कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। |
| 2. | ब्यास-गोइंदवाल (27 कि० मी०) (अनुमोदन का वर्ष 1989-90) | 21.13 | 0.25 | 2.00 | कुछ नहीं | अन्तिम स्थान निर्धारण* |

(ख) यह राज्य सरकारों द्वारा भूमि को सौंपे जाने और आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) (i) नई लाइनों के निर्माण के लिए हाल ही में निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

क. कादियां-ब्यास (27 कि० मी०)

ख. समना, पटरन और खनौरी के रास्ते पटियाला-नरवाना (95 कि० मी०)

(ii) इसके अतिरिक्त, विगत में निम्नलिखित सर्वेक्षण किये गये थे :—

| | सर्वेक्षण का नाम और लम्बाई | सर्वेक्षण पूरा होने का वर्ष | अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) | प्रतिफल |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | मटिण्डा-कोटकपूरा-फाजिलका छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना (123 कि० मी०) | 1985 | 25.44 | 3.46 |

*19.36 कि० मी० तक सर्वेक्षण पूरा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा रेलवे को कार्य शुरू करने के लिए अभी तक भूमि नहीं दी गई है। अभी तक पूरा होने की लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. चंडीगढ़-लुधियाना (94.93 कि० मी०) अन्तिम इंजी० एवं यातायात सर्वेक्षण (95 कि० मी०) | 3/73 | 19.56 | 3.22 |
| 3. जगाधरी-चंडीगढ़ अन्तिम स्थान निर्धारण इंजी० एवं यातायात सर्वेक्षण (80 कि० मी०) | 7/73 | 14.82 | 2.6 |

(iii) इसके अलावा, गोइंदवाल से तरनतारन तक नई बड़ी रेल लाइन (30 कि०मी०) के लिए सर्वेक्षण को अनुमोदित किया गया है।

**राजकोट हवाई अड्डे पर रात में विमान उतरने की सुविधाएं**

8659. **श्री बलवन्त मनवर :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट हवाई अड्डे पर रात में विमान उतारने और रात में उड़ान भरने की कोई सुविधाएं नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो राजकोट हवाई अड्डे पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) :** (क) राजकोट हवाई अड्डे पर रात्रि अवतरण सुविधाएं और रात्रि में उड़ान भरने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं है।

**पश्चिम दिल्ली में बिजली की सप्लाई में व्यवधान**

8660. **श्री तेज नारायण सिंह :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली के अनेक भागों में बिजली की सप्लाई में निरन्तर व्यवधान हो रहा है जिसके कारण गर्मी में वहां के निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निरन्तर व्यवधान को समाप्त करने तथा इन क्षेत्रों में विशेष रूप से राम नगर, चौखण्ड मुखराम गार्डन और सन्त नगर में बिजली की नियमित सप्लाई बनाए रखने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ?

**ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) :** (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार पश्चिम दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में कुल मिलाकर विद्युत सप्लाई की स्थिति संतोषजनक है। अप्रत्याशित विद्युत ब्रेक डाउन की स्थिति से निपटने के लिए पहले ही पर्याप्त प्रबन्ध कर लिए गए हैं। दैनिक अनुरक्षण एवं वितरण प्रणाली के विस्तार सम्बन्धी कार्य भी नियमित

रूप से किए जाते हैं ताकि विभिन्न क्षेत्रों में नियमित विद्युत सप्लाई सुनिश्चित की जा सके ।

**बिजली के कनेक्शनों का अन्तरण**

8661. श्री दिलीप सिंह जूदेव :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री रेशम लाल जांगड़े :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कनेक्शन बदल वाले बिजली कनेक्शनों और प्रतिभूति जमाराशियों के अन्तरण के सम्बन्ध में लम्बित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) इन मामलों के लम्बित पड़े रहने की अवधि के विवरण का ब्योरा क्या है;

(ग) इन मामलों में कार्यवाही करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) लम्बित मामले कब तक निपटाये जायेंगे; और

(ङ) बिजली कनेक्शन के अन्तरण और प्रतिभूति जमाराशियों की वापसी सम्बन्धी वर्तमान पद्धति को कारगर और सरल बनाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**विभिन्न स्थानों से भुवनेश्वर के लिए उड़ानें**

8662. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्थानों से भुवनेश्वर की उड़ानों में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) भुवनेश्वर के लिए उड़ानों में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) विमान क्षमता की भारी कठिनाई के कारण इंडियन एयर लाइन्स और वायुदूत द्वारा विभिन्न स्थानों से भुवनेश्वर को परिचालित की जाने वाली उड़ानें कम कर दी गई हैं ।

(ग) एक बार विमान क्षमता सामान्य हो जाने पर इंडियन एयर लाइन्स क्रमिक रूप से इन कम की गई उड़ानों को पुनः चालू करने पर विचार करेगी । वायुदूत अपने विमान बेड़े में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के बाद ऐसा करेगा ।

उत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी

8663. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के सतर्कता विभाग में रेलवे कर्मचारियों अथवा रेलवे विभाग से अन्य विभागों के व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की नीति है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियां कौन-कौन सी हैं और इस संबंध में क्या प्रक्रिया/मानदण्ड अपनाया जाता है; और

(ग) इस प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों/व्यक्तियों की संख्या उनकी अवधि तथा इस अवधि को बढ़ाने सम्बन्धी नियमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री आर्यं फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सतर्कता निरीक्षकों तथा अधिकारियों के पद लेखा, यातायात (वाणिज्य), इंजीनियरी, यांत्रिक, कार्मिक, सुरक्षा तथा भण्डार जैसे रेलवे के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों में से कार्यकाल के आधार पर भरे जाते हैं। तथापि, सहायक सतर्कता अधिकारी का एक पद पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेकर एक अधिकारी द्वारा भरा जाता है। निरीक्षकों के पद स्वेच्छा से आवेदन करने वाले कर्मचारियों में से उनके सेवा रिकार्ड तथा ईमानदारी की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद चयन के आधार पर भरे जाते हैं। अधिकारियों को उनके अनुभव, सेवा रिकार्ड तथा ईमानदारी के आधार पर लिया जाता है।

(ग) सतर्कता निरीक्षकों तथा अधिकारियों की संख्या 29 और 7 है तथा उनकी सामान्य पदावधि क्रमश: 4 तथा 3 वर्ष है। सराहनीय सेवा के मामले में निरीक्षकों के लिए इसे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद तथा अधिकारियों के सभी मामलों में पदावधि रेलवे बोर्ड द्वारा कुछेक आपवादिक मामलों में ही बढ़ाई जाती है।

हैदराबाद से एयर इण्डिया की उड़ानों में वृद्धि करना

8664. श्री वासवपुन्नय्या सिगम :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) आने जाने के लिए एअर इण्डिया द्वारा अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की बारम्बारता में कमी किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या एअर इण्डिया द्वारा हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) एअर इण्डिया ने हैदराबाद के लिए वहां से अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवृत्ति को कम नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं है।

(घ) यह देखा गया है कि वर्तमान सेवायें हैदराबाद के लिए/वहां से यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए संतोषजनक है।

## मध्य प्रदेश में रेलवे फाटकों पर उपरि-पुल

[हिन्दी]

8665. श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां रेलवे फाटकों पर उपरि-पुलों का निर्माण करने का विचार है और प्रत्येक उपरि-पुल पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार किया गया है;

(ख) प्रत्येक पुल के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्री (श्री आर. वेंकटरमन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ग) रेल लाइनों पर पुल खास और पुल के पहुंच-मार्गों से संबंधित सभी कार्य क्रमशः रेलवे और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने हैं। इन कार्यों का पूरा होना मुख्यतया राज्य सरकार द्वारा पुल के पहुंच-मार्गों के कार्य को पूरा किए जाने पर निर्भर करेगा।

### विवरण

(क) और (ख) मध्य प्रदेश में स्वीकृत ऊपरी/निचले सड़क पुलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

| क्र०सं० | संकर्म का नाम | कुल अनुमानित लागत (लाख रुपयों में) | प्रगति/टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | रतलाम के निकट ऊपरी सड़क पुल (आबरा सड़क) | 149.68 | नक्शा को अन्तिम रूप दे दिया गया है। राज्य सरकार को संयुक्त अनुमान पर अपनी स्वीकृति की सूचना अभी देनी है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | रतलाम के निकट ऊपरी सड़क पुल (सैलाना रोड़) | 294.00 | पुल खास एवं पहुंच-मार्गों पर कार्य प्रगति पर है। |
| 3. | उज्जैन के निकट ऊपरी सड़क पुल (हरी पाठक) | 405.00 | नक्शा को अन्तिम रूप दे दिया गया है। राज्य सरकार को कार्य के लिए अपने हिस्से के खर्च की स्वीकृति की सूचना अभी देनी है। |
| 4. | इन्दौर के निकट ऊपरी सड़क पुल (राजकुमार मिल) | 199.91 | राज्य सरकार को पहुंच मार्गों के लिए नक्शों को अभी अन्तिम रूप देना है। |
| 5. | मक्सी के निकट ऊपरी सड़क पुल | 102.10 | जल-भूतल मंत्रालय द्वारा इस काम के लिए योजना को स्वीकृति अभी दी जानी है। |
| 6. | नागदा के निकट ऊपरी सड़क पुल | 150.00 | राज्य सरकार ने अभी हाल ही में कार्य के लिए विस्तृत अनुमान को अनुमोदित किया है। |
| 7. | देवास के निकट ऊपरी सड़क पुल | 273.29 | यह कार्य अभी योजना स्तर पर है। |
| 8. | सिधौली के निकट निचला सड़क पुल | 155.67 | रेलवे का हिस्सा 60 प्रतिशत पहुंच मार्गों का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। |
| 9. | बिरला नगर के निकट ऊपरी सड़क पुल (सिमको समपार) | 350.40 | रेलवे के हिस्से का कार्य प्रगति पर है। पहुंच-मार्गों का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। |
| 10. | ग्वालियर के निकट ऊपरी सड़क पुल (पैलेस वाल) | 358.23 | रेलवे के हिस्से का काम पूरा हो गया है। पहुंच-मार्गों पर कार्य प्रगति पर है। |
| 11. | होशंगाबाद के निकट ऊपरी सड़क पुल | 208.55 | यह कार्य अभी योजना स्तर पर है। |
| 12. | इटारसी के निकट ऊपरी सड़क पुल | 490.00 | रेलवे के हिस्से का कार्य पूरा हो गया है। पहुंच-मार्गों का कार्य प्रगति पर है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | विदिशा के निकट ऊपरी सड़क पुल | 105.64 | रेलवे के हिस्से का कार्य पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है। |
| 14. | अशोक नगर के निकट ऊपरी सड़क पुल | 206.54 | रेलवे के हिस्से का कार्य पूरा हो गया है। पहुंच-मार्गों का कार्य प्रगति पर है। |
| 15. | गुना के निकट ऊपरी सड़क पुल | 210.54 | रेलवे के हिस्से का कार्य प्रगति पर है। पहुंच-मार्गों का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। |
| 16. | दमोह के निकट ऊपरी सड़क पुल | 255.95 | यह कार्य अभी योजना स्तर पर है। |
| 17. | बेतूल के निकट ऊपरी सड़क पुल | 200.23 | रेलवे का हिस्सा 29 प्रतिशत पहुंच-मार्गों का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। |
| 18. | जबलपुर के निकट ऊपरी सड़क पुल | 574.07 | रेलवे का हिस्सा 62 प्रतिशत पहुंच-मार्गों का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। |
| 19. | खंडवा के निकट ऊपरी सड़क पुल | 289.90 | यह कार्य अभी योजना स्तर पर है। |
| 20. | रायपुर के निकट ऊपरी सड़क पुल | 203.39 | कुल प्रगति 65 प्रतिशत। |
| 21. | चिन्दवाड़ा के निकट ऊपरी सड़क पुल | 251.52 | राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का कार्य शुरू करने के लिए तैयार होने पर ही, कार्य शुरू किया जाएगा। |
| 22 | मनेन्द्रगढ़ के निकट ऊपरी सड़क पुल | 37.58 | रेलवे के हिस्से का कार्य पूरा हो गया है। पहुंच-मार्ग 60 प्रतिशत |
| 23. | दुर्ग के निकट ऊपरी सड़क पुल | 139.98 | रेलवे का हिस्सा 60 प्रतिशत पहुंच-मार्ग 82 प्रतिशत। |
| 24. | भिलाई बिजली घर के निकट ऊपरी सड़क पुल | 590.63 | यह कार्य अभी योजना स्तर पर है। |
| 25. | बिलासपुर के निकट ऊपरी सड़क पुल (चुचियापाड़ा) | 499.50 | यह कार्य अभी योजना स्तर पर है। |

तंजावुर, तमिलनाडु के लिए वायुदूत सेवा

[अनुवाद]

8666. श्री एस० सिंगरावडीवेल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंजावुर, तमिलनाडु के लिए वायुदूत सेवा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) तंजावुर के लिए सेवा पुन: आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) विमानों की कमी के कारण तंजावुर के लिए वायुदूत सेवाएं बन्द कर दी गई थीं। विमान क्षमता की कमी के कारण, वायुदूत लिमिटेड के लिए इस सेवा को जल्दी ही पुन: चालू करना संभव नहीं होगा।

एन०-मिथाईल पिपराजिन का आयात

8667. श्री के० मानवेन्द्र सिंह :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षयरोधी औषध में प्रयोग के लिए औषध इण्टरमीडिएट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रसायन, एन०-मेथिल पिपराजिन को वर्तमान आयात और निर्यात नीति के अन्तर्गत इसका आयात बंद कर दिया गया है;

(ख) क्या अन्य माध्यमिकों के आयात की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्तिम मध्यवर्ती 1-अमीनो-4-मिथाइल पिपराजाइन की ओ०जी०एल० के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति है लेकिन इसके लिए पंजीकरण आवश्यक है। यह एक्जिम नीति के अनुसार है।

नमक आयुक्त के कार्यालय का जोधपुर से अहमदाबाद स्थानांतरण

8668. श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नमक आयुक्त के कार्यालय को जोधपुर से अहमदाबाद स्थानांतरित करने के बारे में अनेक अनुरोध और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) नमक आयुक्त के कार्यालय को जयपुर से

अहमदाबाद स्थानांतरित करने हेतु गत समय में अभ्यावेदन मिले थे। किन्तु अभी नमक आयुक्त के कार्यालय को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है चूंकि नमक विभाग का अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय उस क्षेत्र में नमक उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है।

**इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में एयरबसें चलाना**

8669. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी-कितनी एयरबसें चलाई गई; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी और एयरबसें चलाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 1989-90 के दौरान इंडियन एयरलाइन्स ने अपने बेड़े में 15 एयरबस ए-320 विमानों को शामिल किया, जिसमें एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एयर इंडिया ने कोई एयरबस विमान नहीं लिया है।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 1990-91 के दौरान छः एयरबस ए-320 विमान तथा एयर इंडिया द्वारा दो एयरबस ए-310 विमान अपने बेड़े में लिए जाने की आशा है।

**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले**

[हिन्दी]

8670. **श्री रामप्रसाद चौधरी :**

**श्री जनार्दन तिवारी :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) श्री० एच० ई० एल० के अपर महा प्रबन्धक और उससे ऊपर के रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई मामला लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**कटहरा कोयला खोजनशाला**

8671. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

**श्री राम मंगल सिंह :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी, कटहरा कोयला धोवनशाला के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कोई मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये मामले कब से लम्बित हैं;

(ग) क्या इन आरोपों के पश्चात् दोषी अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो सम्बन्धित अधिकारियों को स्थानांतरित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाएं पुनः न होने देने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, हां। श्री आर० जे० पी० उपाध्याय, वरिष्ठ कार्यपालक अभियंता (ई० एवं एम०) कठारा वाशरी, श्री बी० शरण, भूतपूर्व महा-प्रबंधक (वाशरी) से० को० लि० (अब सेवा निवृत्त) और श्री जे०पी० सुरेका, स्वामित्व (प्रोपराइटर) मैसर्स शंकर इंजीनियरिंग एंड ट्रेडिंग कं०, कलकत्ता के विरुद्ध एस०पी०ई०/केन्द्रीय जांच ब्यूरो, रांची द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी/420/471/468 के अंतर्गत दायर आरोप-पत्र विधि न्यायालय में दिनांक 31.12-1986 से जांच किए जाने के लिए लम्बित पड़ा है।

इस मामले का विवरण निम्न प्रकार है—एस० पी० ई०/के० जा० ब्यू०, रांची ने दिनांक 29-8-86 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दायर किया जिसमें इस आशय का आरोप लगाया गया था कि मैं० शंकर इंजीनियरिंग एंड ट्रेडिंग कं०, कलकत्ता ने श्री आर० जे० पी० उपाध्याय, वरिष्ठ कार्यपालक अभियंता (ई० एवं एम०), कठारा वाशरी, से० को० लि० की साजिश से कठारा वाशरी को फेल्ड स्टील वॉल्स के आपूर्ति आर्डर के बदले में निम्न स्तरीय कास्ट स्टील वॉल्स की आपूर्ति की। एस० पी० ई०/के० जा० ब्यू० द्वारा बाद में की गई जांच से यह पता चला कि आरोप मिथ्या नहीं था। यह मामला जांच किए जाने के लिए दिनांक 31-12-1986 से न्यायालय में लम्बित पड़ा है।

इसके अलावा सतर्कता विभाग द्वारा कठारा कोयला वाशरी के प्रबंधकों के विरुद्ध दायर किसी गुमनाम शिकायत के सत्यापन की जांच की जा रही है। दिनांक 14-4-89 को दायर एक गुमनाम शिकायत में इस आशय का आरोप लगाया गया है कि मैं० तूआ मेटल इंडस्ट्रीज, हावड़ा द्वारा कठारा वाशरी तथा से० को० लि०, रांची के क्रय विभाग के अधिकारियों की मिली-भगत से कठारा वाशरी को निम्न स्तरीय अतिरिक्त कलपुर्जों की आपूर्ति की गई।

(ग) और (घ) श्री आर०जे०पी० उपाध्याय, वरिष्ठ कार्यपालक अभियंता (ई० एवं एम०) का जनवरी, 1989 में कठारा से भिंडी वाशरी में स्थानांतरण किया गया था। श्री बी० शरण, महाप्रबन्धक (वाशरी) दिनांक 30-9-1986 को सेवानिवृत्त हो गए और श्री एम० पी० राव अधिकारी, उप मुख्य अभियंता (ई० एवं एम०) का जून, 1989 में कठारा से केडला वाशरी को स्थानांतरण किया गया।

(ङ) वर्ष 1986 के पूर्व, जब उक्त संदर्भित मामला प्रकाश में आया, कठारा वाशरी को आपूर्ति किए गए स्टील वॉल्स के भुगतान की अदायगी वितरकों को सरकारी रेस्ट हाउस/सरकार द्वारा मान्य रेस्ट हाउस से प्रदत्त प्रमाण-पत्रों के आधार पर की जाती थी। वर्ष 1986 से प्राप्त आपूर्ति

के नमूने लेकर उन्हें राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर अथवा केन्द्रीय प्रयोगशाला, बरकाकाना में स्टील बॉल्स की संरचना और कठोरता की जांच के लिए भेजने की पद्धति शुरू की गई। बिलों के भुगतान का निपटारा उक्त प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्रों के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में प्राप्त आपूर्ति की एन० एम० एल०, जमशेदपुर और केन्द्रीय प्रयोगशाला, बरकाकाना में जांच किए जाने की पद्धति अभी जारी है और भविष्य में भी यह पद्धति जारी रहेगी।

**बरेली स्थित श्यामगंज रेलवे स्टेशन**

8672. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में बरेली स्थित श्यामगंज रेलवे स्टेशन उपयोग में लाया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे सार्वजनिक उपयोग में लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर रेलवे पर श्यामगंज नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। तथापि, "शामतगंज" नाम का एक माल गोदाम है जो बरेली रेलवे स्टेशन द्वारा सेवित है। बहरहाल इसको बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के कमीशन एजेंट**

[अनुवाद]

8673. **श्री मदनलाल खुराना :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा अस्पतालों को सप्लाई की जाने वाली औषधियों पर कमीशन दिए जाने के बारे में 10 अप्रैल, 1990 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 4229 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा कमीशन एजेंट नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) नियुक्त किए गए एजेंटों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मदनलाल खेहरा) : (क) आई०डी०पी०एल० ने बताया है कि प्रबल प्रतिस्पर्धा होने से सीमित संख्या की विद्यमान क्षेत्रीय ढांचा संस्थागत क्षेत्र में व्यापार प्राप्त करने और इसको प्रतिधारण करने, फ्रयादेशों को कार्यान्वित करने और वसूली के संग्रहण का काम प्रभावी रूप से पूरा करने में समर्थ नहीं है। इसलिए संस्थागत एजेंटों की नियुक्ति करना आई० डी० पी० एल० के लिए आवश्यक हो गया है जो भेषज क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र अन्य उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में प्रचलित सामान्य व्यापार प्रथा है।

(ख) आई० डी० पी० एल० के राज्य वार एजेंटों की संख्या बताने वाली एक सूची विवरण के रूप में संलग्न की जाती है। उन संस्थागत अभिक्रेताओं के नाम, जिनकी सेवाएं आई०डी०पी०एल० द्वारा ली जा रही हैं एक वाणिज्यिक जानकारी है और इसके प्रकटीकरण से कम्पनी के व्यापार पर

विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है।

विवरण

1989-90 के दौरान राज्य-वार एजेंटों के ब्यौरे

| | |
|---|---|
| कर्नाटक | 3 |
| मध्य प्रदेश | 6 |
| हरियाणा | 1 |
| दिल्ली | 2 |
| महाराष्ट्र | 1 |
| मद्रास (तमिलनाडु) | 3 |
| पाण्डिचेरी | 1 |
| बिहार | 1 |
| पंजाब | 1 |
| हिमाचल प्रदेश | 1 |
| जे० एण्ड के० | 1 |
| उत्तर प्रदेश | 4 |
| राजस्थान | 1 |
| गुजरात | 1 |
| प० बंगाल | 1 |
| उ० पू० राज्य | 1 |
| असम | 1 |
| आन्ध्र प्रदेश | 1 |

केरल में रेल लाइनें

8674. श्री एस० कृष्ण कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से अब तक कुल कितने किलोमीटर लम्बी रेल लाइन बिछायी गई है;

(ख) केरल में प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए कितना रेल लाइन उपलब्ध है;

(ग) प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए रेल लाइन का राष्ट्रीय औसत कितना है; और

(घ) केरल को रेल लाइन के राष्ट्रीय औसत के स्तर तक लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) 311 कि०मी०।

(ख) और (ग) 9.05 मार्ग किलोमीटर राष्ट्रीय औसत की तुलना में केरल की प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए मार्ग किलोमीटर 3.64 है। 1886 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के राष्ट्रीय औसत की तुलना में केरल के प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए मार्ग किलोमीटर 23.85 है।

(घ) रेल लाइनों का निर्माण परिवहन की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, न कि क्षेत्र या प्रदेश या राज्य की जनसंख्या के आधार पर।

## देश में ही तैयार की जा सकने वाली मदों के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाइसेंस जारी करना

[हिन्दी]

8675. श्री हर्षवर्धन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ऐसी मदों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं जो भारतीय कम्पनियों द्वारा तैयार की जा सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्वदेशी उत्पादकों के हित और "स्वदेशी" की भावना को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इन मदों के उत्पादन के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को लाइसेंस जारी करना बन्द करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का इन मदों के उत्पादन के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दिए गए लाइसेंसों की समीक्षा करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ) एक से अधिक देशों में कार्यशील कम्पनियां सामान्यत: बहुराष्ट्रीय निगमों/कम्पनियों के रूप में जानी जाती हैं। भारत में निगमित 40% से अधिक इक्विटी वाली कम्पनी फैरा कम्पनी मानी जाती है।

नीति सम्बन्धी विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार फैरा कम्पनियां 2 फरवरी, 1973 के औद्योगिक नीति विवरण के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध प्रमुख उद्योगों में हिस्सा लेने की पात्र हैं।

फैरा कम्पनियों को परिशिष्ट-1 से इतर उद्योगों में कम से कम 60% निर्यात दायित्व के साथ भाग लेने की भी अनुमति दी जाती है। तथापि, परिशिष्ट-1 इतर उद्योगों के लिए यह निर्यात दायित्व केन्द्र द्वारा अधिसूचित श्रेणी "ख" और "ग" जिलों में उद्योग लगाने पर 25% और श्रेणी "क" के पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने पर शून्य है। फैरा कम्पनियों को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के उत्पादन की भी अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि वे कम से कम 75% निर्यात दायित्व लें। फिलहाल उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तुली, नागालैंड में नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

8676. श्री शिकिहो सेमा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुली स्थित नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी में गैस बोटल और अन्य संयंत्र स्थापित कर उसका आधुनिकीकरण करने का कार्यक्रम हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने हाथ में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूरा किया जाएगा; और

(ग) कम्पनी के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार का अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० द्वारा 10.76 करोड रु० की अनुमानित लागत की एकीकृत योजना तैयार की गई थी जिसमें एक नए गैस फायर्ड बायलर की स्थापना, एक कोल फायर्ड बायलर तथा रिकवरी बायलर के गैस फायर्ड प्रणाली में परिवर्तन करने तथा नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लि० तुली, नागालैंड में कुछ अन्य तुल्न उपकरणों की स्थापना करने की व्यवस्था की गई थी। तथापि, असम में गेलकी तेल क्षेत्र से तुली में फैक्टरी स्थल (नागालैंड) तक गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए "प्रयोग का अधिकार" न मिलने के कारण कार्य में प्रगति नहीं हो सकी।

अशोक पेपर मिल्स का राष्ट्रीयकरण

[हिन्दी]

8677. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या उद्योग मंत्री अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड के जोगीघोपा एकक में उत्पादन के बारे में 10 अप्रैल, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 400 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रारूप अध्यादेश पर राष्ट्रपति के अनुदेश प्रेषित करते समय भारत सरकार द्वारा जो टिप्पणी/सुझाव दिए गए थे उन पर बिहार सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अशोक पेपर मिल्स को अर्थक्षम बनाने के लिए भारत सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं का कोई कदम उठाने का विचार है;

(घ) बिहार सरकार और असम सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार अशोक पेपर मिल्स के राष्ट्रीयकरण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) रामेश्वर नगर में सुगदी कारखाना स्थापित करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने अशोक पेपर मिल्स को फिर से चलाने के लिए असम सरकार को 67.08 करोड़ रुपये का तत्काल अनुदान देने का निर्णय लिया है।

(घ) अध्यादेश की घोषणा करने से पूर्व उस पर राष्ट्रपति के निर्देश प्राप्त करने के वास्ते असम और बिहार की सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में स्थित अशोक पेपर मिल्स के दो एककों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए अध्यादेशों के मसौदे भेजे थे। यद्यपि असम सरकार ने अब अध्यादेश घोषित कर दिया है तथापि भारत सरकार की ओर से कुछ टिप्पणियां/सुझाव बिहार सरकार को उनके विचार जानने के लिए भेज दिए गये हैं, बिहार सरकार के विचारों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। असम व बिहार की सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्यों में स्थित दो एककों को पुनः चालू करने की आगामी कार्यवाही की जाती है।

(ङ) मूल प्रस्ताव 1982 में नामंजूर कर दिए जाने के बाद रामेश्वर नगर में लुगदी का कारखाना लगाने के लिए सरकार को कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**महानगरों को वायुदूत सेवा से जोड़ना**

8678. श्री राजवीर सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन महानगरों को निकट भविष्य में वायुदूत सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : देश के सभी चारों महानगरों में वायुदूत सेवाएं उपलब्ध हैं। विमान क्षमता और अन्य संसाधनों की कमी के कारण, वायुदूत लिमिटेड इस समय अपनी सेवाओं में विस्तार करने की बजाय अपने परिचालनों को सुसंगठित कर रहा है।

**सिंगरौली कोयला खानों से कोयले का उत्पादन**

8679. श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरौली कोयला खानों से कोयले का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होता है;

(ख) इन खानों से कब तक कोयला निकालना संभव है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के विद्युत संयंत्रों को इन खानों से कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जाती रहेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) वर्ष 1989-90 के दौरान सिंगरौली कोयला क्षेत्रों से 23.28 मि० टन कोयले का उत्पादन हुआ और वर्ष

1990-91 के लिए कोयले का लक्ष्य 26.50 मि० टन रखा गया है। इस कोयला क्षेत्र से कोयले का उत्पादन शताब्दी के अन्त तक प्रति वर्ष 50 मि० टन से अधिक होने की संभावना है। भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए 9000 मि० टन से अधिक के सकल कोयले के भंडारों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य थर्मल पावर स्टेशन जोकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और अन्य राज्यों के इस कोयला क्षेत्र से संयोजित विद्युत स्टेशनों और पिट-हैड की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए इस क्षेत्र के कोयला उत्पादन को 40 वर्ष से अधिक वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने में कोई कठिनाई आने की संभावना नहीं है।

**अमरीकी एरोस्पेस ट्रेड मिशन**

8680. **डा० बंगाली सिंह :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक उच्चस्तरीय अमरीकी एरोस्पेश ट्रेड मिशन ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस मिशन के क्या उद्देश्य थे; और

(ग) इस मिशन का दौरा देश के लिए कितना लाभकारी सिद्ध हुआ है ?

**ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मिशन का प्रयोजन भारत के साथ व्यापार की सम्भावना का पता लगाना था। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच परस्पर विचार-विमर्श का मौका मिला।

**टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा क्षमता का उपयोग**

[अनुवाद]

8681. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कानपुर अपनी कुल अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) :** (क) और (ख) जी, हां। कुल क्षमता का उपयोग नहीं किए जाने के मुख्य कारण श्रमिकों द्वारा कम उत्पादन, प्राचीन प्रौद्योगिकी, पुरानी मशीनें, अलाभकारी मूल्य ढांचा आदि हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रत्याशित हद तक रक्षा आवश्यकताओं के लिए फुटवियर की

आपूर्ति के लिए क्रयादेशों को पूरा न किया जाना एवं जंगल बूट्स के निर्माण हेतु सुविधाएं जुटाने में विलम्ब होना वर्ष 1989-90 में उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाने के मुख्य कारण थे।

**शहद का उत्पादन**

8682. श्री एन० डेनिस :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : जहां तक के० वी०आई०सी० के अधीन मधुमक्खी पालन का सम्बन्ध है, राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, पंजीकृत संस्थाओं तथा मधुमक्खी पालक सहकारी समितियों को मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास के लिए रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता तथा निःशुल्क तकनीकी मार्गदर्शन सहायता दी जाती है। यह सहायता मधुमक्खी बक्सों व शहद निकालने के उपकरण सहित मधुमक्खी पालन सम्बन्धी उपकरणों के वितरण, मधुमक्खी नर्सरियों की स्थापना, मझोली एवं अर्धवाणिज्यिक मधुवाटिकाओं की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराकर विद्यालयों में मधुमक्खी पालन शुरू करने व शहद घर बनाने में मदद करके की जाती है। के०वी०आई०सी० शहद का उत्पादन व कृषि बागवानी की खेती बढ़ाने के लिए मधुमक्खियों के प्रवास को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न ग्रेडों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्थाओं/समितियों को मधुमक्खी पालने वालों से शहद खरीदने के लिए कार्यशील पूंजी हेतु ऋण दिए जाते है तथा उन्हें शहद बेचने के कार्य में सहायता भी दी जाती है। शहद की गुणवत्ता के नियंत्रण करने और परीक्षण सुविधाओं का सुनिश्चय करने के मामले में संस्थाओं/समितियों का मार्गदर्शन किया जाता है। शहद के उत्पादन की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुसंधान व विकास सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण प्रयास निम्न प्रकार हैं :—

(1) भिगवाड़ (महाराष्ट्र) में मेथी, (मेथी, कस्तूरी मेथी) तथा तिलली पर रिज गार्ड में मधुमक्खी परागण प्रयोग किए जाते हैं, जिससे यह पता चला है कि मधुमक्खी परागण से फल व बीज प्राप्ति, बीज के भार व गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

(2) करेले का उत्पादन बढ़ाने में मधुमक्खियों की उपयोगिता का एक प्रदर्शन मेओला (महाराष्ट्र) में तथा किसानों की उपज पर सफलतापूर्वक किया गया था।

**दावों के मामले**

[हिन्दी]

8683. श्री रमेश बैस :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान माल की हानि के दावों के लिए कितनी धनराशि के मुआवजे का भुगतान किया गया;

(ख) नई दिल्ली और दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर प्रति वर्ष ऐसे कितने दावे किए जाते हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जिन दावेदारों को अधिकतम मुआवजे का भुगतान किया गया

है उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ संस्थाओं को इन दावों के लिए प्रतिवर्ष नियमित रूप से मुआवजे का भुगतान किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई जांच कराने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों द्वारा हानि तथा क्षति के दावों के लिए भुगतान किए गए मुआवजे की राशि इस प्रकार थी :—

| 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 |
|---|---|---|
| 33.34 | 33.81 | 30.29 |

(करोड़ रुपयों में)

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्टेशनों के लिए बुक किए गए परेषणों के सम्बन्ध में उत्तर रेलवे को प्रस्तुत किए गए दावों की संख्या नीचे दी गई है :—

| | 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 |
|---|---|---|---|
| नई दिल्ली | 4705 | 3926 | 4938 |
| दिल्ली | 958 | 1611 | 1409 |

(ग) इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(घ) दावों का गुण-दोष के आधार पर निपटान किया जाता है । संस्थानवार रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता ।

**इस शताब्दी के अन्तिम दशक के लिए भारत की अर्थव्यवस्था संबंधी नीति के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन**

[अनुवाद]

8684. श्री माधवराव सिंधिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अप्रैल, 1990 को "इस शताब्दी के अन्तिम दशक के लिए भारत की अर्थ-व्यवस्था संबंधी नीति के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते समय उन्होंने भारत में उद्योगों को संरक्षणवाद से बचने को कहा था।

(ख) इस सम्मेलन में की गई मुख्य टिप्पणियों और दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन में की गई मुख्य टिप्पणियां और सुझाव इस प्रकार हैं :—

तेजी से बदलते हुए संसार में, आर्थिक क्रियाकलापों के सार्वभौमिकरण को ध्यान में रखते हुए, भारत अधिक समय तक अन्तर्मुखी दृष्टिकोण नहीं अपना सकता। भारतीय उद्योग के लिए प्रतियोगिता एवं प्रतियोगितात्मकता की आवश्यकता पर बल दिया गया। ऐसा महसूस किया गया कि अनुकूलनीयता में विकास निहित है तथा बाधाओं एवं नियमों को हटाने के लिए ठोस तर्क दिए गए। ऐसा भी महसूस किया गया कि जिन मुख्य मुद्दे के संबंध में कार्यवाही करना तथा समाधान निकालना है, वे अर्थ-व्यवस्था का सक्षम प्रबंध, सार्वजनिक उपयोगिता तथा सरकारी क्षेत्र हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि हमें गैर-सरकारी क्षेत्र तथा यहां तक कि विदेशी उद्यमों द्वारा किए गए निवेश में प्रवेश करने की आवश्यकता है।

(ग) सरकार ने आयात निर्यात संबंधी नीति की पहले ही घोषणा कर दी है, जिसमें निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों की व्यवस्था है जिसमें भारतीय उद्योग को अधिक प्रतियोगी बनाने में सहायता मिलेगी। सरकार की मध्यावधि आर्थिक नीतियां योजना के सन्दर्भ में बनाई जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की क्षमता का उपयोग

8685. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कम्पनी के प्रबन्धन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के प्रमुख उत्पादों की क्षमता उपयोग का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है। जबकि आटोमोटिव टायरों के निर्माण में क्षमता उपयोग 100% से अधिक है तथापि अन्य मदों के निर्माण के लिए क्षमता का उपयोग विशेष रूप से टांगड़ा और कल्याणी संयंत्रों में कम है। इन एककों में क्षमता का कम उपयोग होने के मुख्य कारण पुरानी और अप्रचलित मशीनें, पुरानी प्रौद्योगिकी तथा अनियमित बिजली की सप्लाई आदि हैं।

(ग) बोर्ड और अन्य वरिष्ठ स्तर की रिक्तियों को भरने की कार्रवाई तत्परता से की जा रही है।

विवरण

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० की वर्ष 1989-90 में अधिष्ठापित क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग

(मात्रा लाख में)

| | इकाई | अधिष्ठापित क्षमता | उत्पादन (1989-90) | क्षमता उपयोग |
|---|---|---|---|---|
| टायर प्रभाग काकी नाड़ा | | | | (पूर्णांकित) |
| आटोमोटिव टायर | नग | 1.23 | 1.36 | 111% |
| आटोमोटिव ट्यूब | नग | 1.23 | 0.88 | 72% |
| औद्योगिक रबर उत्पाद (आई० आर० पी०) प्रभाग टुंगड़ा : | | | | |
| मोपेड़ टायर | नग | 0.72 | 0.24 | 33% |
| साइकिल टायर | नग | 33.00 | 10.83 | 33% |
| पैम और वी-बेल्ट | नग | 5.00 | 1.05 | 21% |
| होज (सभी प्रकार के) (प्लाई और ब्रेडिड) | मीटर्स | 9.5 | 4.32 | 46% |
| संचार और कन्वेयर बेल्टिंग | मीटर्स | 10.80 | 2.87 | 27.% |
| उद्भूत रबर उ० र० एकक, कल्याणी | | | | |
| उद्भूत रबर | कि०ग्रा० | 12.00 | 2.57 | 21% |

रेलवे यार्ड को नन्दगांव से मनमाड ले जाना

8686. दौलतराव सोनूजी अहेर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नन्दगांव स्थित रेलवे यार्ड को मनमाड ले जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## बिहार में औद्योगिक विकास

8687. श्री रामेश्वर प्रसाद :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि में अब तक बिहार में उद्योगों की विकास दर क्या रही है;

(ख) छठी योजना अवधि में हुए राज्य के औद्योगिक विकास की तुलना में इसकी स्थिति क्या है; और

(ग) बिहार में उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने तथा राज्य का विकास करने में इससे कितनी सहायता मिली है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अनुसार छठी योजना के दौरान कुल मिलाकर विकास की औसत दर 5.9% बनती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष अर्थात 1985-86 के दौरान विकास दर 7.6% थी। सातवीं योजना के दौरान औद्योगिक विकास की दर लगभग यही प्रवृत्ति बनी रही।

(ग) छठी और सातवीं योजनावधि में बिहार राज्य में संगठित क्षेत्र (विनिर्माणकारी) में रोजगार दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

### विवरण

संगठित क्षेत्र (विनिर्माणकारी) में रोजगार

लाख में

बिहार

| 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष | सरकारी क्षेत्र | गैर सरकारी क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1980 | 1.09 | 1.74 |
| **छठी योजना** | | |
| 1981 | 1.06 | 1.86 |
| 1982 | 1.11 | 1.88 |
| 1983 | 1.13 | 1.84 |
| 1984 | 1.12 | 1.85 |
| 1985 | 1.15 | 1.83 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| सातवीं योजना | | |
| 1986 | 1.15 | 1.71 |
| 1987 | 1.24 | 1.76 |
| 1988 | 1.29 | 1.75 |
| 1989 | 1.29 | 1.67 |
| (अनंतिम) | | |

स्रोत : रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम, श्रम मंत्रालय ।

**उत्तर प्रदेश में पन बिजली का उत्पादन**

[हिन्दी]

8688. श्री हरीश रावत :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिंडर नदी घाटी (उत्तर प्रदेश) में पन बिजली उत्पादन की भारी सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिंडर के पानी को सुरंग द्वारा सरयू और गोमती नदियों में लाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) पिंडर नदी, अलकनन्दा की दक्षिणी सहायक नदी है जोकि कर्ण प्रयाग के समीप इससे मिलती है । जल-विद्युत क्षमता के संबंध में किए गए पुन: मूल्यांकन अध्ययन कार्यों के अनुसार, पिंडर नदी पर 60% भार अनुपात पर कुल मिलाकर 145.58 मे० वा० की जल विद्युत क्षमता वाली छ: जल विद्युत स्कीमों का पता लगाया गया है। उपरोक्त स्कीमों में पिंडर नदी के जल को सरयू नदी बेसिन में सरयू तथा गोमती नदी में ले जाने की परिकल्पना नहीं की गई है ।

**वायुदूत के किराये में वृद्धि**

8689. श्री राम अवध :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत के किराये में वृद्धि की गयी है और यदि हां, तो इन किरायों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या वायुदूत और इंडियन एयरलाइंस के विमानों के किराये में हुई वृद्धि में कोई भिन्नता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत लिमिटेड दोनों के अन्तर्देशीय किराये के ढांचे में ईंधन अधिभार में वृद्धि एक ही दर से की गई है। कुल पूर्व संशोधित अन्तर्देशीय रुपया किराये पर ईंधन अधिभार में हुई वृद्धि 15.7% है।

(ग) प्रश्न नहीं है।

**बिजली उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी**

[अनुवाद]

8690. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री के० एस० राव :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मानन्द :

श्री प्रकाश वी० पाटिल :

श्रीमती वासव राजेश्वरी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया ने बिजली उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के सम्बन्ध में सरकार द्वारा गठित विश्लेषण समिति की सिफारिशों को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विश्लेषण समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का कब तक अन्तिम निर्णय लेने का विचार है;

(घ) क्या आठवीं योजना के अन्त तक बिजली उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी से बिजली की कमी के काफी हद तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ङ) विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की विशिष्टता के सम्बन्ध में एसोसिएटिड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया का एक मोनोग्राफ "एनर्जी सीन इन इंडिया : प्रौबलम्स एण्ड प्रोस्पेक्ट्स" प्राप्त हुआ है। देश में विद्युत की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित किये जाने के बारे में बाधाओं और संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है।

स्कीम के क्रियान्वयन के लिए प्रतिमानों से सम्बन्धित रूपरेखा तैयार कर ली गई है और विचार किये जाने के लिए अग्रिम चरण में है।

**उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण**

8691. श्री राम सागर :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने गांव हैं और उनमें से कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है; और

(ख) शेष गांवों में बिजली की सुविधा कब तक दी जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) गांवों के विद्युतीकरण सम्बन्धी सूचना संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार नहीं रखी जाती है। तथापि फरवरी, 1990 तक उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कुल 3245 आबाद गांवों में से 2873 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिसमें सैदपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र भी आता है।

(ख) जौनपुर जिले के विद्युतीकरण नहीं किए गए शेष सभी गांवों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकृत किए जाने की सम्भावना है बशर्ते आवश्यक निधियां तथा अन्य निवेश उपलब्ध हों।

**हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड को आबंटित कागज**

8692. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान कर्नाटक को रियायती दामों पर कागज सप्लाई करने के लिए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा अन्य कागज मिलों को कुल कितना कागज आबंटित किया गया है;

(ख) अब तक कुल कितना कागज सप्लाई किया गया है;

(ग) किन-किन कागज मिलों द्वारा राज्य को कागज की आबंटित मात्रा अभी सप्लाई करना बाकी है; और

(घ) शेष कागज कब तक सप्लाई कर दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (घ) सरकार की वर्तमान योजना के अनुसार, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन ही पाठ्य पुस्तकों इत्यादि की छपाई के लिए राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों को राज सहायता प्राप्त छपाई के सफेद कागज की आपूर्ति करने का साधन है। कर्नाटक राज्य को 1989 के दौरान शिक्षा विभाग द्वारा 5480 मी० टन कागज के कुल आबंटन के मुकाबले हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लगभग 1290 मी० टन कागज की आपूर्ति कर सका। आपूर्ति में इस कमी के कारण निगम के सामने कुछ कठिनाइयां आईं। तथापि, निगम को पूर्ण आपूर्ति करने हेतु हर सम्भव प्रयास करने की सलाह दी गई है।

धौलपुर और सरामथरा (मध्य रेलवे) के बीच छोटी लाइन पर डीजल गाड़ियां चलाना

[हिन्दी]

8693. श्री चान सिंह जाटव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धौलपुर—सरामथरा और धौलपुर—तांतपुर (मध्य रेलवे) सेक्शनों पर भाप इंजनों से चलने वाली गाड़ियां घाटे में चल रही हैं;

(ख) क्या भाप-इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त रेलवे लाइनों पर इन गाड़ियों को कब तक डीजल इंजनों से चलाया जाएगा ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) शाखा लाइन पर गाड़ी सेवाओं से हानि हो रही है।

(ख) और (ग) भारतीय रेलों पर छोटी लाइन के सभी भाप रेल इंजनों को 1995-96 तक डीजल रेल इंजनों से बदल दिये जाने की आशा है। लेकिन, यह धन की उपलब्धता तथा रेलवे की उत्पादन यूनिटों में निर्माण क्षमता पर निर्भर करता है। इसके अनुसरण में छोटी लाइन के और अधिक डीजल रेल इंजन उपलब्ध होने पर मध्य रेलवे के छोटी लाइन के खण्डों पर भाप रेल इंजनों को बदल दिया जाएगा।

लघु औद्योगिक एककों को सुविधाएं

8694. श्री बालेश्वर यादव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग के समान लघु औद्योगिक एककों को कुछ सुविधाएं दिए जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मांग पर विचार किया है और इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी हां, यह सुझाव दिया गया था कि संयंत्र और मशीनों में 5 लाख रु० अथवा इससे कम निवेश वाले लघु औद्योगिक एककों को लघु औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत अलग कर दिया जाए तथा खादी और ग्रामोद्योगों को उपलब्ध लाभ देकर इन्हें संरक्षण दिया जाए और प्रोत्साहित किया जाए।

(ख) और (ग) लघु एककों में छोटे एककों को पहले से ही ली जाने वाली ब्याज दरों और

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की लेवी के संबंध में अच्छी राहत दी जा रही है।

अत्यन्त छोटे एककों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर और गैर-पिछड़े क्षेत्रों में 12 प्रतिशत की ब्याज दर पर 25,000/- रुपये तक मिश्रित ऋण दिये जाते हैं। अत्यन्त छोटे, कुटीर और ग्राम क्षेत्रों में सावधिक ऋणदायी संस्थानों द्वारा रियायती दरों पर 50,000/- रु० तक मिश्रित ऋण भी दिये जाते हैं। बैंकों द्वारा 2 लाख रुपये तक दिये गये ऋण पर 12.5 और 14 प्रतिशत की दर के बीच ब्याज लिया जाता है जो कि इससे अधिक की राशि पर ली जाने वाली ब्याज दर से कम है।

अतिरिक्त सहायता देने के लिए लघु एककों में छोटे एककों को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए हाल में कई उपाय किए गए हैं। पांच लाख रुपयों की परियोजना लागत वाले और 5,00,000 तक की जनसंख्या वाले गांव अथवा कस्बे में स्थित अत्यन्त छोटे/लघु क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लिए इक्विटी सहायता देने के लिए 1987 में एक राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्थापित की गई थी। 1988 में एक सिंगल विन्डो योजना शुरू की गई थी जिसके अन्तर्गत उन अत्यन्त छोटे और लघु एककों को जिनकी परियोजना लागत 5,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है, को अचल परिसम्पत्तियों और कार्यशील पूंजी के लिए सावधिक ऋण दिए जाते हैं। अचल परिसम्पत्तियों के लिए सावधिक ऋण देने के अलावा एस० एफ० सी०/एस० आई० डी० सी० इन लघु औद्योगिक एककों को 2.5 लाख रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण भी देगी।

15 लाख रुपये तक की अनुमति वाले एककों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी जाती है (केन्द्रीय उत्पादन प्रशुल्क के एक अध्याय शीर्षक से अधिक में आने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाले एककों के मामले में 30 लाख रुपये)। 15 लाख रुपये से अधिक और 75 लाख रुपये तक की अनुमति के लिए सामान्य शुल्क 10 प्रतिशत घटा दिया जाता है किन्तु इसकी न्यूनतम सीमा 5 प्रतिशत मूल्यानुसार होनी चाहिए। 1990-91 के बजट प्रस्तावों में पूरी छूट देने की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है जबकि लाइसेंसीकरण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

सरकार की यह नीति है कि खादी और ग्रामोद्योगों को अलग पैकेज दिया जाए।

**कोयले का आवंटन**

8696. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के विद्युत संयंत्रों को कोयला आवंटन की कोई नीति है; यदि हां, तो तत्संबंधी मानदण्ड क्या हैं; और

(ख) मध्य प्रदेश में कोयला बहुल क्षेत्रों में बड़ी ताप विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने की नीति के विरुद्ध दूरस्थ इस्पात बिजलीघरों को कोयला भेजने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) देश में विभिन्न थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले का आवंटन किए जाने का निर्णय एक स्थायी संयुजन समिति (डीयर्बिधि) द्वारा लिया जाता है। जिसमें कोयला विभाग, विद्युत विभाग, योजना आयोग, रेलवे मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोल इंडिया लि०, और केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजा-

इन संस्थान लि० आदि के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति किए जाने से सम्बद्ध आयोजना निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखकर की जाती है—योजना आयोग द्वारा पावर स्टेशनों को आबंटित की गई प्राथमिकता, संयंत्र की स्थिति, कोयला क्षेत्र से कोयले के परिवहन का स्वरूप तथा दूरी और उस खान का जिससे कोयले की आपूर्ति की जाती है की विकासात्मक योजना। कोयले से परिवहन से सम्बन्धित समस्याओं को कम किए जाने की दृष्टि से आमतौर पर पिट-हैड से कोयले का उत्पादन किए जाने को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, किन्तु विद्युत संवितरण प्रणाली की समग्र योजना को ध्यान में रखते हुए लोड सेन्टर पावर स्टेशनों की स्थापना किया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के मामले में कई पिट-हैड पावर स्टेशन पहले से ही कार्यरत हैं और मध्य प्रदेश की निम्नलिखित कई यूनिटों को 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कोयला का संयुजन दिया गया है :—

| | क्षमता |
|---|---|
| बिरसिंगपुर थर्मल पावर स्टेशन | यूनिट 1 से 4 840 मे० वा० |
| पेंच थर्मल पावर स्टेशन | यूनिट 1 से 2 420 मे० वा० |
| कोरबा थर्मल पावर स्टेशन | यूनिट 5 और 6 420 मे० वा० |
| विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन | यूनिट 6, 7 और 8 1210 मे० वा० |

**दिल्ली—रोहतक मार्ग में रामपुर में उपरि-पुल**

8697. **श्री एम० एस० पाल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली—रोहतक रेल लाइन पर रामपुर रेलवे क्रासिंग पर इस क्षेत्र के निवासियों की भारी मांग को देखते हुए एक उपरि-पुल का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं, रामपुरा की ओर अधिक आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण इस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण व्यावहारिक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली में बिजली संकट**

[अनुवाद]

8698. **श्री कुलुम कृष्ण मूर्ति :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में वर्तमान बिजली की कमी पड़ोसी राज्यों द्वारा उत्तरी विद्युत ग्रिड से अपने कोटा से अधिक बिजली लेने तथा अधिक समय तक होने के कारण और अधिक हो गयी है, यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने बिजली की सप्लाई के लिए दिल्ली को एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र मानने की सम्भाव्यता पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा और पारेषण लाइनों की व्यवस्था के लिए भी क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) राजधानी में इस समय बिजली आपूर्ति की स्थिति कुल मिलाकर सन्तोषजनक है। दिल्ली एवं उत्तरी क्षेत्र के पड़ोसी राज्यों द्वारा बिजली के वास्तविक आहरण को, उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड द्वारा, बिजली में राज्यों के हिस्से, बिजली के वास्तविक उत्पादन, भार की स्थितियों तथा प्रणाली परिणामों को ध्यान में रखते हुए विनियमित किया जाता है।

(ख) बिजली की अपनी आवश्यकताओं की पूरी तरह पूर्ति करने में कठिनाई होने, खासकर व्यस्तमकालीन के दौरान, की दशा में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण उत्तरी ग्रिड से अधिकाधिक सम्भव सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) दिल्ली की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 × 67.5 मेगावाट राजघाट ताप विद्युत प्रतिस्थापन यूनिटों को हाल में चालू किया गया है। यदि संसाधन एवं अन्य निविष्टियां उपलब्ध रहीं तो विद्यमान गैस टरबाइनों में 3 × 30 मेगावाट के अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी यूनिटों तथा बवाना में संयुक्त साइकिल गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की प्रतिष्ठापना की भी परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा दादरी में लगाई जा रही 840 मे० वा० की राष्ट्रीय राजधानीताप विद्युत परियोजना से भी दिल्ली अपने हिस्से की बिजली प्राप्त करेगी। दिल्ली के चारों ओर 400 के०वी० पारेषण रिंग की स्थापना, 220 के० वी० पारेषण एवं वितरण संबंधी नेटवर्क बढ़ाने और रिहन्द—दादरी एच०वी०डी०सी० लाइनों के निर्माण संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।

**तेल्लिचेरी—मैसूर रेल लाइन**

8699. श्री पी० ए० एन्टनी :

श्री रमेश चेन्नीथाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल्लिचेरी—मैसूर बारस्ता कूर्ग रेल लाइन बिछाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस परियोजना की सम्भाव्यता का नए सिरे से सर्वेक्षण कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस रेल लाइन के लिए विगत समय में कराये गये सर्वेक्षणों के क्या निष्कर्ष निकले और ये सर्वेक्षण कब-कब कराए गए, किसके द्वारा किए गए और प्रत्येक सर्वेक्षण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई/कितनी धनराशि खर्च की गई ?

रेल मंत्री (श्री आर्वे फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। केरल राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक निकायों/व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**यात्री यातायात और आरक्षण के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग**

8700. प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री यातायात के लिए अब तक किन-किन रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटर का प्रयोग आरंभ किया गया है;

(ख) राज्यों की राजधानियों और औद्योगिक केन्द्रों में स्थित रेलवे स्टेशनों को यात्री आरक्षण हेतु कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कब तक शामिल किया जाएगा;

(ग) क्या यात्री यातायात के सम्बन्ध में कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम को केवल निर्माणाधीन परियोजनाओं तक ही सीमित रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सुविधा अभी तक केवल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलूरु, भोपाल और लखनऊ में उपलब्ध है।

(ख) से (घ) 1990-91 के दौरान नौ और राजधानियों/औद्योगिक केन्द्रों यथा पुणे, गुवाहाटी, जयपुर, पटना, गोरखपुर, तिरूवनन्तपुरम, जम्मू तवी, भुवनेश्वर और कटक में आरक्षण प्रणाली को कंप्यूटरीकृत किये जाने की योजना है। अन्य स्टेशनों पर इस प्रणाली के विस्तार पर विचार उनके आरक्षण कार्य भार तथा महत्व और धनराशि की उपलब्धता पर आधारित होगा।

**मिरज—गोवा सेक्शन की मीटर रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलना**

[हिन्दी]

8701. श्री आर० एम० राजेश :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली और गोवा के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने के लिए मिरज—गोवा सेक्शन की मीटर रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने का विचार है; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) कुल 811 कि० मी० लम्बी मिरज—बेंगलूरु और अन्य सम्बद्ध मीटर आमाप की लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1984 में सर्वेक्षण किया गया था। तथापि नवीनतम अनुमानित लागत पर हाल ही में सर्वेक्षण को अद्यतन किया गया था, परन्तु कम यातायात की संभावनाओं और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल इस आमाप परिवर्तन परियोजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि रोहा—उडुपी बड़ी रेल लाइन संपर्क

परियोजना को 1990-91 में अनुमोदित किया गया है। आशा है इससे गोआ तक बड़ी रेल लाइन के संपर्क की व्यवस्था हो जाएगी। 18-6-90 से मिरज के रास्ते दिल्ली और गोआ के बीच एक नयी बड़ी लाइन/मीटर लाइन दैनिक गाड़ी चलायी जा रही है।

**दिल्ली—मेरठ रेल लाइन को दोहरी करना और उसका विद्युतीकरण**

87. 2. श्री हरीश पाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली—मेरठ रेल लाइन को दोहरा करने और उसके विद्युतीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कब तक निर्माण कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है और इस पर अनुमानतः कितना खर्चा होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं। तथापि, दिल्ली से मुरादनगर तक पहले ही दोहरी लाइन बिछी हुई है तथा दिल्ली—गाजियाबाद खंड विद्युतीकृत है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली-शाहदरा—बागपत—सहारनपुर बड़ी रेल लाइन शुरू हो जाने से गाजियाबाद और सहारनपुर के बीच दो वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हैं—एक मेरठ के रास्ते तथा दूसरा दिल्ली—शाहदरा—बागपत के रास्ते। इस व्यवस्था से दिल्ली—मेरठ दोहरी लाइन पर उपलब्ध लाइन क्षमता पर्याप्त है।

रेलों का विद्युतीकरण भारी पूंजी निवेश वाला कार्य होने के कारण उपलब्ध सीमित संसाधनों के भीतर विद्युतीकरण पर निवेश यातायात के उच्च घनत्व वाले खंडों पर प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं। इस समय दिल्ली—बम्बई (बरास्ता मध्य रेलवे मार्ग) दिल्ली—मद्रास (बरास्ता ग्रांड ट्रंक मार्ग) तथा हबड़ा—बम्बई (बरास्ता नागपुर मार्ग) तथा यातायात के उच्च घनत्व वाले कुछ अन्य मार्गों के विद्युतीकरण को पूरा करने हेतु प्राथमिकताएं दी गई हैं। इन प्राथमिकताओं तथा संसाधनों की तंगी को देखते हुए फिलहाल, गाजियाबाद—मेरठ खंड को विद्युतीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में उत्पादन**

[अनुवाद]

8703. डा० भगवान दास राठौड़ :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिद्वार स्थित भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कुल उत्पादन में से कुछ उत्पादन इसके अनुषंगी एककों द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस सरकार का अनुषंगी एककों में उत्पादन में कमी करने के लिए क्या कदम

उठाने का विचार है; और

(ग) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हरिद्वार स्थित संयंत्र की उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग किया जाता है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) बी० एच० ई० एल० ने हरिद्वार तथा अन्य ऐसे स्थानों पर जहां अनेक संयंत्र स्थापित हैं सहायक एककों का विकास किया है और बी० एच० ई० एल० हरिद्वार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायक एककों को कार्यादेश दिए जाते हैं।

सरकार ने सहायक एककों के उत्पादन में कमी करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान बी० एच० ई० एल०, हरिद्वार का क्षमता उपयोग 74% होने की सम्भावना है।

**भूमिगत रेल व्यवस्था**

8704. श्री० एन० जे० रायवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान देश भर में भूमिगत और भूमि के ऊपर रेल व्यवस्था की कोई नई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रारम्भ में इसे कितने राज्यों में प्रारम्भ किया जाएगा;

(ग) इस योजना पर कितना व्यय आएगा; और

(घ) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब लिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री आर्वे फर्नांडीज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**दिल्ली –रोहतक और दिल्ली –पानीपत रेल लाइन का विद्युतीकरण**

[हिन्दी]

8705. श्री कपिल देव शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली – रोहतक और दिल्ली – पानीपत के बीच रेल लाइन के विद्युतीकरण की कोई योजना है, यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री आर्वे फर्नान्डीज) : (क) (i) दिल्ली – रोहतक खंड के विद्युतीकरण करने का

कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ii) इस समय दिल्ली—अम्बाला खंड, जिसका दिल्ली—पानीपत एक भाग है, के विद्युतीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) फिलहाल, मध्य रेलवे मार्ग के रास्ते दिल्ली—बम्बई, ग्रांड ट्रंक मार्ग के रास्ते दिल्ली—मद्रास, नागपुर मार्ग के रास्ते हवड़ा-बम्बई और कुछ अन्य भारी घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई है। इन प्राथमिकताओं और संसाधनों की तंगी को देखते हुए फिलहाल, दिल्ली—रोहतक खंड के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**एच० एम० टी० लिमिटेड का उत्पादन और बिक्री लक्ष्य**

**[अनुवाद]**

8706. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० लिमिटेड ने 1990-91 के लिए सामूहिक उत्पादन और बिक्री लक्ष्य निश्चित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में स्थित इसके कुछ एकक गड़बड़ी के कारण बन्द कर दिये गए हैं; और यदि हां, तो ऐसे एककों के क्या नाम हैं; और

(घ) इस समय चालू एककों के नाम क्या हैं और उनमें से कौन-कौन से एकक घाटे में चल रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) एच० एम० टी० ने वर्ष 1990-91 के लिए सम्भावित ग्रुप उत्पादन तथा बिक्री लक्ष्य निम्न प्रकार से तैयार किया है जिनका अनुमोदन किया जाना है :—

(लाख रुपये में)

| | उत्पादन लक्ष्य | बिक्री लक्ष्य |
|---|---|---|
| मशीन टूल्स | 25900 | 26297 |
| घड़ियां | 26394 | 26302 |
| कृषि मशीनें | 16981 | 17465 |
| लैम्प | 2400 | 2461 |
| योग : | 71675 | 72525 |

(ग) और (घ) एच० एम० टी० ने अपने श्रीनगर घड़ी एकक में कार्य को स्थायी रूप से समाप्त करने के अलावा किसी भी कार्यालय को बन्द नहीं किया है। इसके बंगलौर, कलमस्सेरी,

अजमेर के मशीन औजार प्रभाग, भीमवर घड़ी कारखाने, औरंगाबाद में डेयरी मशीन एकक तथा हैदराबाद में सैम्प एकक में 1990-91 वर्ष के दौरान घाटा होने की सम्भावना है।

विशाखापत्तनम में "नैपथा क्रेकर" परियोजना से प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग करने संबंधी परियोजनाएं

8707. श्री एम० जी० रेड्डी :

श्री वेंकट रेड्डी कुरुव कालु :

श्री एम० जगा रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम में एक नई "नैपथा क्रेकर" परियोजना की स्थापना हेतु एक आशय पत्र जारी किया है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी "डाउन स्ट्रीम परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें उपर्युक्त "नैपथा क्रेकर" परियोजना से प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां,।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाने तक उनके ब्यौरे प्रकट नहीं किए जाते हैं।

चुखा विद्युत परियोजना

[हिन्दी]

8708. श्री युवराज :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पन बिजली निगम ने चुखा पन बिजली परियोजना प्राधिकरण (भूटान) के साथ एक समझौता किया है और यदि हां, तो कब;

(ख) क्या राष्ट्रीय पन बिजली निगम, समझौते के अनुसार, चुखा से, 70 प्रतिशत विद्युत बिहार बिजली बोर्ड को और 30 प्रतिशत विद्युत पश्चिम बंगाल को सप्लाई करता है; और

(ग) यदि हां, तो बिहार में कटिहार को पर्याप्त विद्युत न सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम तथा भूटान की महामहिम सरकार के विद्युत विभाग के बीच भूटान स्थित चूखा जल विद्युत परियोजना से विद्युत सप्लाई करने संबंधी औपचारिक समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) भारत सरकार द्वारा लिए गए आवंटन संबंधी निर्णय के अनुसार चूखा विद्युत में भारत के विभिन्न लाभ भोगियों का हिस्सा निम्न प्रकार से है :—

| | | |
|---|---|---|
| दामोदर घाटी निगम | : | 15.00% |
| बिहार | : | 25.75% |
| उड़ीसा | : | 13.50% |
| सिक्किम | : | 1.65% |
| पश्चिम बंगाल | : | 29.10% |
| केन्द्र के पास अनावंटित | : | 15.00% |

(ग) प्रत्येक राज्य या लाभ भोगियों के क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत वितरण की जिम्मेवारी संबंधित राज्य बिजली बोर्ड/राज्य सरकार की है।

## उप-नगरीय रेलगाड़ियों को गुडूर तक चलाना

[अनुवाद]

8709. श्री पी० पेंचालैया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में विजयवाड़ा डिवीजन में उप-नगरीय रेलगाड़ियों को गुडूर तक चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री आर्यं फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुम्मिडिपुंडी—गुडूर खंड बिजली गाड़ियां चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

## अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विद्युत संयंत्र

8710. श्री मनोरंजन भक्त :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थित विद्युत एककों के नाम और उनकी क्षमता

का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये एकक अपनी क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पादन कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) 31-3-89 की स्थिति के अनुसार अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित विभिन्न विद्युत यूनिटों की प्रतिष्ठापित क्षमता तथा इनके नाम को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) यूनिट पुराने होने, अतिरिक्त कल-पुर्जे प्राप्त करने में कठिनाइयां आने, स्थानीय जलवायु संबंधी परिस्थितियों का इन पर अंकित निर्धारित क्षमता पर कुप्रभाव पड़ने आदि के कारण ये यूनिट अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार विद्युत उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

**विवरण**

31-3-89 की स्थिति के अनुसार अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न विद्युत यूनिटों के नाम तथा इन पर अंकित निर्धारित क्षमता

| क्रम संख्या | विद्युत केन्द्र | अंकित निर्धारित क्षमता (कि० वा०) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | फोएनिक्स बे | 1×630 |
| | | 1×1062 |
| | | 2×880 |
| | | 1×856 |
| | | 4×250 |
| 2. | चाथामा | 1×440 |
| | | 5×800 |
| 3. | बाम्बूफ्लाट | 2×250 |
| 4. | राज निवास | 1×90 |
| 5. | रटलैण्ड | 1×15 |
| 6. | नील आईलैण्ड | 1×24.4 |
| 7. | हावेलॉक | 2×50 |
| | | 1×65 |
| | | 1×50 |
| | | 1×24 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. | रांगत बे | 6×248 |
| 9. | सीता नगर | 6×65 |
| | | 1×50 |
| 10. | लांग आईलैण्ड | 1×24 |
| | | 2×50 |
| 11. | बाराटांग | 1×24 |
| | | 2×50 |
| 12. | पश्चिम सागर | 1×11.5 |
| 13. | किशोरी नगर | 1×24 |
| 14. | स्मिथ आईलैण्ड | 1×14.5 |
| 15. | मोहनपुर | 1×18 |
| 16. | लिटल अण्डमान | 1×500 |
| 17. | कार निकोबार | 11×50 |
| | | 2×65 |
| 18. | कामोरटा | 3×50 |
| | | 1×25 |
| 19. | चम्पियन | 1×15 |
| | | 1×25 |
| 20. | टार्बोंग | 1×15 |
| 21. | काकाना | 1×15 |
| 22. | चिलपिल्लाव | 1×11.5 |
| | | 1×15 |
| 23. | कच्चल | 1×50 |
| | | 2×65 |
| 24. | डैरेसा | 1×25 |
| | | 1×50 |
| 25. | चोवरा | 1×25 |
| 26. | कोण्डल | 1×25 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 27. | चम्पबैल वे | 3 × 80 |
| | | 2 × 125 |
| | | 1 × 50 |
| 28. | पिलोबाबी | 1 × 11.5 |
| | | 1 × 6 |
| 29. | पिलोमिलो | 1 × 15 |

"सेफ्टी शीर्षों" की खरीद

8711. श्री वसंत साठे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों के डिब्बों/इन्जनों में प्रयोग में लाये जाने वाले मजबूत/सेफ्टी शीर्षों (मानक चिन्ह युक्त) की खरीद संबंधी नीति क्या है;

(ख) भारतीय मानक संस्था के मानदंडों के अनुरूप निर्माण करने वाली उन विभिन्न निर्माण एककों की संख्या कितनी है जो रेल मंत्रालय में पंजीकृत है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन एककों से की गई खरीद का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानक चिन्ह वाले ऐसे शीर्षों का निर्माण करने वाले छोटे एककों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसमें क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) रेलवे के सवारी डिब्बों/इंजनों में उपयोग के लिए सामान्यत: भारतीय मानक संस्थान के मार्क वाले मजबूत/संरक्षा शीर्षों की खरीद पर जोर नहीं दिया जाता और सामग्रियां आई० एस० विशिष्टि/रेलवे के नक्शों के अनुसार खरीदी जाती है।

(ख) आई० एस० आई० मार्क वाले निर्माताओं के लिए अलग से कोई पंजीकरण नहीं है तथा आई० एस० विशिष्टियों के अनुसार सप्लाई करने वाली निर्माता यूनिटें पंजीकृत की जाती हैं बशर्ते कि वे इसके लिए अन्यथा अर्हक हों। अत: रेलों के पास आई० एस० मानक वाली पंजीकृत फर्मों तथा इस प्रकार की यूनिटों से की गई खरीद का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आई०एस०आई० मार्किंग वाले शीर्ष सप्लाई करने वाले किसी भी निर्माता को आई० एस० विशिष्टि के अनुरूप सप्लाई करने वाले किसी अन्य सप्लायर की तुलना में कोई तरजीह नहीं दी जाती है क्योंकि सामान्यत: रेलों की नीति आई० एस० विशिष्टि/रेलों के नक्शों के अनुरूप खरीद करने की है।

उत्तर प्रदेश में पैट्रोल/डीजल पम्प और खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

8712. श्री सरजू प्रसाद सरोज :

श्री शिव शरण वर्मा :

श्री राजबीर सिंह :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल पम्पों की संख्या का उनके स्थानों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस की एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल पम्पों की संख्या लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में नई गैस एजेंसियां और पेट्रोल/डीजल पम्प खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति के अनुसार वर्तमान प्रत्येक गैस एजेंसी में गैस कनेक्शनों की प्रतीक्षा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है; और

(च) इन्हें शीघ्र गैस कनैक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) 1-1-1990 को उत्तर प्रदेश में 400 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 1798 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) थे।

(ख) एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप/खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप की स्थापना हेतु संभावित स्थानों का पता लगाने के लिये आवधिक सर्वेक्षण किये जाते हैं। निर्धारित खपत/दूरी मानदण्डों को पूरा करने वाले स्थानों को विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है बशर्ते कि समग्र रूप से उत्पाद की उपलब्धता हो।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के लिये 103 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 219 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें खोलने की योजना है।

(ङ) और (च) 1 फरवरी, 1990 को उत्तर प्रदेश में नये एल०पी०जी० कनेक्शनों के लिए लगभग 8.38 लाख व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में थे। देश भर में नये कनेक्शन तेल उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने वार्षिक कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध रूप में जारी किये जाते हैं बशर्ते कि एल० पी० जी० उपलब्ध हो। एल० पी० जी० की उपलब्धता को उत्पादन और आयात में वृद्धि करके बढ़ाया जाता है।

(क) स्थान वार, (ख) जिलेवार और (ग) डिस्ट्रीब्यूटरशिपवार आंकड़े तैयार करने में निहित, प्रयास वांछित उद्देश्य प्राप्ति के अनुरूप नहीं होंगे।

**खाड़ी के देशों तथा त्रिवेन्द्रम के बीच एयर इण्डिया की उड़ानें**

8714. श्री टी० बशीर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों तथा त्रिवेन्द्रम के बीच एयर इंडिया द्वारा यात्री यातायात की क्षमताओं के बारे में विगत में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों/सिफारिशों का ब्योरा क्या है;

(ग) इन निष्कर्षों/सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या खाड़ी के देशों और त्रिवेन्द्रम के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जबकि पीछे हाल ही मे गल्फ और त्रिवेन्द्रम के बीच यात्री यातायात की संभावना के बारे में कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है, लेकिन एअर इंडिया द्वारा यातायात आवागमन का डेस्क अध्ययन किया जाता है और दैनिक निगरानी की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं है।

(च) गल्फ और त्रिवेन्द्रम के बीच निर्धारित प्रति सप्ताह 11 सीधी उड़ानें वर्तमान यातायात को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

**लेव ए-320 एयर बसों की डिलीवरी**

8715. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लेव ए-320 एयरबसों की डिलीवरी लेने के बारे में क्या निर्णय लिया गया है जो मूल रूप से विमान बेड़े में शामिल किए जाने थे और इस समय टुलूज (फ्रांस) में तैयार खड़े हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : मामला विचाराधीन है।

**अल्कोहल के मूल्यों में संशोधन**

8716. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अल्कोहल के संशोधित मूल्यों की शीघ्र घोषणा करने का अनुरोध किया है क्योंकि मौजूदा मूल्य ढांचा इस उद्योग के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध मे राज्य सरकारों ने कोई विशिष्ट अनुरोध नही किया है । फिर भी, उद्योग संघों के अनुरोधों के आधार पर बी० आई० सी० पी० से अल्कोहल की कीमतों में संशोधन करने के लिए नए सिरे से लागत अध्ययन करने के लिए कहा गया है ।

**सतना से इलाहाबाद तक शटल गाड़ियां चलाना**

[हिन्दी]

8717. श्री सुरेन्द्र सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में (मध्य रेलवे के अन्तर्गत) सतना से मानिकपुर तक के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को इटारसी –इलाहाबाद सवारी गाड़ियों को रद्द कर दिए जाने के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा यात्रियों को उक्त यात्रा के लिए एक्सप्रेस गाड़ी का किराया देना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए सतना से इलाहाबाद तक एक शटल गाड़ी चलाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री आर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं। 1389/1390 इटारसी - इलाहाबाद पैसेंजर गाड़ी रद्द नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**सातवीं योजना के दौरान बिहार में गांवों का विद्युतीकरण**

8718. श्री राधा मोहन सिंह :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने बिहार में गांवों के विद्युतीकरण का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण जिलों में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985—90) के दौरान बिहार रा०वि० बोर्ड 12493 के लक्ष्य की तुलना में 12724 गांवों का विद्युतीकरण किया।

(ग) सातवीं योजना के दौरान जनवरी, 1990 तक पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारन जिलों में विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या क्रमशः 280 तथा 333 है।

**त्रिवेन्द्रम—खाड़ी के देशों की उड़ानों का रद्द किया जाना**

[अनुवाद]

8719. प्रो० के० वी० थामस :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया की त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिए उड़ानें अनेक बार यात्रियों को बिना पूर्व सूचना दिए रद्द की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1990 से कितनी बार ये उड़ानें रद्द की गईं;

(ग) इन उड़ानों को रद्द करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उड़ान रद्द किये जाने पर, यात्रियों के आवास और वैकल्पिक यात्रा के लिए क्या व्यवस्था की गई ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) 1-1-90 से 1-5-1990 की अवधि के दौरान त्रिवेन्द्रम और खाड़ी देशों के बीच एयर इण्डिया की केवल चार उड़ानें रद्द की गईं। इन चार में से एक उड़ान वाणिज्यिक कारणों से रद्द की गई थी और तीन अन्य इंजीनियरिंग कारणों से रद्द की गई थीं।

(घ) जब कभी भी अपरिहार्य कारणों से एयर इंडिया की उड़ानों से एयर इंडिया की उड़ानों का समय बदला जाता है/उड़ानें रद्द की जाती हैं तो, यात्रियों को एयर इंडिया की अन्य उड़ानों पर भेजा जाता है अथवा अन्य विमान कम्पनियों के पास भेजा जाता है जिससे उन्हें कम से कम असुविधा हो। जहां कहीं भी आवश्यक होता है, होटल आवास/भोजन/नाश्ते की भी व्यवस्था की जाती है।

**चन्द्रापुर से रामागुण्डम तक ट्रांसमिशन लाइन**

8720. श्री राजमोहन रेड्डी :

श्री जे० चोक्का राव :

श्री पी० नरसा रेड्डी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा चन्द्रापुर से रामागुण्डम तक 400 किलोवाट की दोहरी सरकिट ट्रांसमिशन लाइन बिछाने जा रही है;

(ख) इस लाइन के बिछाने का कार्य पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या इस लाइन के शीघ्र बिछाए जाने से आन्ध्र प्रदेश को बिजली के अत्यधिक प्रयोग के दौरान पश्चिमी क्षेत्र से फालतू बिजली प्राप्त करने में सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) केन्द्रीय पारेषण परियोजना—एक के रूप में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा चन्द्रपुर से रामागुण्डम तक एक 400 के० वी० डबल सर्किट पारेषण लाइन (360 सर्किट किलोमीटर) क्रियान्वयनाधीन है।

(ख) यह लाइन लगभग जनवरी, 1991 तक पूरी कर लिए जाने की आशा है।

(ग) और (घ) इस समय दक्षिणी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश को पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ लोअर सिलेरू (आन्ध्र प्रदेश) से बसरूर (मध्य प्रदेश) तक की एक 220 के० वी० डबल सर्किट के द्वारा जोड़ा गया है। दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक एवं पश्चिमी क्षेत्र में महाराष्ट्र के बीच बेलगाम से कोल्हापुर तक एक अन्य 220 के० वी० डबल सर्किट अन्त:सम्बद्ध लाइन भी विद्यमान है। विद्युत की उपलब्धता एवं प्रणालीगत परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए इन दोनों लाइनों से विद्युत का अन्तरण किया जा रहा है। चन्द्रपुर—रामगुण्डम लाइन के पूरा हो जाने पर पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों के बीच अन्त:सम्बद्धता की और सुदृढ़ स्थिति हो जाएगी तथा दोनों क्षेत्रों के बीच विद्युत अन्तरण क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकेगी।

**अहमदाबाद—सूरत—विरोर के बीच ई० एम० यू० गाड़ियां चलाना**

8721. श्री काशीराम राणा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक यात्रियों की असुविधा को देखते हुए अहमदाबाद —सूरत—विरोर के बीच ई० एम० यू० गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) इस खंड पर ई० एम० यू० सेवाएं चलाने की तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता नियत करने के लिए इस समय एक सर्वेक्षण चल रहा है।

**जापला सीमेंट फैक्ट्री का बन्द होना**

[हिन्दी]

8722. श्री छेदी पासवान :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 सितम्बर, 1985 से जापला सीमेंट फैक्ट्री बन्द होने से बिहार के रोहतास जिले में बौलिया खदानों में 5000 मजदूर बेरोजगार हो गए थे;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बार बार आश्वासन देने के बावजूद जापला सीमेंट फैक्ट्री और बौलिया खदान बन्द पड़ी हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इन्हें फिर से शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) मै० सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कम्पनी लि० ने सूचित किया है कि इस फैक्टरी में सितम्बर, 1985 से तालाबन्दी रही। बौलिया खदानें कम्पनी का ही एक हिस्सा है और बौलिया खदानों से जनवरी, 1986 में लगभग 1700 कर्मचारी निकाल दिए गए थे। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा 14 अगस्त, 1989 को मै० सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कम्पनी लि० को पुनर्जीवित करने के लिए पहले ही एक योजना को स्वीकृति दी गई है। कम्पनी का प्रबन्धक मंडल बी० आई० एफ० आर० द्वारा तैयार किए गए पुनर्जीवन पैकेज के अनुसार फैक्टरी को दुबारा चालू करने के लिए आगे कार्रवाई कर रहा है।

केरल में गैस पर आधारित ऊर्जा संयंत्र

[अनुवाद]

8723. श्री ए० चार्ल्स :

श्री टी० बशीर :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में गैस पर आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किए जाने के लिए केरल में गैस आधारित विद्युत संयंत्र प्रतिष्ठापित किये जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास जांच किये जाने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ब्रह्मपुरम्, कोचीन में 106.66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एल०एस०एच०एम०/ईंधन/तेल/प्राकृतिक गैस पर आधारित 90 मेगावाट का संयुक्त साइकल विद्युत संयंत्र प्रतिष्ठापित किये जाने के बारे में केरल राज्य बिजली बोर्ड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अप्रैल, 1988 में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। ईंधन उपलब्धता की पुष्टि किये जाने, अन्य अपेक्षित निवेश सुनिश्चित किये जाने तथा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

रीवास—करंजा बंदरगाह पर पुल

8724. श्री ए० आर० अन्तुले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रीवास—करंजा बन्दरगाह पर एक रेल पुल के निर्माण का प्रस्ताव है जिसमें कोंकण रेलवे से जोड़ने हेतु उड़न और थाल बैस्ट के लिए रेल लाइनें बिछाई जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पनवेल पर उरन पहले से ही रेल द्वारा कोंकण रेलवे लाइन से जुड़ा है। संसाधनों की तंगी के कारण इसे थाल वैसट से जोड़ना मुश्किल होगा।

**पश्चिम रेलवे में बुकिंग क्लर्कों और टिकट कलेक्टरों के संवर्ग की समीक्षा**

[हिन्दी]

8725. श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे उपनगरीय खंड के वाणिज्यिक विभाग में वर्तमान संवर्ग के अनुसार बुकिंग क्लर्कों और टिकट कलेक्टरों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले दशक के दौरान विभाग में संवर्ग समीक्षा कब की गई थी और कितनी बार की गई; और

(ग) अगली बार समीक्षा कब की जाएगी ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) पश्चिम रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) रेलों पर वाणिज्य विभाग के विभिन्न संवर्गों की जनवरी, 1979 और दिसम्बर, 1983 में समीक्षा की गई थी।

(ग) अगली समीक्षा उस समय की जाएगी जब भी संवर्ग समीक्षा समिति का गठन किया जाएगा।

**कलकत्ता में उपनगरीय रेल सेवा समाप्त किया जाना**

[अनुवाद]

8726. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपनगरीय रेल सेवाओं को धीरे-धीरे समाप्त करने की योजना है क्योंकि इसके लिए भारी राज्य सहायता देनी पड़ती है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप सियालदह, पश्चिम बंगाल स्थित मंडलीय रेल विभाग द्वारा छोटी दूरी की रेलगाड़ियों को लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में परिवर्तित किया जा रहा है तथा कुछ स्थानीय रेल सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का सार्वजनिक उपयोगिता सम्बन्धी सेवा को समाप्त करने वाली योजना की पुनरीक्षा करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**फतुहा और इस्लामपुर, बिहार के बीच पुन: रेलगाड़ी चलाया जाना**

[हिन्दी]

8727. श्री आर० एस० प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में फतुहा और इस्लामपुर (बिहार) के बीच मीटर लाइन पर गत तीन वर्षों के दौरान नियमित रूप से रेलगाड़ियां चलती थीं;

(ख) क्या इस रेलवे लाइन पर रेल सेवा को बन्द करने के पश्चात इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में परिवहन की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस रेलवे लाइन पर पुन: रेल शुरू करने का विचार है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस लाइन के संचालन में केन्द्रीय सरकार को हानि हो रही थी, जो गाड़ियां चलाने के लिए असुरक्षित भी समझी जाती थी। इसलिए राज्य सरकार की अनुमति से इस लाइन को उखाड़ दिया गया था। संसाधनों की तंगी और भारी वचनबद्धताओं के हाथ में होने के कारण फिलहाल इस लाइन को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**बम्बई में उपनगरीय रेलवे में रेलगाड़ियों की सुरक्षा**

[अनुवाद]

8728. श्री वामनराव महाडीक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे यार्डों में, जहां यात्री रेलगाड़ियां खड़ी की जाती हैं, चौबीसों घण्टे सतर्कता बरतने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : रेल यार्डों में, जहां यात्री रेकों को खड़ा किया जाता है, रेल सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा इनकी समुचित रूप से रखवाली की जाती है और पर्यवेक्षी अधिकारी नियमित रूप से उनकी जांच करते हैं। सभी यात्री रेकों को प्लेटफार्म पर लगाने से पहले इन रेकों की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करने के अनुदेश मौजूद हैं।

**आदर्श रेलवे स्टेशन**

8729. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदर्श रेलवे स्टेशनों के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) आदर्श स्टेशनों के निर्माण कार्य पर 31-3-1990 तक 35.25 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं ।

(ख) 25.. 5 करोड़ रुपये । तथापि, चूंकि अब सभी स्टेशनों पर आधारभूत यात्री सुविधाओं की व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है, इसलिए आदर्श स्टेशनों पर काफी कम खर्च होने की सम्भावना है ।

**स्टेट्स पेपर**

8730. श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा निकाले गये "स्टेट्स पेपर" के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) (क) जी हां।

(ख) प्रचार माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार किया गया था। देश भर में कार्यशालाओं और सेमिनारो का आयोजन किया गया था।

**महाराष्ट्र को लेवी सीमेंट की सप्लाई**

8731. श्री एस० बी० थोरट :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार महाराष्ट्र राज्य को केन्द्रीय पूल से कुल कितनी मात्रा में लेवी सीमेंट की सप्लाई की गई;

(ख) क्या महाराष्ट्र को आबंटित लेवी सीमेंट इसकी आवश्यकता से काफी कम थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य को लेवी सीमेंट की गई आपूर्ति की कुल मात्रा के ब्यौरे अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं :—

| वर्ष | कुल आपूर्ति (लाख मी० टन में) |
|---|---|
| 1987-88 | 8.67 |
| 1988-89 | 7.03 |
| 1989-90 (जनवरी तक) | 0.35 |

(ख) और (ग) फरवरी, 1982 में सीमेंट का आंशिक विनियंत्रण कर देने के बाद सीमेंट कारखानों का लेवी दायित्व उत्तरोत्तर कम कर दिया गया था। लेवी सीमेंट के आबंटन, लेवी सीमेंट की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखने के बाद किए गए थे।

**औद्योगिक उत्पादन**

8737. श्री कमल चौधरी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1989 से मासिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989 के दौरान प्रत्येक महीने के उत्पादन का सूचकांक कितना है और गत वर्ष इसी अवधि के दौरान के उत्पादन से यह कितना कम है अथवा अधिक है;

(ग) क्या वर्ष 1989-90 के अन्तिम चार महीनों के उत्पादन में हुई वृद्धि की दर वर्ष 1988-89 के दौरान इसी अवधि में हुई वृद्धि दर से बहुत कम है;

(घ) औद्योगिक उत्पादन में कमी के लिए उर्वरक क्षेत्र कितना उत्तरदायी है; और

(ङ) औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर को पुनः बढ़ाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जनवरी, 1990 तक उपलब्ध केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार, इस अवधि (दिसम्बर, 1989 जनवरी, 1990) के दौरान औसत वृद्धि दर 10.2 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के इन्हीं दो महीनों में औसत वृद्धि दर 10.4 प्रतिशत देखी गयी थी।

(ख) वर्ष 1988 और 1989 के लिये औद्योगिक उत्पादन का मासिक सूचकांक तथा 1988 की तुलना में 989 में परिवर्तन की प्रतिशत दर दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इस अवधि (अक्तूबर, 1989—जनवरी, 1990) के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 9.1 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इसी अवधि के दौरान उर्वरक का उत्पादन 6.3 प्रतिशत कम हुआ है।

(ङ) सरकार अधिक उदार लाइसेंस नीति, संवर्धन प्रयासों, प्रोत्साहनों व राजसहायताओं, रियायती वित्त तथा आधारभूत विकास के प्रावधान के जरिए औद्योगिक विकास की गति को और बढ़ाने के लिए अनेक उपाय करती रही है। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए किये

गये उपायों में उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, ब्रॉड बैंडिंग, प्रचालन के न्यूनतम आर्थिक आकार के संदर्भ में क्षमता का पुन: पृष्ठांकन, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की समीक्षा आदि शामिल है।

विवरण

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

| अवधि | 1988 | 1989 | परिवर्तन दर % |
|---|---|---|---|
| जनवरी | 175.0 | 192.8 | + 10.2 |
| फरवरी | 177.3 | 185.6 | + 4.7 |
| मार्च | 196.6 | 207.9 | + 5.7 |
| अप्रैल | 169.9 | 177.5 | + 4.5 |
| मई | 173.3 | 175.7 | + 1.4 |
| जून | 179.1 | 181.3 | + 1.2 |
| जुलाई | 169.6 | 178.5 | + 5.2 |
| अगस्त | 169.4 | 181.3 | + 7.0 |
| सितम्बर | 171.6 | 183.3 | + 6.8 |
| अक्टूबर | 174.6 | 185.5 | + 6.2 |
| नवम्बर | 181.0 | 198.4 | + 9.6 |
| दिसम्बर | 194.5 | 211.4 | + 8.7 |
| औसत | 177.7 | 188.3 | + 6.0 |

स्रोत : सी० एस० ओ०

कोल्हापुर में रेलवे अस्पताल

8733. श्री उदयसिंहराव नानासाहिब गायकवाड़ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कोल्हापुर मे स्थित रेलवे कर्मचारी अस्पताल पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) क्या अस्पताल ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) कोल्हापुर में कोई रेलवे अस्पताल नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**आंध्र प्रदेश में गैस पर आधारित उद्योग**

8734. डा० विश्वनाथम :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश जिले में गैस पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा चिल्लेश्वरम में लगाये जाने वाले 3 × 33 मेगावाट की क्षमता के एक विद्युत संयंत्र के लिए 0.4 मि० घन मीटर गैस प्रतिदिन देने का वचन दिया गया है। इसके अलावा एक उर्वरक संयंत्र के लिए 1.3 मि० घन मीटर गैस प्रतिदिन और स्पंज आयरन परियोजना के लिए 0.8 मि० घन मी० गैस प्रतिदिन देने का सिद्धान्त: वचन दिया गया है। काकीनाड़ा में एक बड़े विद्युत संयंत्र के लिए गैस की उपलब्धता के बारे में बताया गया है।

इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित औद्योगिक उपभोक्ताओं को थोड़ी मात्रा में गैस देने के सम्बन्ध में वचन दिया गया है। गैस की आपूर्ति की जा रही है :—

| | (मि० घन मी० प्रति दिन) |
|---|---|
| डेल्टा पेपर | 0.028 |
| आंध्र शुगरस | 0.016 |
| गोदावरी सोल्वट | 0.005 |
| कास्टल आगरो इंडस्ट्रीज | 0.005 |
| साऊथर्न मैग्नेसियम | 0.010 |
| ए० पी० बैंगीज प्रोडेक्ट्स | 0.009 |
| ए० पी० शुगरज | 0.006 |
| साऊथर्न पेस्टीसाइड्स | 0.006 |
| कलेमेन पोरसीलेन | 0.003 |
| किरलोसकर सविसज (केवल 24 घंटे के लिए) | 0.018 |

रेल के सवारी-डिब्बे बनाने वाले कारखाने

8735. श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी कासु :

श्री एस० कृष्ण कुमार :

श्रीमती विद्या चेन्नुपति :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री टी० बशीर :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं योजना अवधि के दौरान रेल के सवारी-डिब्बे बनाने वाले नए कारखानों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित कारखानों का ब्यौरा क्या है और इन्हें कहां-कहां स्थापित करने का विचार किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

निरमली—सरायगढ़—भाप्तीहई—रेल लाइन को पुनः चालू करना

[हिन्दी]

8736. श्री सूर्य नारायण यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरमली—सरायगढ़—भाप्तीहई रेल लाइन, जो बहुत समय से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है रेल यातायात के लिए पुनः चालू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) संसाधनों की तंगी और भारी वचनबद्धताएं हाथ में होने के कारण ।

रणजीत सागर बांध

[अनुवाद]

8737. श्रीमती सुखवंश कौर :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रणजीत सागर बांध के निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ख) इस पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) इस बांध पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) रणजीत सागर बांध को वर्ष 1995-96 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) परियोजना पर फरवरी, 1990 तक 545 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत दिसम्बर, 1988 के मूल्य स्तर के अनुसार 1275.32 करोड़ रुपये है।

**छोटी और मिनी पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी**

8738. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी छोटी और मिनी पनबिजली परियोजनाएं वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के पास विचारार्थ पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम अथवा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग के पास किसी भी लघु तथा मिनी जल विद्युत परियोजना हेतु वित्तीय सहायता मंजूरी के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**कुडप्पा हवाई अड्डे के लिए वायुयान सेवा**

8739. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुडप्पा हवाई अड्डे में विमान पट्टी के विस्तार के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस हवाई अड्डे के लिए वायुयान सेवा बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में वायुयान सेवा पुन: आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) कुडप्पा हवाई अड्डे के मौजूदा धावनपथ का विस्तार करने की राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है।

(ख) विमानों की कमी के कारण कुडप्पा को वायुदूत की सेवाएं बन्द कर दी गई हैं।

(ग) और (घ) इस समय वायुदूत के पास विमान क्षमता की कमी के कारण कुडप्पा के लिए पुन: सेवा आरम्भ करना सम्भव नहीं है।

**औषधों के संशोधित मूल्यों को कार्यान्वित करना**

8740. श्री बी० एन० रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषध कम्पनियों ने सरकार द्वारा निर्धारित संशोधित मूल्यों को कार्यान्वित (लागू) नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) हाल ही में मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत लाई गई 21 प्रपुंज औषधों पर आधारित सूत्रयोगों की निर्धारित की गई कीमतों को नौ (9) औषध कम्पनियों ने पहले ही कार्यान्वित कर दिया है। इसके अतिरिक्त रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग ने सभी सम्बन्धित राज्य औषध नियन्त्रकों को तार से सूचना भेजकर सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा निर्धारित कीमतों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और आवश्यक अनुपालन रिपोर्ट भेजने को कहा है।

**पूना से कलकत्ता के लिए रेलगाड़ी**

8741. श्री बी० एन० गाडगिल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता ने पूना से कलकत्ता के लिए सीधी रेलगाड़ी चलाने की भारी मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी कब से चलाई जायेगी ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है ?

**भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से वायुदूत सेवा**

8743. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :

डा० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हमीरगढ़ एयर-स्ट्रीप में पर्याप्त आधारभूत ढांचे

और प्रतीक्षा लॉज के लिए टर्मिनल भवन समेत आधुनिक "लैंडिंग ग्राउंड" सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच वायुदूत सेवा आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) भीलवाड़ा जिले में हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर 4180 फुट×100 फुट का एक कंक्रीट का धावनपथ है और एक छोटा टर्मिनल भवन है जो डोर्नियर—228 विमानों के परिचालन के लिए उपयुक्त है। हवाई पट्टी का निर्माण राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।

(ख) और (ग) वायुदूत को भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को अपनी सेवा से जोड़ने की इस समय कोई योजना नहीं है।

## पंजाब में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

[हिन्दी]

8744. स० अतिन्द्रपाल सिंह :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का पंजाब में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) तेल रिफाइनरी के लिए स्थान सम्बन्धी निर्णय विभिन्न तकनीकी-आर्थिक विचारों के आधार पर लिया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ उस क्षेत्र में कच्चे तेल की उपलब्धता, उत्पादों का लाभ उठाने वाले उन क्षेत्रों में मांग/पूर्ति का संतुलन आदि शामिल होते हैं। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय पंजाब में तेल रिफाइनरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## हरिहरनाथ एक्सप्रेस को आगे तक चलाना

8745. श्री रमेन्द्र कुमार यादव रवि :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मधेपुरा जिले के लोगों को पर्याप्त रेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हरिहरनाथ एक्सप्रेस को बनमनखी से सोनपुर तक बरास्ता मधेपुरा, सहरसा चलाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) मधेपुरा जिला के स्टेशनों पर उपलब्ध सेवाएं यातायात के मौजूदा स्तर को सम्हालने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**प्रतापगढ़, राजस्थान में खाना पकाने की गैस एजेंसी**

8746. श्री नन्दलाल मीणा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान के किन-किन शहरों में खाना पकाने की गैस सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील में गैस एजेंसियों के आबंटन हेतु दिसम्बर, 1989 में आवेदन पत्र मांगे गए थे; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) प्रतापगढ़ में एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए विज्ञापन अक्तूबर, 1989 में दिया गया है। इस विज्ञापन के प्रति प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित तेल कम्पनी द्वारा साक्षात्कार तथा वितरक के चयन हेतु तेल चयन बोर्ड (उत्तर) को भेज दिया गया है।

**विवरण**

राजस्थान के उन शहरों के नाम जहां रसोई गैस की सप्लाई की जा रही है :

| क्र० सं० | स्थान | जिला |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आबू रोड | सिरोही |
| 2. | अजमेर | अजमेर |
| 3. | अलवर | अलवर |
| 4. | बलोत्रा | बाड़मेर |
| 5. | बाड़मेर | बाड़मेर |
| 6. | बंसवाड़ा | बाड़मेर |
| 7. | बगान | बाड़मेर |
| 8. | बेवर | अजमेर |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 9. | भरतपुर | भरतपुर |
| 10. | भीलवाड़ा | भीलवाड़ा |
| 11. | बीकानेर | बीकानेर |
| 12. | बिलारा | जोधपुर |
| 13. | बयाना | भरतपुर |
| 14. | बाड़ी | धौलपुर |
| 15. | बून्दी | बून्दी |
| 16. | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ |
| 17. | चौमू | जयपुर |
| 18. | चुरु | चुरु |
| 19. | दरीबा माइन्स | उदयपुर |
| 20. | दौसा | जयपुर |
| 21. | धौलपुर | धौलपुर |
| 22. | डूंगरपुर | डूंगरपुर |
| 23. | दियोग | भरतपुर |
| 24. | गंगापुर | संवाईमाधोपुर |
| 25. | हनुमानगढ़ | श्रीगंगानगर |
| 26. | हिन्डोन | संवाईमाधोपुर |
| 27. | जयपुर | जयपुर |
| 28. | जैसलमेर | जैसलमेर |
| 29. | झुनझुनू/पिलाई | झुनझुनू |
| 30. | जोधपुर | जोधपुर |
| 31. | झालारापटनम | झालावाड़ |
| 32. | झालावाड़ | झालावाड़ |
| 33. | करौली | संवाईमाधोपुर |
| 34. | केत्रीनगर | झुनझुनू |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 35. | कोटा | कोटा |
| 36. | कूचामन | नागौर |
| 37. | लक्ष्मणगढ़ | सीकर |
| 38. | एम० पाली | पाली |
| 39. | मकराना | नागौर |
| 40. | माउण्ट आबू | सीरोही |
| 41. | नागौर | नागौर |
| 42. | नीम का थाना | सीकर |
| 43. | नसीराबाद | अजमेर |
| 44. | नवलगढ़ | झुनझुनू |
| 45. | नोखा | बीकानेर |
| 46. | नीमबहेड़ा | चित्तौड़गढ़ |
| 47. | फलौदी | जोधपुर |
| 48. | राजसमंद | उदयपुर |
| 49. | राजगढ़ | अलवर |
| 50. | रतनगढ़ | सीकर |
| 51. | रावतसर | श्रीगंगानगर |
| 52. | रामगढ़ | सीकर |
| 53. | रावतभटा | चित्तौड़गढ़ |
| 54. | संवाईमाधोपुर | संवाईमाधोपुर |
| 55. | श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर |
| 56. | सोजत | पाली |
| 57. | सुजानगढ़ | चुरु |
| 58. | सीरोही | सीरोही |
| 59. | सूरतगढ़ | श्रीगंगानगर |
| 60. | सरदार साहर | चुरु |
| 61. | टोंक | टोंक |
| 62. | उदयपुर | उदयपुर |
| 63. | जावर | |

## पान के पत्तों की ढुलाई

[अनुवाद]

8747. श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल को पान के पत्तों की ढुलाई पर लगे माल भाड़े से वर्ष-वार कुल कितनी आय हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल से कितना भाड़ा एकत्रित किया गया है; और

(ग) गत वर्ष इस राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर कितनी मात्रा में पान के पत्ते बुक किये गये और प्रत्येक स्टेशन से कितनी राशि एकत्रित की गई है ?

रेल संघी (श्री आर्थर फर्नान्डीज) :

| | (1987-88) (हजार रुपयों में) | (1988-89) (हजार रुपयों में) | (1989-90) (हजार रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| (क) पान के पत्तों के यातायात से कुल आमदनी | 10,04,27 | 11,07,67 | 10,98,16 |
| (ख) पश्चिम बंगाल के स्टेशनों से पान पत्तों के यातायात से कुल आमदनी | 7,05,12 | 7,69,63 | 7,61,80 |

(ग) 1989-90 में पश्चिम बंगाल के स्टेशनों से पान के पत्तों के प्रारम्भिक यातायात की मात्रा तथा आमदनी का ब्यौरा ।

| स्टेशन | वजन (टन में) | आमदनी (हजार में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| हवड़ा | 21,058 | 10,992 |
| सियालदह | 37,016 | 19,322 |
| कृष्णा नगर (सिटी) | 7,800 | 4,321 |
| श्रीरामपुर | 3,600 | 1,879 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| बर्द्धमान | 3,600 | 1,879 |
| माल्दा टाउन | 2,880 | 1,503 |
| आसनसोल | 210 | 168 |
| बेगमपुर | 180 | 93 |
| बरूईपाड़ा | 75 | 39 |
| दुर्गापुर | 3 | 1 |
| उलुबड़िया | 966 | 437 |
| बागनान | 1,878 | 1,407 |
| मेचदा | 14,906 | 14,873 |
| खड़गपुर | 6,577 | 6,042 |
| पांसकुड़ा | 5,484 | 4,015 |
| हावड़ा | 11,660 | 9,225 |

**राज्य विद्युत बोर्डों की ओर बकाया धनराशि**

8748. **श्री वाई० एस० महाजन :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विद्युत बोर्डों की ओर कोल इंडिया लिमिटेड की कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) यह धनराशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या भुगतान न की गई धनराशि पर राज्य विद्युत बोर्ड उचित ब्याज देते हैं ?

**ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) :** (क) दिनांक 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार विभिन्न विद्युत बोर्डों/विद्युत उपादानों से कोल इंडिया लि० को देय बकाया राशि 1876.60 करोड़ रु० की है जिसमें 715.08 करोड़ रु० की विवादाग्रस्त राशि शामिल है।

(ख) इस बकाया राशि का परिशोधन किए जाने संबंधी किए गए/किए जा रहे प्रयासों में निम्न प्रयास शामिल हैं :—

(I) को०इं०लि० और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों (रा०वि०बो०) से बकाया राशि की अदायगी सम्बन्धी अनुवर्ती कार्रवाई नियमित रूप से की जाती है।

(II) आगामी आपूर्ति को पूरा किए जाने के लिए रा०वि०बो० को कोयला कंपनियों के नाम साख-पत्र (लैटर आफ क्रेडिट) प्रदान करने की सलाह दी गई थी। किन्तु रा०वि०बो० का अब तक इस सम्बन्ध में नाकारात्मक रवैया रहा है। अतः दिनांक 1-4-1990 से ऐसे रा०वि०बो०, जिन पर बकाया राशि देय है, के लिए दो महीने के बिल के बराबर

अग्रिम अदायगी के एवज में कोयले की संयोजित आपूर्ति करने की एक योजना शुरू की है। रा०वि०बो० द्वारा इन प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर, कोयला कंपनियों को उक्त रा०वि०बो० के विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति को कम किए जाने अथवा रोक लगाए जाने के संबंध में निर्णय लेने की छूट होगी।

(ग) इस समझौते के अनुसार रा०वि०बो०/विद्युत उपादानों को देर से अदा किए गए बिलों पर ब्याज की अदायगी करनी होगी, किन्तु रा०वि०बो० आमतौर पर ब्याज की अदायगी नहीं कर रहे हैं।

**हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्मित फिल्मों की उपलब्धता**

8749. **श्री ई० एस० एम० पाकीर मोहम्मद :**

**श्री आर० मुथिया :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 अप्रैल, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में फोटोफिल्म्स के बारे में सरकार की नीति के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग लि० देश में फोटो पेपर, सिनेमा फिल्मों और औद्योगिक एक्स-रे फिल्मों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं; यदि नहीं, तो इनमें से कितनी वस्तुएं "ओ० जी० एल०" सूची में हैं;

(ग) क्या एक्स-रे फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनु० कम्पनी लि० द्वारा निर्मित फिल्मों के घटिया किस्म के होने, इनके कम मात्रा में होने और इनके मूल्य के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड अपने समेकित उत्पादन कार्यक्रम द्वारा श्वेत-श्याम श्रेणी की फोटोग्राफ सामग्री की मांग को आंशिक रूप से पूरा कर रही है। सिने-कलर पॉजिटिव, एक्स-रे फिल्म्स, ग्राफिक आर्ट फिल्म्स कलर-पेपर आदि जैसे उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए कम्पनी आयातित जम्बो रोल्ज हेतु रूपान्तरण अधिगृहीत कर रही है। फिलहाल, कम्पनी पोलिएस्टर आधारित मेडिकल एक्स-रे, औद्योगिक एक्स-रे एवं ग्राफिक आर्ट फिल्म के समेकित उत्पादन के लिए सुविधाएं जुटा रही है। सभी रूपान्तरित उत्पादों के जम्बो-रोल्ज फिलहाल ओ० जी० एल० के अधीन हैं।

(ग) और (घ) चार तरह के एक्स-रे फिल्म्स का स्थानान्तरण, जिनका उत्पादन हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा किया जा रहा है, मौजूदा आयात नीति के अन्तर्गत, ओ०जी०एल० से "सीमित अनुमत मदों" की सूची में कर दिया गया है।

(ङ) और (च) फिल्मों की गुणवत्ता तथा कमी के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं। जब भी शिकायतें मिलती हैं, उनकी छानबीन की जाती है तथा या तो सामग्री को बदलने के लिए अथवा उपभोक्ताओं को सामग्री का ठीक से उपयोग करने का ढंग बताने के लिए उपचारी उपाय किये जाते हैं। कम्पनी के पास एक स्पष्ट गुणवत्ता सम्बन्धी आश्वासन कार्यक्रम है। किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए कम्पनी ने एक अच्छे स्तर की सूची भी बना रखी है।

जहां तक मूल्यों का संबंध है, वे ब्यूरो ऑफ इण्डस्ट्रियल कॉस्ट्स एण्ड प्राइसिस द्वारा निर्धारित फार्मूले द्वारा निर्देशित होते हैं।

**अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में गिरावट**

8750. श्री शान्ताराम पोटदुखे :

डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में गिरावट आई है;

(ख) अधिकतम मूल्य लाभ प्राप्त करने हेतु इस समय सरकार की तेल आयात नीति क्या है;

(ग) क्या सरकार इस समय बाजार में गिरते हुए मूल्यों के संदर्भ में कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का बाजार में मौके पर जाकर खरीद करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कच्चे तेल आदि की कितनी मात्रा की खरीद की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां। कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार अत्यधिक अस्थिर होता है और मौसममत उतार-चढ़ावों पर निर्भर करता है। हाल की कीमत में गिरावट आना एक अल्पकालिक घटना हो सकती है।

(ख) से (घ) कच्चे तेल का आयात उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ की गई आवधिक संविदा के अधीन और स्पाट बाजार में खरीद के जरिए किया जाता है। अपनी आवधिक संविदाओं के अधीन भी कीमतें अब बाजार सापेक्ष होती हैं, अर्थात् ये कच्चे तेल की स्पाट बाजार की दरों से जुड़े सूत्र के अनुसार निर्धारित होती है। अत: अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में मूल्य के गिरने से अपनी आवधिक संविदा के अधीन माल उठाने से होने वाले लाभ स्वत: हमें ही मिलते हैं। प्रतिमास खरीदी जाने वाली कच्चे तेल की मात्रा प्रत्याशित शोधन की आवश्यकताओं, कच्चे तेल की अपनी इंवेंट्री धारण की क्षमता और आवधिक संविदाओं के अधीन की गई उठानों पर निर्भर करती है। स्पाट खरीदारी आवधिक खरीदारी के उपरांत शेष रही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार की जाती है। फिलहाल, सीमित इंवेंट्री धारण क्षमता के कारण स्पाट बाजार में अतिरिक्त मात्रा की खरीदारी नहीं की जा रही है।

**दक्षिण—मध्य रेलवे में नई रेल गाड़ियां चलाना**

8751. श्री रामकृष्ण कोंताला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे में कुछ नई रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी में प्रत्येक संशोधन के समय इसमें नई गाड़ियां शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) मई 1990 की समय सारणी से दक्षिण-मध्य रेलवे पर निम्नलिखित गाड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई गयी हैं :—

1. जम्मू—तवी—मंगलौर/तिरुचिरापल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस (बरास्ता विजयवाड़ा, काजीपेट आदि)

2. गुंटूर और माचेर्ला के बीच दो जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां।

3. गुंटूर और सत्तनपल्ली के बीच दो जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां।

4. माचेर्ला और नडिकुडे के बीच एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ी।

5. तिरुपति—काकीनाडा तिरुमला एक्सप्रेस का विशाखापट्टनम से/तक विस्तार।

6. ओंगोल—विजयवाड़ा पैसेंजर गाड़ी का एलूरु तक विस्तार।

7. सिकंदराबाद—नडिकुडे पैसेंजर गाड़ी का गुंटूर तक विस्तार।

उपर्युक्त के अतिरिक्त 18-6-90 से मिरज के रास्ते दिल्ली और वास्को-डिगामा के बीच एक नई सुपर फास्ट बड़ी लाइन एवं मीटर लाइन सेवा चालू की जा रही है।

**एयरबस-ए-320 की खरीद**

8752. श्री यशवेन्द्र दत्त :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरबस ए-320 की खरीद से सम्बन्धित फाइल संख्या ए०वी० 18018/14/84-ए सी प्राप्य नहीं है तथा गुम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो फाइल को खोजने के लिए तथा इसके गुम होने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को दंडित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) क्या गुम हुई फाइल के अन्तर-विषयों को अन्य फाइलों से तैयार कर लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) फाइल का पता लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) फाइल के पत्राचार भाग का कुछ हिस्सा अन्य रिकार्ड से प्राप्त कर लिया गया है।

## विद्युत सर्वेक्षण समिति

8753. श्री गंगाचरण लोधी :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए बिजली की मांग के अनुमान की पुनरीक्षा करने हेतु गठित चौदहवीं विद्युत सर्वेक्षण समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) जी, नहीं, चौदहवीं विद्युत सर्वेक्षण समिति 13 फरवरी, 1989 को गठित की गई थी और यह अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1990 तक प्रस्तुत करेगी।

## भड़ौच गुजरात में रसोई गैस एजेंसी

[हिन्दी]

8754. श्री चन्दूभाई देशमुख :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के भड़ौच जिले में रसोई गैस की कितनी एजेंसियां हैं;

(ख) इस जिले की किन-किन तहसीलों मे एक भी रसोई गैस एजेंसी नहीं है;

(ग) क्या सरकार का विचार वहां पर रसोई गैस एजेंसियां आवंटित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) 1-4-1990 को गुजरात के भड़ौच जिले में 11 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्यरत थीं।

(ख) इस जिले की निम्नलिखित तहसीलों में एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें नहीं हैं;

आमोद, देदियापाड़ा, हंसोट, झगादिया, सागबाड़ा, वालिया और वागरा।

(ग) तेल कम्पनियों ने अभी तक उपर्युक्त तहसीलों में डिस्ट्रीब्यूटरशिपें देने की कोई योजना नहीं बनाई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों के कोटे से रसोई गैस के कनेक्शन

[अनुवाद]

8755. श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों की सिफारिश पर बिना डिपो के रसोई गैस कनेक्शन आवंटित करने की प्रथा को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो गत छह महीनों के दौरान ऐसे कितने कनेक्शन जारी किये गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत 6 महीनों के दौरान संसद सदस्यों की सिफारिश पर प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित एल०पी०जी० कनेक्शन जारी किए गए हैं :

| माह | कनेक्शनों की संख्या |
|---|---|
| नवम्बर, 1989 | 1348 |
| दिसम्बर, 1989 | 952 |
| जनवरी, 1990 | 606 |
| फरवरी, 1990 | 1141 |
| मार्च, 1990 | 1596 |
| अप्रैल, 1990 | 1779 (अस्थायी) |

दक्षिण पूर्व रेलवे में नये रेलवे स्टेशन भवनों और अन्य यात्री जन सुविधाओं की व्यवस्था

8756. श्री अनादि चरण दास :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में बहुत ही पुराने रेलवे स्टेशन भवनों के स्थान पर नये रेलवे स्टेशन भवनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या नये भवनों में यात्रियों के लिए पेयजल खान-पान/विश्रामालय आदि जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी;

(ग) क्या इस मामले पर विभिन्न जोनल रेलवे प्रयोक्ता समितियों, आदि के साथ विचार किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, प्रत्येक स्टेशन पर संभाले जाने वाले यातायात के स्तर के आधार पर।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**काचीगुडा—मनमाड लाइन को बड़ी लाइन में बदलना**

[हिन्दी]

8757. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काचीगुडा—मनमाड मीटर लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने के प्रथम चरण के कार्य को पूरा करने के लिए कितनी धन-राशि की आवश्यकता है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान इसके लिए कितनी धन-राशि नियत की गई है;

(ग) क्या सरकार का इस कार्य को पूरा करने के लिए इस धन-राशि के पर्याप्त न होने पर इसे बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए मीटर लाइन के केवल निम्नलिखित खंडों को स्वीकृत किया गया है। 1990-91 में स्वीकृत आबंटन प्रत्येक के सामने दिया गया है : —

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

| नाम | लंबाई कि०मी० | अनुमानित लागत | परिव्यय 1990-91 |
|---|---|---|---|
| 1. मनमाड—परभनी—परली वैजनाथ आमान परिवर्तन | 354 | 140.00 | 14.00 |
| 2. परभनी—पुरना और मुडखेड आदिलाबाद आमान परिवर्तन | 218 | 107.42 | 9.50 |

(ग) और (घ) संसाधनों की तंगी के कारण किए गये आबंटन को बढ़ाना कठिन होगा।

**अहमदाबाद, गुजरात में रसोई गैस एजेंसियां**

8758. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के अहमदाबाद जिले में रसोई गैस एजेंसियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक ऐसी एजेंसी के पास खाना पकाने वाली गैस के कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची में कुल कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी व्यक्तियों को कब तक रसोई गैस के कनेक्शन दे दिए जाएंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) 1.4.1990 को गुजरात के अहमदाबाद जिले में 57 एल०पी०जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्य कर रही थीं।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) देश भर में नए एल०पी०जी० के कनेक्शन चरणबद्ध रूप में अधिकतम सीमा से कम पर कार्य कर रहे वितरकों के माध्यम से दिए जाते हैं बशर्ते कि उत्पाद, उपस्कर और सुविधाएं उपलब्ध हों। अतः प्रतीक्षा सूची को निपटाये जाने के सम्बन्ध में लगने वाले समय के बारे में कुछ भी बताना सम्भव नहीं है।

विवरण

गुजरात के अहमदाबाद जिले में प्रत्येक एजेंसी की एल०पी०जी० कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची पर रखे लोगों की संख्या

| क्रम सं० | वितरक का नाम | प्रतीक्षा सूची |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | मैसर्स एकता गैस | 6518 |
| 2. | मैसर्स ए०के० गैस | 591 |
| 3. | मैसर्स अपना गैस | 3075 |
| 4. | मैसर्स ए०आर०ए० कं० | 7895 |
| 5. | मैसर्स ए०जी० गैस | 2315 |
| 6. | मैसर्स अम्बिका गैस | 4170 |
| 7. | मैसर्स बी०एम० गैस | 2470 |
| 8. | मैसर्स ब्राइट गैस | 84 |
| 9. | मैसर्स करोल गैस | 9077 |
| 10. | मैसर्स गायत्री गैस | 431 |
| 11. | मैसर्स गोरी गैस | 910 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 12. | मैसर्स जी०एस०सी०एस०सी० | 279 |
| 13. | मैसर्स हरीश गैस | 775 |
| 14. | मैसर्स एच०एस० गैस | 801 |
| 15. | मैसर्स किरती गैस | 1579 |
| 16. | मैसर्स पोरवी गैस | 974 |
| 17. | मैसर्स राजमीन गैस | 38 |
| 18. | मैसर्स रासो गैस | 1867 |
| 19. | मैसर्स साबर गैस | 3270 |
| 20. | मैसर्स साहिल गैस | 863 |
| 21. | मैसर्स संतोष गैस | 304 |
| 22. | मैसर्स शक्ति गैस एजेंसी | 2578 |
| 23. | मैसर्स सत्यम गैस | 845 |
| 24. | मैसर्स छत्र छाया | 1697 |
| 25. | मैसर्स सोमन गैस | 978 |
| 26. | मैसर्स सुचिता गैस | 4073 |
| 27. | मैसर्स सुविधा गैस | 7740 |
| 28. | मैसर्स टीला गैस | 2684 |
| 29. | मैसर्स उदय गैस | 4340 |
| 30. | मैसर्स यूनिटी गैस | 385 |
| 31. | मैसर्स उत्कर्ष गैस | 3718 |
| 32. | मैसर्स वन्सुधारा गैस | 6388 |
| 33. | मैसर्स बिहार एंटरप्राईज़ | 2788 |
| 34. | मैसर्स विशाल गैस | 2242 |
| 35. | मैसर्स हरीओदा गैस | — |
| 36. | मैसर्स वैभव गैस, भाविया | 345 |
| 37. | मैसर्स पंचवटी गैस, देहगम | 1312 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 38. | मैसर्स दक्कमिन गैस, सानन्द | 472 |
| 39. | मैसर्स श्री गन्नाथ, ढोकला | 368 |
| 40. | मैसर्स सुविधा गैस | 600 |
| 41. | मैसर्स एम० एम० गैस | 450 |
| 42. | मैसर्स आशीर्वाद गैस | 617 |
| 43. | मैसर्स परमुख गैस | 300 |
| 44. | मैसर्स मल्हर गैस | 4221 |
| 45. | मैसर्स दीप्ति गैस | 4917 |
| 46. | मैसर्स गरीसंस गैस सर्विस | 400 |
| 47 | मैसर्स इन्दक्वीप लिमिटेड | — |
| 48. | मैसर्स नवरंगपुरा गैस सर्विस | 289 |
| 49. | मैसर्स सारसपुर गैस सर्विस | 3670 |
| 50. | मैसर्स जाब गैस सर्विस | 754 |
| 51. | मैसर्स यूनिक गैस सर्विस | 391 |
| 52. | मैसर्स विनय गैस सर्विस | 1097 |
| 53. | मैसर्स शिवशक्ति गैस सर्विस | 100 |
| 54. | मैसर्स शिवम गैस सर्विस | 1288 |
| 55. | मैसर्स श्री गणेश गैस सर्विस | 930 |
| 56. | मैसर्स लोवा गैस एजेंसी | 3000 |
| 57. | विरमगम गैस एजेंसी | 468 |

**उत्तर प्रदेश में विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की सप्लाई**

8759. श्री कल्पनाथ सोनकर :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इन विद्युत संयंत्रों के लिए प्रति महीने कितने कोयले की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या इन संयंत्रों को कायले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इन विद्युत संयंत्रों की आवश्यकता पूरी करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करने के लिए और राज्यों को विद्युत की निर्बाध रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में 20 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता वाले कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की कुल संख्या ग्यारह (11) है। वर्ष 1989-90 के दौरान इन विद्युत संयंत्रों की कोयले की औसतन मासिक मांग 18,79,000 टन आंकी गई थी, इसकी अपेक्षा वास्तविक उपलब्धि 16,51,000 थी। इन विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा लगातार मानीटरिंग की जा रही है।

**जोगबनी—कटिहार रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलना**

8760. श्री सुखदेव पासवान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोगबनी—कटिहार रेलवे सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या उक्त रेलवे सेक्शन की सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस लाइन को कब तक बड़ी लाइन में बदला जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) 107 कि० मी० लम्बे इस खंड के मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए 1984 में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला था कि आमान परिवर्तन की लागत करीब 30 करोड़ रुपये होगी, मौजूदा लागत लगभग 60 करोड़ रुपये होगी, संसाधनों की अत्यधिक तंगी और भारी वचनबद्धताएं हाथ में होने के कारण इस लाइन के आमान परिवर्तन का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

**कलकत्ता से संचालित विदेशी विमान सेवाएं**

[अनुवाद]

8761. श्री सुबसंन राय चौधरी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता विमान पत्तन से संचालित विदेशी विमान सेवाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) कलकत्ता विमान पत्तन पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) इस समय सात विदेशी एयर लाइनें कलकत्ता होकर परिचालन कर रही हैं।

(ख) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने कलकत्ता हवाई अड्डे पर आधार संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करने की दृष्टि से 19.58 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल परिसर के निर्माण का काम शुरू कर दिया है।

**छोटे और बहुत छोटे एककों का विकास**

8762. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

**श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटे और बहुत छोटे एककों के विकास को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो परिप्रेक्ष्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) लघु तथा अति लघु (टिनी) एककों की निम्नलिखित विशेषताओं को देखते हुए अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में उन्हें एक के बाद एक प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में उचित महत्व दिया गया है—(1) पनपने की कम अवधि के भीतर औद्योगिक वस्तुएं बनाना, (2) अपेक्षाकृत कम पूंजीगत लागत से रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन कराना, (3) औद्योगिक कार्यकलापों का प्रसार करना और (4) स्वदेशी उद्यमिता के आधार को बढ़ाना। लघु तथा अति लघु एककों के विकास को बढ़ाने और प्रोत्साहन देने के वास्ते विशेष उपाय किये गये हैं। लघु तथा अति लघु उद्योगों के विकास के लिए चलाये जाने वाले केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों का प्राकृतिक स्वरूप सामान्यतया संवर्धनात्मक होता है और सरकारी क्षेत्र का परिव्यय उत्प्रेरक के रूप में दिया जाता है। लघु, ग्रामीण तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को और अधिक बढ़ावा देने हेतु नीति सम्बन्धी एक प्रधान पहल के रूप में लघु, कृषि और ग्रामीण उद्योगों के लिए एक नया विभाग स्थापित किया गया है। लघु और अति लघु एककों की बहुत पुरानी मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया की स्थापना की है। समय-समय पर उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को देखते हुए लघु तथा अति लघु एककों के संवर्धन तथा विकासार्थ लागू की जा रही नीतियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

**दुलहस्ती पनबिजली परियोजना**

8763. **कुमारी उमा भारती :**

**डा० बंगाली सिंह :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में चेनाब नदी पर दुलहस्ती पनबिजली परियोजना की अनुमानित लागत वर्ष 1980 में 130 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 1986 में बढ़कर 498 करोड़ रुपये हो गई और वर्ष 1989 में 1263 करोड़ रुपये हो गई;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत में इस भारी वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ बाहरी कारणों की वजह से यह परियोजना प्रभावित हुई थी, यदि हां, तो सम्बन्धित तथ्य क्या हैं; और

(घ) विश्व बैंक द्वारा कवास परियोजना के लिए ठीक-ठीक कितनी सहायता राशि दी गई है और इस पर अब तक कितना ब्याज दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) जम्मू एवं कश्मीर स्थित दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना सबसे पहले नवम्बर, 1982 में 183.45 करोड़ रुपये की लागत पर अनुमोदित की गई थी, इस लागत राशि में स्वदेशी क्रियान्वयन जिसकी निर्माणावधि 8 वर्ष थी, के आधार पर मार्च, 1980 के मूल्य स्तर पर निर्माणकालीन ब्याज राशि भी शामिल थी परन्तु करों तथा शुल्कों के कारण मूल्य वृद्धि, आकस्मिक व्यय एवं देयताएं शामिल नहीं थी।

देश में बिजली की भारी कमी, संसाधनिक कठिनाइयों और परियोजना प्रबन्ध की वैज्ञानिक तकनीकों सहित नवीनतम तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए तथा परियोजना को अल्प अवधि में पूरा करने के लिए, परियोजना को विदेशी कन्सोर्टियम के माध्यम से टर्न-की आधार पर क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु प्राप्त दो प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर मैं० सी० जी० ई० ई० अलसथाम (फ्रांस) के नेतृत्व वाली कन्सोर्टियम को, परियोजना को 494.71 करोड़ रुपये के मूल रूप से निर्दिष्ट कीमत (मई, 1986 के विनिमय दर के आधार पर) जिसमें आकस्मिक व्यय, मूल्य वृद्धि, शुल्क एवं कर आदि शामिल नहीं है, पर 57 महीने की अवधि में टर्न-की आधार पर क्रियान्वित किये जाने हेतु इस आशय का एक सशर्त टैलेक्स भेजा गया था। इस समय इस प्रकार के क्रियान्वयन के लिए परियोजना को पूरा करने की लागत 672.92 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था (अप्रैल, 1986 के मूल्य स्तर के अनुसार) इसमें आकस्मिक व्यय एवं मूल्य वृद्धि भी शामिल है। तथापि, इसमें कर एवं शुल्क तथा निर्माण के दौरान ब्याज के कारण पूर्ण दायित्व को शामिल नहीं किया गया है।

कन्सोर्टियम के साथ लम्बे विचार-विमर्श के बावजूद कुछ संविदा सम्बन्धी लम्बित मामलों का संतोषजनक रूप से समाधान नहीं किया जा सका जिसके कारण इस दौरान अन्य कन्सोर्टियम के साथ बातचीत आरम्भ करना आवश्यक हो गया था। विभिन्न लम्बित मामलों को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् दोनों ही कन्सोर्टियम ने अपनी संशोधित लागत के प्रस्ताव अक्तूबर-नवम्बर, 1988 में प्रस्तुत कर दिये थे तथा अन्त में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा ठेका मैसर्स सी० ई० जी० ई० एल० ई० सी० की नेतृत्व वाली (इससे पहले का नाम मैसर्स सी० जी० ई० ई० अलसथाम) कन्सोर्टियम को 823.89 करोड़ रुपये की लागत पर अक्तूबर/नवम्बर, 1988 के अंकित मूल्य स्तर पर दे दिया गया था। लेकिन इसमें आकस्मिक व्यय, आन-शोर वृद्धि, शुल्क एवं कर आदि की राशि शामिल नहीं की गई। संशोधित मूल्य स्तर के अनुसार परियोजना के पूरा होने तक की लागत जिसमें आकस्मिक व्यय, मूल्य वृद्धि, कर, निर्माण के दौरान ब्याज तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की लागत भी शामिल है, 1262.97 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय पैकेज में अनुदान की राशि सहित सभी सम्बन्धित घटकों को ध्यान में रखने के पश्चात् विदेशी कन्सोर्टियम को ठेका दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की तीन गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं अर्थात् अन्ता, औरेया और कवास परियोजनाओं के लिए 485 मिलियन अमेरिकी डालर का विश्व बैंक ऋण सुनि-

स्थित किया जा चुका है। इसमें से 91.4 मिलियन अमरीकी डालर की राशि कवास गैस परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गई है। अनुमानत: 44 मिलियन अमरीकी डालर के प्रारम्भिक अग्रिम का भुगतान हो चुका है और अप्रैल, 1990 के दौरान विश्व बैंक से इसकी मांग की गई है। करार के अनुसार, ऋण पर ब्याज प्रत्येक वर्ष 15 मई और 15 नवम्बर को छमाही आधार पर देय है।

**पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का विज्ञापन**

8764. श्री के० प्रधानी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के 17 अप्रैल के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे उस विज्ञापन की ओर दिलाया गया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि "होस्टेस पोटैटो चीप्स" के ग्राहकों को साइकिलें दी जा रही हैं;

(ख) क्या ऐसे विज्ञापनों के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति लेना आवश्यक होता है;

(ग) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कोई जांच शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाही की गई है/करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ङ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत, विज्ञापन आरंभ करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की अनुमति अपेक्षित नहीं है। तथापि, आयोग को किसी भी अनुचित व्यापार प्रथा में जांच करने की शक्ति प्राप्त है। वर्तमान मामले में, आयोग को प्रश्नाधीन विज्ञापन की जानकारी प्राप्त है और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 36क (3) (ख) लागू करने के लिए इस पर विचार किया है। तदनुसार, आयोग ने एम० आर० टी० पी० आयोग विनियमन, 1974 के विनियम 19 (2) (ग) के अनुसार महानिदेशक (जांच एवं प्रवर्तन) द्वारा इस विषय में जांच करने के लिए 24-4-1990 को आदेश दिए हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को एक न्यायिक कल्प निकाय होने के नाते एम० आर० टी० पी० अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं।

**आई० डी० पी० एल० में वेतन समझौते पर निर्णय**

8765. श्री वसुदेव आचार्य :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना उच्च न्यायालय ने आई० डी० पी० एल० प्रबन्ध द्वारा वेतन समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने के विरुद्ध फैडरेशन ऑफ मेडिकल एण्ड सेल्स रिप्रजेन्टेटिव्ज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पक्ष में निर्णय दिया था तथा निर्णय की तिथि से दो माह के अन्दर सभी बकाया राशियों का भुगतान

करने के आदेश दिये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने उक्त निर्णय का अनुपालन किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मजमन बेहेरा) : (क) जी, हां।

(ख) आई० डी० पी० एल० का प्रबन्धकवर्ग पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने जा रहा है।

## बिहार में रसोई गैस एजेंसियां

[हिन्दी]

8766. श्री जनार्दन यादव :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक जिलावार रसोई गैस की कितनी एजेंसियां आवंटित की गई हैं;

(ख) क्या बिहार के गोड्डा और बांका जिलों में ऐसी एजेंसी नहीं हैं; और

(ग) क्या सरकार का इन जिलों में रसोई गैस की एजेंसियां खोलने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) बिहार के गोड्डा जिले और भागलपुर जिले में बांका में इस समय एल० पी० जी० की कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं है। इन स्थानों पर एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भी नहीं है।

### विवरण

बिहार में अब तक जिलेवार आवंटित खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

| क्र० सं० | जिले का नाम | एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | औरंगाबाद | 1 |
| 2. | आरा | 3 |
| 3. | अररिया | 2 |
| 4. | बेगुसराय | 2 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | भागलपुर | 3 |
| 6. | छपरा | 2 |
| . | दियोघर | 2 |
| 8. | दरभंगा | 2 |
| 9. | धनबाद | 14 |
| 10. | डेल्टानगंज | 1 |
| 11. | गया | 4 |
| 12. | गिरडीह | 2 |
| 13. | गोपालगंज | 1 |
| 14. | हजारीबाग | 6 |
| 15. | हाजीपुर | 1 |
| 16. | जहानाबाद | 2 |
| 17. | कटिहार | 3 |
| 18. | खगारिया | 1 |
| 19. | मधेपुरा | 1 |
| 20. | मुजफ्फरपुर | 3 |
| 21. | मुंगेर | 4 |
| 22. | मधुबनी | 1 |
| 23. | नालन्दा | 3 |
| 24. | नवादा | 1 |
| 25. | पटना | 27 |
| 26. | पुरनिया | 2 |
| 27. | पुरवा | 1 |
| 28. | पश्चिम चम्पारन | 3 |
| 29. | पूर्वी चम्पारन | 2 |
| 30. | रांची | 16 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 31. | सोहार डागा | 1 |
| 32. | सुसला | 1 |
| 33. | रोहतास | 2 |
| 34. | सिंगभूम (पूर्वी) | 9 |
| 35. | सिंगभूम (पश्चिम) | 3 |
| 36. | समस्तीपुर | 7 |
| 37. | सन्तल परगना | 1 |
| 38. | सिवान | 1 |
| 39. | सोहरसा | 2 |
| 40. | सीतामढ़ी | 1 |
| 41. | साहिबगंज | 1 |
| | जोड़ : | 140 |

बम्बई और नागपुर के बीच विदर्भ एक्सप्रेस

[अनुवाद]

8767. श्री माउसाहेब पुंडलिक फुंडकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों द्वारा विदर्भ एक्सप्रेस रेलगाड़ी को बम्बई और नागपुर के बीच प्रति दिन चलाने की जोरदार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस रेलगाड़ी को रोज चलाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**अलाभकर शाखा रेल लाइनें**

8768. श्री गिरधर गोमांगो :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाभकर शाखा रेल लाइन संबंधी समिति ने कुछ अलाभकर शाखा रेल लाइनों को समाप्त करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो उन रेल लाइनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस रिपोर्ट की जांच की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां, अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969 ने सिफारिश की थी कि निम्नलिखित लाइनें कोई उपयोगी उद्देश्य को पूर्ति नहीं करती हैं और ये बन्द की जा सकती हैं।

1. जोरहाट—नियामती
2. लातागुड़ी—रामशाई
3. कुंकावाव—देरड़ी
4. धाम—चोटिला
5. हडमडिया—जोडिया
6. मदुरै—बोदिनायककनूर
7. वालाजाह रोड—रानीपेंट्टै

(ग) और (घ) 1983 में रेलवे सुधार समिति द्वारा पुनः समीक्षा की गयी थी और धाम—चोटिला, हडमडिया—जोडिया और कुंकावाव—देरड़ी लाइनों को बन्द कर दिया गया है। मरियानी—जोरहाट—नियामती खंड के जोरहाट—नियामती भाग को यातायात उपलब्ध न होने और रेल लाइनों के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण रद्द कर दिया गया है।

**खान-पान स्टालों का आवंटन**

8769. श्री रमेश चेन्नीथाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर खान-पान स्टालों के आवंटन के लिए अपनाये जाने वाले सुस्थापित मानदण्ड क्या-क्या है;

(ख) क्या कोई निश्चित अवधि है जिसके लिए लाइसेंस दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) क्षेत्रीय रेलों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद खान-पान/बेडिंग ठेकों का आवंटन किया जाता है। मुख्य शर्तें हैं कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के पास पर्याप्त अनुभव, यूनिट को चलाने का सामान्य सामर्थ्य, ठोस वित्तीय स्थिति और अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए। 1/2 यूनिटों के छोटे ठेके केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) इन ठेकों का सामान्य कार्यकाल पांच वर्षों का है।

**भुज और नलिया के बीच रेल लाइन**

8770. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कच्छ जिले में भुज और नलिया के बीच रेल लाइन बिछा दी गई है;

(ख) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) क्या गाड़ियां चलाने के लिए इस रेल-पथ की जांच कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इस लाइन पर जांच के तौर पर कब गाड़ी चलाई गई थी; और

(ङ) इस रेल-पथ पर कब गाड़ियां चलनी आरम्भ हो जाएंगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 35.9 करोड़ रुपये।

(ग) और (घ) जी हां। 25-10-89 को परीक्षण किया गया था।

(ङ) इस लाइन पर लगभग दो महीने बाद प्रायोगिक आधार पर एक दैनिक मिली-जुली गाड़ी चलाये जाने का प्रस्ताव है।

**बौद्ध धार्मिक स्थलों को रेल सेवा से जोड़ना**

[हिन्दी]

8771. **श्री ईश्वर चौधरी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय राजगीर, बोधगया, गोरखपुर, गोंडा, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी वर्षावास और श्रावस्ती जैसे बौद्ध धार्मिक स्थलों के लिए कोई सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजगीर, बोधगया, सारनाथ, गोरखपुर, कुशीनगर और गोंडा—श्रावस्ती के लिए नई रेल लाइन मंजूर करने और गया—पटना और गया—क्यूल रेल लाइनों को दोहरी करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ? और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) नालन्दा, राजगीर, गोरखपुर, गोंडा, सारनाथ रेल से जुड़े हुए हैं। अन्य स्टेशन रेल द्वारा नहीं जुड़े हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) बख्तियारपुर—राजगीर लाइन को बोधगया तक बढ़ाने, देवरिया—पडरोना संपर्क, सहजनवां—बलरामपुर—आवस्ती नयी लाइनों तथा पटना—गया और गया—कयूल खंडों में दोहरी लाइन बिछाने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। संसाधनों की तंगी के कारण उपर्युक्त कार्यों को शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

### अगरतला को रेल सुविधा से जोड़ना

[अनुवाद]

8772. श्री के० बी० के० देव वर्मन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा की राजधानी होने के नाते, अगरतला को देश के रेल मानचित्र में उच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो 1990-91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत, इसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) अगरतला तक रेलवे लाइन के विस्तार के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया है।

(ख) इस सर्वेक्षण के लिए 1990-91 के दौरान 18 लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी है।

### मनमड और औरंगाबाद के बीच बड़ी रेल लाइन

8773. श्री मोरेश्वर साबे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनमड और औरंगाबाद के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने में अब तक क्या प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है तथा इस पर रेल यातायात कब से चालू हो जायेगा;

(ख) क्या इस लाइन को बिछाने का काम विभिन्न चरणों में पूरा करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसका निर्माण कार्य पूरा होने के लिए क्या

समय सीमा निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) मनमाड—औरंगाबाद 114 किलोमी० लम्बा खण्ड मनमाड - परभनी परली बैजनाथ आमान परिवर्तन परियोजना का एक भाग है। 31 मार्च, 1990 तक इस खंड पर 62 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। इस कार्य का समापन आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) इस परियोजना के चरण-I के रूप में मनमाड—औरंगाबाद लाइन को शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) शेष खंड को चरण-II के रूप में शुरू किया जायेगा और इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**उड़ीसा में नये स्थानों को विमान सेवा से जोड़ना**

8774. श्री डी० अमात :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में कितने नये स्थानों को चालू वर्ष के दौरान विमान सेवा से जोड़ने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में किसी नए स्थान को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

**पंजाब में रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों का आबंटन**

8775. श्री कृपाल सिंह :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया है;

(ख) इनमें से अब तक जिलावार कितने आवेदकों को एजेंसियां आबंटित की गई है;

(ग) इन एजेंसियों के आबंटन में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(घ) क्या सरकार के पास भूतपूर्व सैनिकों तथा स्वतंत्रता सैनानियों के कुछ मामले लम्बित पड़े हैं;

(ङ) क्या इन एजेंसियों के आबंटन के लिए दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में 1984 के दंगापीड़ितों पर भी विचार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान 8 एस० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 21 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) डीलरशिपें विज्ञापित की गई थी जिनके जवाब में क्रमशः 4 4 और 1431 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) उपर्युक्त में से अब तक निम्नलिखित स्थानों पर एक एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 7 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आवंटित की गई हैं :—

एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप

1. कपूरथला, जिला कपूरथला

खुदरा बिक्री केन्द्र

1. रोपड़, जिला रोपड़
2. कामियाना, जिला —फरीदकोट
3. बाबली, जिला —अमृतसर
4. पटियाला, जिला—पटियाला
5. अनिवाला, जिला —फिरोजपुर
6. पालीक्लिकाई अड्डा, जिला—जालंधर
7. सहोरां, जिला—रोपड़

(ग) विपणन करने वाली तेल कम्पनियां सम्बन्धित तेल चयन बोर्ड से प्राप्त हुई सिफारिशों के आधार पर पेट्रोल/डीजल के डीलरों, एल० पी० जी० वितरकों की नियुक्ति करती हैं। आय, शैक्षिक अर्हताओं, निवास, श्रेणी, आयु आदि संबंधी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों का चयन करते समय तेल चयन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जाता है :—

1. व्यक्तित्व
2. व्यावसायिक योग्यता/सेल्समैनशिप
3. वित्त का प्रबन्ध करने की क्षमता और सुविधाएं मुहैया कराने की क्षमता
4. हर समय एक डीलर के रूप में कार्य करने की तत्परता और
5. सामान्य आकलन और पाठ्येत्तर गतिविधियां।

(घ) लुधियाना में स्वतंत्रता सैनानियों की श्रेणी के अन्तर्गत एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रस्तुत्तर में प्राप्त हुए आवेदन-पत्र तेल चयन बोर्ड (उत्तर) के विचाराधीन है।

(ङ) और (च) प्रचलित नीति निर्देशों के अनुसार 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है, तथापि, यदि वे पात्र हों तो विभिन्न मौजूदा श्रेणियों के अन्तर्गत डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।

## उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लिए बिजली सप्लाई

[हिन्दी]

8776. श्री जनार्दन तिवारी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले को कितनी बिजली की सप्लाई की जा रही है;

(ख) इसकी तुलना में बिहार के निकटवर्ती सीवान जिले को विद्युत की कम अथवा अधिक सप्लाई की जा रही है; और

(ग) विद्युत की सप्लाई में अन्तर होने के क्या कारण हैं और इसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश (जिला आजमगढ़ सहित), उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड का एक अंग है जबकि बिहार (जिला सीवान सहित) पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड का अंग है। प्रत्येक क्षेत्र के केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से सम्बन्धित ग्रिडों को बिजली सप्लाई की जाती है। केन्द्रीय केन्द्रों से पूरे राज्य के लिए विद्युत आवंटित की जाती है, न कि जिले-वार। केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से 1989-90 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी क्षेत्र में बिहार को उनके हक की विद्युत तथा वास्तव में प्राप्त हुई विद्युत का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

(सभी आंकड़े मि०यू० में)

| वर्ष 89-90 के दौरान केन्द्रीय केन्द्रों से विद्युत की सप्लाई | उत्तर प्रदेश | बिहार |
|---|---|---|
| हक के हिस्से की विद्युत | 6716 | 1053 |
| वास्तव में प्राप्त की गई विद्युत | 7227 | 1741* |

**पुरी से मद्रास के बीच रेल सेवा**

[अनुवाद]

8777. **श्री बालगोपाल मिश्र :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुरी से मद्रास के बीच रेल सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

* इसमें उत्तरी क्षेत्र की सहायता भी शामिल है।

### बयाना—दुंडला रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

8778. श्री बाऊ दयाल जोशी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बयाना—दुंडला रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस परियोजना पर अनुमानत: कितनी धन-राशि खर्च होगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मार्च, 1990 में पहले ही पूरा हो चुका है।

(ग) 23.02 करोड़ रुपये।

### भोपाल डिवीजन में रेल पास जारी करना

[अनुवाद]

8779. श्री राघवजी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके रेल मंत्रालय द्वारा प्रथम श्रेणी के रेलवे पास किस आधार पर जारी किये जाते हैं;

(ख) 28 फरवरी, 1990 को मध्य प्रदेश के भोपाल डिवीजन में प्रथम श्रेणी की यात्रा के पास धारकों के नाम क्या हैं;

(ग) इन पासों को जारी करने का औचित्य क्या है; और

(घ) पिछले चार महीनों के दौरान जारी किए गए ऐसे पासों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ग) संभवत: प्रश्न का संबंध स्वतंत्रता सेनानियों के पासों के अलावा जारी किए गए मानार्थ कार्ड पासों से है। रेल मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के मानार्थ कार्ड पास प्रख्यात व्यक्तियों तथा अखिल भारतीय स्तर के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेलकूद और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों आदि में भाग लेने वाले सक्रिय संगठनों को प्रत्येक मामले के औचित्य/गुण-दोष के आधार पर दिए जाते हैं।

(ख) इस प्रकार के पास जारी करते समय यह विदित नहीं होता है कि क्या पास प्राप्तकर्ता भोपाल मंडल क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है या अन्य क्षेत्र से। तथापि, 28 फरवरी, 1990 को बंद पहले वर्ग में यात्रा के लिए जारी किए गए पासों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) पिछले चार महीनों के दौरान अर्थात् पहली जनवरी, 1990 से 30 अप्रैल, 1990 तक

जारी किए गए ऐसे पासों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-I

(ख) 28-2-1990 को यथा विद्यमान स्थिति के अनुसार व्यक्तियों/संगठनों को जारी किए गए पहले दर्जे के मानार्थ कार्ड पासों का ब्यौरा।

1. डा० चरनजीत चानना, भूतपूर्व संसद सदस्य और अध्यक्ष, नगर/ग्रामीण विकास संस्थान, नई दिल्ली।
2. स्वामी स्वरूपानंद/स्वामी डी०के० चक्रवर्ती, रामकृष्ण आश्रम, रामकृष्णपुरी, ग्वालियर (एक समय पर एक को यात्रा करने की अनुमति)।
3. श्री जगदीश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, लखनऊ नाका, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)।
4. श्री एस०एल० बहुगुणा, चिपको सूचना केन्द्र टेहरी गढ़वाल।
5. श्रीमती विद्या बेन शाह/श्रीमती इन्द्रा त्रिवेदी, अध्यक्ष/महामंत्री बाल कल्याण भारतीय परिषद, नई दिल्ली (एक समय पर एक को यात्रा करने की अनुमति)।
6. मेजर (श्री) बीरेन्द्र बहादुर सिंह (सेवानिवृत्त), खैरागढ़।
7. कुमारी निर्मला देशपाण्डे, अध्यक्ष, हरिजन सेवक समाज, दिल्ली।
8. श्रीमती निर्मला रामदास गांधी, महात्मा गांधी की पुत्र-वधु, सेवाग्राम आश्रम, वर्धा।
9. सरदार लक्ष्मण सिंह, नेशनल कमिश्नर भारत स्काउट एवं गाइड्स, नई दिल्ली।
10. श्रीमती मोनिका दास, भूतपूर्व संसद सदस्य, नई दिल्ली।
11. श्रीमती कामेश्वरी देवी पत्नी स्व० श्री ललित नारायण मिश्र, भूतपूर्व रेल मंत्री, नई दिल्ली।
12. श्री दुर्गा विजय पाण्डे पुत्र श्री रघुनाथ पाण्डेय, जिला आजमगढ़, (उत्तर प्रदेश)।
13. श्री बाबा साहेब पुरणधरे, पुणे।
14. कुमारी जी० सरला कुमारी, कुचिपुड़ी नर्तकी, हैदराबाद।
15. कुमारी चम्पा बहिन, समाज सेविका, सत्य शोधन आश्रम, सागर।
16. डा० डी०जी० केलकर, निदेशक, राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, पुणे।
17. दीवान सैयद जैनुल अबीदीन अली खां दीवान दरगाह, अजमेर।
18. डा० एस०एन० नरूला, स्वतन्त्रता सैनानी, कानपुर (उत्तर प्रदेश)।
19. डा० (श्रीमती) संतोष गोइंदी/श्री टी०जी०के० मैनन, सचिव/निदेशक, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इन्दौर (म०प्र०)

विवरण-2

(घ) पिछले चार महीनों के दौरान अर्थात 1 जनवरी, 1990 से 30 अप्रैल, 1990 तक व्यक्तियों/संगठनों को जारी किए गए पहले दर्जे के मानार्थ कार्ड पासों का ब्यौरा।

1. श्री वी०पी० वाघ, सर्वाधिकारी, अखिल भारतीय, श्री गुरुदेव सेवामंडल अमरावती।
2. बाबा आमटे, भारत जोड़ो आंदोलन, महाराष्ट्र।
3. श्रीमती लाल बहादुर शास्त्री, नई दिल्ली।
4. मेजर ए०के० सिंह, पत्नी और दो पुत्रियों के साथ "त्रिष्णा एक्सपीडीशन" 57 इंजीनियर रेजीमेंट मार्फत 99 ए०पी०ओ०।
5. स्वामी तपानंद, सचिव, रामकृष्ण मिशन रांची (केवल दक्षिण पूर्व रेलवे पर वैध)
6. श्री कपिल देव सिंह, बी०पी०ओ० बडहूजा, जिला मुंगेर, बिहार।
7. स्वामी विज्ञयानंद, भारत सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली।
8. डा० सुशीला नैयर, कस्तूरबा हैल्थ सोसाइटी, वर्धा।
9. श्री एस०पी० तारे, गांधी मेमोरियल लैपरोसी फाउण्डेशन, वर्धा।
10. स्वामी गहानंद/गीतानंद/प्रमानंद/स्वामी अतमस्थानंद, रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ (एक समय पर एक को यात्रा करने की अनुमति।
11. श्री एस०एल० बहुगुणा, चिपको सूचना केन्द्र, टेहरी गढ़वाल।
12. श्री एम०जी० तपस्वी स्वतंत्र पत्रकार, नई दिल्ली।
13. श्रीमती प्रभा त्रिपाठी, शिक्षा शास्त्री, समाज सेविका, अमरावती।
14. स्वामी स्वरूपानंद, सचिव, रामकृष्ण आश्रम, ग्वालियर अथवा बन्धु असिता चैतन्य, संयुक्त सचिव।
15. श्री नानाजी देशमुख, भूतपूर्व संसद सदस्य संस्थापक अध्यक्ष, दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली।
16 कुमारी जो० सरला कुमारी, कुचिपुडी नर्तकी, हैदराबाद।
17. कुमारी निर्मला देशपाण्डे, अध्यक्ष अखिल भारत रचनात्मक समाज, दिल्ली।
18. श्रीमती कामेश्वरी देवी पत्नी स्व० श्री ललित नारायण मिश्र, भूतपूर्व रेल मंत्री, नई दिल्ली।
19. सिस्टर मैरी मैस करेन हस, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्लेसमेंट आफिसर, सुमन हल्ली लैपरोसी रिहेबिलीटेशन सेंटर, बैंगलूरु।
20 आल इण्डिया फेडरेशन आफ दी डैफ के चार पदाधिकारी, 18 रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली (एक समय पर एक को यात्रा करने की अनुमति)।

21. सोसायटी फोर प्रीवेन्शन आफ ब्लाइण्डनैस के तीन पदाधिकारी, नई दिल्ली (एक समय पर एक को यात्रा करने की अनुमति)।

22. स्वामी हरिनारायण नंदा, अध्यक्ष, भारत सेवक समाज, नई दिल्ली।

23. श्री एम० ए० मलिक, कु० कमला कुमारी, भूतपूर्व संसद सदस्य, नई दिल्ली का परिवार

24. श्री (प्रोफेसर) शांतिमय राय, सामाजिक कार्यकर्त्ता, नई दिल्ली।

25. श्री बाल विजय, स्व० श्री विनोबा भावे के निजी सचिव, वर्धा।

26. स्वामी अमृतरूपानंद, रामकृष्ण मिशन के साधु, जमशेदपुर।

27. श्रीमती विमला फरूकी, महामंत्री, भारतीय महिला राष्ट्रीय फेडरेशन, नई दिल्ली।

28. श्री ए० सोलोमन/प्रोफेसर वी०के० सिन्हा, भारतीय धर्म निरपेक्ष समाज, पुणे (एक समय पर एक को यात्रा करने की अनुमति)।

29 श्री प्रकाश नारायण, भूतपूर्व अध्यक्ष रेलवे बोर्ड/श्री संकटा प्रसाद चेयरमैन/आनरेरी सेक्रेटरी, इण्डियन ह्यूमनिस्ट, यूनियन लखनऊ।

30 श्री आवेस अहमद, नई दिल्ली।

31. श्री रोहित बाल वोहरा, नई दिल्ली।

32. श्री सी०एस० रामचंद्रन, डिप्टी चेयरमैन, आदि शंकर विमान मंडप कमेटी नई दिल्ली।

33. कुमारी अवन्तिका माकन पुत्री स्व० श्री ललित माकन, नई दिल्ली।

34. श्री के० अरूणाचलम, चेयरमैन, गांधी स्मारक निधि, नई दिल्ली।

35. ब्रह्मचारी सुबुधानंद, सचिव, जगतगुरू शंकराचार्य ज्योतिर्मठपीठ, बिहार।

36. श्री राम आश्रय पाण्डेय, सामाजिक कार्यकर्त्ता जिला आजमगढ़, (उत्तर प्रदेश)।

37. श्री एम० चौधरी/नलिनी भाई मेहता, सचिव/सदस्य, कस्तूरबा हैल्थ सोसायटी, वर्धा (एक समय पर एक को यात्रा करने की अनुमति)।

38. महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम, वर्धा के तीन पदाधिकारी (एक समय पर एक को यात्रा करने की अनुमति)।

39. श्रीमती आभा गांधी, कस्तूरबा आश्रम, कस्तूरबाधाम।

40. श्री मधुकर राव चौधरी, अध्यक्ष राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा।

41. श्री द्वारका दास बैद, संयुक्त सचिव, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा।

42. प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, महामंत्री भारतीय महिला क्रिकेट एसोसियेशन, जम्मू।

43. श्री वी०पी० वाघ, सर्वाधिकारी, अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल, जिला अमरावती।

44. श्री अजीज कुरेशी, प्रेसीडेंट, इण्डो अरब सेंटर फोर इन्टरनेशनल रिलेशन्स, भोपाल

45. श्री शमीम जयपुरी, उर्दू कवि काशनाए-मेहमूद वाणी सराय, मेरठ।

46. बाबा आमटे, भारत जोड़ो आंदोलन।

47. श्रीमती लाल बहादुर शास्त्री, नई दिल्ली।

48. मेजर ए०के० सिंह, पत्नी और दो पुत्रियों के साथ, तृष्णा एक्सपीडीशन 57 इंजीनियर रेजीमेंट, मार्फत 99 ए०पी०ओ०।

49. स्वामी तपानंद, सचिव, रामकृष्ण मिशन, रांची (केवल दक्षिण पूर्व रेलवे पर वैध)।

50. श्री कपिलदेव सिंह, बी०पी०ओ० बड़हूजा, जिला मुंगेर, बिहार।

51. स्वामी विजयानंद, भारत सेवाश्रम संघ, नई दिल्ली।

52. डा० सुशीला नैयर, कस्तूरबा हेल्थ सोसायटी, वर्धा।

53. श्री एस०पी० तारे, गांधी मेमोरियल लैपरोसी फाउण्डेशन, वर्धा।

54. स्वामी गहानंद/गीतानंद/प्रभानंद/स्वामी अटस्थानंद रामकृष्ण मिशन बेलूरमठ (एक समय पर एक को यात्रा करने की अनुमति)।

### जयपुर और फुलेरा के बीच शटल रेलगाड़ी चलाना

8780. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर और फुलेरा के बीच यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए, सरकार का विचार दो स्टेशनों के बीच शटल रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### कलकत्ता और दिल्ली वाराणसी पटना तथा पटना और बम्बई के बीच विमान सेवा

8781. प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और दिल्ली के बीच पटना होती हुई एक दैनिक विमान सेवा तथा पटना

और बम्बई के बीच विमान सेवाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) इस समय इंडियन एयर लाइन्स कलकत्ता—रांची -पटना—लखनऊ—दिल्ली और वापसी सैक्टर पर सप्ताह में छ. बार की बोइंग —737 सेवा का परिचालन कर रही है।

एयरबस ए— 320 विमानों के परिचालन बन्द कर दिये जाने के कारण, विमान क्षमता में पर्याप्त कमी आ गई है और इसलिए, इंडियन एयर लाइन्स अपनी वर्तमान किसी भी सेवा की आवृत्ति में वृद्धि करने या नई सेवा शुरू करने की स्थिति में नहीं है।

**पन-बिजली, ताप-बिजली और अन्य विद्युत परियोजनाओं की संख्या**

[हिन्दी]

8781. श्री बृज भूषण तिवारी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पन-बिजली, ताप-बिजली और अन्य विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं जहां गत दो वर्षों के दौरान कार्य शुरू हुआ था और इनमें से कितनी विद्युत परियोजनाओं के ठेके विदेशी फर्मों/कम्पनियों को दिये गये थे;

(ख) इन परियोजनाओं के कार्य इस समय किस चरण में हैं और क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं का कार्य शुरू करने में बहुत विलम्ब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**हिमाचल प्रदेश स्थित हवाई अड्डे**

8783. श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले को विमान सेवा से जोड़ने के लिए इस राज्य में कितने हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की हिमाचल प्रदेश में किसी भी नये हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं है।

**लखनऊ में लोको-वर्कशाप**

[अनुवाद]

8784. **श्री मान्धाता सिंह :**

(क) क्या लखनऊ स्थित लोको-वर्कशाप का नवीकरण करने का प्रस्ताव है ताकि डीजल और विद्युत इंजनों की मरम्मत के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें और वर्कशाप के कर्मचारियों की छंटनी न करनी पड़े; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) भाप रेल इंजनों के "आवधिक ओवर हाल (पी० ओ० एच०) का काम कम हो जाने के कारण डीजल बिजली रेल इंजनों तथा बिजली रेल इंजनों के आवधिक ओवर हाल और बिजली रेल इंजन बोगियों तथा पहियों की मरम्मत चारबाग कारखाना, लखनऊ में पहले ही शुरू कर दी गई है। चारबाग रेल इंजन कारखाने में आवधिक ओवर हाल की वर्तमान क्षमता प्रतिमाह 8 भाप रेल इंजनों, 6 डीजल रेल इंजनों और एक बिजली रेल इंजनों की है। मौजूदा कर्मचारियों के लिए पर्याप्त कार्यभार की व्यवस्था करने हेतु 1995 तक डीजल बिजली रेल इंजनों की आवधिक ओवर हाल बढ़ाकर प्रति माह 8 रेल इंजन तथा 2000 तक प्रति माह 10 रेल इंजन करने का प्रस्ताव है।

**राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत की गई भूमि से बेदखल किए गए लोगों को मुआवजा**

[हिन्दी]

8785. **श्री सुबेदार :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शक्ति नगर (सोनभद्र जिला) और रिहन्द नगर (बीजापुर) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं के स्थापित किये जाने के कारण कुल कितने गांव प्रभावित हुए;

(ख) इन गावों के विस्थापित लोगों के पुनर्वास और इन परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत की गई भूमि के मुआवजे के भुगतान के लिए क्या योजनायें बनाई गई है। और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इन परियोजनाओं की स्थापना के परिणामस्वरूप कितने परिवार विस्थापित हुए है और इन परिवार के सदस्यों को रोजगार देने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

**ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) :** (क) राष्ट्रीय ताप

विद्युत निगम द्वारा सिंगरौली (शक्ति नगर) और रिहन्द (रिहन्द नगर) में सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित किये जाने के कारण प्रभावित उत्तर प्रदेश के गांवों की स्थिति निम्नानुसार है :—

| परियोजना का नाम | गांवों की संख्या जहां भूमि का अधिग्रहण आंशिक रूप से हुआ है | गांवों की संख्या जहां भूमि का पूर्ण रूप से अधिग्रहण कर लिया गया है। |
|---|---|---|
| सिंगरौली सु० ता० वि० परियोजना | 11 (ग्यारह) | 4 (चार) |
| रिहन्द सु० ता० वि० परियोजना | 9 (नौ) | —(शून्य) |

(ख) निगम उनके द्वारा तैयार किये गये नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भू-विस्थापितों के पुनर्वास हेतु सुविधायें प्रदान करता आ रहा है। इन दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रदान की गई आधारभूत सुविधाओं और भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सिंगरौली सु० ता० वि० परियोजना के मामले में 721 परिवार विस्थापित हुए हैं और रिहन्द सु० ता० वि० परियोजना के मामले में परियोजना के अन्तिम चरण के लिये 2005 परिवार विस्थापित होंगे। परियोजनाओं में रोजगार प्रदान करने के मामले में भू-विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाती है। यद्यपि, राष्ट्रीय ता० वि० निगम के परिष्कृत संयंत्रों एवं पारेषण लाइनों के प्रचलन हेतु अपेक्षित तकनीकी कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए सभी को रोजगार प्रदान करना सम्भव नहीं हो पाया है फिर भी परियोजना प्राधिकारियों द्वारा कार्मिकों की श्रेणी में रोजगार प्रदान करने के यथा सम्भव प्रयास किए गए हैं। रा० ता० वि० निगम ने परियोजनाओं से सम्बन्धित ठेकेदारों से भी अनुरोध किया है कि विस्थापितों को छोटे-मोटे ठेके दिए जाने तथा परियोजना स्थलों पर दुकानें आवंटित किये जाने के अलावा उन्हें रोजगार भी प्रदान किया जाये।

**विवरण**

| क्र०सं० | कार्यकलाप | सिंगरौली | रिहन्द |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | सामुदायिक विकास | | |
| | (क) सड़कें तथा नालियां | पुनर्वास क्षेत्र में बिटुमिन की सड़कें तथा नालियां बनाई गई। 4.04 लाख रुपये | पुनर्वास क्षेत्र में सड़कें बनाई गई। 3 31 लाख रुपये |
| | (ख) पेयजल सुविधाएं | गहरे कुएं, सामान्य कुएं तथा हैण्ड पम्प। | 17 हैण्ड पम्प और 12 खुले कुएं। 4.1 लाख रुपये |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | (ग) शिक्षा | 2 प्राथमिक विद्यालय, एक जूनियर हाई स्कूल। विशिष्ट फर्नीचर और पुस्तकालय के लिए पुस्तकें। | एक प्राथमिक विद्यालय 2.7 लाख रुपये |
| | (घ) स्वास्थ्य | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बच्चों का प्रतिरक्षण एवं निवारक स्वास्थ्य परीक्षण 0.36 लाख रुपये | बच्चों का प्रतिरक्षण एवं निवारक स्वास्थ्य परीक्षण |
| | (ङ) विद्युतीकरण | पुनर्वास क्षेत्र | — |
| | (च) सामुदायिक केन्द्र | सामुदायिक केन्द्र पंचायत भवन : 1 लाख रुपये | पंचायत भवन 0.40 लाख रुपये |
| | | चरण : 0.68 लाख रुपये | |
| 2. | विस्थापितों को संवितरित किए जाने के लिए राज्य सरकार को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि (करोड़ रुपये में) | 2.42 | 4.09 |
| 3. | पुनर्वास पर खर्च की गई राशि (लाख रुपये में) | 13.31 | 20.95 |

**बिहार में रेलवे स्टेशनों पर ऊपरि सड़क पुल**

8786. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा नगर से मधुबनी, निरमाली को तथा पूर्व दिशा की ओर जाने के लिए यातायात को स्टेशन के नजदीक दरभंगा—सीतामढ़ी और दरभंगा - जयानगर—निरमाली रेलवे लाइनों पर से होकर गुजरना पड़ता है;

(ख) क्या इन स्थानों पर यातायात कई घंटों तक रुका रहता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। तथापि, गाड़ियों के गमन के दौरान इन स्थानों पर सड़क यातायात में कुछ

अवरोध होता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) नियमों के अनुसार वांछित ऊपरी पुल के निर्माण के लिए, राज्य सरकार द्वारा लागत वहन करने की विधिवत सहमति के साथ ठोस प्रस्ताव प्रायोजित किए जाने के बाद ही रेलवे, इसका निर्माण शुरू कर सकती है।

दाहोद (पश्चिम रेलवे) में स्टाफ क्वार्टर

[अनुवाद]

8787. श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कालोनी, फ्रीलैंड गंज, दामोह (पश्चिम रेलवे) के 1500 रेलवे स्टाफ क्वार्टरों की टाइलों से बनी छतें टूटी-फूटी हालत में हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है;

(ख) क्या उन्हें बदलने हेतु कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और इस कार्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) फ्रीलैंडगंज, दाहोद रेलवे कालोनी में टाइलों से बने छत वाले 911 क्वार्टर, छत को बदलने की आवश्यकता के लिए पहचाने गए थे, योजना-बद्ध आधार पर छतों को बदलने का कार्य हाथ में ले लिया गया है, किसी दुर्घटना की आशंका नहीं है।

(ख) और (ग) 911 क्वार्टरों में से 265 क्वार्टरों की छतें पहले ही बदल दी गई हैं। 92 और क्वार्टरों में भी छतें बदलने के कार्य को अनुमोदित कर दिया गया है। अगले पांच वर्षों के दौरान शेष सभी क्वार्टरों की छतों को बदलने की योजना बनाई गई है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो, इस कार्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 4.5 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण में स्वीकार्य अन्तरिम राहत

8788. श्री रामजी लाल सुमन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय "अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में यूनियनों से संबद्ध संगठनों (यूनि-यनाइज्ड कैडर्स) को अन्तरिम राहत ग्राह्य है;

(ख) यदि हां, तो यह कब से ग्राह्य है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) 1-1-86

से प्रभावी अन्तरिम सहायता की अदायगी के लिए लोक उद्यम ब्यौरों, उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों की संगठनबद्ध श्रेणी राहत की हकदार नहीं है। तथापि, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबन्धकों ने हाल ही में कर्मचारियों को अग्रिम की अदायगी के लिए मान्यता प्राप्त संगठन के साथ एक समझौता किया है जिसके अन्तर्गत अदायगी की राशि 1-9-89 से आगे देय अगले वेतन संशोधन में खपा ली जाएगी।

**हार्ड कोक का विकल्प**

8789. श्री माणिक साग्याल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट, धनबाद" को औद्योगिक/धातुकर्मीय ईंधन के आरक्षित द्रव्य को हार्ड कोक के विकल्प के रूप में एक पदार्थ के उत्पादन के लिए जून, 1989 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में फरवरी, 1990 में भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (घ) केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान लि० (के० खा० आ० डि० सं० लि०), रांची से इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि एक अनुसंधान परियोजना जिसके अंतर्गत झामा कोयले को पुनर्निर्मित करके औद्योगिक/धातुकर्मीय कोयले को विकल्प के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, उक्त परियोजना उन्हें अप्रैल, 89 में धनबाद के डा० बी० प्रसाद से प्राप्त हुई थी। श्री प्रसाद ने उक्त परियोजना को जून, 89 में पुन: प्रस्तुत किया। सी० एम० पी० डी० आई० एल० ने यह सूचित किया है कि उन्होंने 2/3 मई, 1989 को डा० प्रसाद को लिखा था कि उनके द्वारा प्रस्तावित इसी तरह की एक परियोजना पर केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद द्वारा पहले ही कार्य किया जा रहा है, अत: वे उक्त परियोजना को समर्थन नहीं दे सकते हैं।

डा० प्रसाद ने सरकार को इस मामले में फरवरी, 1990 में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस अभ्यावेदन पर केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान लि०, रांची तथा भारत कोकिंग कोल लि०, धनबाद के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

**कच्चे तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता**

8790. श्री के० मुरलीधरन :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल की खोज के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या निकट भविष्य में कच्चे तेल के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की कोई सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

और अन्वेषण खुदाई के जरिए निम्नलिखित राज्यों में आने वाले विभिन्न तलछटी बेसिनों में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण का कार्य चल रहा है :—

| | |
|---|---|
| नागालैण्ड | पंजाब का मैदानी क्षेत्र और हरियाणा |
| असम | हिमाचल प्रदेश |
| त्रिपुरा | जम्मू और काश्मीर |
| मिजोरम | राजस्थान |
| मेघालय | गुजरात |
| अरुणाचल प्रदेश | मध्य प्रदेश |
| पश्चिमी बंगाल | आंध्र प्रदेश |
| बिहार | तमिलनाडु |
| उत्तर प्रदेश | पूर्वी अपतट |
| मणिपुर | बंगाल की खाड़ी का पूर्वी तटवर्ती |
| उड़ीसा | क्षेत्र (अरब सागर) और |
| अंडमान | पश्चिमी अपतट |

इन प्रयासों के आधार पर हाइड्रोकार्बन वाले संरचनाओं/क्षेत्रों का पता लगा है और गुजरात, असम, नागालैंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी तट पर अपतटीय इलाकों में संरचनाओं/क्षेत्रों में उत्पादन पहले ही आरम्भ कर दिया गया है ।

(ख) कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भरता का वर्तमान स्तर लगभग 59 प्रतिशत का है। चूंकि तेल का अन्वेषण बहुत ही संभावनापूर्ण प्रकृति का है, अतः निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि इस दिशा में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकेगी। योजना परिव्यय की उपलब्धता के अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि को कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है ।

**मुजफ्फर नगर, मेरठ और गाजियाबाद में रसोई गैस की एजेंसियां**

8791. श्री हरपाल सिंह पंवार :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से मुजफ्फर नगर, मेरठ और गाजियाबाद में किन्हीं नई गैस एजेंसियों को स्वीकृति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जिलों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय विभिन्न स्थानों पर 41 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने का प्रस्ताव है जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये प्रस्ताव वितरकों के चयन और एजेंसियां आरम्भ होने के विभिन्न चरणों से सम्बन्धित हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए नियोजित एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या

| जिला | | स्थान | डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| आगरा | 1. | आगरा | 3 |
| अलीगढ़ | 2. | अलीगढ़ | 1 |
| बदायूं | 3. | बदायूं | 1 |
| | 4. | ककराला | 1 |
| | 5. | सहसवान | 1 |
| बिजनौर | 6. | बिजनौर | 1 |
| | 7. | नाहीतौर | 1 |
| | 8. | शेरकोट | 1 |
| बुलन्दशहर | 9. | खुर्जा | 1 |
| | 10. | जहांगीराबाद | 1 |
| बरेली | 11. | बरेली | 3 |
| देहरादून | 12. | देहरादून | 3 |
| गाजियाबाद | 13. | मोदीनगर | 1 |
| | 14. | लोनी | 1 |
| | 15. | नोएडा | 2 |
| | 16. | गाजियाबाद | 3 |
| हरिद्वार | 17. | हरिद्वार | 1 |
| मुजफ्फरनगर | 18. | शामली | 2 |
| | 19. | मुजफ्फरनगर | 2 |
| मेरठ | 20. | मेरठ | 2 |

| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| रामपुर | 21. | तांडा | 1 |
| पीलीभीत | 22. | पूरनपुर | 1 |
| | 23. | बिलासपुर | 1 |
| सहारनपुर | 24. | सहारनपुर | 2 |
| | 25. | मैंगलोर | 1 |
| | | जोड़ : | 41 |

**पैरा नाइट्रो क्लोरो बैंजीन के उत्पादन हेतु लाइसेंस**

8792. **श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी, महाराष्ट्र में बनाई जा रही पैरा नाइट्रो क्लोरो बैंजीन की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार नाइट्रो क्लोरो बैंजीन के निर्माण के लिए नए लाइसेंस जारी करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान उन बल्क उपभोक्ताओं के नाम क्या हैं जिन्हें हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि० द्वारा 360 मीट्रिक टन अथवा इससे अधिक पैरा क्लोरो बैंजीन की सप्लाई की गई है, और प्रत्येक को कितनी-कितनी मात्रा में सप्लाई की गई ?

**पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) :** (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के लिए इस वस्तु की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने पी०एन०सी०बी० की अतिरिक्त क्षमता के सृजन को पहले ही स्वीकृती दे दी है। यह वस्तु वर्तमान आयात नीति की प्रतिबन्धित सूची में है और इसकी कमी को पूरी करने के लिए सरकार को जब भी आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर इसके आयात के लिए सरकार अनुपूरक लाइसेंस प्रदान करती है। मैं० एच० ओ० सी० को 1,000 टन एम० सी० बी० (मोनोक्लोरोबेन्जीन), जो पी० एन० सी० बी० के निर्माण के लिए प्रमुख कच्चा माल है, के आयात के लिए लाइसेंस भी प्रदान किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पी० एन० सी० बी० के प्रमुख उपभोक्ताओं के नाम प्रत्येक को की गई आपूर्ति की मात्रा जिन्होंने वर्ष 1989-90 के दौरान एच० ओ० सी० से पी० एन० सी० बी० की 360 मी० टन से अधिक की मात्रा प्राप्त की है, इस प्रकार है :—

| पार्टी का नाम | मात्रा/मी० टन |
|---|---|
| रोहिनी कम०प्रा०लि०<br>गाजियाबाद (यू०पी०) | 434 |
| श्रीकृष्ण फार्मा० प्रा० लि० उप्पल, हैदराबाद | 427 |
| पोलिएलिफाइन्स इण्डस्ट्रीज लि०, थाणे, महाराष्ट्र | 386 |

**सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में परिवहन कंपनियां**

8793. श्री पीयूष तीरकी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित अनेक परिवहन कंपनियां सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के लिए कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ किए गए अनुबंधों का ब्यौरा क्या है और ऐसे अनुबंध कितनी अवधि तक वैध है;

(ग) क्या उनमें से कुछ कंपनियों के साथ परिवहन संबंधी अनुबंध करने में अनियमितताएं बरते जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसमें शामिल कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और इन कम्पनियों का संचालन करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के नाम, पद नाम तथा पते क्या-क्या है;

(ङ) ऐसा समझौता करने वाले सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(च) इसके फलस्वरूप सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को पिछले पांच वर्षों मे कितना घाटा हुआ है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० मे भूतपूर्व सैनिकों की 13 परिवहन कंपनियां कार्यरत हैं। उनकी निविदाएं 12-9-90 से 7-11-94 तक विभिन्न तिथियों तक मान्य हैं। भारत कोकिंग कोल लि० में कार्यरत भूतपूर्व सैनिकों की परिवहन कम्पनियों की सही संख्या और उनके ठेकों की वैधता की अवधि का सुनिश्चय किया जा रहा है और इसे सभा पटल पर रखा जाएगा।

(ग) और (घ) जी, हां। ठेके प्रदान किए जाने के मामले में अनियमितताओं संबंधी कुछ शिकायतें भा० को० को० लि० में कार्यरत निम्नलिखित भूतपूर्व सैनिकों की कम्पनी के सम्बन्ध में प्राप्त हुई हैं :—

(1) मै० सैनिक गुड्स कैरियर्स (प्रा०) लि०

(2) मै० प्रगति कैरियर्स (प्रा०) लि०

(3) मैं० जवान ट्रांसपोर्ट कम्पनी

(4) मैं० एक्सपर्ट कोल कैरियर्स (प्रा०) लि०

(5) मैं० एक्स-सर्विस मैन अम्बी कोल कैरियर्स (प्रा०) लि०

(6) मैं० एसम ट्रांसपोर्टर्स कन्ट्रैक्टर्स (प्रा०) लि०

उपर्युक्त कम्पनियों के भूतपूर्व सैनिकों के नाम एवं पता सम्बन्धी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

भूतपूर्व सैनिकों की उपर्युक्त कम्पनियों को प्रदत्त ठेके अब समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि मेसर्स सैनिक गुड्स कैरियर्स (प्रा०) लि० और मेसर्स प्रगति कैरियर्स (प्रा०) लि० ने कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय से अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था।

हाल ही में मेसर्स ईस्ट एंड कोल कैरियर कं० के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई के लिए जांच की जा रही है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० को भूतपूर्व सैनिकों की दो कम्पनियों, अर्थात् मेसर्स जवान स्पेंटर्न कैरियर्स (प्रा०) लि० के विरुद्ध सामान्य प्रकृति की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन से० को० लि० द्वारा इनकी जांच किए जाने पर इन शिकायतों में कोई तथ्य नहीं मिला।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

| कम्पनी का नाम | नाम, पदनाम तथा पता |
|---|---|
| 1 | 2 |
| मेसर्स सैनिक गुड्स कैरियर्स (प्रा०) लिमिटेड | (1) ब्रिगे० एस० डी० शुक्ला (अवकाश प्राप्त) बी/106, सोम विहार, आर० के० पुरम, नई दिल्ली। |
| | (2) लैप० कर्नल आर० के० भारद्वाज (अवकाश प्राप्त) 738, सैक्टर-II बी०, चंडीगढ़। |
| | (3) श्री डी० चौधरी, मोईमून महल, अबेंटनॉट रोड, सैफूमछारी, शिलांग-3 |
| मेसर्स जवान ट्रांसपोर्ट कम्पनी | (1) ब्रिगे० जे० एम० लाल (अवकाश प्राप्त) मकान नं० 100, सैक्टर-9, फरीदाबाद, (हरियाणा) |
| | (2) कर्नल ओ० एस० कश्यप (अवकाश प्राप्त) रामगढ़ कैंट, हजारीबाग। |
| | (3) सुबे० मेजर यू० एन० सिंह (अवकाश प्राप्त) रामगढ़ कैंट, हजारीबाग। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| मेसर्स एक्स० सर्विसमैन अम्बी कोल कैरियर्स (प्रा०) लिमिटेड | (1) मेजर एम० ए० मुच्छानंदम (अवकाश प्राप्त) डोर नं० 5, 42—53, 6/9 बरोडिएपेट गुन्टूर, (आंध्र प्रदेश) |
| | (2) मेजर अप्पा साहब दुबल (अवकाश प्राप्त) सागर बंगलो, विश्रामबाग, सांगली, (महाराष्ट्र) |
| | (3) मेजर हजरा सिंह भिंडर, 84 जे० सरभा नगर, लुधियाना सिटी, पंजाब। |
| मेसर्स एक्सपरटो कोल कैरियर्स (प्रा०) लिमिटेड | (1) मेजर रामायधन सिंह, (अवकाश प्राप्त) ग्राम : मांडीपुर, डाकघर : मांझी, जिला—छप्परा (बिहार) |
| | (2) कैप्टन आर० एन० सिंह (अवकाश प्राप्त) के० जी० हास्पिटल, निकट ब्लाक आफिस, रामगढ़ कैंट, हजारी-बाग। |
| | (3) कैप्टन एन० के० सिंह (अवकाश प्राप्त) ग्राम : मांडीपुर, डाकघर : मांझी, जिला : छप्परा, (बिहार) |
| | (4) सारजेंट ए० के० सरकार (अवकाश प्राप्त) क्वार्टर नं० ए/165/166, डाकघर : भूली, धनबाद। |
| | (5) हवलदार रवि दत्त शर्मा (अवकाश प्राप्त) ग्नी बाजार, डाकघर : कटरासगढ़, जिला-धनबाद। |
| | (6) मेजर आर० डी० वाली (अवकाश प्राप्त), द्वारा : श्री अनिल कुमार दत्त, पार्क होटल कैम्पस, रामगढ़ कैंट, हजारीबाग |
| मेसर्स प्रगति कैरियर्स (प्रा०) लिमिटेड | (1) ब्रिगे० ओ०पी० मनचन्दा (अवकाश प्राप्त) ए०-275, मीरा बाग, नई दिल्ली। |
| | (2) लैप० कर्नल राम मूर्ति (अवकाश प्राप्त) 687/29 अमन विहार, नोएडा, गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) |
| | (3) कर्नल प्रेम नाथ खेरा (अवकाश प्राप्त) बी०-606, सोम विहार अपार्टमेंट, विपरीत संगम सिनेमा, आर०के० पुरम, नई दिल्ली। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| मेसर्स एसम ट्रांसपोर्ट | (1) लैप० कर्नल आर०यू०एस० सेतन (अवकाश प्राप्त) 187, मौजी अंक्लिव, टावर-II, जाकिर बाग अपार्टमेंट, ओखला, नई दिल्ली।<br>(2) लैप० कर्नल हरबंस सिंह (अवकाश प्राप्त) सी-278, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024<br>(3) मेजर पी० जी० नायर (अवकाश प्राप्त) 191, सैक्टर-29, अरुण विहार, नोएडा-201301 |

केरल में रेलवे स्टेशन

8794. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री ए० विजयराघवन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान केरल में कासरगोड, कण्णनोर, कालीकट और पालघाट रेलवे स्टेशनों के सुधार पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) इस वर्ष के दौरान इन रेलवे स्टेशनों पर क्या सुधार करने का प्रस्ताव है और इस कार्य पर अनुमानतया कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

रेल मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कासरगोड, कण्णनोर, कालीकट और पालघाट रेलवे स्टेशनों के सुधार कार्यों के लिए क्रमशः 25.27 लाख, 3.89 लाख, 1.57 लाख और 7.54 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

(ख) 1990-91 के दौरान निम्नलिखित सुधार कार्य प्रगति पर हैं/किए जाने का प्रस्ताव है।

| क्र०सं० | कार्य का ब्यौरा | अनुमानित लागत (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | कालीकट | |
| | प्लेटफार्मों का विस्तार/लंबा करना | 6.35 |
| | प्लेटफार्म पर रोशनी में वृद्धि करना | 2.00 |
| | दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था | 5.35 |
| | | 14.30 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | पालघाट | |
| | विश्राम कक्षों की व्यवस्था | 6.78 |
| 3. | प्लेटफार्मों पर सायबान की व्यवस्था | 6.62 |
| | दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था | 5.35 |
| | रोशनी में सुधार | 3.20 |
| | | 15.17 |

## नई मालगाड़ियां चलाना

[हिन्दी]

8795. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान रेलवे द्वारा कुल कितने वजन के माल की ढुलाई की गयी; और

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान माल ढोने के लिए कितनी नई माल गाड़ियां चलाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) प्रारंभिक राजस्व माल भाड़ा यातायात 309 60 मिलियन टन (अनन्तिम)।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान, लक्ष्य के अनुसार माल यातायात का लदान सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित संख्या में माल गाड़ियां चलायी जायेंगी।

## छोटे और अत्यधिक छोटे क्षेत्र का विकास

[अनुवाद]

8796. श्री कैलाश मेघवाल :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक क्षेत्र के बड़े, मध्यम, छोटे और अत्यधिक छोटे क्षेत्रों में गैर कृषि राष्ट्रीय उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन उद्योगों को छोटे और अत्यधिक छोटे क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से आरक्षित किया गया है;

(ग) क्या इन विशेष क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजनाएं बनाई गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, विशेष रूप से छोटे और अत्यधिक छोटे क्षेत्रों के संबंध में क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985—90 के अनुसार, मूल्य वर्धन के रूप में विनिर्माणकारी क्षेत्र में ग्रामीण तथा लघु उद्योगों का लगभग 50 प्रतिशत योगदान है।

(ख) लघु क्षेत्र में अनन्य विकास के लिए आरक्षित मदें भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में तारीख 30-6-88, 3-3-89 और 31-7-89 की अधि सूचनाओं में प्रकाशित की गयी हैं। आज की तिथि के अनुसार इस क्षेत्र मे 836 मदें आरक्षित हैं।

(ग) और (घ) देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनमें संस्थागत सहायता की व्यवस्था और प्रोत्साहन पैकेज तथा रियायती वित्त जैसी रियायतें, उत्पादन शुल्क संबंधी लाभ, अनन्य उत्पादन के लिए मदों के आरक्षण एवं केन्द्रीय सरकारी भण्डार खरीद कार्यक्रम के अधीन लघु क्षेत्र से खरीदारी करने के लिए मदों के आरक्षण के जरिए विपणन सहायता, किराया-खरीद आधार पर मशीनें, तकनीकी परामर्शीय सेवाएं, परीक्षण सुविधाएं, सामान्य सुविधा सेवाएं, औद्योगिक आवास तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था शामिल हैं।

**तारपीन और खनिज विलायक तेलों का विपणन**

8797. **श्री कैलाश मेघवाल :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कम्पनियों द्वारा खनिज तारपीन और खनिज विलायक तेलों का विपणन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों के विपणन का वर्तमान तरीका क्या है; और

(ग) यदि इनका विपणन डीलरों और वितरकों के माध्यम से किया जाता है; तो उनकी किस प्रकार नियुक्ति की जाती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपभोक्ताओं को अधिकतर भारी मात्रा में सीधे रिफाइनरी/भंडारण स्थल आपूर्ति की जाती है। जिन छोटे उपभोक्ताओं के पास तेल कंपनियों से भारी मात्रा में आपूर्ति लेने की सुविधाएं नहीं हैं उन्हें कुछ क्षेत्रों में मौजूदा डीलरों/वितरकों के माध्यम से उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोटी मात्रा में भी आपूर्ति की जा रही है।

इन उत्पादों के लिए अलग से डीलर/वितरक नियुक्त नहीं किये जाते हैं। आवश्यकता होने पर एस० के० ओ० और लाइट डीजल तेल (एल० डी० ओ०) के मौजूदा डीलरों/वितरकों के जरिए आपूर्ति की जाती है।

## राजस्थान में पेट्रोल/डीजल की फुटकर दुकानें

[हिन्दी]

8798. प्रो० रासा सिंह रावत :

श्री चानसिंह जाटव :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में शहरी क्षेत्र वार और ग्रामीण क्षेत्र वार पेट्रोल और डीजल के कितने पम्प हैं;

(ख) पेट्रोल और डीजल के उन नये पम्पों की जिला वार संख्या कितनी है, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान लाइसेंस जारी किये गये और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेट्रोल और डीजल पम्पों हेतु कितने नये लाइसेंस जारी करने का विचार है;

(घ) क्या ऐसे आवंटनों में भूतपूर्व सैनिकों और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ङ) देश में इन श्रेणियों के व्यक्तियों को कितने लाइसेंस आवंटित किये जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में राजस्थान को कितने लाइसेंस आवंटित किये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) 1-1-1990 को राजस्थान राज्य में 850 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) कार्य कर रहे थे। राजस्थान में इस समय 45 नये खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

खुदरा बिक्री केन्द्रों का मौजूदा वर्गीकरण बाजार की श्रेणी पर आधारित होता है न कि शहरी/देहाती क्षेत्र के आधार पर। अतः इस बावत ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। नये पेट्रोल/डीजल पंपों की जिला-वार संख्या और उन स्थानों के नाम जिनके लिए पिछले तीन वर्षों में लाइसेंस जारी किये गये थे, एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जाएंगे।

(घ) $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें रक्षा श्रेणी के लिए आरक्षित होती हैं जिसमें भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं। विपणन योजना 1988-89 के लिए इस प्रतिशतता को बढ़ाकर 15% कर दिया गया है जिससे कि अपंगों, भूतपूर्व सैनिकों और भारतीय शांति सेना में मारे गए सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों को शामिल किया जा सके। यद्यपि बेरोजगार स्नातकों/इंजीनियरी स्नातकों के लिए कोई आरक्षण नहीं होता है तथापि उन्हें सामान्य श्रेणी में वरीयता दी जाती है।

(ङ) भूतपूर्व सैनिकों और ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों को चालू वर्ष में आवंटित किए जा रहे ऐसे लाइसेंसों की संख्या को समय से पहले नहीं बताया जा सकता है क्योंकि केवल इन्हीं श्रेणियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

भारत सोवियत संघ संयुक्त उद्यम

[अनुवाद]

8799. श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और गैस की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक नया भारत—सोवियत संघ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सोवियत सहायता से कम्भात (एन), कावेरी और पश्चिमी बंगाल बेसिनों में आपसी सहमति वाले क्षेत्रों में सघन और समन्वित अन्वेषण कार्य कर रहा है।

भारत और सोवियत रूस अन्य देशों में पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए मिलकर कार्य करने के लिए सैद्धान्तिक रूप में सहमत हैं। इस दिशा में अभी तक कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

उद्योग में कम्प्यूटर की सहायता से इंजीनियरी सामान तैयार करना और अन्य सामान का निर्माण

8801. श्री एम० एम० पल्लम राजू :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योगों में कम्प्यूटर की सहायता से इंजीनियरी सामान तैयार किया जा रहा है और अन्य सामान का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कटाई के औजारों एवं मशीन औजारों के निर्माताओं द्वारा कम्प्यूटर से सहायता प्राप्त डिजाइन प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। कुछ कम्पनियां जिनके पास सी०ए०ई०/सी० ए० एम० प्रणालियां है या जो सी० ए० ई०/सी० ए० एम० के लिए उपकरणों का निर्माण करती हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) मै० टेल्को लि०।

(2) मै० लारसेन एंड टूब्रो लि०।

(3) मै० मारुति उद्योग लि०।

(4) मै० गोदरेज एंड बॉयसी मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०।

(5) मै० बी० एच० ई० एल०।

(6) मै० जय-हिन्द साइकी, पूणे, इत्यादि।

अल्कोहल का उत्पादन

8802. श्री ए० विजय राघवन :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में अल्कोहल का कुल कितना उत्पादन होता है क्या यह मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) क्या कुछ राज्यों को अल्कोहल की कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कमी वाले राज्यों को अल्कोहल की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) 1988-89 (दिसम्बर—नवम्बर) के दौरान अल्कोहल का उत्पादन 7990 लाख लिटर था। वर्तमान उत्पादन समस्त मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को आधिक्य वाले राज्यों से पुनः आबंटन द्वारा पूरा किया जा रहा है।

लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में "पैंनटरी कार" सुविधा

8803. श्री ए० विजयराघवन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंबी दूरी की किन रेलगाड़ियों में "पैंनटरी कार" की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार का विचार लंबी दूरी की जिन रेलगाड़ियों में अब "पैंनटरी कार" सुविधा नहीं है, इन सब में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) "लंबी दूरी" एक सापेक्ष शब्द है। तथापि, 24 घंटे या अधिक की यात्रा अवधि वाली 49 जोड़ी गाड़ियां है, जिनमें पैंन्ट्री कार सेवा नहीं है।

(ख) और (ग) जी नहीं। मार्गवर्ती स्टेशनों पर स्थैतिक खान-पान इकाइयां व्यावहारिक न होने या अपर्याप्त होने पर ही कुछ चुनिंदा लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में ही पैंट्री कार की व्यवस्था की जाती है, बशर्ते कि पैंट्री कारें और गाड़ियों में पैन्ट्री कारों के लिए स्थान उपलब्ध हों।

रेलगाड़ियों में अग्निशमन उपकरण लगाना

8804. श्री ए० विजयराघवन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में बिहार में आरा में रेलगाड़ी में आग लगने की हुई दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए रेलगाड़ियों में अग्निशमन उपकरण लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी रेलगाड़ियों में ये उपकरण कब तक लगाये

जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) पैसेंजर गाड़ियों में गार्ड ब्रेक वेनों, डीजल/बिजली इंजनों, पैंट्री कारों और वातानुकूलित सवारी-डिब्बों में समुचित अग्निशमन उपस्करों को सुनिश्चित करने और गाड़ी के साथ चलने वाले कर्मचारियों को अग्नि-शमन उपस्करों के प्रयोग के लिए उचित प्रशिक्षण देने हेतु अनुदेश जारी किये गये हैं। इसके अलावा, रेलें यात्री कम्पार्टमेंटों और सामान यानों में ज्वलनशील तथा खतरनाक पदार्थों के ले जाने की जांच तथा रोकथाम करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में गहन अभियान चला रही हैं। अग्नि जोखिम के सम्बन्ध में जनता में जागृति पैदा करने और अग्नि से सुरक्षा हेतु जन-सहयोग प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है।

**दक्षिण के लिए अलग जोन**

8805. श्री जनार्दन पुजारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण के लिए एक अलग जोन बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह जोन कब बनाया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**पलवल, बल्लभगढ़, कोसीकलां और फरीदाबाद में बुक स्टाल के ठेके**

8806. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे ने हाल ही में पलवल, बल्लभगढ़, कोसीकलां और फरीदाबाद टाउन स्टेशनों पर बुक स्टालों के ठेके देने के लिए आवेदन-पत्र मांगे थे;

(ख) कितने स्टॉल आवंटित किए जायेंगे; और

(ग) नियमानुसार ये ठेके कब तक दिए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) केवल पलवल, बल्लभगढ़ और कोसीकलां स्टेशनों पर ही पुस्तक स्टाल ठेकों के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे।

(ख) तीन।

(ग) ठेकों का आवंटन कर दिया गया है और ये 4.6.90 से कार्य करेंगे।

पूर्व रेलवे में विद्युत उपकरणों की खरीद में कथित धोखाधड़ी

8807. श्री मदन लाल खुराना :

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

श्री शंकर सिंह वघेला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बिहार में पूर्व रेलवे द्वारा विद्युत उपकरणों की खरीद में भारी धोखाधड़ी का पता लगाया है जिसमें कुछ गैर-सरकारी पार्टियों को अत्यधिक धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं और आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) हाल ही में 28-3-90 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 4 रेल कर्मचारियों और 12 निजी फर्मों के विरुद्ध बिजली के उपस्करों को ऊंची दरों पर खरीदने तथा वास्तविक आवश्यकता से अधिक खरीद करने के आरोप के 5 मामले दर्ज किए हैं जिसके परिणामस्वरूप रेलों को लगभग 57.5 लाख रुपये की हानि हुई।

ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल पूरी कर लेने और उनसे जांच-पड़ताल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निष्कर्षों का पता चलेगा। उसके बाद ही आगे कारंवाई की जा सकती है।

बिहार में कोयला पर उपकर

8808. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियां कोयले की बिक्री पर कोयला उपकर संग्रह कर रही है लेकिन उपकर की यह धन राशि बिहार सरकार को नहीं दे रही है जिसके कारण बिहार में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां,तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 और 198 -90 के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, भारत कोकिंग कोल लि० तथा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा कोयले की बिक्री पर बिहार सरकार को देय रायल्टी तथा उपकर, और 31-3-1990 तक अदा की गई राशि तथा शेष राशि का ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है :—

रायल्टी तथा उपकर (करोड़ रु० में)

| | 1988-89 | | | 1989-90 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आरम्भिक शेष के साथ देय राशि | अदा की गई राशि | शेष राशि | आरम्भिक शेष के साथ देय राशि | अदा की गई राशि | शेष राशि |
| ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० | 99.45 | 89.37 | 10 08 | 96.15 | 78.97 | 17.18 |
| भारत कोकिंग कोल लि० | 327.64 | 294.51 | 33.13 | 325.02 | 218.50 | 106.52 |
| सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० | 291.92 | 291.92 | — | 329.10 | 206.17 | 122 93 |
| जोड़ : | 719.01 | 675 80 | 43.21 | 750.27 | 503.64 | 246.63 |

टिप्पणी : आंकड़े अस्थायी हैं जो लेखा-परीक्षा द्वारा लेखों को अन्तिम रूप दिए जाने तक लंबित हैं।

**मध्य प्रदेश में कोयले का बिक्री मूल्य**

[हिन्दी]

8801. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 के दौरान मध्य प्रदेश में खानों से निकाले गए कोयले का श्रेणीवार बिक्री मूल्य कितना था और उसके बाद इसमें कितनी बार वृद्धि की गई और इसमें कितनी वृद्धि हुई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : वर्ष 1981 के बाद, मध्य प्रदेश में उत्पादित अकोकवार कोयले तथा कोककर कोयले के विभिन्न ग्रेडों की खान मुहाना कीमतें इस प्रकार से निर्धारित की गई :—

| कोयले का ग्रेड | आर०ओ० एम० कोयले की खान मुहाना कीमत जो नीचे दी गई तिथियों से निर्धारित की गई (रु० प्रति टन) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14-2-81 | 27-5-83 | 8-1-84* | 9-1-86* | 23-12-87* | 1-1*-89* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **अकोकर कोयला** | | | | | | |
| "ए" | 165.00 | 200.00 | 264.00 | 296.00 | 351.00 | 399.00 |
| "बी" | 155.00 | 179.00 | 237.00 | 269.00 | 320.00 | 364.00 |
| "सी" | 138.00 | 160.00 | 203.00 | 235.00 | 280.00 | 318.00 |
| "डी" | 120.00 | 139.00 | 177.00 | 209.00 | 222.00 | 252.00 |
| "ई" | 99.00 | 115.00 | 125.00 | 138.50 | 176.00 | 200.00 |
| "एफ" | 75.00 | 87.00 | 95.00 | 108.50 | 141.00 | 160.00 |
| "जी" | 48.00 | 56.00 | 61.00 | 74.50 | 100.00 | 114.00 |

*टिप्पणी— उपर्युक्त के अनुसार 8-1-84 से कोरिया रीवा कोलफील्ड्स के ग्रेड "ए" से "डी" के लम्बी फ्लेम वाले कोयले पर 25/- रु० प्रति टन का लाभांश है।

**कोककर कोयला**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वाशरी ग्रेड II | 171.00 | 195.00 | 257.00 | 289.00 | 313.00 | 390.00 |
| वाशरी ग्रेड III | इससे अधिक न हो | | | | | |
| | 163.00 | 186.00 | 190.00 | 222.00 | 264.00 | 300.00 |
| वाशरी ग्रेड IV | इससे अधिक न हो | | | | | |
| | 151.00 | 172.00 | 175.00 | 207.00 | 246.00 | 280.00 |

मध्य प्रदेश में कोककर कोयले का उत्पादन पेंच कोलफील्ड्स में किया जा रहा है, तत्पश्चात् इसे नंदन वाशरी में धोया जाता है और इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किया जाता है। उत्पादित कोककर कोयले का ग्रेड वाशरी ग्रेड II, III तथा IV है।

टिप्पणी : 1. कीमतें सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों या अन्य निकायों द्वारा लगाई गई रायल्टी, उपकर, कर तथा लेवी, यदि कोई हो तो, सीमा शुल्क तथा बिक्रीकर को छोड़कर हैं।

2. कोरिया रीवा कोलफील्ड्स में कुछ कोलियरियों द्वारा सप्लाई किए गए कोयले के ग्रेड "ए", "बी", "सी" तथा "डी" के लिए कोल कम्पनी द्वारा 1-1-1989 से इन कीमतों के ऊपर 10% का अधिशुल्क लगाया गया है।

## पेट्रोल के मूल्य

[अनुवाद]

8810. श्री चित्त बसु :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

श्री आर० एन० राकेश :

श्री नाथू सिंह :

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पेट्रोल का मूल्य अन्य विकसित देशों की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पेट्रोल के मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान कुल कितने तथा कितने मूल्य के पेट्रोल का आयात किया गया; और

(ङ) देश में सातवीं योजना अवधि के दौरान पेट्रोल खपत की औसत वृद्धि दर कितनी थी और आठवीं योजना अवधि के दौरान कितनी वृद्धि दर होने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ विकासशील देशों मे से कतिपय देशों की पेट्रोल की कीमतें भारत से तुलनीय हैं या अपेक्षाकृत ऊंची हैं। भारत में पेट्रोल की कीमत सरकार द्वारा लागू होती है और इसकी खपत को कम करने के विचार से तथा एच० एस० डी० मिट्टी तेल और एल० पी० जी० जैसे अधिक लोगों की खपत वाले पेट्रोलियम उत्पादों को अधिक सहायता देने की सुविधा को ध्यान में रखकर इसकी कीमत ऊंची रखी जाती है।

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान पेट्रोल का आयात नहीं हुआ।

(ङ) देश में सातवीं योजना अवधि के अधीन पेट्रोल खपत की औसत प्रति वर्ष मिश्रित वृद्धि दर और आठवीं योजना अवधि के दौरान मांग की अनुमानित वृद्धि दर निम्नलिखित है।

| योजना | प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रतिशत |
|---|---|
| सातवीं (अस्थायी) | 10.8 |
| आठवीं (अनुमानित) | 8.4 |

लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को तट दूर क्षेत्रों में कैल्सियम रेत से सीमेंट का निर्माण

8811. श्री इरा अम्बारासु :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट का निर्माण करने के लिए अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के तट दूर क्षेत्रों में उपलब्ध कैल्सियम रेत का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) द्वीप के कमजोर इको सिस्टम के स्वरूप को देखते हुए कारखाने जैसा प्रदूषण फैलाने वाला उद्योग लगाना ठीक नहीं समझा जाता।

मध्य प्रदेश में बिजली का संकट

[हिन्दी]

8812. श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के बिजली संकट को दूर करने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : देश में आठवीं योजना के दौरान 38,000 मेगावाट क्षमता संवर्धन के अनन्तिम आयोजन कार्यक्रम में से, यह प्रत्याशा है कि मध्य प्रदेश में 2950 मेगावाट की अभिवृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त राज्य पश्चिमी क्षेत्र में विद्यमान परियोजनाओं एवं केन्द्रीय क्षेत्र की उन परियोजनाओं से जिन्हें पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित किये जाने की योजना है, भी अपने हिस्से की बिजली प्राप्त करेगा।

मध्य प्रदेश को कोरबा और अमरकंटक बिजली परियोजनाओं का विस्तार

8813. श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की कोरबा और अमरकंटक बिजली परियोजनाओं के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार कार्य कब शुरू किया जाएगा;

(ग) तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य के कितने अतिरिक्त क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) "कोरबा पश्चिम ताप विद्युत केन्द्र" के यूनिट 5 एवं 6—(2×210 मे० वा०) के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव को

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से 581.1[illegible] करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृत किया जा चुका है और योजना आयोग द्वारा निवेश सम्बन्धी अनुमोदन अभी प्रदान किया जाना है। मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सभी निवेशों की उपलब्धता सम्बन्धी सम्पुष्टि एवं इस सम्बन्ध में स्वीकृति प्राप्त कर लिए जाने के बाद अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र (1 X 120 मे० वा०) के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव पर के० वि० प्रा० द्वारा अनुमोदनार्थ विचार किया जा सकता है।

(घ) चूंकि प्रस्तावित यूनिटें राज्य क्षेत्र में प्रचालित की जानी हैं, इसलिए इस प्रकार की यूनिटों के चालू होने पर उत्पादित अतिरिक्त क्षमता राज्य में लाभ हेतु उपलब्ध होगी।

**कागज बनाने के लिए पटसन का उपयोग**

[अनुवाद]

8814. श्री जी० एम० बासवराज :

श्रीमती बासव राजेश्वरी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज बनाने के लिए पटसन का उपयोग करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और किन-किन राज्यों में कागज बनाने के लिए पटसन का उपयोग किया जाएगा ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) सरकार ऐसे एककों को, जो 50% अथवा इससे अधिक अपरम्परागत कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, उत्पाद शुल्क में रियायत की सुविधा देकर कागज बनाने के लिए कृषि अवशेषों, खोई, पटसन इत्यादि के प्रयोग को बढ़ावा देती है। इस सुविधा का उपयोग किसी भी राज्य द्वारा किया जा सकता है जहां पटसन पर आधारित कागज एकक लगाने का प्रस्ताव है।

**रेलवे कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वेतन नीति तैयार करना**

8815. श्री चित्त बसु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेल कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक वेतन नीति तैयार करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का रेल कर्मचारियों को मिल रहे न्यूनतम वेतन और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मिल रहे न्यूनतम वेतन में विद्यमान अन्तर को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, नहीं। रेल कर्मचारी केन्द्र सरकार के कर्मचारी ही होते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बनाये गये वेतनमानों और भत्तों, कार्य की शर्तों आदि को शासित करने वाले नियम और विनियम सामान्यतः रेल कर्मचारियों

पर भी लागू होते हैं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की निम्नतम स्तर पर वेतन में समानता, जहां काम का अंश कर्तव्य और उत्तरदायित्व सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के समान बताए गए हैं, की मांग के सम्बन्ध में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा पहले ही जांच की गई है। आयोग ने यह महसूस किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार में चपरासी/संदेशवाहक का भी काम का अंश सभी प्रकार से विभिन्न कारणों से सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत चपरासियों/संदेशवाहकों के समान नहीं हो सकता है। कार्यों के संयोजन के कारण भी इसमें भिन्नता है। कमीशन ने यह भी टिप्पणी की है कि केन्द्र सरकार जैसे बड़े और जटिल संगठन के कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना निजी क्षेत्र के उपक्रमों में निम्नतम स्तर के पदों के वेतनमानों के साथ साधारण तुलना पर आधारित नहीं हो सकती। आयोग ने अन्ततः यह निष्कर्ष निकाला कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना और उनकी सेवा शर्तें उनकी स्वयं की योग्यता के आधार पर निश्चित करनी होंगी। निस्संदेह, सार्वजनिक उपक्रमों में उपलब्धियों की संरचना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की उपलब्धियों के बारे में राय निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए तर्कसंगत है तथा आयोग ने अपनी सिफारिशें तैयार करते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखा था।

**परली—आदिलाबाद रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना**

8816 **श्री उत्तम राठौड़ :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परली—मुदखेड़ - आदिलाबाद मीटर-गेज अनुभाग में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) परभनी—पूर्णा और मुदखेद आदिलाबाद आमान परिवर्तन परियोजना पर मार्च, 1990 तक लगभग 20 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। तथापि, 1990-91 के दौरान 9.5 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**करवाड़ पत्तन को रेल लाइन से जोड़ना**

8817. **श्री सी० पी० मुद्दाल गिरियप्पा :**

**श्री बी० कृष्ण राव :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करवाड़ पत्तन, जहां नौसैनिक अड्डे "सी बर्ड" का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, के लिए रेल लाइन नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार करवाड़ पत्तन को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने और आठवीं योजना में इसका निर्माण कार्य पूरा करने का है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रोहा—उदुपी बड़ी लाइन के निर्माण को 1990-91 में स्वीकृति दे दी गई है। इसके पूरा होने पर यह करवाड़ तक बड़ी लाइन सम्पर्क उपलब्ध कराएगी। आशा की जाती है कि निर्माण कार्य 5 वर्षों की अवधि में पूरा हो जाएगा।

**कर्नाटक में रेल लाइन**

8818. श्री सी० पी० मुद्दाल गिरियप्पा :

श्री वी० कृष्ण राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य रेल नेटवर्क से भली-भांति नहीं जुड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस राज्य में रेल नेटवर्क का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**बंगलौर और भुवनेश्वर के बीच नई रेलगाड़ी चलाना**

8819. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और भुवनेश्वर के बीच नई रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**कावेरी बेसिन में अपतटीय ड्रिलिंग**

8820. श्री आर० जोवरत्नम :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय वर्ष के दौरान तमिलनाडु में कावेरी बेसिन में अपतटीय ड्रिलिंग आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) और (ख) कावेरी अपतटीय बेसिन में 1987 से खुदाई कार्य चालू है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 1990-91 के

दौरान 39 रिग मास्तों का उपयोग करके 40,030 मीटर के लिए 12 कुओं की खुदाई करने की एक अस्थायी योजना बनाई है।

**मारुति 1000 सी०सी० कारों का उत्पादन**

8821. **श्री आर० जीवरत्नम :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा का विदेशों में जाने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी सरकार की भावी नीति के कारण देश में मारुति 1000 सी० सी० कारों के उत्पादन में बाधा पड़ेगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) और (ख) चूंकि मारुति उद्योग लिमिटेड 1000 सी० सी० कार की उत्पादन लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है अतः इस संबंध में किसी कठिनाई की सम्भावना नहीं है। परियोजना पर कार्यक्रम के अनुसार काम चल रहा है।

**रक्षित विद्युत संयंत्र वाले औद्योगिक एकक**

8822. **श्री इरा अग्गारासु :**

**श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एककों और औद्योगिक पट्टियों में रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जा रही है ताकि विद्युत की कमी का सामना किया जा सके तथा औद्योगिक उत्पादन में रुकावट न आए; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

**ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान)** : (क) जी, हां।

(ख) जहां कहीं पर्याप्त मात्रा में तथा सतत् रूप से विद्युत की आवश्यकता होती है और विश्वसनीय विद्युत सप्लाई अपेक्षित होती है वहां पर कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को प्रतिष्ठापित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार की अनुमति प्रदान करना राज्य बिजली बोर्डों के क्षेत्राधिकार में आता है यदि संयंत्र 25 मेगावाट तक की क्षमता वाला हो। जिन मामलों में प्रस्तावित क्षमता 25 मेगावाट से अधिक होती है ऐसे मामलों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से परामर्श करना आवश्यक होता है।

**विद्युत संयंत्रों की क्षमता का उपयोग**

8824. **श्री इरा अग्गारासु :**

**श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र के विद्युत संयंत्रों में क्षमता के उपयोग की औसत कितनी है; और

(ख) विद्युत संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में ताप विद्युत केन्द्रों में औसत क्षमता समुपयोजन क्रमशः 55.7% तथा 69.5% था।

(ख) ताप विद्युत केन्द्रों के क्षमता समुपयोजन में और सुधार किए जाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा संयंत्र सुधार कार्यक्रम हाथ में लिए जाने के साथ-साथ अतिरिक्त कल-पुर्जे उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाला समुचित मात्रा में कोयला सप्लाई करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाना आदि शामिल है।

**दिघा और जलेश्वर के बीच रेल सेवा**

8825. **श्री समरेन्द्र कुन्डू :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दिघा समुद्र तट पर स्थित दिघा स्टेशन से रेल लाइन को उड़ीसा में चन्दनेश्वर से होकर हावड़ा—मद्रास रेल लाइन के जलेश्वर स्टेशन तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**वर्ग "घ" कर्मचारियों की सेवाओं का नियमित किया जाना**

8826. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगनल और दूरसंचार विभाग, जमशेदपुर द्वारा दिहाड़ी आधार पर वर्ग "घ" के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु दिए गए विज्ञापन के उत्तर में दिनांक 2 नवम्बर, 1989 तक हजारों व्यक्तियों ने आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर कार्यवाही आदि करने संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इसी कार्यालय में पहले से ही विगत एक से छब्बीस वर्षों से कई कर्मचारी दिहाड़ी आधार पर काम कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उन्हें इसी कार्यालय में खपाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या इस समय वहां कार्य ठेके पर कराया जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) लगभग 20,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं लेकिन आवेदन पत्रों की संख्या बहुत अधिक होने तथा परिस्थितियां ठीक न होने के कारण उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।

(ग) और (घ) 1-4-90 को यूनिट में 47 नैमित्तिक श्रमिक थे। इनमें से 43 नैमित्तिक श्रमिकों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है तथा नियमित पदों पर समाहन के लिए उन्हें पैनल में रख लिया गया है। पैनल में रखे गये नैमित्तिक श्रमिकों में से 15 के लिए तैनाती आदेश जारी कर दिए गए हैं, पैनल में बचे 28 नैमित्तिक श्रमिकों को आगामी महीनों में रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर समाहित किए जाने की आशा है। शेष बचे चार श्रमिकों की सेवा चार वर्ष से अधिक की नहीं हुई है तथा उनकी अभी तक स्क्रीनिंग नहीं की गई है।

(ङ) इस समय कार्य आवश्यकतानुसार विभागीय तौर पर तथा ठेके के माध्यम से अर्थात् दोनों प्रकार से किए जा रहे हैं। संचालन स्थापनाओं में अंतर्निहित परिवर्तन सम्बन्धी कार्य, जहां गाड़ी चालन में संरक्षा अंतर्निहित है, सामान्यतः विभागीय तौर पर किए जाते हैं। अन्य कार्य, जो श्रमिक बहुल कार्य हैं तथा मौसमी किस्म के हैं, सामान्यतः ठेकेदारों को सौंपे जाते हैं।

**शीरे पर आधारित औद्योगिक अल्कोहल से उत्पन्न पदार्थों पर प्रतिबन्ध**

8827. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीरे पर आधारित औद्योगिक अल्कोहल से उत्पन्न कई पदार्थों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इन सभी मदों पर से प्रतिबन्ध हटाने की कोई मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**विद्युत क्षेत्र का कार्य-निष्पादन**

8828. श्री जी० एस० वासवराज :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के पहले तीन महीनों के दौरान बिजली के नियोजित और वास्तविक उत्पादन का मास-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिजली उत्पादन में कमी आई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) 1990 के पहले तीन महीनों के दौरान देश में ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य की अपेक्षा वास्तविक विद्युत उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

| | जनवरी, 1990 | फरवरी, 1990 | मार्च, 1990 |
|---|---|---|---|
| जोड़ | | | |
| लक्ष्य | 23403 | 21581 | 23861 |
| वास्तविक विद्युत उत्पादन | 21961 | 19765 | 21694 |
| % | 93.8 | 91.6 | 90.9 |

विद्युत उत्पादन में कमी के लिए सामान्यतः निम्न घटक उत्तरदायी हैं :—

1. प्रणालीगत निम्न मांग के कारण विद्युत उत्पादन में कमी लाना ।
2. उपस्कर में अन्तर्निष्ठ कमियां ।
3. समुचित गुणवत्ता का कोयला उपलब्ध न होना ।
4. अपेक्षित मात्रा में पूरा कोयला उपलब्ध न होना ।
5. प्रणालीगत भार सम्बन्धी परिस्थिति ।
6. यूनिट पुराने होने तथा इस प्रकार गैर-नियोजित बंदिया होना ।
7. जल विद्युत/ताप विद्युत का प्रतिकूल आनुपातिक मिश्रण ।
8. कुछ परमाणु विद्युत केन्द्रों में रिएक्टर सम्बन्धी समस्याएं होना तथा परिणामस्वरूप निर्धारित न किए गए अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य ।
9. कम वर्षा होने के कारण जलाशय में जल का निम्न स्तर होना ।

(ग) देश में विद्युत उत्पादन में अभिवृद्धि के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में ये शामिल हैं; विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन की सघन रूप से मानीटरिंग करना, अतिरिक्त कल-पुर्जे प्राप्त करने में राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना, अपेक्षित मात्रा में समुचित गुणवत्ता वाला कोयला सप्लाई करना, विद्युत केन्द्र के कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कम अवधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना आदि ।

डी० एम० टी० का मूल्य

8829. श्री जी० एस० वासवराव :

श्रीमती वासव राजेश्वरी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने डी० एम० टी० निर्माताओं को औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा निर्देशित निश्चित मूल्य स्तरों पर डी० एम० टी० बेचने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, उस तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डी० एम० टी० निर्माताओं ने किस सीमा तक मूल्यों में कमी की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम०एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) डी० एम० टी० के ऊपर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है जो पोलिएस्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तथापि चूंकि पोलिएस्टर उद्योग का वस्त्रों, बड़े पैमाने पर उपभोग वाली मद से नजदीकी सम्बन्ध है, अत: सभी प्रकार के महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे बी०एम०टी० की कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाती है। तदनुसार सरकार ने समय-समय पर डी० एम० टी० के उत्पादकों से बी० आई० पी० की सलाह के आधार पर डी० एम० टी० के लिए अपनी अन्तर्वस्तुओं की लागत के अनुसार मूल्य अनुशासन बनाए रखने का अनुरोध किया है। डी० एम० टी० के विनिर्माताओं ने तदनुसार कीमतों को कम करके, अपनी कीमतों का समायोजन किया है।

दादरा और नागर हवेली में औद्योगिक एककों में संकट

8830. श्री जी० एस० वासवराव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादर और नागर हवेली में अनेक औद्योगिक एककों को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या ऐसा मुख्यत: केन्द्रीय निवेश राजसहायता के वितरण न किये जाने के कारण है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने औद्योगिक एककों को संकट का सामना करना पड़ रहा है और उनकी सहायता के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 1-10-1988 से समाप्त कर दी गई थी। सरकार ने अपने दिनांक 21-7-1989 के पत्र द्वारा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों को गैर-निर्माणकारी कार्यों के लिए 30 सितम्बर, 1989 तक और निर्माणकारी कार्यों के लिए 30 दिसम्बर, 1989 तक राजसहायता के देने की सलाह दी थी बशर्ते कि उक्त परियोजनाएं राज्य स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति द्वारा 30-9-1988 को अथवा उससे पूर्व अर्थात केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना की वैधता अवधि के भीतर स्वीकृत की गई हों।

दादर और नागर हवेली प्रशासन ने 77 एककों के लिए 7.67 करोड़ रुपये का दावा किया

था। राज्य सहायता 30-9-1988 के बाद स्वीकृत की गई थी, इसलिए उक्त केन्द्र शासित प्रशासन को धनराशि नहीं दी गई थी।

**भाप के इंजनों और डीजल के इंजनों का प्रयोग जारी**

8831. श्री जनार्दन पुजारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण रेलमार्गों के विद्युतीकरण में बाधाएं आ रही हैं;

(ख) क्या सरकार का बिजली की कमी दूर होने तक डीजल के इंजनों का प्रयोग जारी रखने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का कोयले के भारी मात्रा में भण्डार को देखते हुए भाप के इन्जनों का प्रयोग भी जारी रखने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भाप रेल इन्जनों को 2000 ई० तक सेवा से हटाने की योजना है। डीजल और बिजली कर्षणों की तुलना में भाप कर्षण बहुत ही अकुशल है। अत: उनको सेवा में बनाये रखना किफायती नहीं है। भाप लोको परिचालन में खंडीय क्षमता भी बहुत कम हो जाती है और रेलें कर्षण के और अधिक कुशल तरीके अपनाये बिना अपेक्षित यातायात नहीं संभाल पायेंगी।

**राज्य सरकारों द्वारा रेलवे परियोजनाओं का वित्त पोषण**

8832. श्री जनार्दन पुजारी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने रेलवे परियोजनाओं के वित्त पोषण में उनकी भागीदारी के बारे में रेलवे के प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**चम्पारन, बिहार में पन-बिजली परियोजनाएं**

8833. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पश्चिमी चम्पारन क्षेत्र में वाल्मिकि नगर के निकट गंडक नहर पर कितने पन-

बिजली एकक स्थापित करने का विचार है;

(ख) इनमें से कितने एकक निर्माणाधीन हैं; और

(ग) सभी एककों का निर्माण न किए जाने और निर्माणाधीन एककों को पूरा करने में विलम्ब होने के क्या कारण है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**आठवीं योजना अवधि के दौरान सीमेंट संयंत्रों की स्थापना**

8834. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, राज्यवार किन-किन स्थानों पर सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या कुछ सीमेंट संयंत्र उत्तर बिहार के पिछड़े एवं उपेक्षित क्षेत्रों में भी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अखिल सिंह) : (क) हाल ही में किये गये प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार आठवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान बड़े क्षेत्र में सीमेंट के उत्पादन के लिए 11.45 मिलियन टन की क्षमता वाले 17 योजनाएं कार्यान्वित होने की आशा है। इन योजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

| क्र० सं० | राज्य का नाम | संख्या | वार्षिक क्षमता मिलियन टनों में |
|---|---|---|---|
| 1. | असम | 2 | 1.10 |
| 2. | बिहार | 2 | 2.11 |
| 3. | गुजरात | 1 | 0.70 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1.00 |
| 5. | कर्नाटक | 2 | 1.04 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 6 | 4.40 |
| 7. | उड़ीसा | 1 | 0.30 |
| 8. | राजस्थान | 2 | 0.80 |
| | योग : | 17 | 11.45 |

(ख) और (ग) जैसा कि ऊपर (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, बिहार राज्य में आठवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान 2.11 मिलियन टन क्षमता वाली दो योजनाएं कार्यान्वित होने की सम्भावना है। इसके अलावा, राज्य में बड़े क्षेत्र में सीमेंट के उत्पादन के लिए 1.254 मिलियन टन की क्षमता वाली दो और योजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं।

**बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में "ड्रिलिंग"**

8835. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में गोरसहन खण्ड के गोविन्दपुर गांव में अरुआ नदी के किनारे पर कुछ क्षेत्रों में गैस और तेल जैसा कोई पदार्थ रिस रहा है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों ने लगभग डेढ़ वर्ष पहले इस स्थल का निरीक्षण किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इस सम्बन्ध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के दल के निष्कर्ष क्या हैं; और क्या सरकार ने वहां से तेल और गैस विदोहन के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले के अरुआ नदी की तलहटी में हाइड्रोकार्बनों की सम्भावना के बारे में सूचना मिलने पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के एक भू-वैज्ञानिक ने अगस्त, 1986 में उस स्थान का दौरा किया था। उस स्थान पर एक उथले जल में छिद्रण किया गया और उसके अन्तर्भागीय नमूने एकत्र किए गए। प्रयोगशाला में अन्वेषण करने पर इन नमूनों से हाइड्रोकार्बनों की मौजूदगी का पता नहीं चला। नकारात्मक परिणामों को देखते हुए आगे और कोई कार्यवाही नहीं की गई।

**उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण**

[हिन्दी]

8836. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कितने गांव ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिजली के खम्बे तो सालों पहले लगा दिए गए थे लेकिन बिजली अभी तक भी नहीं पहुंची है; और

(ख) इन गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) फरवरी, 1990 के अन्त में उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के एटा जिले के 1510 आबाद गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण के लिए जिलेवार लक्ष्यों को सरकार द्वारा निर्धारित पारस्परिक

प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर राज्य स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में पदोन्नति

8837. डा० बंगारी सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय हवाई पत्तन प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों को हाल ही में उच्च ग्रेड में पदोन्नति दिए जाने में अनुभव में छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह छूट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को भी दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हाल ही में दो कर्मचारियों को इस प्रकार की छूट दी गई है जिसमे से एक कर्मचारी अनुसूचित जाति का है।

(घ) प्रश्न नहीं है।

खादी और ग्रामोद्योग के कर्मचारियों के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त समिति

[अनुवाद]

8838. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री कुसुम कुरुव मूर्ति :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मनदट :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खादी और ग्रामोद्योगों में लगे विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों के बारे मे जांच के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी; और

(घ) खादी और ग्रामोद्योगों को अपना उत्पादन और बिक्री आदि बढ़ाने के वास्ते सरकार द्वारा किये जाने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने देश में के० वी० आई० क्षेत्र में संलग्न भिन्न-भिन्न स्वैच्छिक संगठनों के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का निर्णय किया है। इस समिति के सदस्यों और कार्य क्षेत्र के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है।

(घ) खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं ताकि उत्पादन और बिक्री को बढ़ाया जा सके :—

1. कम ब्याज दर पर धन राशि।
2. ब्याज के लिए राज सहायता।
3. खादी और पाली वस्त्र की बिक्री पर छूट।
4. ग्रामोद्योगों के उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता।
5. उत्पाद और सीमा शुल्क में छूट।
6. कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में प्राथमिकता।
7. अनुसंधान और उत्पादो के विकास के लिए सहायता।
8. उत्पादो के विपणन में सहायता।

**तमिलनाडु में नई विमान सेवाएं**

8839. **श्री एन० डेनिस :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में नई विमान सेवाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान)** : (क) और (ख) इस समय तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में नये हवाई सम्पर्क उपलब्ध कराने के बारे में कोई योजनाएं नहीं हैं।

**कन्या कुमारी के लिये और अधिक एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाना**

8840. **श्री एन० डेनिस :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्या कुमारी के लिए और अधिक सीधी एक्सप्रेस रेलगाड़िया चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**त्रिवेन्द्रम— कन्याकुमारी रेल लाइन को दोहरी लाइन में बदलना**

8841. **श्री एन० जेनिस :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच रेल लाइन को दोहरी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**नागदा में मालगाड़ी के नेपथा के टैंकरों में आग लगने के कारण हुई क्षति**

[हिन्दी]

8842. **श्री सत्यनारायण जटिया :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागदा में माल गाड़ी के नेपथा से भरे टैंकरों में अप्रैल, 1990 को लगी भयंकर आग से हुई जन धन की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) आग लगने के क्या कारण थे; और

(ग) इससे प्रभावित हुए प्रत्येक व्यक्ति अथवा उद्योग को दी गयी राहत का ब्यौरा क्या है और उन्हें मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

**रेल राज्य मंत्री में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह)** : (क) इसमें कोई जन हानि नहीं हुई थी। रेल संपत्ति को लगभग 1.6 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) वरिष्ठ रेल अधिकारियों की एक समिति द्वारा आग के कारणों की जांच की जा रही है।

(ग) 19 घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक को 250/- रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है। जब कभी भी मुआवजे के दावे प्राप्त होंगे उन पर कानून के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

**"एयरबस ए-320" विमानों की उड़ान पुनः शुरू करना**

[अनुवाद]

8843. **श्री माधवराव सिंधिया :**

**श्री सनत कुमार मंडल :**

**श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "एयरबस ए-320" विमानों की उड़ान पुनः शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) ए-320 एयरबसों की उड़ान बन्द करने के कारण इंडियन एयरलाइंस को कुल कितनी वित्तीय हानि हुई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) ए-320 विमानों के परिचालनों को पुनः आरम्भ करने के प्रश्न पर बंगलौर में हुई दुर्घटना की जांच करने वाले जांच न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद विचार किया जाएगा।

(ग) एयरबस ए-320 विमानों के परिचालनों को स्थगित करने के कारण परिचालन हानि प्रति सप्ताह २.५ करोड़ रुपये होने की आशा है।

**बिहार के भोजपुर में अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना**

[हिन्दी]

8844. श्री तेज नारायण सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के भोजपुर या रोहतास जिले में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) बिहार के भोजपुर या रोहतास जिले में अखबारी कागज कारखाना स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**पटना और मालदा में हुई रेल दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा**

[अनुवाद]

8845. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1990 में पटना और मालदा (महाराष्ट्र) में हुई रेल दुर्घटनाओं में मारे गए यात्रियों के आश्रितों द्वारा मुआवजे के लिए कितने दावे किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में मुआवजे के लिए प्रस्तुत किए गए दावों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे भी मामले हुए थे जिनमें मृतकों को नहीं पहचाना जा सका और उनके लिए मुआवजे सम्बन्धी दावे प्रस्तुत नहीं किए गए;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मुआवजे सम्बन्धी दावों का निपटान कर दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इन दावों के कब तक निपटाए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) और (ख) 16-4-90 को 383 अप मोकामा—दानापुर पैसेंजर गाड़ी में आग लगने की दुर्घटना के सम्बन्ध में मुआवजे के दावों के लिए रेल दावा अधिकरण की पटना स्थित खंडपीठ में 4 अनुरोध पत्र दायर किए गए हैं। महाराष्ट्र में मालवा नाम का कोई स्टेशन नहीं है।

(ग) और (घ) 15 मृत यात्रियों की शिनाख्त नहीं की जा सकी।

(ङ) से (ज) दावों के मामलों में मुआवजे का निर्णय पटना स्थित रेल दावा अधिकरण की खंडपीठ द्वारा किया जाएगा जो एक न्यायिक निकाय है। दावा दायर करने के लिए समाचार पत्रों में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। 96 मामलों में मृतकों के निकट संबंधियों तथा घायल यात्रियों को अनुग्रह सहायता के रूप में 5,21,500 रुपये की राशि का भुगतान भी किया गया है।

**राजधानी में बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए सर्वेक्षण**

8846. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजधानी में बिजली की मांग में वृद्धि को देखते हुए यहां अनेक बिजली परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजधानी में बिजली की वर्तमान एवं भावी मांग का पता करने के लिए कोई नया सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) दिल्ली में विद्युत सप्लाई बढ़ाने हेतु 2×67.5 मेगावाट की राजघाट ताप विद्युत प्रतिस्थापन यूनिटों को अभी हाल में चालू किया गया है। विद्यमान गैस टर्बाइनों पर 3×30 मेगावाट की अपलिफ्ट ऊष्मा रिकवरी यूनिटों की प्रतिष्ठापना और बवाना में एक 800 मेगावाट की गैस आधारित संयुक्त साइकल पॉवर-योजना की प्रतिष्ठापना की भी परिकल्पना की गई है बशर्ते कि संसाधन एवं अन्य निविष्टियां उपलब्ध हों।

(ख) से (घ) विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की बिजली की भावी मांगों का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं। 1987 में प्रकाशित तेरहवीं विद्युत सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 1990-91 में बिजली की

व्यस्ततमकालीन मांग 1566 मेगावाट होने का अनुमान है। और इसके 1994-95 में 2389 मेगावाट तक बढ़ जाने का अनुमान है।

**पवन हंस लिमिटेड में घाटा**

8817. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से वर्ष 1990-91 तक पवन हंस लिमिटेड के कार्यकरण के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) इसमें घाटा होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या इसके स्रोतों की जांच कर ली है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस निगम के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस निगम के भारी घाटे को देखते हुए इसे वायुदूत निगम के साथ मिलाने का है;

(च) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो अन्य किन विकल्पों पर विचार किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) गत तीन वर्षों में पवन हंस लिमिटेड का लाभ/(हानि) इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

| 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 |
|---|---|---|
| (6.69) | (4.94)* | 8.31** |

1988-89 और 1989-90 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

*दुर्घटनाग्रस्त हेलीकाप्टरों के रखरखाव में 1.99 करोड़ रुपये पुनरांकित करने के बाद।

**ऐसी व्यवस्था जो अब अपेक्षित नहीं है। बीमा दावों के निपटान पर लाभ के रूप में 7.67 करोड़ रुपये पुनरांकित करने के बाद।

(ख) हानि मुख्य रूप से ह्रास की उच्च दर और हेलीकाप्टरों विशेष रूप से वेस्टलैंड की निम्न उपयोगिता के कारण कम उड़ानों, अर्हता प्राप्त मानव-शक्ति की कमी और समय पर पुर्जों के उपलब्ध न होने के कारण हुई।

(ग) कम्पनी की कोई परिसमापन समस्या नहीं है।

(घ) से (छ) मानवशक्ति की कमी को पूरा करने और पुर्जों की उपलब्धता में सुधार हेतु

प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने दो समितियों का गठन किया है जिसमे से एक समिति पवन हंस लिमिटेड के बेड़े में वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों के सुरक्षा पहलुओं और सेवा योग्यता की जांच करती है और दूसरी समिति कंपनी से संबंधित पहलुओं को देखती है। कम्पनी के कार्य में सुधार करने के लिए विशेष उपाय जैसा आवश्यक समझा जाए किए जाते है। इस समय पवन हंस लिमिटेड को वायुदूत लिमिटेड के साथ समायोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**उत्तर प्रदेश में उपलब्ध पनबिजली उत्पादन क्षमता**

[हिन्दी]

8848. श्री हरीश रावत :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पन बिजली उत्पादन क्षमता का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान कितनी क्षमता बढ़ाने का विचार है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु कोई धनराशि नियत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजनावार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं के 259.4 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) विद्युत क्षेत्र के लिए आठवीं योजना के परिव्यय को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

**उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ जिले में सीमेंट कारखाने की स्थापना**

8849. श्री हरीश रावत :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में चूने के पत्थर के भंडारों का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या उक्त जिले में चूने के पत्थर पर आधारित एक सीमेंट कारखाने की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन भंडारों के विदोहन के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए जा रहे है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद द्वारा संकलित "नेशनल इन्वेंटरी आफ सीमेंट ग्रेड लाईम स्टोन डिपोजिट्स इन इंडिया"

में बताया गया है कि पिथौरागढ़ जिले में चूना पत्थर का 150 लाख मी० टन निश्चित और 930 लाख मी० टन अनुमानित भंडार है।

(ग) से (ङ) इस समय पिथौरागढ़ जिले में 16,500 टी०पी०ए० क्षमता का एक मिनी सीमेंट संयंत्र लगाया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले में सीमेंट संयंत्र लगाने के लिए कोई अन्य आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

**उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु पन बिजली संयंत्र की स्थापना**

8850. **श्री हरीश रावत :**

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों मे बड़ी संख्या में लघु पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस समय चल रही ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस उद्देश्य हेतु वर्ष 1990-91 के लिए धनराशि आवंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान)** : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम के अनुसार राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में 3 मेगावाट क्षमता तक की 19 लघु/सूक्ष्म जल विद्युत योजनाओं पर निर्माण कार्य जारी है। राज्य में अन्य 97 लघु/सूक्ष्म योजनाओं के बारे में जल प्रवाह मापन, सर्वेक्षणों और जांच-पड़तालों एवं परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने जैसे निर्माण कार्य से पूर्व किए जा रहे है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य में लघु/सूक्ष्म जल विद्युत योजनाओं के लिए 4.85 करोड़ रूपये का नियतन किया है।

**लघु औद्योगिक एककों द्वारा निर्यात**

8851. **श्री जगदीश सिंह कुशवाहा :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों द्वारा निर्यात से बेरोजगारी हटाने में काफी हद तक मदद मिलेगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**उद्योग मन्त्री (श्री अजित सिंह)** : (क) जी हां। लघु उद्योगों द्वारा निर्यात में वृद्धि किये जाने से रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे।

(ख) दिनांक 1-4-1990 से प्रभावी आयात तथा निर्यात नीति 1990—93 में लघु उद्योग क्षेत्र को विशेष सुविधाएं मिलती रहेंगी। स्वदेशी उद्योगों को आयात आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु

चलाई जा रही औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र (इमार्क) योजना को सरल बना दिया गया है, जिससे कि अब लघु उद्योग क्षेत्र अपने पक्ष में आयात लाइसेंस लिए बिना ही इसका लाभ उठा सकेगा। नई नीति में कुशल लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने को बढ़ावा देने हेतु मान्यता प्राप्त केन्द्रों के वास्ते एक विशेष निर्यात सुविधा आरम्भ की गई है। यह लाभ लघु उद्योग क्षेत्र को भी मिलेगा। लघु उद्योग क्षेत्र को एक्सपोर्ट हाउस/ट्रेडिंग हाउस के रूप में मान्यता देने के लिए इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को दुगुना महत्व देने सम्बन्धी पहले प्रावधान वाली नीति जारी रखी गई है।

**माल ढुलाई सम्बन्धी सुविधाएं**

[अनुवाद]

8852. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रेलवे में माल ढुलाई सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) भारतीय कंटेनर निगम, जो रेल मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में सरकारी उपक्रम है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा घरेलू कार्गो दोनों के कंटेनरीकरण तथा अन्त: मोडल को बढ़ावा देने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं तथा कंटेनर माल भाड़ा स्टेशनों की स्थापना करेगा। मौजूदा सात अन्तर्देशीय कंटेनर डिपुओं तथा 9 कंटेनर माल भाड़ा स्टेशनों के अलावा चालू वर्ष के दौरान निर्यात तथा आयात कार्गो को सम्हालने के लिए अहमदाबाद, हैदराबाद तथा पुणे में सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकनामिक सर्विसेज (राइट्स) ने 23 स्थानों पर अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो तथा 71 स्थानों पर कंटेनर मालभाड़ा स्टेशन स्थापित करने की सिफारिश की है।

**मद्रास में द्रुतगामी परिवहन प्रणाली**

8853. **श्री एम० डेनिस :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु के मद्रास नगर में द्रुतगामी परिवहन प्रणाली के पूर्ण होने के सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

**रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) :** मद्रास बीच से चेपक तक स्टेशन भवनों, सड़क/रेल पुलों के निर्माण उत्थापित संरचनाओं, रेल पथ बिछाने आदि का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना की 30-4-90 तक प्राप्त हुई समग्र वास्तविक प्रगति 34 प्रतिशत है।

**एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में रिक्त पद**

8854. **श्री नरसिंह राव दीक्षित :**

**श्री शिव शरण वर्मा :**

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में इस समय केवल एक ही सदस्य है और इसके चेयरमैन नहीं है;

(ख) इस आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी; और

(ग) उनकी नियुक्ति में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) इस समय, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में केवल एक सदस्य है जो अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन भी कर रहा है।

(ख) और (ग) रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने की कार्यवाही चल रही है। चूंकि चयन व्यापक आधार की विधि से और पूर्ण रूप से विचार करने के बाद किए जाने हैं अत: रिक्तियों को भरने में कुछ समय लग रहा है। आशा है कि रिक्त पदों पर नियुक्तियां जुलाई, 1990 के मध्य तक अधिसूचित कर दी जाएंगी।

**दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर कुलियों को नए लाइसेंस जारी करना**

8855. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग द्वारा दिल्ली, नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कुलियों के लिए नए लाइसेंस जारी कर दिए गए है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इन स्टेशनों पर कुलियों के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ग) ऐसे लाइसेंस जारी करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और इन स्टेशनों पर इनकी ड्यूटीज तथा इनके कार्य-क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि, कुछ मौजूदा लाइसेंस बैजों को हस्तांतरित किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औचित्य पाए जाने पर स्टेशन के सूचना पट्ट पर रिक्तियां अधिसूचित करने के बाद नए लाइसेंस जारी किए जाते है तथा आवेदन पत्रों की चयन बोर्ड द्वारा स्क्रीनिंग की जाती है जिसमें रेलवे का एक प्रतिनिधि, मान्यता प्राप्त स्कूल/कालेज का प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य तथा स्थानीय श्रमिक/रोजगार कार्यालय अधिकारी होता है। लाइसेंसधारी कुली उसी स्टेशन के परिसर के भीतर यात्रियों का सामान ढो सकता है जिसके लिए उसे लाइसेंस दिया गया है।

**एअर इंडिया और वायुदूत द्वारा विमानों की खरीद**

[हिन्दी]

8856. **श्री दलबीर चौधरी :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान एअर इंडिया और वायुदूत ने किन्हीं विमानों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन विमानों की खरीद में भारी अनियमितताएं बरते जाने की जानकारी मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान एअर इंडिया और वायुदूत द्वारा खरीदे गये विमानों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

| वर्ष | एअर इंडिया | वायुदूत |
|---|---|---|
| 1984 | — | 2 डोर्नियर 228 विमान |
| 1985 | — | 4 डोर्नियर 228 विमान |
| 1986 | 5 ए-310-300 विमान | 4 डोर्नियर 228 विमान |
| 1987 | 1 बी-747-200 विमान | — |
| | 1 ए-310-300 विमान | |
| 1988 | 2 बी-747-300 (कोम्बी) विमान | — |

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं है।

## रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन

[अनुवाद]

8858. डा० वेंकटेश काब्डे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन या इसको समाप्त किए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) रेलवे बोर्ड को पुनर्गठित करने या इसे समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**नांदेड़ हवाई अड्डे के निकट बहुमंजिली इमारत**

8859. **श्री मोरेश्वर सावे :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नांदेड़ हवाई अड्डे के बिल्कुल निकट एक बहुमंजिली इमारत के निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस इमारत के निर्माण से विमान यातायात और सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस इमारत के निर्माण के लिए अनुमति देने के कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं है।

**बम्बई-रत्नगिरि के बीच वायुदूत सेवा**

8860. **श्री राम नाईक :**

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई (बम्बई) और रत्नगिरि (महाराष्ट्र) के बीच वायुदूत सेवा समाप्त कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा नागर विमानन मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) मुम्बई (बम्बई) और रत्नागिरी के बीच वायुदूत सेवाएं धावनपथ के मरम्मत कार्य तथा विमान क्षमता की कमी के कारण बन्द कर दी गई हैं।

**लिंक एक्सप्रेस को आगे तक चलाना**

8861. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल/कर्नाटक में स्पीड लिंग एक्सप्रेस को आगे किसी अन्य स्थान तक चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## बम्बई डिवीजन में कुलियों के लाइसेंसों का अंतरण

[हिन्दी]

8862. श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंसधारी कुलियों के कमजोर होने तथा उनके कार्य में अक्षम होने की स्थिति में उनके निकट सम्बन्धियों को उनका लाइसेंस अंतरित करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम रेलवे को बम्बई डिवीजन में अन्तरित किये जाने के ऐसे कितने मामले लम्बित पड़े हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अजय सिंह) : (क) जी हां। मृत्यु के मामलों में या जब लाइसेंसधारी कुली बहुत ही बूढ़ा, अशक्त या सख्त बीमार हो जाता है तथा अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाता है।

(ख) बूढ़ा या अशक्त होने तथा गंभीर बीमारी के कारण अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ होने का दावा करने वाले लाइसेंसधारी कुली की डाक्टरी जांच की जाती है तथा रेलवे डाक्टर द्वारा यह प्रमाणित करना होता है कि वह शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं है। वह परिवार का एक मात्र कमाने वाला सदस्य भी होना चाहिए। कुली का लाइसेंस उसके पुत्र या दत्तक पुत्र और यदि उसका कोई पुत्र नहीं है या उसका पुत्र जीवित नहीं है तो उसके निकट सम्बन्धी, जिसमें भाई, भाई का लड़का या पत्नी का भाई शामिल है, को अन्तरित किया जा सकता है। लाइसेंसधारी कुली द्वारा परिवार के आश्रित तथा नामनिर्देशिती से उसके सम्बन्ध के प्रमाण हेतु मजिस्ट्रेट की मुहर लगा हलफनामा प्रस्तुत करना होता है। रेलवे डाक्टर द्वारा यह प्रमाणित करना होता है कि नामनिर्देशिती लाइसेंसधारी कुली की ड्यूटी करने के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त है।

(ग) पश्चिम रेलवे के बम्बई मंडल में अंतरण का ऐसा कोई मामला लम्बित नहीं है।

## एअर इण्डिया के कर्मचारियों का तस्करी में लिप्त होना

[अनुवाद]

8863. श्री गुरुनापल्ली रामचन्द्रन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एअर इंडिया के कर्मचारियों के तस्करी कार्य में लिप्त होने की घटनाओं की कोई जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या एअर इंडिया का कोई कर्मचारी वर्ष 1989-90 के दौरान तस्करी के आरोपों के कारण निलम्बित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1989-90 के दौरान एअर इंडिया के कर्मचारियों द्वारा अथवा उनकी मिली भगत द्वारा किस प्रकार के सामान की तस्करी की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ङ) सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी प्रत्येक पकड़े गए मामले की जांच करते हैं और न्यायिक कार्रवाई शुरू करते हैं। एअर इंडिया के तीन कर्मचारियों के खिलाफ 1989-90 के दौरान कार्रवाई की गई थी जिनके विवरण संलग्न है ।

विवरण

| क्रम सं० | कर्मचारी का नाम | आरोप/अपराध के विवरण | अपराध के वित्तीय प्रभाव | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री एन० बी० चौहान वरिष्ठ टेलीफोन आपरेटर | हीरोइन की तस्करी (250 ग्राम) | यू० के० पौंड 25,000 | 2-2-89 को निलंबित किया गया। लंदन न्यायालय द्वारा उन्हें पांच वर्ष की सजा दी गई। |
| 2. | श्री बी० के० सैमियन, कनिष्ठ आपरेटर | 240 सोने की छड़ों की तस्करी | 95,00,000 रुपये | 23-5-89 को निलम्बित किया गया। कारण बताओ नोटिस सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा 8-11-89 को दिया गया। |
| 3. | श्री जे० वी० गुरसहानी वरिष्ठ ए/तकनीशियन | 120 सोने की छड़ों की तस्करी | 46,80,000 रुपये | 6-2-90 को निलम्बित किया गया। उन्हें 21-2-90 को एक वर्ष की अवधि के लिए कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के अधीन बन्द कर दिया गया था। |

पंजाब में रुग्ण औद्योगिक एकक

8864. श्री कमल चौधरी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार पंजाब में बड़े और लघु औद्योगिक एककों की संख्या क्या है और इनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) पंजाब मे कितने उद्योग रुग्ण है और इसके कारण क्या हैं और कितने कर्मचारियों की छटनी की गई है;

(ग) वर्ष 1989 के दौरान कितने उद्योग बन्द हुए और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इन एककों में सरकार और बैंकों का कुल कितना धन लगा हुआ है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) देश मे बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक इकाईयों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस परिभाषा के अनुसार एकत्र किये जाते हैं जो इसने अपनायी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित आंकड़े पंजाब में मौजूदा बड़े, मझोले और लघु औद्योगिक एककों की कुल संख्या और इसमें काम कर रहे श्रमिकों की कुल संख्या को नहीं दर्शाते। इसमें केवल रुग्ण औद्योगिक एककों के बारे में सूचना दी गयी है।

(ख) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार पंजाब में दिसम्बर, 1987 के अन्त में 21 गैर लघु औद्योगिक रुग्ण एकक और 2,434 लघु औद्योगिक रुग्ण एकक थे और इनके पास बकाया पड़ी राशि क्रमश: 12.73 करोड़ रु० और 44.97 करोड़ रु० थी।

औद्योगिक एकक बंद होने से संबंधित और निकाले गये श्रमिकों के आंकड़े श्रम मंत्रालय द्वारा रखे जाते हैं, जिन्होंने पंजाब में 23 श्रमिकों (आंकड़े अनंतिम) को निकाले जाने की सूचना दी है।

आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के अनेक कारण औद्योगिक रुग्णता के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से कुछ मुख्य कारण यह हैं :—दोषपूर्ण आयोजना, प्रबंधात्मक कमियां, अकुशल वित्तीय नियंत्रण, संसाधनों का विविधीकरण, अनुसंधान तथा विकास पर पर्याप्त ध्यान न देना, प्रौद्योगिकी और मशीनरी का पुरानापन, खराब औद्योगिक संबंध, अपर्याप्त मांग, कच्चे माल तथा अन्य सिविष्टियों की कमी तथा अवस्थापना संबंधी बाधाएं।

(ग) जैसा कि श्रम मंत्रालय द्वारा बताया गया है पंजाब में 1989 के दौरान 2 एकक (आंकड़े अनंतिम) बंद थे और इनके बंद होने के कारण मालूम नहीं है।

आवश्यक औषधों का अभाव

8865. श्रीमती जे० जयम्मा :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रूफेन आदि जैसे आवश्यक औषधों का बाजार और अस्पतालों में अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इन औषधों का अभाव दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (ग) तक की कमी की कोई रिपोर्ट इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है ।

## औषधियों का उत्पादन

[हिन्दी]

8966. श्री रामेश्वर प्रसाद :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्लोरमफैनिकोल, सल्फाडिमिडाइन, पी० ए० एस० एस० और आई० एन० एच० के प्रमुख उत्पादकों की स्वीकृत उत्पादन क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान इन औषधियों का वास्तविक उत्पादन कितना किया गया है;

(ख) क्या इन औषधियों का वास्तविक उत्पादन स्वीकृत उत्पादन क्षमता से बहुत कम था; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या है और इन औषधियों का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) क्लोरमफेनीकोल, सल्फाडाइमिडाइन, पी० ए० एस० एस० और आई० एन० एच० के मुख्य उत्पादकों के नाम उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमताओं सहित जहां तक उपलब्ध है, संलग्न विवरण में दिये जाते है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन औषधों का उत्पादन निम्न प्रकार किया जाता है :—

| मद | उत्पादन (ट०) | | |
|---|---|---|---|
| | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 |
| क्लोरमफेनीकोल पाउडर | 60.5 | 94.64 | 92.84 |
| क्लोरमफेनीकोल पाल्मिटेट | 11.1 | 1.93 | 14.50 |
| सल्फाडाइमिडाइन | 268.84 | 475.36 | 465.72 |
| पी० ए० एस० और उसके लवण | 86.33 | 68.77 | 74.48 |
| आई० एन० एच० | 188.58 | 57.84 | 140.29 |

(ख) और (ग) क्लोरमफेनीकोल के मामले में उत्पादन अनुमोदित क्षमता के अनुरूप था। सल्फाडाइमिडाइन, पी० ए० एस० एस० और आई० एन० एच० के उत्पादन में कमी औषधों के प्रचलन, अधिक प्रभावयुक्त औषधों को आरम्भ करने और कम्पनियों की कारपोरेट योजनाओं सहित अनेक कारणों से आई है। उत्पादन बढ़ाने के लिए इन औषधों को ई० आई० आर० योजना के अंतर्गत लाया गया है ।

विवरण

| मद/कम्पनी का नाम | क्षमता |
|---|---|
| क्लोरमफेनीकोल | |
| 1. बी० के० लि० | 60 ट० |
| 2. पार्क—डेविस | 70 ट० |
| 3. आर्मर केमिकल्स | उपलब्ध नहीं |
| सल्फाडाइमिडाइन | |
| 1. आई० डी० पी० एल० | 1000 ट० |
| 2. मे एण्ड बेकर | 210 ट० |
| | (अनेक अन्य मदें शामिल हैं) |
| पी०/ए० एस० | |
| 1. आई० डी० पी० एल० | 400 ट० |
| 2. फाइजर | 40 ट० |
| 3. बांडर | 420 ट० |
| 4. बायो-इवांस | 120 ट० |
| आई० एन० एच० | |
| 1. बेमो—फार्मा० | 240 ट० |
| | (अन्य मदें भी शामिल हैं) |
| 2. फाइजर | 80 ट० |
| 3. जैन कालियावाला | उपलब्ध नहीं |

विशाखापत्तनम में नेप्था क्रेकर परियोजना

[अनुवाद]

8867. श्रीमती चेन्नुपति विद्या :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापतनम में नेप्था क्रेकर परियोजना की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश के विशाखापतनम में नेफ्था क्रेकर स्थापित करने के लिए संगत तकनीकी आर्थिक पहलुओं पर विचार करने के बाद 13 अक्तूबर, 1989 को एक आशयपत्र जारी कर दिया गया है।

12.00 मध्याह्न

श्री वसंत साठे (वर्धा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वास्तव में इस मामले पर सारे सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यह एक तथ्य है कि लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्र और राज्यों में सत्ता परिवर्तन हो गया है। लोकतंत्र में ऐसा होना सामान्य सी बात है। इसलिए इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। यद्यपि यह स्थिति बड़ी ही विचित्र है जिससे कि एक अल्पसंख्यक सरकार को दो दूसरे दल बाहर से समर्थन दे रहे हैं। यह भी एक तथ्य है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। तिवारी जी आप बैठ जाइये, हमें रेगुलेट करने दीजिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : अभी भी हमारा दल सबसे बड़ा दल है। यह भी एक तथ्य है। परन्तु प्रश्न यह नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : आप 415 से घटकर 193 रह गये हैं। कांग्रेस की बपौती समाप्त हो गई है। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : यह ठीक है कि हम 415 से घटकर 193 रह गये हैं। इसलिए हम यहां बैठे हैं, यह भी सच बात है लेकिन आपके लिए इतना घमण्ड करना जरूरी नहीं है। (व्यवधान)

घमण्ड चूर होता है, यह ठीक है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

हमारा अपना पिछला अनुभव है। 1977 में जब जनता पार्टी इससे भी बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आई थी, उस समय भी हमारा अनुभव यही है कि उन्होंने इंदिरा जी और उनके परिवार के विरुद्ध वास्तव में उत्पीड़न का एक अभियान चला दिया था। यहां तक कि फार्म को खोदा गया, घरों पर छापे मारे गए, सब कुछ किया गया, परन्तु उन्हें कुछ नहीं मिला। परन्तु 1980 में जब इंदिरा जी फिर सत्ता में आईं तो उनके किसी प्रतिद्वन्द्वी के विरुद्ध मामला दर्ज नहीं किया गया। और दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों के घरों पर भी छापे नहीं मारे गये। (व्यवधान) अगर इस सरकार का यही दृष्टिकोण है तो वे स्पष्ट कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हमें हमेशा के लिए पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : स्टेट गवर्नमेंट के अपने कानून हैं, रूल्स एण्ड रेगुलेशंस हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री वसंत साठे** : महोदय, दिल्ली में छापे मारे गए हैं। जब तक केन्द्रीय सरकार अनुमति नहीं देती, कोई भी राज्य सरकार दिल्ली में छापे नहीं मरवा सकती। मैं यह जानना चाहता हूं कि (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया आप बैठ जाइए। एक व्यवस्थित चर्चा होने दीजिए।

**श्री वसंत साठे** : हमारी भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में सरकार है। यह उनके राजनीतिक द्वेष का दृष्टिकोण है। आज हम जो देख रहे हैं, वह एक बहुत ही खतरनाक खेल है। उन लोगों को परेशान करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध वारंट भी जारी कर रहे हैं, जो लोग पिछली सरकार के करीब समझे जाते थे।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं को स्थापित करना चाहते हैं अथवा आज भी इस सरकार का दृष्टिकोण राजनीतिक द्वेष की भावना से प्रेरित है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप उनकी तरफ नहीं मेरी तरफ देखिए।

**श्री वसंत साठे** : मेरी परेशानी यह है। वह इसलिए कि —

**श्री बालगोपाल मिश्र** (बोलनगीर) : आपको उनकी चिन्ता क्यों है। (व्यवधान)

**श्री वसंत साठे** : मैं आपमें हर एक को उत्तर दे सकता हूं। परन्तु अध्यक्ष महोदय ने मुझे कहा है कि आपकी तरफ न देखूं।

हम सभी इस दृष्टिकोण के कारण चिन्तित हैं। मैं किसी व्यक्ति-विशेष के प्रति चिन्तित नहीं हूं। मैं एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा उठा रहा हूं। अगर एक बार यह सरकार कह दे कि इस प्रकार का राजनीतिक द्वेष चलता रहेगा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा कोई राजनैतिक व्यक्ति नहीं है जिसका कि अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। हम सभी का सार्वजनिक जीवन है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री राम धन** (लालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इमरजेंसी में मुझे, श्री चन्द्रशेखर जी को और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को क्यों जेल में डाला गया था ? (व्यवधान)

**श्री वसंत साठे** : अब आप जिंदगी भर इमरजेंसी की बात करते रहेंगे क्या ? इमरजेंसी के नाम पर आप दो बार सरकार में आ चुके हैं, इमरजेंसी के बूते पर दो बार आपकी सरकार आ गई है। (व्यवधान)

जेल में मोटे होकर बाहर निकले हैं, फिर भी रो रहे हैं। (व्यवधान)

कब तक आप इमरजेंसी की बात करते रहेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें बोलने की अनुमति दे रहे हैं ?

श्री बसंत साठे : जी नहीं। (व्यवधान)

श्री बालगोपाल मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बसंत साठे : किस नियम के अन्तर्गत ? वह नियम बताएं।

श्री बालगोपाल मिश्र : माननीय बसंत साठे जी राजनैतिक द्वेष के बारे में बता रहे हैं। वे बेसिरपैर की हांक रहे हैं। पहले वह यह स्पष्ट करें कि यह राजनैतिक द्वेष है क्या ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बसंत साठे : महोदय, मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूं। (व्यवधान)

लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयत्न किया है। यह माननीय सदस्य का अधिकार है।

श्री बसंत साठे : कम से कम आप, प्रो० मधु दण्डवते जैसे कुछ लोग तो··· (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : व्यवस्था का प्रश्न उठाना मेरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस अधिकार से वंचित नहीं कर रहा।

श्री लोकनाथ चौधरी : माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आपको उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी थी और फिर उसे अस्वीकार कर दिया है।

[हिन्दी]

प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे) : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी सम्माननीय बसंत साठे जी ने कहा कि एमरजेंसी में जेल में रहकर आप मोटे होकर बाहर आए। इन लफ्जों को कार्यवाही से निकाल दिया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसंत साठे : मुझे सचमुच बड़ा खेद है कि कुछ लोग हमें जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं। (व्यवधान)

श्री बसंत साठे : हम में से प्रो० मधु दण्डवते और आपके साथ-साथ वे लोग जेल जाने से नहीं डरेंगे जिन्होंने 1942 में ब्रिटिश शासन काल में जेलों में सजा भुगती है। यह बात यह नहीं है। मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या किसी को भी जेल भेजा जा सकता है अथवा नहीं (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं। आपकी दी हुई व्यवस्था के अनुसार मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। पहले लोग चिल्लाते थे, हल्ला करते थे, आपने सभी दलों के नेताओं की बैठक की और एक परम्परा यहां प्रश्नकाल के लिए बनाई। उस दिन आपने आदेश दिया था कि जो लोग लिखकर भेजेंगे और जिनको आप स्वीकार करेंगे उनको बोलने का समय प्रश्नकाल में दिया जाएगा ? आपने स्पष्ट किया था कि एक मिनट से अधिक समय किसी को भी नहीं दिया जाएगा। (व्यवधान)

मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि वसंत साठे जी ने लिखकर दिया होगा, इसलिए आपने बोलने की इजाजत दी। लेकिन कोई समय सीमा तो होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही प्रार्थना सरकार से करना चाहता हूं कि पालिटीकल वैंडेटा की वजह से जो रेड्स और अरैस्ट्स हो रही हैं इनको यदि समय रहते न रोका गया तो इसका बहुत बुरा असर हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था पर पड़ेगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उसकी क्या नीति है ?

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं वसंत साठे जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह प्रश्न उठाया। परन्तु, आप जानते हैं कि पिछले दो दिनों से मैं आपको इस विषय में लिखता आ रहा हूं। वह स्पष्ट कुछ नहीं कह रहे थे ? उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने उड़ीसा मे कुछ राजनीतिज्ञों, अफसरों तथा उद्योगपतियों के घरों पर छापे डलवाये हैं और इनमें से एक है··· *···*(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह राज्यों का विषय है।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : आपने उन्हें दस मिनट बोलने का समय दिया। मुझे भी कुछ और समय दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू : ऐसी छापे मारने की कार्यवाही केवल राज्य का ही विषय नहीं है। इसका सम्बन्ध सारे देश से है। यह एक महत्वपूर्ण राजनैतिक कार्यवाही है। इसलिए, हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि इन छापों का परिणाम क्या निकला। समाचार पत्रों का यह कहना है कि एक स्विस बैंक खाते का पता चला है। समाचार पत्रों का यह भी कहना है कि एक बड़ी नकद राशि करोड़ों रुपये के गहने भी प्राप्त हुए हैं। समाचार पत्रों के अनुसार नोट जले हुए थे। (व्यवधान)। मैं अपना मन बिल्कुल साफ रखूंगा। समाचार पत्रों का कहना है कि नोटों को जला दिया गया है। समाचार पत्रों का कहना है कि एक मंत्री शौचालय के रोशनदान में से भागकर बच निकलना चाहता था। मेरा कहने का भाव यह है कि क्या स्वच्छ सार्वजनिक जीवन और स्वच्छ राजनैतिक जीवन के लिए ऐसे छापे डलवाना चाहिए या नहीं। इस सम्बन्ध में आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। मेरा व्यक्तिगत विचार यह

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है कि कोई भी मंत्री या संसद सदस्य कानून के ऊपर नहीं है। इसलिए मैं श्री बीजू पटनायक द्वारा उड़ीसा में उठाये गए इस दृढ़ और साहसपूर्ण कदम का स्वागत करता हूं। हम बैठकर इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। परन्तु इसके साथ-साथ मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 40 वर्षों में राजनीतिज्ञों के विरुद्ध किसी भी मामले में किसी को भी अपराधी नहीं पाया गया। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। एक और प्रश्न जो प्रैस द्वारा उठाया गया है वह यह है कि सम्पत्ति को जब्त करने के लिए··· (व्यवधान)

इन लोगों ने कुदाल आयोग नियुक्त किया था। राजनैतिक बैर के कारण इन लोगों ने राजनैतिक गतिविधियों की जांच के लिए कुदाल आयोग नियुक्त किया था···**···अब वे दलील प्रस्तुत कर रहे हैं कि यह राजनैतिक बदला है। वे 40 वर्षों से राजनैतिक बैर में फंसे रहे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नामों तथा आरोप सम्बन्धी उल्लेखों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डु : क्या आप यह कह रहे हैं कि 'कुदाल आयोग' कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा? इस आशय का एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि उड़ीसा सरकार इस सम्पत्ति को जब्त करने के लिए कानून बनाना चाहती है। मैं चाहता हूं कि गृह विभाग को इस सम्पत्ति को जब्त करने में उड़ीसा सरकार की सहायता करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री इस मामले के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसंत साठे : जिन्दगी भर पावर में नहीं रहोगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री साठे, एक-दूसरे को सम्बोधित मत कीजिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, हमने आज सुबह के समाचार पत्र में पढ़ा है कि खालिस्तान कमांडो फोर्स द्वारा प्रबन्धक कमेटी के अध्यक्ष श्री तोहड़ा को लुधियाना में गोली मार दी। आज लुधियाना को पंजाब का सबसे सुरक्षित स्थान समझा जाता है। जब उनके गोली मारी गई उस समय वह ढाबा के निकट थे। यह बताया गया है कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कि आतंकवादी पुलिस की वेषभूषा में थे। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि वह नहीं जानते कि गोली किसने मारी, वह यह भी नहीं जानते कि इसमें कितने लोग शामिल थे। उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि क्या घटना घटी। परन्तु उन्होंने पूछताछ के लिए दस लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थिति गम्भीर होती जा रही है। श्री तोहरा को कभी प्रत्यक्ष रूप से धमकी नहीं दी गई। परन्तु श्री तोहरा के माध्यम से सरकार को इस बात की जानकारी थी कि वह भी हिटलिस्ट में हैं। यदि श्री तोहरा पर; जिन्होंने इस बात के लिए कभी असहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया कि आतंकवादियों की विगत में गतिविधियां बढ़ी हैं, आक्रमण हो सकता है तो स्थिति कैसी है? पंजाब की स्थिति उस स्तर तक पहुंच गई है कि आज के प्रत्येक प्रसांगिक व्यक्ति को एक-एक करके हत्या की जा रही है।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं सोचता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए। यह केवल एक व्यक्ति की ही बात नहीं है। वह एस० जी० पी० सी० के अध्यक्ष हैं। यह एक अड़चन है। वे एक राजनैतिक संदेश भेजने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात को समझती होगी कि ये आतंकवादी कौन-सा सन्देश भेजने का प्रयास कर रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए कि कुछ आतंकवादियों का मामला नहीं है, कुछ युवक यह कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि विदेशों से सहायता दी जा रही है, धन दिया जा रहा है, बाहर के लोग नाम बता रहे हैं कि आज, कल और परसों किसकी हत्या की जाएगी, परन्तु हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हम इतने असहाय हैं ?

हम चाहते हैं कि सरकार को स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए, यह नहीं कि यह घटना सुबह 8 बजे अथवा दोपहर के दो बजे घटी तथा हम मामले की जांच करेंगे, इस तरह की सूचना नहीं चाहिए। जी नहीं। हम यह जानना चाहते हैं कि कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है तथा लुधियाना में ऐसी घटनायें क्यों घटती हैं। पिछले एक महीने में कैसी स्थिति रही।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : अध्यक्ष महोदय, श्री कुमारमंगलम् ने जो सवाल उठाया है, वह जायज है। पंजाब में जो स्थिति बन गई है, मैं समझता हूं कि वहां के राज्यपाल को बदलना चाहिए और पंजाब का शासन किसी मिलिट्रीमैन या रिटायर्ड मिलिट्री आफिसर के हाथ में देना चाहिए। इसका कारण यह है कि आतंकवादी अपनी आतंक की गतिविधियां बढ़ाए जा रहे हैं और यह सब कश्मीर के जो आतंकवादी है, उनके साथ मिलकर यह कुकर्म हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर कड़े कदम उठाये ताकि पंजाब बच सके।

[अनुवाद]

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : केन्द्र सरकार ने आई० आई० टी० के अध्यापकों के वेतनमानों में वृद्धि कर दी है। इसके कारण विश्वविद्यालय के अध्यापकों में भारी असन्तोष व्याप्त है क्योंकि विगत तीस वर्षों से विश्वविद्यालय और आई० आई० टी० अध्यापकों के वेतनमान समान थे। इसका तात्पर्य सूचीबद्ध शिक्षा नीति का, जिसके अन्तर्गत नवोदय विद्यालय, स्वायत्तशासी कालेज और प्रतिष्ठित संस्थाएं शुरू की गई है जारी रखना है।

इसलिए मेरा शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इसकी जांच करें और उपचारात्मक कदम उठाएं।

श्री लोकनाथ चौधरी : मणिपुर तक विद्रोह फैल गया है। मणिपुर पीपुल्स आर्मी ने बाहर के लोगों को अन्तिम चेतावनी दी है यदि वे इस महीने के अन्त तक मणिपुर से नहीं जायेंगे तो उन्हें गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसी दौरान कुछ हत्यायें हो रही हैं।

जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर पीपुल्स आर्मी का उल्फा तथा नागालैंड के आतंकवादियों से सम्बन्ध है इसलिए समूचे पूर्वी क्षेत्र में विद्रोह फैल रहा है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार बाहर के लोगों, जो वहां है और जिन्हें अन्तिम चेतावनी दी जा रही है, के जीवन की रक्षा के लिए मणिपुर के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : बाहर के भारतीय।

श्री लोकनाथ चौधरी : यह वास्तव में गम्भीर मामला है। मैं सभा का ध्यान इस विशेष

टना, जो मणिपुर में घटी है की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गृह मंत्री को मणिपुर की स्थिति के बारे में वक्तव्य देना चाहिए तथा स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए।

हिन्दी]

**श्री अरविन्द नेताम** (कांकेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और आपके माध्यम से सदन का ध्यान आज के अखबारों में छपे इस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं कि देश के प्रख्यात समाजसेवी बाबा आमटे और श्री सुन्दर लाल बहुगुणा नर्मदा घाटी के दो हजार लोगों के साथ कल प्रधान मंत्री निवास के सामने धरना दिया है। उनकी मुख्य मांग बड़े बांध के खिलाफ जो पुनर्वास की समस्या पैदा हो जाती है, उसकी ओर प्रधान मन्त्री और भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना था। उसके सम्बन्ध में अखबारों में जो कुछ छपा है, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से यह कहना चाहता हूं··· (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठिए, मैंने श्री नेताम को बुलाया है। किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए।

(व्यवधान)

**श्री अरविन्द नेताम** : अध्यक्ष जी, सरकार के सामने जो तथ्य हैं, और नर्मदा बांध बचाओ आन्दोलनकारियों ने जिन तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है, दोनों तथ्यों में बहुत अन्तर है। उनका कहना है कि जो कैचमैंट एरिया ट्रीटमैंट योजना तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम 1987 तक पूरा हो जाना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हुआ है। उसी प्रकार से पुनर्वास योजना के बारे में, जो कार्य 1987 तक पूरा हो जाना चाहिए था, वह भी अभी तक कम्पलीट नहीं हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने तीन गांव बसाने तक में अपनी असमर्थता जाहिर की है। (व्यवधान)

उसी प्रकार से फ्लोरा फौना वाटर लौगिंग और इकालोजिकल सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका ठीक से अध्ययन नहीं कराया गया है। वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में भी अलग-अलग आंकड़े सामने आये है तथा फायदों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रधान मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे पिछले दिनों स्वयं हमारे यहां बस्तर जिले में गए थे, जो मेरे क्षेत्र में है, वहां उन्होंने आदिवासियों की समस्याएं सुनी थी, आदिवासियों से मिले भी थे। इस समय दिल्ली में वहां के आदिवासी आये हुए हैं। मेरा निवेदन है कि प्रधान मन्त्री जी स्वयं उन लोगों के साथ जाकर मिलें और उनकी बातों को सुनें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह योजना नहीं बननी चाहिए लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि उन लोगों की बात सुनने के बाद पूरे प्रोजैक्ट का री-असैसमैंट कराया जाए और तब तक के लिए प्रोजैक्ट के काम को रोके रखा जाना चाहिए, काम शुरू ही किया जाए। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : चावड़ा जी, आप बैठिए, मैंने आपको नहीं बुलाया है।

(व्यवधान)

**श्री अरविन्द नेताम** : मैं चाहूंगा कि प्रधान मन्त्री जी आदिवासियों की बातों को अवश्य सुनें।

**प्रो० प्रेम कुमार धूमल** (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, चुनाव के दौरान, पंजाब के अनेक हिस्सों से, गुरदासपुर जिले से अनेक लोग, आतंकवाद से पीड़ित लोग, पठानकोट और अन्य स्थानों पर

आकर बसे। पंजाब में वे अपनी जमीन वगैरह बेचकर जो धन लाये थे, धीरे-धीरे वह खत्म हो गया। उनमें से 200 परिवार, जिनमें लगभग 3:0 सदस्य हैं, परसों यहां बोट क्लब पर आकर बैठ गये हैं। आज स्थिति यह है कि न तो उनके पास खाने के लिए कुछ बचा है और न रहने के लिए कोई स्थान है। जो थोड़ा-बहुत पैसा वे लाये थे, उसे बर्तन आदि खरीदने के लिये, अमानत के तौर पर खर्च करना पड़ गया। आज वे लोग भोजन के लिये तड़फ रहे हैं। सरकार का कर्तव्य है कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक करने के साथ-साथ उनकी तरफ भी ध्यान दें। ये लोग जिस व्यक्ति को वहां अपनी दुकान बेचकर आये थे, पंजाब में उस व्यक्ति को भी यह कहकर मार दिया गया कि तुमने इन लोगों की दुकानें क्यों खरीदीं। आज हालत यह है कि ये लोग अपनी सम्पत्ति नहीं बेच सकते। पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें किसी तरह का कानूनी संरक्षण या आश्रय नहीं मिल रहा है और न किसी को नौकरी आदि मिल रही है। पढ़े-लिखे अनेक लोग अपनी नौकरियां छोड़कर दिल्ली में आकर बैठ गये हैं। सौभाग्यवश, प्रधान मंत्री जी इस समय सदन में मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर कितने लोग कश्मीर और पंजाब से यहां आकर रहेंगे, बोट क्लब पर आप कितने लोगों के ठहरने और खाने का प्रबन्ध कर सकते हैं, उसकी कोई तो सीमा होगी। आज वे लोग अपना सब-कुछ बेचकर, घर-बार से उजड़कर, यहां आकर बैठे है, उनके बच्चे भी साथ में है, उनका भी बुरा हाल है। उनके लिए यह सरकार क्या प्रबन्ध करने जा रही है, उनके रहने, उनके भोजन की क्या व्यवस्था की जा रही है। उन्हें नौकरी देने के लिये क्या कर रही है। आज लोग भूखे ही बोट क्लब पर आकर बैठ गये हैं, उनके पास खाना नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सरकार को देखना चाहिए कि उनके खाने और रहने का इन्तजाम हो। कब तक वे भूखे बैठे रहेंगे। हमारी बी० जे० पी० की तरफ से उन्हें आटा दिया जा रहा है, पैसे दिये जा रहे हैं, भोजन की व्यवस्था की जा रही है लेकिन वह काफी नहीं है। इस देश के लोग कब तक अपने ही देश में भिखारी बनते रहेंगे, क्या सरकार का उनकी ओर ध्यान गया है। सरकार कश्मीर और पंजाब से आये लोगों की तरफ तुरन्त ध्यान दे, यही मेरी मांग है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली (सदर) : अध्यक्ष जी; सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक डायरेक्शन दी थी कि इन लोगों के लिये इन्तजाम किये जायें परन्तु सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों को भी नहीं माना जा रहा है। (व्यवधान)

सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है और उसमें जो निर्देश दिये गये हैं, क्या सरकार उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं है? (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हमें प्रधान मन्त्री की बात सुननी चाहिए।

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं मामले की, जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है, स्वयं जांच करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाए?

[हिन्दी]

श्री छवि राम अर्गल (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, कल रात में, पंजाब के पटियाला जिले में एक खास्रोवालगांव है; वहां 20—25 उग्रवादी आये और आ करके वहां के सरपंच को बुलाया और वहां के हरिजनों को बुला करके यह कहा कि यहां हरिजन एरिया का विकास किया जा रहा है और उनके

ऊपर उन आतंकवादियों ने ओपन फायरिंग करके 7 लोगों को मौत से उड़ा दिया और कई लोग घायल हो गये हैं। इस प्रकार से ओपन एरिया में, ओपन तरीके से, उन हरिजनों को मौत से उड़ा दिया गया, जिसके कारण वहां से हरिजन डर कर भाग रहे हैं। प्रधान मन्त्री जी के क्षेत्र में भी हरिजनों की हत्या हो रही है, अन्य क्षेत्रों में भी हरिजनों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, उनके ऊपर बलात्कार किया जा रहा है और इस प्रकार से हरिजनों के टॉरचर की घटनाएं पूरे देश में अनेकानेक हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इससे पहले भी आपका ध्यान आकर्षित करते हुए सदन में कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन की रिपोर्ट इस सदन में आए, उस पर चर्चा हो, उस पर बहस कराई जानी चाहिए। जब कांग्रेस का राज था, तो इन्होंने शे० का० और शे० ट्रा० कमिश्नर की रिपोर्ट जो वर्ष 1988-89 की थी, उसको यहां न पेश किया और न चर्चा कराई, उसको दबा दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय, आज सारे देश में हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, देश में हालात अच्छे नहीं हैं। माननीय प्रधान मन्त्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि वे, इस देश में हरिजनों पर अत्याचार बन्द हों, हरिजन इस देश में अमन-चैन से रह सकें, इस बारे में कुछ कहें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंगल जी, हो गया। बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री छवि राम मंगल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब में इस तरह की घटना हुई है जिसके कारण वहां से हरिजन पलायन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी इसकी बारीकी से जांच करें और जिस प्रकार से प्रधान मन्त्री जी ने अपने क्षेत्र में मरने वाले हरिजनों को सहायता दिलाई है, मैं चाहूंगा जो लोग पंजाब में कल रात की घटना में मारे गए हैं, उनको भी उसी प्रकार से सहायता दिलवाई जाये। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती चीला मुखर्जी (बांसकुरा) : महोदय, मैं बड़े दुख के साथ इस सभा में बंगाल पोटरीज के श्रमिकों के बारे में दुबारा प्रश्न उठा रही हूं। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि विगत कुछ वर्षों के दौरान इस सभा में अनेक बार बंगाल पोटरीज के राष्ट्रीयकरण के संबंध में मांग उठाई गई है। कांग्रेस शासन के दौरान इसके बारे में तत्कालीन सरकार को अनेक ज्ञापन दिये गये जिनमें वित्त मन्त्री, श्री मधु दण्डवते, सूचना मन्त्री, श्री उपेन्द्र (तत्कालीन विपक्षी सदस्य) के भी हस्ताक्षर थे। कांग्रेस सरकार ने अनेक बार सभा में आश्वासन देने के बाद भी इस मांग को स्वीकार नहीं किया। इसके स्थान पर उन्होंने इस कम्पनी के अधिग्रहण को समाप्त करने के लिए नोटिस जारी किया। इस नोटिस पर न्यायालय ने सभी श्रमिक संघों अर्थात ए० आई० टी० सी०, सीटू, इन्टक, एच० एम० एस० तथा अधिकारी एसोसिएशन के आवेदन और मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी की जोरदार दलीलों के परिणामस्वरूप न्यायालय ने रोक लगा दी। परन्तु अब मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उद्योग मंत्रालय उसी सूचना को आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि केन्द्रीय उद्योग मन्त्रालय इस सम्बन्ध में सभी रिजर्वेशनों को कम्पनी के श्रमिकों और कर्मचारियों को सौंप देना चाहता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल उद्योग मन्त्री से ही नहीं बल्कि प्रधान मन्त्री, जो अभी यहां

उपस्थित हैं, से यह अनुरोध करती हूं। पश्चिमी बंगाल के सर्वदलीय सांसदों का शिष्टमण्डल प्रधान मंत्री से मिला था तथा उनसे बंगाल पोटरीज के बारे में विचार-विमर्श किया था। जब तक श्रमिकों की रोजगार सुरक्षा सम्बन्धी गारण्टी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक इस अधिसूचना नोटिस के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया जाना चाहिए।

मैं बंगाल पोटरीज के राष्ट्रीयकरण के लिए पुनः अनुरोध करती हूं जिसे टाटा कंसल्टेंसी की रिपोर्ट के अनुसार केवल व्यवहार्य ही नहीं बनाया जा सकता है बल्कि इसके उत्पादों से बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आय हो सकती है। मुझे आशा है कि प्रधान मन्त्री इस मामले की जांच करेंगे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : महोदय, मैं श्रीमती गीता मुखर्जी की बात का पूरा समर्थन करता हूं। हमने यह मांग पहले भी उठाई है। यह 4700 से अधिक श्रमिकों का मामला है। यह केवल श्रमिकों का ही प्रश्न नहीं है बल्कि एक ऐसे उद्योग का भी है जिसे व्यवहार्य बनाया जा सकता है जैसा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। अभी तक बातचीत चल रही है। उद्योग मन्त्री की पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री के साथ कुछ बैठकें हुई हैं, विचार-विमर्श हुआ परन्तु केन्द्र सरकार ने इस उद्योग को व्यवहार्य बनाने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम कदम नहीं उठाया है।

एक आदेश के अनुसार श्रमिकों को उनका देय मिल रहा है। यह सच है कि यह कुछ समय से विचाराधीन है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि नई सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को रद्द कराने का प्रयास कर रही है। पिछले सप्ताह कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी अगली सुनवाई 17 मई अर्थात परसों होगी। वर्तमान सरकार स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रही है ताकि मजदूरों की मजदूरी के भुगतान की जिम्मेदारी से बचा जा सके।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जब तक इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच चर्चा चल रही है, कम से कम तब तक केन्द्र सरकार को यह आदेश निष्प्रभावी कराने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक शिष्टमंडल का नेतृत्व करने आज भारत से बाहर वियतनाम गये हुए हैं। अभी वे इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। वे एक सप्ताह के अन्दर वापस आ रहे हैं और उसके बाद पुनः इस पर चर्चा हो सकती है। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। कल ही मुझे माननीय उद्योग मन्त्री जी से इस आशय का एक नोट मिला था कि इस परियोजना की लाभप्रदता पर विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से एक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि जब तक मुख्य मन्त्री जी वापस नहीं आ जाते और इस मुद्दे पर आगे चर्चा नहीं होती है तब तक केन्द्र सरकार द्वारा इस आदेश को निष्प्रभावी करने पर दबाव न दिया जाए ताकि कोई योजना बनाई जा सके और उसे अन्तिम रूप दिया जा सके! यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं इसके लिए माननीय प्रधान मन्त्री जी से सच्चाई से अनुरोध करता हूं।

**प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : मैं यह प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। मैं ऐसा निर्देश दूंगा कि जब तक माननीय मुख्यमन्त्री जी वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जब मुख्यमन्त्री वापस आ जायेंगे तब हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

**श्री चित्त बसु** : (बारसाट) : महोदय, मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी को बधाई देता हूं और मैं उनके द्वारा अभी तुरन्त दिये गये वक्तव्य की सराहना करता हूं जिसके द्वारा उन्होंने यह आश्वासन

दिया है कि वे इस मामले पर ध्यान देंगे और एक अन्तिम निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में कदम उठायेंगे। मैं माननीय प्रधान मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि यह सिर्फ बंगाल पोटरीज का ही प्रश्न नहीं है, इस स्तर के कुछ और उपक्रम भी हैं और इस प्रकार का एक नाम इण्डियन मशीनरी मुझे याद है। इसके लिए भी संकट उत्पन्न हो गया है और यह भी बन्द होने के कगार पर है जबकि यह मजदूरों के सम्मिलित प्रयास द्वारा चलाया जा रहा है और वे इस इकाई को चालू रखने और उसमें उत्पादन करने के लिए बहुत ही इच्छुक हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रधान मन्त्री महोदय इस मामले पर ध्यान देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकार की पूर्व घोषित नीति कि भारत सरकार किसी भी रुग्ण इकाई का अधिग्रहण नहीं करेगी, में उचित रूप से संशोधन किया जाये ताकि रुग्ण उद्योगों की समस्या से कुछ हद तक निपटा जा सके।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं सभा के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रखना चाहता हूं। संचार माध्यम को स्वायत्तता प्रदान करना इस सरकार का घोषित लक्ष्य है लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जहां तथ्यों को छिपाया गया है और उन्हें तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। इस तरह का एक मामला इस महीने की 10 ता० को किया गया उपवास था जिसका नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्षी दल के नेता ने राजघाट में किया था। यह उपवास हमारे स्वतन्त्रता संग्राम की 133वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रखा गया था। एक सौ से अधिक संसद सदस्यों तथा हजारों लोगों ने इस उपवास में भाग लिया था। लेकिन महोदय, आपके द्वारा सरकार को यह बताते हुए मुझे खेद होता है कि यह महत्वपूर्ण समाचार उस दिन प्रसारित होने वाले अन्तिम समाचार बुलेटिन में ही दिया गया था।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : और वह भी हिन्दी में नहीं, सिर्फ अंग्रेजी में।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, दूसरी बात यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि यह उपवास 12 घंटे का था जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष और सौ से अधिक संसद सदस्यों ने भाग लिया था लेकिन इसे बहुत कम महत्व दिया गया। मेरठ में हुए एक समारोह, जिसमें केवल एक संसद सदस्य ने भाग लिया था, को अधिक महत्व दिया गया था। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

दूरदर्शन द्वारा भी उपवास रखने संबंधी इस तथ्य को गलत तरह से बताया गया था कि यह एक धरना था। इसे तीन बार दुहराया गया था कि यह एक धरना था। इस उपवास के बारे में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि समाचार देते समय दूरदर्शन ने 37 शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और इनमें से 20 प्रतिशत शब्द सरकार द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था का वर्णन करने में कहे गये थे। यह बड़ी ही खराब बात है। इसकी तुलना वर्तमान प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में वर्ष 1989 के मध्य में किये गये आन्दोलन से की जानी चाहिए। जब दूरदर्शन के कथित पक्षपात के विरुद्ध उन्होंने आन्दोलन का नेतृत्व किया था तो उस समय दूरदर्शन ने अपने समाचार बुलेटिन के दूसरे प्रमुख समाचार के रूप में इसे पेश किया था। मैं सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार संचार माध्यम को स्वायत्तता देने की सिर्फ बात ही कर रही है अथवा सरकार अपने घोषित लक्ष्य के बारे वास्तव में गंभीर है।

[हिन्दी]

श्री सुभाष मल लोढ़ा (पाली) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपका ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सारे भारत में लाखों-लाख व्यक्ति न्याय न मिलने के कारण से और उसमें विलम्ब होने के कारण से बहुत अधिक परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में इस समय उच्चतम न्यायालय में पिछली पांच तारीख को अवकाश होने के बाद पूरे एक माह में केवल

14 तारीख और 28 तारीख को एक न्यायाधीश द्वारा बैठक करने के कारण लाखों लोग न्याय पाने से वंचित हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 लाख मुकदमें पैंडिंग हैं, हाई कोर्ट में 17 लाख मुकदमें पैंडिंग हैं और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में 2 करोड़ मुकदमें हमारे विचाराधीन हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो न्याय के अभाव से परेशान हैं। अत: माननीय विधि मंत्री जी अपने तरीके से सम्माननीय उच्चतम न्यायालय में इस तरह का प्रयास करें कि कम से कम एक न्यायाधीश हर दिन उपलब्ध रहे ताकि जो न्याय से वंचित दुखी, उत्पीड़ित और शोषित व्यक्ति वहां जायें, उनको वहां न्याय मिले सके। न्याय के दरवाजे उनके लिये बंद नहीं होने चाहिये। कहां वह युग था जब जहांगीर के द्वारा घंटा बजाने पर किसी भी व्यक्ति को यह न्याय देता था। इसी प्रकार विक्रमादित्य के समय में होता था। अब इतने लम्बे अवकाश होते हैं; 2-2 और 3-3 महीने न्यायाधीश नहीं मिलते हैं और सारे न्यायालय उस दौरान बन्द रहते हैं जबकि न्याय-पालिका में इतने बड़े एरियर्स हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे विधि मंत्री जी और हमारी नई सरकार एक नई नीति बनाये। जिस प्रकार से साधारण नागरिक और साधारण अधिकारी इस बीच भी काम करते हैं, वैसे ही वहां पर भी काम हो जिससे लोगों को न्याय मिल सके।

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, जहां केन्द्रीय सरकार है, वहां अभी भी गर्मी हो सकती है लेकिन हमारे उत्तर बिहार में और खासकर उन इलाकों में, जो नेपाल के साथ जुड़े हुए हैं, वहां बारिशें शुरू हो गई हैं। वहां पर जो नदियां निकलती हैं, वह उठने लगी हैं··· (व्यवधान)··· जी, मैं अभी वहां से आ रहा हूं। वहां पर कुछ इलाके ऐसे आ गये हैं जैसे बीबीकान जैसा एक छोटा सा कस्बा है जहां पर लोग अब इन्तजार कर रहे हैं कि कब नदी आकर काटे और कब हम हाई स्कूल में आकर पनाह लें। हर साल वही कहानी होती है लेकिन इस साल कुछ लोगों में एक आशा उठ गई थी, उसका यह कारण था कि पिछले साल सरकार की तरफ से एक स्कीम एनाउंस हुई थी, तब के जो प्रधान मंत्री गये थे, वह जब पूर्णिया गये थे तो उन्होंने फिर दोहराया था, 600 करोड़ से ज्यादा की स्कीम थी, फ्लड कण्ट्रोल स्कीम थी, जहां से खास नेपाल का पानी उतरता है, उस खास इलाके के लिए वह स्कीम थी। उस स्कीम पर काम भी शुरू हो गया था, टैक्नोलोजी मिशन भी चला गया था, सर्वे वगैरह भी शुरू हो गया था लेकिन इन पिछले 6-7 महीनों में वहां के लोगों को जो शक हो रहा है, वहां के लोग जो देख रहे हैं, उससे हमको पूरा यकीन हो गया है कि शायद सरकार उस स्कीम के बारे में सब कुछ भूल गई। मैंने इस बारे में मंत्री जी को भी लिखा है लेकिन पत्र का जो जवाब आया है, उसमें उन्होंने इस स्कीम के बारे में कुछ नहीं कहा है। प्रधान मंत्री यहां पर हैं, यह बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत लोगों के लिए जरूरी स्कीम है, हमें अगर आश्वासन दे सकते हैं कि वह फ्लड कण्ट्रोल स्कीम वैसे ही और उसी तेजी के साथ ली जायेगी तो उन सारे लोगों के लिए मैं समझता हूं कि वह एक आशा की किरण बनेगी।

श्री रामेश्वर प्रसाद (आरा) : अध्यक्ष महोदय, विगत 6 मई को बिलासपुर में एक प्रतिष्ठित जन नेता दरस राम साहू की हत्या हो गयी है। वह ए० आई० सी० सी० टी० यू० की वर्किंग कमेटी के उपाध्यक्ष भी थे। इण्डियन पीपुल्स फ्रण्ट के वाइस प्रेसीडेण्ट भी थे, वहां के स्थानीय सरपंच भी थे। पिछले दिनों मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए करीब डेढ़ सौ घर उन्होंने बसाये हैं। वहां पर एक तालाब है, जिस तालाब पर पुजारी ने कब्जा कर लिया है। उस तालाब से सूखे की स्थिति में मध्य प्रदेश में जो पानी का अभाव हो गया है, पानी की सप्लाई करने के लिए प्रशासन को लिखकर दिया है लेकिन इसी के साथ ही वहां के स्थानीय लोगों ने या गुण्डों ने कब्जा कर लिया है और वहां के पुलिस प्रशासन पर

लगातार दबाव डाला जा रहा है कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाये और कुछ सांसद और कुछ विधेयक भी इस मामले के माध्यम से यह कोशिश कर रहे हैं कि मामला खत्म हो जाये। वहां इस मामले में पूछताछ की जाये और मामले की जांच पड़ताल कराई जाये कि यह राजनैतिक हत्याएं किस तरह से हो रही हैं। इसमें संसदीय कमेटी बनाई जाय जो इसकी जांच करे।

श्री काशी राम राणा (सूरत) : अध्यक्ष महोदय, सारे देश में और खास करके गुजरात में एडीबल आयल का अभाव, दाम दिनोदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री और फूड मिनिस्टर ने भी पब्लिक में वक्तव्य दिया है कि दाम कम करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है, फिर भी दाम अंकुश में नहीं आते। मैं एक और गम्भीर मसला आपके सामने यह पेश करना चाहता हूं कि सरकार का यह प्रयत्न जो हो रहा है, इसके बिल्कुल विपरीत एन० डी० डी० बी० ने एक लिखित वक्तव्य में यह कहा है कि जो जो दाम बढ़ रहे है वह बराबर हैं और गुजरात सरकार या केन्द्र सरकार जो भी स्टैप ले रहे हैं वह इर्रेशनल है, और राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ हैं। एन० डी० डी० बी० का यह वक्तव्य हमारी सरकार के खिलाफ है, यह लोगों की भावनाओं के खिलाफ है। दाम कम होने ही चाहिए और एन० डी० डी० बी० ने जो स्टैण्ड लिया है, उस स्टैण्ड के बारे में सरकार को एक्शन लेना चाहिए। एन० डी० डी० बी० की एडीबल आयल के बारे में जो पालिसी है वह खत्म करनी चाहिए और लोगों को सस्ते दाम पर खाद्य तेल मिले, इसका प्रयत्न करना चाहिए। एन० डी० डी० बी० ब्लैक मार्केटिंग करता है व ज्यादा मुनाफा लेकर खुद बेचता है।

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी बसातत से गवर्नमैन्ट के नोटिस में लाना चाहता हूं कि अमृतसर के बोर्डर के तमाम मंडियों में गंदुम के ढेर लगे हैं और वहां एफ० सी० आई० वालों ने बैगेज, बोरियां वगैरह अभी तक नहीं भेजी है। गंदम के ढेर मौसम के रहम पर पड़े है और किसानों में परेशानी बहुत बढ़ रही है। एफ० सी० आई० माल नहीं उठा रही है। न वहां पर कोई बैग की सुविधा मिल रही है। किसानों को इन दिनों हुए नुकसान का मुआवजा और उनके माल को ढोने के लिए सारा प्रबन्ध करने के लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर और बाहर देश के करोड़ों लोगों की समस्याओं को उजागर करने वाले समाचार पत्रों के काम आने वाले जो अखबारी कागज है, उसका भाव इन दिनों बहुत बढ़ गया है। इस कारण समाचार पत्रों के पाठकों के ऊपर और समाचार पत्र चाहे पाक्षिक हो, चाहे साप्ताहिक हो और चाहे दैनिक, उनके प्रकाशन के ऊपर भी बड़ा भारी संकट आ रहा है। अखबारी कागज बनाने वाली मिलें, टी० एन० पी० एल०, नेपा, एम० पी० एम० और एच० पी० सी०, इन्होंने पिछले दिनों 40 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है और उसके बाद सरकार की जो अपनी मिल है, एम० पी० एम०, उसने एक हजार रुपए प्रति मिट्रिक टन की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे समाचार पत्रों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है और अखबार मंहगे हो रहे है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि समाचार पत्रों की कीमतों में गिरावट लाने के लिए सरकारी संस्था द्वारा उत्पादित अखबारी कागज सस्ता किया जाए। जब सरकार मंहगाई के लिए कमी सब मामलों में करना चाहती है तो अखबारी कागज भी सस्ता किया जाए, ताकि देश के करोड़ों लोग सस्ते समाचार पत्र प्राप्त कर सकें।

श्री बाबू लाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कोटा जिले के अन्दर जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, कभी भी साम्प्रदायिक तनाव कोटा मे चरम सीमा पर जा सकता है। मेरी चिन्ता इस बात से और अधिक हो गई है कि राजस्थान के समस्त समाचार पत्रों में यह खबर पढ़ने के बाद कि कोटा के दो कब्रिस्तानों मे 74 बम और 420 हथियार···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : वहां की राज्य सरकार सक्षम है।

(व्यवधान)

श्री बाऊ दयाल जोशी : मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि वहां पर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। वहां पर सोलह कट्टे भी मिले हैं। मेरा निवेदन यह है कि पुलिस ने तत्परता से सारी खोज की है सलमा की मृत्यु के बाद और पुलिस की कार्यवाही प्रशंसनीय है। मेरा निवेदन करना यह है कि आज से कुछ दिनों पूर्व एक गरीब मजदूर मारा गया था। उसके बाद पुलिस ने घोषणा की थी कि सात दिनों के अन्दर-अन्दर हम लार्ज स्केल पर तलाशी लेंगे। एक महिला सलमा वहां बम डालने जा रही थी, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके दो लड़के सलीम और गनी ने बयान दिया है कि दो सौ बम थे। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी तत्व वहां षड्यन्त्र कर रहे हैं और इस सारे मामले की सी० बी० आई० के द्वारा जांच कराई जाए। पाकिस्तानी तत्वों के द्वारा इस प्रकार का वातावरण सारे देश में बन रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे प्रकरण की तेजी के साथ सी०बी०आई० को देकर जांच कराई जाए। एक विशेष टीम जयपुर भेजी जाए और फौजी कुत्ते भेजे जायें, जो ज्यादा से ज्यादा तलाशी लें, वरना वहां पर विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है।··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों में एक प्रतिष्ठित संस्था अर्थात् अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज संकट में है। इस विश्वविद्यालय के करीब 50 शिक्षक विगत पांच दिनों से अपनी उचित मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है क्योंकि विगत सात महीनों से वहां कुलपति की नियुक्ति नहीं हुई है। यहां एक अस्थायी कुलपति नियुक्त हैं जिन्हें विश्वविद्यालय के मामलों की देख भाल करने का अधिकार नहीं है। और सिर्फ यही एक मामला नहीं है। इस प्रकार के अनेक विश्वविद्यालय हैं उदाहरण के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में हाल ही में भी कुलपति की नियुक्ति हाल ही में की गई है।

लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षकों द्वारा मांगे की जा रही हैं, गैर-शिक्षक कर्मचारियों की अपनी समस्यायें हैं। लेकिन शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने वाला कोई नहीं है। इस विश्वविद्यालय की पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही है। मेरी मांग यह है कि भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय को कुलपति की अविलम्ब नियुक्ति हेतु शीघ्र और प्रभावी कदम उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षकों और अन्य गैर-शिक्षक कर्मचारियों की मांगें पूरी की जाएं।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। आपको मैंने इजाजत नहीं दी है। श्री युवराज।

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुःख का विषय है कि कटिहार जूट मिल के 25 मजदूर एक-एक करके मरे हैं और भूख से और बीमार पड़ कर मरे हैं। मजदूर बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें ई० एस० आई० हास्पिटल से दवा-दारू नहीं मिलती। मजदूरों को दो वर्ष का वेतन का बकाया नहीं मिला। मजदूरों का ई० एस० आई० के लिए कांट्रीब्यूशन काट लिया जाता है लेकिन मेनेजमेंट अपनी मेचिंग ग्रांट जमा नहीं कराता है। जब मजदूर बीमार पड़ते हैं तो उन्हें दवा-दारू नहीं

मिलती है। मजदूरों को उनके दो साल के वेतन का जो बकाया है वह नहीं मिला है, बोनस नहीं मिला है। हाई कोर्ट ने इसको जस्टिफाई कर दिया है कि यह आऊटस्टेंडिंग है। लेकिन मजदूरों का वह बकाया आज तक पड़ा हुआ है। दो साल से बकाया पड़ा हुआ है। दो-साल पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब वे प्रधान मंत्री नहीं थे तो वहां गये थे। वहां उनका 50 हजार किसान-मजदूरों ने स्वागत किया था। हमारे श्रम मंत्री श्री राम विलास पासवान जी भी वहां गये थे। उनका भी 40 हजार किसान-मजदूरों ने स्वागत किया था। मिल के अन्दर उनकी सभा हुई थी। आज तक इस इंडस्ट्री का टेक ओवर नहीं हुआ है। वह इंडस्ट्री वाएबल और अधिक से अधिक मॉडरेनाइज्ड है। मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस मिल का टेक ओवर किया जाए। इस मिल में 1400 मजदूर कार्यरत हैं।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में बिहार के 20 लाख मजदूर काम करते हैं। दिल्ली में कुछ गुंडागर्दी करने वाले तत्वों द्वारा उनसे रंगदारी टैक्स वसूल किया जाता है। वे लोग थानेदार के पास जाते हैं तो वह केस नहीं लेता है। इस संबंध में मैंने गृह मंत्री जी को लिखा, गृह राज्य मंत्री जी को लिखा लेकिन आज तक गृह मंत्री जी ने और गृह राज्य मंत्री जी ने भी कोई नोटिस नहीं लिया।

दूसरे, उनमें से यहां चार आदमियों की हत्या कर दी गयी है। उस केस को भी दबा दिया गया है। कौन लोग मरे हैं इसका भी पता नहीं चल रहा है। मैं मांग करता हूं कि बिहार के जो 20 लाख मजदूर दिल्ली में काम करते है उनके हित में, उनकी सुरक्षा की सरकार शीघ्र व्यवस्था करे।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष जी, हमारी सरकार की योजना के तहत दस हजार रुपये तक के कर्जे की माफी की घोषणा की गयी है। उसका बजट में प्रावधान भी रखा गया है। मगर अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं की जा रही है और जिलों में अभी भी वसूली जारी है। मैं सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इसके बारे में स्पष्ट आदेश भेजे जाएं और दस हजार रुपये तक के कर्जे की वसूली स्थगित की जाए। किस तरह से यह वसूली की जाएगी इसके बारे में वहां के मुख्य मंत्री ने भी एलान किया था। लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंज नहीं भेजी गयी हैं। ये इंस्ट्रक्शंज भिजवाई जाएं जिससे कि कर्जों की वसूली न की जा सके। वसूली की कार्यवाही तुरन्त स्थगित होनी चाहिए।

1.00 म०प०

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी यहां उपस्थित हैं और आपके माध्यम से मैं उनका ध्यान उस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसके बारे में वे पहले से ही जानते हैं अर्थात केरल के काजू श्रमिकों को उन ई०एस०आई० अधिकारों से वंचित किया जा रहा है जो कि पिछली सरकार द्वारा उन्हें दिये गये थे। वे इस समस्या से भलीभांति अवगत हैं। पिछली सरकार ने केरल के तीन लाख काजू श्रमिकों को, जिनमें मुख्य रूप से औरतें हैं और जो केरल के गरीब श्रमिक वर्ग से हैं, ई०एस०आई० अधिकार प्रदान किये थे। आज भी उन्हें आधे वर्ष में सिर्फ 45 दिन ही रोजगार मिलता है। जैसे ही यह सरकार सत्ता में आई थी, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय की जानकारी के बिना, राजनैतिक नेताओं की जानकारी के बिना अफसरशाही ने यह सुविधा बन्द कर दी और काजू श्रमिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे इसके लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ा था और एक स्थगन आदेश जारी करवाना पड़ा था; अभी अस्थायी रूप से उन्हें वे सुविधायें मिल

रही हैं। लेकिन अभी भी ई०एस०आई० निगम में अफसरशाही श्रमिकों को इन सुविधाओं का लाभ उठाने नहीं दे रही है। माननीय श्रम मंत्री जी पहले से ही इस बात को जानते हैं। उन्हें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए और उनके मंत्रालय द्वारा जो श्रमिक विरोधी कार्य किए जा रहे हैं, उन्हें बन्द करवायें। उन्हें अफसरशाही द्वारा किए जा रहे इस कार्य को बन्द करवाना चाहिए और पिछली सरकार द्वारा दी जा रही समस्त सुविधाएं फिर से शुरू करानी चाहिये। जैसाकि वह जानते हैं कि वास्तव में जो लाभ उन्हें 1984 से पूर्व उपलब्ध थे वह पूरी तरह बहाल किए गए हैं। यह दलगत भावनाओं से परे हैं और सरकार बदलने के कारण भी ऐसा नहीं हुआ है। यह केरल के मजदूरों की समस्या है।

**श्री मनोरंजन भक्त** (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है। हाल ही में प्रशासन में "घ" और "ग" समूह के बहुत पद खाली है और हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद यह पद भरे नहीं गए हैं। साथ ही साथ क्या हुआ है कि एक वर्ष पूर्व समुद्री विभाग में मजदूरों की भर्ती के लिए विभाग ने रोजगार केन्द्र से नाम मांगे थे और तत्पश्चात् इनका साक्षात्कार लिया गया किन्तु कुछ रहस्यमय कारणों से नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गये और पैनल रद्द कर दिया गया। तत्पश्चात् उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और एक पैनल तैयार किया गया। फिर 38 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए और 150 व्यक्तियों के नाम पैनल में थे। किन्तु दुर्भाग्यवश, दो दिन पूर्व यह पैनल भी रद्द कर दिया गया। आप अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के बेचारे युवाओं की समस्यायें समझ सकते हैं क्योंकि यह एक द्वीप नहीं है यह द्वीपसमूह है और विभिन्न द्वीपों से यह लड़के बहुत सा धन खर्च करके साक्षात्कार के लिए पोर्ट ब्लेयर जाते है। बाद में, महीनों तक वे रोजगार के लिए घूमते रहते हैं और जब उनके नाम पैनल में होते हैं और नियुक्ति-पत्र जारी किये जाते है तो अज्ञात कारणों से पैनल रद्द कर दिया जाता है।

इसी प्रकार पुलिस रेडियो आपरेटरों की नियुक्ति के लिए भी वहां एक वर्ष पूर्व नाम लिए गए, परीक्षा हुई और परिणाम घोषित किये गये। इनका साक्षात्कार ही नहीं हुआ और सभी आदेश रहस्यमय ढंग से रद्द कर दिये गये।

1.00 म०प०

इसी प्रकार द्वीप समूह क्षेत्र में जब बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है तो इस प्रकार का मजाक बार-बार किया गया। मैं मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करता हूं कि शीघ्र अण्डमान और निकोबार प्रशासन को इस मामले की जांच करने के लिए कहा जाए और जारी किये गए नियुक्ति आदेश बहाल कराने चाहिए ताकि इस सुदूर द्वीप के युवा संकट में न पड़ें और निराश न हो जाएं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** (जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की प्रधान मंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो कश्मीर के मसले पर, पाकिस्तान के रुख के लिए, प्रमुख जो मुस्लिम देश हैं, उनका समर्थन जुटाने के लिए आज से यात्रा प्रारम्भ करेंगी।

1.04 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री श्रीमती भुट्टो आज से 8 देशों का तूफानी दौरा करेंगी और यह यात्रा शान्ति यात्रा के नाम पर प्रारम्भ की जा रही है। इसमें वे इस्लामी देशों के सामने यह स्पष्ट करेंगी कि जम्मू और कश्मीर में लोगों को आत्म निर्णय का अधिकार मिल सके, इस प्रकार की वे मांग करेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि भारत के विदेश सचिव श्री अहमद साहब ने यह बात मानी है कि इस दौरे से श्रीमती भुट्टो कश्मीर घाटी की हाल की घटनाओं को प्रभावित करेंगी। इसलिए मेरी मांग है कि हमारे देश के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री जी को भी इस सम्बन्ध में कोई प्रयास करना चाहिए, हमारे बड़े-बड़े नेताओं को भी पड़ौसी देशों में इस तरह का प्रचार करना चाहिए, हमारे राजदूतों को भी इस प्रकार का प्रचार करना चाहिये, ताकि भारत के खिलाफ या कश्मीर के खिलाफ जो वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, वह कोशिश कामयाब न हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम यह मांग करते आ रहे हैं कि आतंकवादियों को खदेड़ना चाहिए, बी०जे०पी० ने कई बार यह मांग की है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम उनको खदेड़ेंगे नहीं, आक्रमण नहीं करेंगे। विदेश मंत्री जी भी अलग-अलग तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। इस कारण से आतंकवादियों की कश्मीर में हिम्मत बढ़ रही है। इसलिए पाकिस्तान के इस प्रचार को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी को, हमारे विदेश मंत्रालय को और भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। वरना श्रीमती भुट्टो की यह यात्रा हमारे देश के लिए घातक होगी। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभापटल पर रखे जाएंगे।

---

1.06 म०प०

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

**स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ और भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं आदि**

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओमित जेना) : श्री अजित सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

[श्री श्रीकान्त जेना]

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—818/90]

(क) (एक) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी०—819/90]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—818—819/90]

**इंडियन एयरलाइन्स का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे और कार्यकरण की समीक्षा आदि**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : श्री आरिफ मोहम्मद खान की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत इंडियन एयर लाइन्स के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन एयरलाइन्स के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—820/90]

**तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि**

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—821/90]

(3) (एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1988-89 तथा इसकी सहायक कम्पनी, अर्थात् तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विदेश लिमिटेड के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1988-89 तथा इसकी सहायक कम्पनी, अर्थात् तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विदेश लिमिटेड के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—822/90]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (1989 का संख्या 7)—संघ सरकार—वाणिज्यिक—तेल कीमत निर्धारण व्यवस्थाओं का विश्लेषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—823/90]

## भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन और रक्षा सेवाओं के वर्ष 1988-89 के विनियोग लेखे

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्यपाल मलिक) : श्री अनिल शास्त्री की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1990 का संख्या 1)—संघ सरकार—सिविल।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—824/90]

[श्री सत्यपाल मलिक]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1990 का संख्या 5)—संघ सरकार (राजस्व प्राप्तियां—अप्रत्यक्ष कर)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—825/90]

(तीन) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1990 का संख्या 7)—क्षमादान योजना (1985)—संघ सरकार (राजस्व प्राप्तियां—प्रत्यक्ष-कर)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—826/90]

(चार) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1990 का संख्या 9)—संघ सरकार (डाक तथा दूरसंचार)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—827/90]

(पांच) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1990 का संख्या 12)—संघ सरकार—रक्षा सेवाएं (सेना तथा आयुध कारखानें)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—828/90]

(2) रक्षा सेवाओं के वर्ष 1988-89 के विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—829-90]

(3) वर्ष 1988-89 के संघ सरकार विनियोग लेखाओं (डाक सेवायें) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—830/90]

(4) वर्ष 1988-89 के संघ सरकार विनियोग लेखाओं (दूरसंचार सेवायें) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—831/90]

— — —

1.07 म० प०

## नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में वनों की कटाई रोकने की मांग

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढ़ी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं इस महत्वपूर्ण

विषय की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं —

मध्यप्रदेश के बस्तर जिले में तेजगति से जंगल कट रहा है। लोग जमीन पाने की अभिलाषा में खड़े झाड़ काटकर जमीन साफ कर रहे हैं, जिससे खेती योग्य जमीन मौके पर दिखाई जा सके।

जिस वन से आदिवासियों को लघुवन उपज के रूप में बारहों माह जीवन-निर्वाह का बहुत बड़ा सहारा मिलता था वह तेजी से नष्ट हो रहा है। यदि इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो निकट भविष्य में बस्तर की प्राकृतिक संपदा बेरहमी से बरबाद हो जाएगी। बस्तर के आदिवासी कभी भी सूखा या अकाल पड़ने पर अपने गांव घर छोड़कर रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जाते थे।

अत: केन्द्र शासन से अनुरोध है कि तत्काल राज्य शासन को इस पर रोक लगाने के लिए निर्देश देवें। जिससे वर्तमान की वन क्षति को पूरा करने के लिए 10 वर्ष तक एक भी खड़े झाड़ को न काटा जाए।

**(दो) मसालों और रबड़ के आयात को उदार बनाये जाने की संभावना से केरल में इन वस्तुओं के उत्पादकों में फैले भय को दूर किये जाने की आवश्यकता**

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : (मवेलिकारा) : महोदय, सरकार द्वारा नई आयात-निर्यात नीति घोषित करने के कारण केरल की जनता में भय व्याप्त हो गया है। मसालों, रबड़ आदि की उदार नीति की संभावना के कारण यह भय व्याप्त हुआ है। मसालों और रबड़ का केरल की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व है। इन मदों के आयात में उदारता बरते जाने से बाजार में इन चीजों के दाम गिर जायेंगे और इस प्रकार उत्पादकों को हानि होगी। स्मरणीय है कि अधिकतर उत्पादक छोटे और सीमान्त किसान है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए मैं सरकार से मसाला तथा रबड़ उत्पादकों के मन में व्याप्त भय को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं।

**(तीन) उड़ीसा के बोलनगीर जिले में ग्रेफाइट खानों में काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दिया जाना रोके जाने की मांग**

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : बोलनगीर जिले मे ग्रेफाइट के बड़े भण्डार है। इस जिले में ग्रेफाइट की बहुत-सी खानें है। कुछ खुली खानें है और कुछ भूमिगत खानें है। श्रम कानून के अनुसार खुली खानों और भूमिगत खानों में कर्मचारियों को क्रमश: 17.48 रुपये और 21.48 रुपये के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए परन्तु वहां केवल पांच रुपये और आठ रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है। बोलनगीर जिले के बेलपाड़ा गांव में चार ग्रेफाइट परिष्करण संयंत्र हैं। इन संयंत्रों में भी कम मजदूरी दी जाती है।

मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या का शीघ्र समाधान करें।

**(चार) मराठवाड़ा को गैस की आपूर्ति करने के लिए हजीरा — जगदीशपुर पाइप-लाइन मे एक शाखा लाइन का निर्माण किये जाने की मांग**

श्री वेंकटेश काबड़े (नान्देड़) : तेल और प्राकृतिक गैस निगम 1976 से बम्बई हाई से कच्चे

[श्री वेंकटेश कावड़े]

तेल का उत्पादन करता रहा है। बम्बई के अपतटीय क्षेत्र में साऊथ बेसिन जैसे तेल क्षेत्रों का पता चला है और गैस भी मिली है। यह अनुमान है कि प्रति वर्ष 20 मिलियन टन तेल का उत्पादन होता है और गैस का लगभग 27 मिलियन घन मीटर प्रति दिन उत्पादन होता है। इसमें से 12 मिलियन घन मीटर गैस उरान को पाइपलाइन के माध्यम से भेजी जाती है और महाराष्ट्र में इस्तेमाल करने वालों को भेजी जाती है। 10 मिलियन घन मीटर गैस हजीरा भेजी जाती है और कुछ हिस्सा जला दिया जाता है। मराठवाड़ा और विदर्भ के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए हजीरा—बीजापुर—जगदीशपुर पाइप लाइन से एक ब्रांच पाइप लाइन निकालने का प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालय में विचाराधीन है। पश्चिमी अपतट समेकित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आठवीं योजना में एक और गैस/तेल टर्मिनल की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। विशेषज्ञ समिति मामले की जांच कर रही है। मराठवाड़ा महाराष्ट्र का एक पिछड़ा क्षेत्र है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि इस गैस टर्मिनल को जाने वाली ब्रांच पाइप लाइन दक्षिण में गैस ले जाने से पहले इस क्षेत्र से गुजारी जाए। इससे पिछड़े क्षेत्र का भाग्योदय होगा और इसे पिछड़े क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन में सहायता मिलेगी।

## (पांच) पटना शहर (बिहार) में पेयजल की कमी दूर किये जाने की मांग

[हिन्दी]

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव (पटना) : पटना नगर में भीषण जल संकट है। पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या में विशेष वृद्धि हुई है, पर उस अनुपात में नई पानी टंकियों का निर्माण नहीं हुआ। जल-प्रवाही पाइपें भी संकरी हो गयी हैं और विद्युत आपूर्ति में बाधा के कारण कई-कई घण्टों तक न पीने का पानी मिल पाता है, न भोजन बनाने को। राज्य सरकार अपने साधनों से पेयजल की समस्या को सुलझाने में पूर्णतः असमर्थ है। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिहार की राजधानी की जल समस्या को दूर करने के लिए अपनी ओर से कारगर कदम उठा कर जीवन रक्षा करें।

## (छः) बीकानेर (राजस्थान) को "बी" श्रेणी का शहर घोषित किये जाने की मांग

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की उत्तर-पश्चिम सीमा पर आबाद बीकानेर शहर इन्दिरा गांधी नहर के सिंचित क्षेत्र से घिरा हुआ होने के कारण विकास की अधिक सम्भावनाएं लिए हुए है। हाल ही में भारत सरकार ने इस शहर को ग्रोथ सैंटर घोषित किया है।

बीकानेर सीमावर्ती विकासोन्मुख जिला होने के कारण राजस्थान के शिक्षा विभाग का मुख्यालय, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर रेलवे का मण्डल कार्यालय तथा केन्द्र व राज्य सरकार के अनेक कार्यालयों के अलावा बी० एस० एफ० व रक्षा सेनाओं की अनेक छावनियों का समावेश किए हुए है। ऐसी परिस्थितियों के कारण बीकानेर शहर की आबादी में विगत 7 वर्षों में तीन गुणा वृद्धि हुई है।

बीकानेर राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक स्थलों से घिरा हुआ है। प्रसिद्ध कपिल सरोवर कोलायत बिश्नोइयों का तीर्थस्थल मुकाम, गजनेर अभ्यारण्य, प्रसिद्ध करणी मन्दिर तथा रूणीजा के रामदेव मन्दिर पर लाखों यात्री व पर्यटक प्रति वर्ष आते रहते हैं। रक्षा सेनाओं की अनेक छावनियों तथा

फील्ड फायरिंग रेंज का क्षेत्र नजदीक होने के कारण लाखों जवानों का आवागमन भी जारी रहता है। बीकानेर शहर राजस्थान के सबसे महंगे शहरों में है जिसके कारण लाखों दैनिक वेतन भोगी व केन्द्र तथा राज्य कर्मचारियों पर असर पड़ना स्वाभाविक है। भारतीय रेलवे मजदूर यूनियन व राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने गत दो वर्षों से बीकानेर को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित किये जाने की मांग सरकार से की है। इस समय बीकानेर शहर की आबादी करीब 5 लाख हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 16-1-1990 को भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से बीकानेर को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित किए जाने की सिफारिश की है।

अतः बीकानेर को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित किए जाने की प्राथमिकता देने की कृपा करें।

**(सात) सासाराम और पटना (बिहार) के बीच सीधे रेल सम्पर्क की व्यवस्था किये जाने की मांग**

**श्री छेदी पासवान (सासाराम)** : आजादी के बाद से अब तक ऐतिहासिक नगरी सासाराम का सीधा रेल सम्पर्क राजधानी पटना से नहीं हो पाया है। अतः निवेदन है कि मुगलसराय से बाया गया राजधानी पटना तक के लिए एक नई रेल सेवा शुरू की जाये। इससे रोहतास और औरंगाबाद जिलों के पचास लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे।

---

1.15 म० प०

## अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1990-91

### श्रम मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन में श्रम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 56, जिसके लिए आठ घंटे का समय निर्धारित किया गया है और कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग सं० 79, जिसके लिए छः घंटे का समय निर्धारित किया गया है पर चर्चा होगी एवं मतदान किया जायेगा।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के श्रम मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके है, वे यदि अपनी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो, 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचना-पट्ट पर लगा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

**प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :**

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में श्रम मन्त्रालय से संबंधित मांग संख्या 56 के सामने

दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 मे कल्याण मन्त्रालय से संबंधित मांग संख्या 79 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध मे 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 मे दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

**लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1990-91 के लिए श्रम मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे**

| मांग संख्या | मांग का नाम | 28 मार्च, 1990 को लोक सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि | | लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | राजस्व रुपये | पूंजी रुपये | राजस्व रुपये | पूंजी रुपये |
| | **श्रम मंत्रालय** | | | | |
| 56. | श्रम मंत्रालय | 92,00,00,000 | 28,00,000 | 275,99,00,000 | 82,00,000 |
| | **कल्याण मंत्रालय** | | | | |
| 79. | कल्याण मंत्रालय | 94,00,00,000 | 7,29,00,000 | 281,98,00,000 | 6,88,00,000 |

श्री पी० नरसा रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम और कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली अनुदानों की मांगों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित है जो कमजोर वर्गों में सबसे कमजोर वर्ग है। यह कहा जाता है कि अनुसूचित जनजातियों का जीवन स्तर बहुत नीचे है यह सरकार को और हम सब को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों को उचित सहायता दी जानी चाहिए। कुल जनसंख्या का 7.8 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों का है। वे पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। उनके पास कृषि को छोड़कर अपनी आजीविका के लिए और कोई साधन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जनजातियों की खेती योग्य भूमि लगभग 167 लाख हेक्टेयर है; जिसमें से 68 54 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही खेती की जाती है। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों की औसतन भूमि जिस पर खेती की जाती है 2.44 हेक्टेयर है। यद्यपि यह किसी अन्य विशेष ग्रुप के औसतन खेती योग्य जोत 1.84 हेक्टयर से अधिक है। देश में अनुसूचित जनजातियों के

पास औसतन जोत 2.4 हेक्टेयर होने के बावजूद वे अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं। इसका साधारण सा कारण यह है कि कुल खेती योग्य क्षेत्र 1.67 लाख हेक्टयर में से केवल 11 लाख हेक्टयर भूमि पर सिंचाई की जाती है जो कुल खेती योग्य क्षेत्र का 8 प्रतिशत है। अत: आप देखें कि जब तक खेती योग्य भूमि की सिंचाई के लिए अनुसूचित जनजातियों को सहायता नहीं दी जायेगी तब तक यह संभव नहीं होगा कि अनुसूचित जनजातियों के लोगों का जीवन स्तर आम आदमी की तरह या अन्य विशेष ग्रुप की तरह उठ सकें।

मेरे विचार से, हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों के साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत, अनुसूची-पांच और अनुसूची-छ: के बीच अन्तर किया गया है। जहां तक पूर्वोत्तर, सीमांत प्रदेश का सम्बन्ध है, उन सब क्षेत्रों को स्वायत्तता दी गई है। जहां तक उन पूर्वोत्तर क्षेत्रों का सम्बन्ध है जहां अनुसूचित जनजातियां रह रही हैं उनकी अपनी सरकारें है उनका अपना रहन सहन है जबकि अन्य मैदानी क्षेत्रों में जहां अन्य अनुसूचित जातियां रहती हैं वहां अनुसूचित जनजातियों को रहन-सहन के मामले में उसी प्रकार की स्वायत्तता प्रदान नहीं की जाती है। अत: मैं माननीय श्रम मंत्री की सराहना करता हूं कि उन्होंने सेमिनार आयोजित करके राष्ट्र का ध्यान आदिवासियों के कल्याण की ओर दिलाने का प्रयास किया है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में जहां आदिवासी उप-योजना लागू की गई है और जहां आदिवासी सलाहकार समितियां बनाई गई हैं, जो उनके आर्थिक उत्थान और उनकी समस्याओं के मामले में मात्र सलाहकार की हैसियत से काम कर रही हैं उन्हें संवैधानिक शक्तियां दी जानी चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो संविधान में संशोधन करके उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की उन सभी आदिवासी सलाहकार परिषदों को, जिनका उल्लेख संविधान की अनुसूची में किया गया है, सांविधिक अधिकार भी दिये जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने लाभ हेतु अपने विधान के लिए संस्तुति करने तथा प्रशासकीय शक्तियों को प्राप्त कर सकें। माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश के अनेक आदिवासी लोग इन परियोजनाओं के बारे में चिन्तित नहीं हैं बल्कि वे अपने पुनर्वास के बारे में चिन्तित हैं। आदिवासी गांवों में अनेक परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। आदिवासी छोटे-छोटे घरों में रहते हैं तथा उनका पुनर्वास इस तरह से नहीं किया जाता कि वे पुन: अपना जीवन निर्वाह बेहतर तरीके से कर सकें। यही कारण है कि वहां आंदोलन हो रहा है तथा उसके लिए वे राज्य सरकार की दया पर निर्भर हैं। आदिवासी सलाहकार परिषद की संस्तुतियों का किसी पर भी कोई असर नही पड़ता है अतएव वे आंदोलनकारी तरीकों को अपना रहे है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आदिवासी व्यक्तियों की जमीन पर दूसरे बाहरी व्यक्ति कब्जा कर लेते हैं और चूंकि आदिवासी घोर गरीबी में रहते हैं, गैर-आदिवासी व्यक्ति इनकी जमीन हथियाने तथा उसका उपयोग अपने लाभ के लिए करने का प्रयत्न करते हैं। नि:संदेह, अनेक राज्यों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाये हैं कि कोई व्यक्ति आदिवासियों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सके तथा यदि वह ऐसा करता है तो उसे कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत बेदखल कर दिया जाये। केरल में, जो अत्यन्त प्रगतिशील राज्य है, यह कानून बनाया गया है कि कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति आदिवासियों की जमीन को नहीं खरीदेगा और न ही कब्जा करेगा तथा यदि वह ऐसा करता है तब उसे बेदखल कर दिया जाएगा। परन्तु मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि यद्यपि पिछले दस-बारह वर्षों से यह अधिनियम पारित किया गया है लेकिन इसे सुनिश्चित करने के बारे में कोई कार्रवाई

[श्री पी० नरसा रेड्डी]

नहीं की गई है कि आदिवासियों की जमीन उन्हें वापस की जाए।

महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश के बारे में भी यही स्थिति है। अत: मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक एजेंसी क्षेत्रों में भी हमारी आदिवासी परिषदें नहीं बन जातीं तथा उन्हें संवैधानिक अनुसूची के अंतर्गत नहीं लाया जाता और उन्हें स्वायत्त अधिकार नहीं दिए जाते, तब तक हम इन आदिवासी लोगों को ऊपर नहीं उठा सकते। हमें उन आदिवासी परिषदों को अधिकार देने चाहिए जिससे कि उन्हें अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाए जिसके अनुसार कानून बनाये जा सकें तथा उनका क्रियान्वयन किया जा सके। राज्यपाल के लिए सलाहकार निकायों की बात मानना अनिवार्य भले ही न हो, परन्तु यह उसके लिए अनिवार्य होना चाहिए कि वह इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को आदेश जारी करे।

दूसरी बात मैं आदिवासियों के सम्बन्ध में सेवाओं में संवैधानिक सुरक्षापायों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। हमने पिछले काफी समय से देखा है कि सेवाओं में आदिवासियों को रोजगार दिए जाने सम्बन्धी सांविधिक आवश्यकता का पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ समय पहले एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था जिसने यह परामर्श दिया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कदम उठाये जाने चाहिये कि नियुक्ति के सम्बन्ध में उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित न किया जाये। गुरुदास आयोग का गठन किया गया था तथा आयोग ने यह सिफारिशें की थीं जिन्हें मेरे विचार से न केवल उन्हें सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकार किया है, उन्हें कार्यान्वित नहीं किया है। केन्द्र सरकार को अनिवार्यत: यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब कभी भी सभी स्थानों में अपेक्षित संख्या में इनको नियुक्त नहीं किया जाता तो यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उन्हें रोजगार दिया जाये।

जहां तक पंचवर्षीय योजनाओं का सम्बन्ध है, सातवीं योजना के अन्तर्गत आदिवासी उप-योजनाओं के अन्तर्गत 5269 करोड़ रु० आदिवासी क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए हैं। ये आंकड़े अधिकारी वर्ग द्वारा केन्द्र सरकार के पास भेजे जाते हैं तथा वे ही इसका निश्चय करते हैं कि किस प्रकार से आदिवासियों के लिए योजनायें बनायी जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से पुरजोर आग्रह करूंगा कि यदि वहां एक एजेंसी क्षेत्र है तो सरकार को उस क्षेत्र के आदिवासियों को यह अधिकार देना चाहिए कि विभाग के अधिकारी नहीं बल्कि वे स्वयं अपनी योजनायें बनायें जिससे कि वे जान सकें कि उनके लिए क्या अच्छा है। उदाहरण के लिए यदि आदिवासी लोग मवेशी पालन की सुविधाएं चाहते हैं जो उनके कृषि कार्य में सहायक होंगी तब नौकरशाही मुर्गी-पालन कार्यों की सिफारिश करेगी। अत: आदिवासियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की योजनायें बनाने से उनके विकास में बाधा उत्पन्न हुई है। छठी पंचवर्षीय योजना में भी 3383 करोड़ रु० आदिवासियों के उत्थान के लिए आवंटित किए गए थे। परन्तु हम यह देखते हैं कि जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला है। उनके अपने आंकड़ों के अनुसार 165 लाख घरों में से लगभग केवल 85 लाख घरों को ही आदिवासी उप-योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किया गया है तथा 124 लाख परिवारों को अभी भी सहायता दी जानी है। अत: मैं यह कहूंगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में किस तरीके से आदिवासियों के लिए उप-योजनायें बनाई गई हैं वह अत्यन्त दुखमूल है तथा आदिवासी नेताओं से परामर्श करके योजनायें नहीं बनाई गई हैं बल्कि उन लोगों से परामर्श लिया गया है जो उन क्षेत्रों में प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार हैं।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्यों द्वारा आदिवासियों के लिए बनाई जाने वाली सभी योजनायें आदिवासियों के आयुक्त द्वारा बनाई जानी चाहिए न कि किसी एक विभाग द्वारा। इस समय केन्द्र सरकार द्वारा जो भी राशि आबंटित की जाती है वह राज्यों तथा विभिन्न विभागों में चली जाती है तथा उनके खातों में जमा होती है। यह राशि आदिवासी क्षेत्रों के लिए आबंटित की जाती है परन्तु दुर्भाग्यवश आयुक्त की, जिसका काम उनकी देखभाल करना है, इस सम्बन्ध में कोई प्राधिकार नहीं है कि वह यह सुनिश्चित करे कि योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है या नहीं। अतः मैं यह कहूंगा कि एजेंसी क्षेत्रों के आदिवासी नेताओं के परामर्श से ही जनजाति कल्याण विभाग के आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में योजनाएं बनाई जानी चाहिए तथा यद्यपि उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अन्य विभाग भी सामने आयें परन्तु योजनाओं की राशि उन्हें नहीं दी जानी चाहिए।

जहां तक उनको दी गई आर्थिक सहायता तथा ऋण का सम्बन्ध है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अधिकतर आर्थिक सहायता तथा ऋण का दुरुपयोग किया जाता है। वह सब अधिकारी तन्त्र द्वारा ले लिया जाता है। वह धन उचित रूप से सही व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता। मैं एक उदाहरण दूंगा कि मुर्गी पालन अथवा मवेशी पालन के लिये जो एक निश्चित राशि आबंटित की जाती है उस मूल राशि का पचास प्रतिशत बैंक में जमा करा दिया जाता है तथा शेष पचास प्रतिशत खर्च किया जाता है जिससे कि पचास प्रतिशत धनराशि हजम कर ली जाती है तथा इसमें वह राशि भी शामिल है जो स्वयं लाभ लेने वाले को दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि "आपको यह राशि बिना किसी देयता के दी जा रही है तथा जो राशि आपको मिलनी चाहिए, उसके बारे में चिन्तित होने की आपको आवश्यकता नहीं है।" उदाहरण के लिए, यदि उसे 3000 रुपये मिलने चाहिए लेकिन उसे संतुष्ट करने के लिए मुश्किल से सौ रुपये किए जाएंगे। प्रत्येक उप-योजना में प्रत्येक जिले को करोड़ों रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिये जाते हैं जिनका दुरुपयोग किया जाता है।

महोदय, मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहूंगा और वह यह है कि मलेशिया में उन्होंने आदिवासियों तथा भूमिहीन निर्धनों के लिए एक योजना बनाई है जिसे संघीय भूमि विकास प्राधिकरण कहते हैं। इस प्राधिकरण के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक आदिवासी जिसके पास न्यूनतम जमीन है, एक कुआं, एक घर तथा समुचित आधारभूत संरचना उसे निगम द्वारा दी जाती है जिसके अन्तर्गत भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों के प्रतिनिधि ही स्वयं यह सुनिश्चित करते हैं कि यह सम्पूर्ण संरचना सरकार द्वारा बनाई जाये तथा किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा नहीं दिया जाए और जब प्रत्येक कार्य पूरा हो जाए अर्थात् कुंआ, विद्युत मोटर तथा जमीन आदि के पश्चात यह सब भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सौंप दी जाती है तथा इस परियोजना में खर्च की गई राशि उससे 15 से 20 किश्तों में वसूल की जाती है। जब मलेशिया में यह पद्धति सफल रही है तब यहां पर भी इसे कार्यान्वित किया जा सकता है क्योंकि बिचौलिये आर्थिक सहायता की राशि स्वयं हड़प कर जाते हैं क्योंकि आदिवासी अशिक्षित होता है तथा यह मान लिया जाता है कि वह कुछ नहीं कहेगा।

दूसरी बात मैं बीड़ी कामगारों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा दक्षिण विध्य में बीड़ी कामगारों में अधिकतर महिलायें शामिल हैं। वे बीड़ी निर्माताओं की दया पर जीती हैं। सरकार ने घोषणा की है कि उन्हें भविष्य निधि का लाभ भी दिया जाएगा। वहां यह हो रहा है कि उन्हें कोई भविष्य निधि नहीं दी जा रही है सिवाय इसके कि पास बुक के माध्यम से श्रम विभाग द्वारा बिना उचित जांच तथा सर्वेक्षण

[श्री पी० नरसा रेड्डी]

किये महिला को कुछ राशि दे दी जाती है तथा महिला कर्मचारी प्रबन्धकों की दया पर निर्भर रहती हैं। मन्त्री महोदय द्वारा दी गई वर्ष 1989-90 की रिपोर्ट मैंने देखी है। बीड़ी कर्मचारियों के कल्याण के लिए आबंटित की गई राशि 11 करोड़ रुपये है। वर्ष 1 88 में खर्च की गई राशि मुश्किल से लगभग 4 करोड़ रुपये है तथा वर्ष 1989-90 के लिये आबंटित की गई राशि 12 करोड़ रुपये है। केवल 6,000 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है तथा महिला कर्मचारियों को सिर्फ आवास का लाभ दिया जाता है जिसमें मुश्किल से लगभग 2,000 रुपये खर्च किये जाते हैं। महोदय, मैं यह कहूंगा कि बीड़ी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनसे उनकी भविष्य निधि न छीनी जाये। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों में, जहां पर महिलायें हैं वहां पर केन्द्र सरकार ई. एस० आई० अस्पतालों को नहीं चला रही है। बीड़ी कर्मचारियों से ई० एस० आई० के लिये भी अंशदान लिया जा रहा है जिसके बारे में वे नहीं जानते कि यह राशि कहां पर भेजी जा रही है। निचले स्तर के श्रम अधिकारियों की प्रबन्धकों के साथ सांठगांठ है तथा वे बीड़ी कर्मचारियों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री को ऐसी योजनाओं को नहीं लाना चाहिए जिनसे महिला श्रमिकों को लाभ न पहुंचे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि गरीब महिला श्रमिकों के हित के लिये हास्पिटल, प्रसूति वार्ड और बाल कल्याण केन्द्र स्थापित किये जायें। जैसा कि कार्यक्रम में दिखाया गया है, उन्हें ट्रेनिंग केन्द्रों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि उन्हें प्रबन्धकों द्वारा ठगा नहीं जाये उनके लिये निर्धारित किये गये लाभों को उन्हें दिया जाना चाहिए। उन्हें प्रसूति सहायता या आवास जैसे किसी लाभ को देने के बजाय करोड़ों रुपये बेकार पड़े हुए हैं, जबकि यह कहा गया है कि बीड़ी श्रमिकों के हित के लिये प्रति व्यक्ति 6000/- रुपये निर्धारित किये गये हैं।

अगला आखिरी मुद्दा मैं भूमिहीन श्रमिकों के बारे में उठाना चाहता हूं। जहां तक कृषि संबंधी श्रमिकों का सम्बन्ध है, यह दुःख की बात है कि वे असंगठित हैं और निम्न स्तर पर ऐसा कोई प्राधिकारी नहीं है जो यह देखे कि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी उन्हें मिल रही है या नहीं। यह सच है कि गुरुदास समिति ने न्यूनतम सीमा निर्धारित की थी। लेकिन न्यूनतम सीमा जो मंत्री जी ने हाल ही में सदन में घोषित की थी वह बिल्कुल भिन्न है। वास्तव में जब उन्हें 20 रुपये मिलते हैं, तो हम यहां केवल 14 रुपये कहते हैं। अतः अगर आप उन्हें न्यूनतम मजदूरी देना चाहते हैं तो स्थानीय जिला के लोगों के साथ सलाह करनी चाहिए। आपको पूरी तरह से आंकड़े देने वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो राज्य मुख्यालयों में बैठते हैं, जो कुछ देना चाहते हैं, वही देते हैं और यह दिखाते हैं कि प्रत्येक कार्य श्रमिकों के फायदे के लिये किया गया है। बहुत से कृषि श्रमिक भूमिपतियों की दया पर निर्भर हैं। अब, जहां तक भूमि सुधार के क्रियान्वयन का सम्बन्ध है, यह देखा गया है कि हम केवल 76 एकड़ भूमि प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं जो बहुत कम है। मैं निवेदन करूंगा कि हमें भूमि सुधार के क्रियान्वयन के लिये एक अभियान चलाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें देखना होगा कि पट्टेदार को उसका उचित भाग मिले और उसे भूमिपतियों की दया पर निर्भर न रहना पड़े। यह भी देखा जाना चाहिए कि भूमिपतियों द्वारा उसे भूमि से बेदखल न किया जाये। आज कृषि मजदूरों को न तो राज्य सरकार से सहायता मिल रही है और न ही किसी विधान से जहां तक कृषि मजदूरों को रोजगार देने का संबंध है, महाराष्ट्र रोजगार गारन्टी योजना एक आदर्श योजना है जिसका सभी राज्यों को अनुपालन करना चाहिए। एक कार्यक्रम सितम्बर से अगले अक्तूबर तक एक क्लेक्टर द्वारा बनाया गया था और वे सभी योग्य व्यक्ति जिन्होंने अपने नाम काम के लिए दर्ज कराये हैं, अगर सरकार उन्हें काम दिलाने में समर्थ नहीं हो पायेगी तो उन्हें दैनिक भत्ता दिया जाता है जिससे कि वे भूखे न मरें। यह राशि

बहुत कम है और मेरे विचार से राज्य सरकार को इसे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह 1974 में केरल सरकार द्वारा बनाये गये कानून का भी अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि हम यह चाहते हैं कि असंगठित कृषि मजदूरों को उनका उचित भाग मिले तो केन्द्र और राज्य सरकारों को उनकी पूरी सहायता करनी चाहिए ताकि उनकी न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी हों।

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि वे भूमिहीन लोगों को वनों में पेड़ लगाने की अनुमति देने जा रहे हैं, जहां वनों का विकास नहीं है। वे वृक्षों से प्राप्त होने वाले फलों का और लकड़ी का लाभ उठा सकते हैं। हमारे देश में लगभग 6.5 करोड़ हेक्टेयर वन भूमि है। उसमें से 3.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहां कोई वृक्ष नहीं है। अगर हम फलदार वृक्षों के लिए 3 7 करोड़ हेक्टेयर भूमि निःशुल्क पट्टे पर देने की अनुमति देते हैं, तो मेरे विचार से वृक्षों और बहुमूल्य वनों का काटना भी बन्द हो जायेगा। ये पट्टे वन क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों को दिये जाने चाहिएं। यह एक बहुत ही अच्छी योजना है और मुझे आशा है कि सरकार इसे शीघ्र ही लागू करेगी।

डा. वेंकटेश काबड़े (नान्देड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मन्त्रालय, जिसके प्रभारी युवा मंत्री अत्यधिक योग्य हैं, से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

हमारे जैसे विशाल देश में जनसंख्या बहुत अधिक है, वहां श्रम शक्ति राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस विशेष मानव संसाधन का यथासम्भव उपयोग नहीं किया गया है। यह बहुत खेदजनक बात है। हमें जनसंख्या को एक भार के रूप में नहीं देखना चाहिए लेकिन मौजूदा स्थिति में जनशक्ति का यथासम्भव बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। मेरे विचार से श्रम विभाग और श्रमिक का बहुत महत्व है क्योंकि जो कुछ हम इस देश में करते हैं, राष्ट्र की पूरी प्रक्रिया मजदूरों के कार्य पर निर्भर करती है।

हमारे देश में दुर्भाग्य से श्रम शक्ति संगठित नहीं है। केवल 10 प्रतिशत श्रम शक्ति संगठित क्षेत्र में है जबकि असंगठित क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत श्रमिक हैं। लगभग 27 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं और केवल 3 करोड़ श्रमिक संगठित क्षेत्र में हैं।

बहुत से लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न कानून बनाये जा रहे हैं। हम काफी अर्से से श्रम कानून के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत से कानून पहले ही बनाये जा चुके हैं। लेकिन, हमें गम्भीरता से सोचना होगा कि क्या सभी कानून श्रमिक वर्ग के लिए सहायक हैं। मुझे दुःख है कि ऐसे बहुत से कानून कार्यान्वित नहीं किए जा रहे और बहुत-सी परिस्थितियों में वे लाभप्रद नहीं हैं। जब तक कानून का अच्छी भावना से इस्तेमाल नहीं किया जाता तब तक श्रमिकों को कोई फायदा नहीं होगा। इस कानून को बनाते समय इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए। श्रम कानूनों को वास्तव में जनता के हित में लागू किया गया है यह देखने के लिए राजनीतिक इच्छा और उत्साह बहुत आवश्यक है।

हमारे सक्रिय और युवा मंत्री ने हाल ही में पुणे में एक बैठक में कहा है कि इस सत्र में बहुत से नये कानून प्रस्तुत किये जायेंगे जो इस सत्र में पूरे नहीं किये जा सकते लेकिन, पुरःस्थापित अवश्य हो जायेंगे और यह संगठित क्षेत्र के लिए लाभप्रद हैं। नये कानून व्यापक और एकीकृत कानून हैं। जिन्हें हमारी सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की गारन्टी प्रदान करने और असंगठित क्षेत्रों में लोगों को पेंशन योजना देने और उन लोगों के लिए बीमा योजना प्रदान करने के लिए पुरःस्थापित करेगी। बाल श्रमिकों के लिए कानून बनाने पर भी विचार हो रहा है और हमने सभी स्तरों पर प्रबंध व्यवस्था में श्रमिकों की भागेदारी के बारे में बातचीत की है। उद्योग के लाभ के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी।

[डा० वेंकटेश कांवड़े]

और मेरे विचार से इससे विकास की प्रक्रिया में नई क्रान्ति आयेगी।

यहां मैं कहना चाहूंगा कि केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है कानूनों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। उसके लिए मेरा माननीय मंत्री को सुझाव है कि कानून बनाने के बाद हमें विभिन्न राज्यों से श्रम मंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए और उन्हें कानून की विचारधारा और इस अधिनियम को श्रमिकों को लाभ के लिए कैसे लागू किया जाये, इसे स्पष्ट करना चाहिए।

हमारे देश में श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब है। किसी भी फैक्टरी अथवा बड़े सरकारी उद्यमों को लीजिए। नियोक्ता श्रमिकों के लाभ पर कितना ध्यान देते हैं जिसकी निष्ठा और परिश्रम से उद्यम चल रहा है, आपने देखा होगा कि बहुत थोड़े उद्योग हैं जो श्रमिकों के कल्याणकारी पहलुओं पर ध्यान देते हैं। श्रमिकों के परिवारों और बच्चों का ही उदाहरण लीजिए क्या उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कोई उचित प्रबंध किये जाते हैं, उनके सांस्कृतिक उत्थान की बात तो छोड़िए। इस प्रकार के प्रयास संगठित क्षेत्रों में भी नहीं किये जाते। असंगठित क्षेत्र में क्या होता होगा इस बात का अनुमान कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। श्रमिकों के परिवारों पर वास्तव में ध्यान नहीं दिया जाता और इस सम्बन्ध में बहुत अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और स्वैच्छिक संगठन कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं तथा बाल कल्याण के लिए केवल 2 या 3 लाख रुपये दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को महिला तथा बाल कल्याण के लिए अधिक धन दिया जाये।

जहां तक तालाबन्दी का सम्बन्ध है। जब भी कारखाने में तालाबन्दी होती है, तो कामगारों को बहुत परेशानी होती है। वे नहीं जानते कि वे क्या करें। उनको उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। किन्तु मालिक इतनी तकलीफ नहीं उठाते। विभिन्न उद्योगों के मालिकों की ओर देखिए। उद्योग बन्द होने के पश्चात् उनका जीवन स्तर नहीं बदलता किन्तु कारखाने के लोग सड़क पर आ जाते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या करें। बम्बई में कई कताई मिलें बन्द हो गई और कताई मिलों में काम करने वाले लोगों की दशा भी दयनीय है। उन्हें अपने घर बेचने पड़े। उनके बच्चे सड़क पर आ गए।

मैं यह सुझाव दूंगा कि जब भी एक विशेष उद्योग में तालाबन्दी का सवाल आये। तब इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या कामगार उस उद्योग को चलाने में समर्थ होंगे और इस विशेष पहलू पर काफी विचार विमर्श किया जाना चाहिए और अगर संभव हो तो उस विशेष उद्योग को जीवित रखना चाहिए।

काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कामगारों की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और यह बहु आयामी है अर्थात, देश के भीतर रहने वाले श्रमिक और वे श्रमिक जो देश के बाहर जा रहे हैं। काफी संख्या में श्रमिक देश के बाहर भेजे जाते हैं और एजेंसियों के कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहां मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि हमने इस काम को कई निजी एजेंसियों को सौंप दिया है। किन्तु इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या हम एक निगम बना सकते है और इस काम को निगमों को सौंप सकते हैं। शायद इससे कई समस्याएं सुलझें। श्रमिकों के अन्तर्राज्यीय प्रवास में भी कई समस्याएं आती हैं। एक कानून है किन्तु इसे उचित ढंग से लागू नहीं किया गया और यह दूसरे राज्यों में जाने वाले श्रमिकों के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है।

अन्त में, मैं बाल श्रम का उल्लेख करना चाहूंगा। यह भी एक उपेक्षित पहलू रहा है। राष्ट्रीय

नमूना सर्वेक्षण की 1980 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग दो करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बुरी स्थितियों में काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अपने बाल्यकाल में भी 5 से 14 वर्ष कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है और समस्या यह है कि अगर उनका काम रोक दिया जाए तो उनके परिवार भूखो मर जायेंगे। उनके अभिभावक उन्हें किसी भी काम पर लगा देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी न्यूनतम जरूरतें पूरी करनी होती हैं। अर्थात उन्हें भोजन चाहिए होता है। हम इन लोगों को भोजन की गारंटी नहीं दे सकते और उनसे मजबूरन काम करवाया जाता है। अतः एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसके जरिए हम उन्हें कुछ ऐसी सुविधाएं दे सकें जो विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को मिलती है और इन बच्चों के कल्याण पर भी ध्यान दें जिनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। हमें इनकी शिक्षा का ध्यान रखना है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनकी खाने पीने की जरूरतों का ध्यान रखना और विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले बच्चों के शोषण को रोकने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है।

अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक कपड़ा मिल, नांदेड़ कपड़ा मिल की दुर्दशा का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यहां कुप्रबंध और प्रशासनिक समस्याओं के कारण, पिछले पांच वर्षों में श्रमिकों की संख्या 4000 से घट कर 2000 रह गई है। एक मिल जो 1985 तक लाभ में चल रही थी अब घाटे में चल रही है। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि वहां कुप्रबंध था और लोग यह नहीं जानते थे। कि एक कपड़ा मिल कैसे चलाई जाती है, तकनीकी कौशल रहित व्यक्तियों को इस मिल का प्रबंधक बना दिया गया, नहीं तो यह मिल सालों से लाभ में चल रही थी। क्या मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर सकता हूं कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित इस मिल के मामले पर गौर करें और देखें कि श्रमिकों की संख्या घटे नहीं और जो अभी काम कर रहे है उन्हें सभी प्रकार के विकास लाभ प्राप्त हों।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा (धनधुका) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उत्साही साथी श्रम और कल्याण मंत्री जी ने जो अनुदान की मांगे प्रस्तुत की है मैं उनके समर्थन मे कुछ विनती कर रहा हूं।

अपने देश के अन्दर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पढ़े-लिखे लोगों को आज सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं हो सकती है इसलिए पढ़े-लिखे लोग भी मजदूरी करने के लिए बाध्य हो रहे है। हालत इससे भी बुरी है। मैं गुजरात से आता हूं। अहमदाबाद के अन्दर आज लगभग 23 मिलें बन्द है। जिसके कारण वहां मजदूरों का जीना मुश्किल हो गया है।

दिवाली के समय वे मजदूर अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहना सकते है। एक दुखद घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मजदूर के बच्चे ने अपने पिता से कहा कि मुझे आज अच्छा खाना खिलाओ। उस बच्चे का पिता अपने दोनों बच्चों को तालाब के पास ले गया और वहां अच्छा खाना तो वह नहीं खिला सका लेकिन उसने अपने दोनों बच्चों के साथ तालाब में कूद कर आत्म-हत्या कर ली। ऐसा अहमदाबाद में ही नहीं है। मजदूरी न मिलने के कारण मां अपने बच्चों के साथ जल कर मर जाती है या अपने बच्चो को छोड़कर चली जाती है, इस प्रकार की स्थिति इतनी ज्यादा हो गई है, इसके लिए भी हमे सोचना पड़ेगा। अनुसूचित जाति और जन-जाति के बारे में मैंने कहा कि श्रमिक एक दूसरा ही नाम है—अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो काम दिया जाता है वह इतना नफरत वाला काम है, जिसे देखते ही हम निगाह मोड़ लेते हैं। आज यह लोग जो सिर पर मैला उठाने का काम कर रहे हैं उनके लिए जो विशेष सुविधा होनी चाहिये, वह उनको नहीं दी जा रही

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

है जब कि टैक्नीकल साधन इतने ज्यादा बढ़ गये हैं तब भी इनके लिये कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज मरे हुए पशुओं को भी यह लोग अपने सिर पर उठा कर ले जाते है, इस प्रकार आज छूआ-छूत आगे चलता ही जा रहा है।

आज जो महिलायें काम करती है, उनके साथ उनके बच्चे भी काम पर जाते हैं। उनको पूरा दिन काम करने के बाद मजदूरी सिर्फ 10—12 रुपये ही दी जाती है, पूरी पगार भी उनको नहीं मिलती है। इसके खिलाफ आवाज उठाते है तो इन पर अत्याचार किये जाते है और उन्हें जान से मार दिया जाता है। जामनगर, जिला टोडा गांव में एक अनुसूचित-जाति के व्यक्ति ने काम पर जाने के लिये मना किया तो उसे जिन्दा जला दिया गया और उसके घर के आगे उसकी लाश को लाकर डाल दिया गया और कहा कि—यह लो, अपने लड़के को सम्भाल कर रखो। इस प्रकार की स्थिति सारे देश के अन्दर फैली हुई है। अगर यह लोग 12 घण्टे तक काम करते है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मजदूर काम पर नही आता है तो उसे आने पर घर नहीं जाने दिया जाता और रात तक उसे काम पर रखा जाता है, इसलिये उसको दो दिन तक काम करना पड़ता है। इसके लिये इनको जो सुविधायें मिलनी चाहियें, वह सुविधायें इनको नहीं मिल पाती है और इनकी आधी जिन्दगी इसी काम के अन्दर खत्म हो जाती है इस कारण यह अनुसूचित-जाति के लोग 40—45 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। लोहे की फैक्ट्री या अन्य फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करते है उनके स्वास्थ्य के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिये, उसके लिए कानून तो बनता है लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है, जो इंस्पैक्टर वहां जांच के लिए जाते है उनको रिश्वत दे दी जाती है और फिर यह इंस्पैक्टर कह देते है कि सब रिपोर्ट ठीक है और वहां पर सब प्रकार की सुविधायें उपलब्ध है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां पर कोई सुविधा उपलब्ध होती ही नहीं है और वही कार्य दिन-प्रति-दिन बना रहता है। इसलिए वहां पर दिन-प्रति-दिन मृत्यु दर संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसके बावजूद अगर उनकी पत्नी या बच्चों को नौकरी देने के लिए कहा जाता है तो उन्हें नौकरी नहीं दी जाती है, उन्हें दो दो, सात-सात साल तक रोका जाता है और कहा जाता है कि आप एप्लीकेशन दीजिये, जब आपकी बारी आयेगी तब आपको रखा जायेगा। उनकी जगह पर दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लिया जाता है। अहमदाबाद शहर में जहां पर कुत्ते मारने की जगह है, वहां पर भी दूसरी जाति का नाम चलता है, जबकि वहां भी अनुसूचित-जाति के लोग ही काम करते हैं।

अस्पतालों में भी, जहां अनुसूचित-जाति के लोग झाड़ू, सफाई आदि का काम करते हैं वहां पर भी दूसरी जाति के लोगों का नाम चलता है। इन पर कोई निगरानी नहीं रखी जाती है। इस तरह से फैक्ट्रियों के अन्दर जो फार्म भरे जाते हैं वह भी इनको नहीं भरने दिये जाते हैं, फार्म न भरे होने के कारण, जब इन लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उसका लाभ भी इनको नहीं मिल पाता है। इस प्रकार के केस दिन-प्रति-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रकार से यह आंकड़े दिन-प्रति-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं—1961 में 0.14 थे, जो अब बढ़कर 1985 में लगभग 0.23 तक पहुंच गये हैं। इसलिए जनरल कारखानों में इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। खेत में काम करने वाला मजदूर ही नहीं, बल्कि रेलवे में और फोर्स में भी जो मजदूर काम करते हैं उनकी हालत भी खराब होती जा रही है।

मजदूरों के साथ जो घटनायें घटती हैं, उसके लिए उनको न्याय भी नहीं मिलता है। कोर्ट भी इतने कम हैं कि उनको न्याय भी समय पर नहीं पाता है, इस कारण जब वह मौत के घाट उतरने लगता है तब उसको न्याय मिलता है। इसलिए ज्यादा अदालतें खोली जानी चाहिए ताकि इनको न्याय समय पर मिल सके।

2.00 म० प०

मजदूरों की मृत्यु हो जाने के बाद उनके आश्रितों को परेशान किया जाता है, उनको आश्रय मिलना चाहिए, नौकरी देने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए और इन सब चीजों के लिए सरकारी तौर पर बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं। लेकिन उनकी निगरानी नहीं होती है, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, और समय-समय पर चीजों की जांच करनी चाहिए।

आज श्रमिक मजदूरी की तलाश में प्रतिदिन बाहर जा रहे हैं, अरब देशों में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर मजदूरों की हालत बहुत खराब है। वहां पर इनका शोषण होता है और यहां तक कि इनके वापिस आने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। कई बार दिल्ली आकर सरकार से अनुरोध करके मजदूरों के वापस आने की हम लोगों ने व्यवस्था करवाई है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक बात बहनों के बारे में कहना चाहूंगा। आज महिला मजदूरों का कितना बड़ा शोषण किया जाता है। आज हमारी मां-बहन-बेटियां जो मजदूरी करती हैं, प्रसूति के अन्तिम दिन तक उनको छुट्टी नहीं दी जाती, काम लिया जाता है और कभी-कभी तो वे मजदूरी करते-करते बेहोश हो जाती हैं और तड़प-तड़प कर मर जाती हैं, अपनी जान दे देती हैं। इन सब चीजों के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार द्वारा राहत कार्य चलाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने गुजरात में जाकर देखा है, वहां पर मजदूरी करने वाली महिलाओं के लिए कोई क्रेश नहीं बनाए गए हैं, उनके छोटे बच्चों के लिए पालने की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं धूप के अन्दर काम करती हैं, काम करते-करते बेहोश हो जाती हैं, उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है, इनके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

बाल श्रमिकों के बारे में कानून बना हुआ है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नौकरी में नहीं लिया जाएगा, लेकिन होटलों में और फैक्ट्रीज में छोटे बच्चों से काम लिया जाता है और यदि उनसे कोई कप टूट जाता है या कोई छोटा सा नुकसान हो जाता है तो उनको यातनाएं दी जाती हैं, यहां तक कि उनको जलाया जाता है। इसी तरह से जो घरों पर छोटे बच्चे काम करते हैं, उनकी निगरानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी शिक्षा आदि का भी कोई उचित प्रबन्ध नहीं किया गया है। अभी जो व्यवस्था है वह बहुत कम है, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और शिक्षा की अधिक सुविधा देने के लिए अधिक राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने महिलाओं के बारे में कहा, बच्चों के बारे में कहा, अब एक बात अनुसूचित जाति और जनजाति के श्रमिक जो गांवों में, खेतों में काम करते हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। इन मजदूरों से दिन-रात काम लिया जाता है, कभी-कभी बैलों की जगह इन मजदूरों को जुतने पर मजबूर किया जाता है। खेतों में काम करते-करते जब कोई जहरीला कीड़ा इनको काट लेता है या जहरी दवा का प्रयोग करते हुए उसके असर से इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कोई विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए।

अन्त में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उनको किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए, उनमें आने वाली कठिनाइयों को किस प्रकार से दूर करना चाहिए, इन सब बातों के लिए मजदूरों के प्रतिनिधिमण्डलों से अवश्य विचार-विमर्श करना चाहिए और उनके परामर्श को ध्यान में रखकर ही कार्यवाही करनी चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सचेतकों से अनुरोध करूंगा कि अगर उन्होंने सूची हमारे पास भिजवा दी है तो वे सूची अपने पास रखें और माननीय सदस्य अपने सचेतकों से मिलकर पता लगा सकते हैं कि क्या उनके नाम सूची में हैं अथवा नहीं। यह उचित नहीं है कि हर वक्त, हर सदस्य अध्यक्ष के पास आए और पता लगाने की कोशिश करे कि उसका नाम सूची में है अथवा नहीं, यह अच्छा नहीं लगता। यह बात सभी माननीय सदस्यों के लिए है।

अब, कुमारी मायावती

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रम एवं कल्याण मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी का ध्यान कुछ खास बातों की तरफ दिलाना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस देश में दबे-कुचले लोग हैं, उन पर अन्याय और अत्याचार का सवाल है, चाहे उसमें श्रमिक आते हों, दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले लोग आते हों, ब्यूरोक्रेसी में हों, पालीटिक्स में हों या दूसरे क्षेत्रों में हों। मैं यह समझती हूं कि अन्याय और अत्याचार बड़े पैमाने पर कम होने की बजाये तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के सामने कोई नई बात नहीं है। यदि हम इस देश के दबे कुचले लोगों के इतिहास को उठाकर देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि देश के अन्दर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई है जिसके आधार पर इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही नहीं बल्कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से सम्बन्ध रखने वाले लोग, सिख, पारसी, मुसलमान और बुद्धिस्ट लोगों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। हर क्षेत्र में उनको अपमानित किया गया है। हमें अन्याय और अत्याचार के पीछे जो मुख्य कारण इस देश में शुरू से लेकर आज तक रहा है, उस कारण को समझना होगा। जब तक हम इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन नहीं लायेंगे तब तक हम इस देश के दबे-कुचले लोगों को अन्याय और अत्याचार से बचा नहीं सकते हैं।

मेरा सबसे पहला सुझाव यह है कि सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के बारे में सोचना होगा। वैसे हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी ने कई बार सामाजिक परिवर्तन के बारे में इशारा भी किया है। लेकिन यदि हम सामाजिक परिवर्तन की बात कहते ही रहेंगे और उस परिवर्तन के बारे में सोचेंगे नहीं, प्रैक्टीकल रूप में नहीं करेंगे तो मैं समझती हूं कि सही मायने में बहुजन समाज को अन्याय और अत्याचार से नहीं बचा सकते हैं।

मैंने सामाजिक परिवर्तन की बात इसलिये कही है क्योंकि इस देश के अन्दर बहुजन समाज के लोगों को इस देश की सामाजिक व्यवस्था से नुकसान पहुंचा है और उन्हें अपमानित किया गया है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें मनुस्मृति, वेद और साहित्य की पुस्तकें हैं उनसे बहुजन समाज पर जो अन्याय करते हैं और अत्याचारी हैं, उनका मनोबल बढ़ता है, जब तक इस साहित्य से, इन पुस्तकों से जब तक ऐसी बातों को निकाला नहीं जायेगा, वेद, शास्त्र, गीता और रामायण से निकाला नहीं जायेगा तब तक इस देश के अन्दर अन्याय और अत्याचार बढता जायेगा तथा अत्याचारियों का मनोबल बढ़ता जायेगा। क्योंकि इस देश के अन्दर जो हकूमत करने वाले लोग हैं वे हर क्षेत्र में हकूमत के साथ-साथ, ब्यूरोक्रेसी को ले लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र को ले लीजिये, जमीदारी मामले को ले लीजिए,

इस देश के कल्चर को ले लीजिए, जो पांच ताकतें हैं उन पर ऐसे लोगों का हाथ है जिन्होंने इस देश की सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से तैयार की जिससे मुट्ठी भर लोगों को फायदा और ज्यादातर लोगों को नुकसान पहुंचेगा।

हम बार-बार सदन में अन्याय और अत्याचार की बात करते रहे और अन्याय तथा अत्याचार को रोकने के लिए प्रीवेंशन आफ एट्रोसिटीज एक्ट जैसे बनाते रहे तो, मैं समझती हूं कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हम अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा देने वाला जो साहित्य है, वेद और शास्त्र हैं उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे तब तक अन्याय और अत्याचार समाप्त नहीं हो सकता।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, इस देश के अन्दर 5 लाख 76 हजार से ज्यादा देहात हैं। देहातों में 10 करोड़ के करीब बहुजन समाज के लोग हैं। वे रोटी-रोजी की तलाश में देहातों को छोड़ कर बड़े-बड़े महानगरों की ओर आने शुरू हो गए हैं। ये 10 करोड़ लोग देहात छोड़कर क्यों आए? इसलिए आये क्योंकि देहातों में जो सामंतवादी ताकतें हैं, जिन लोगों के पास कई-कई हजार हेक्टेयर जमीन है, वे लोग उनसे काम ज्यादा लेते हैं और मजदूरी कम देते हैं। और यदि वह उससे ज्यादा मजदूरी की बात करते हैं या सरकार के द्वारा जो मजदूरी तय की जाती है उस मजदूरी की बात करते हैं तो उनको धमकी दी जाती है, क्या धमकी दी जाती है, देहातों में अक्सर हमने देखा है कि दबे-कुचले समाज के लोग जो दूसरों के खेतों में काम करने के लिए जाते हैं उनके पास कोई न कोई जानवर दूध देने वाला होता है जिससे उनके परिवारों के पालन में उनको कुछ सहायता मिल सके, लेकिन जब वह सरकार के द्वारा तय की हुई मजदूरी मांगते है तो उचित मजदूरी न देते हुए खेत का मालिक कहता है कि अगर तुमने मेरे खेत में काम नहीं किया और दूसरे के खेत में काम करने चले गये तो मैं तुम्हें तुम्हा पशुओं के लिए अपने खेत में चारा काटने नहीं दूंगा। इस तरह की उसे धमकी दी जाती है। इसके बारे में भी जरूर सोचना होगा। दूसरे, इस देश के अन्दर कोने-कोने में जहां भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग है, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं उनकी बस्तियों में नशीले पदार्थों की दुकानें खोली जाती हैं। एक तरफ तो सरकार यह प्रचार करती है कि नशीले पदार्थों पर रोक लगाई जाए, लेकिन मैंने महसूस किया है कि जहां-जहां भी शराब की दुकानें खोली जाती हैं या नशीले पदार्थों की बिक्री की जाती है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा समाज के पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों की बस्तियों में ज्यादा की जाती है। ये दुकानदार करोड़पति और अरबपति होते हैं और भारी मुनाफा कमाने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे समाज की ऐसी बस्तियों में इनको बढ़ावा देकर हमारे समाज को ये लोग मजबूर करते है कि वे इनका सेवन करें और वे मुनाफा कमायें। जितना हमारे समाज के लोग कमाते नहीं है उससे ज्यादा इन नशीली चीजों पर खर्च कर देते हैं। सरकार को इसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाना होगा और जहां-जहां हमारे समाज में नशीले पदार्थों की दुकानें हों या बिक्री हो उस पर तुरन्त रोक लगानी चाहिए।

मैं मण्डल आयोग के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। जहां तक उसकी सिफारिशों का सवाल है, मैं यह समझती हूं कि कांग्रेस पार्टी के राज से लेकर आज तक और खासकर हमारे माननीय प्रधान मन्त्री श्री वी०पी० सिंह जी ने इस दिशा में कुछ अधिक प्रयास नहीं किया। जब चुनाव हुए थे तो अपने घोषणा-पत्र में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि देश के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी आबादी 100 में से 52 है, जैसे ही हमारी पार्टी सत्ता में आयेगी तो हम मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बने हुए चार महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन मण्डल आयोग की सिफारिशों से सम्बन्धित बातों को अमल में नहीं लाया जा रहा है। वैसे हमारे भाई राम विलास पासवान जी ने मद्रास में

[कुमारी मायावती]

घोषणा की थी कि एक-दो हफ्ते के अन्दर मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जायेगा। देखते हैं, एक-दो हफ्ते भी बीतने वाले हैं कि वे क्या करते हैं। देश में अन्य पिछड़े वर्ग के लोग बहुत दुखी हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत नौकरी राजनीति और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण के आधार कुछ मजबूरी की हालत में कुछ स्थान देने पड़े हैं, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी आबादी 100 में से 52, है, आज दुःख की बात है कि भारतीय संविधान के अन्दर उनको आज तक मान्यता नहीं मिली है। जब तक उनको भारतीय संविधान के अन्दर मान्यता नहीं मिलेगी तब तक उनके अधिकार का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए मेरा भाई राम विलास पासवान जी से यह निवेदन है कि संविधान में जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनको मान्यता दी जाए और अधिकार का सवाल बाद में हल हो जाएगा जब उनको मान्यता मिल जायेगा। इस देश के अन्दर कितने हजार पिछड़ी जाति के लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और सामाजिक आधार पर पिछड़े हुए हैं उनको आप भारतीय संविधान में मान्यता दिलायें और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठायें।

सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए कानून तो बढ़िया से बांढ़िया बना दिया है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार अमल करने वाले जो लोग हैं, उनकी नियत ठीक नहीं है लेकिन इसी सरकार की एक बहुत बड़ी कमजोरी है क्योंकि जो सहायता उन लोगों को दी जाती है, उनके लिए जो सुविधाएं बनाई जाती हैं, उन सुविधाओं के बारे में इस देश के अन्दर बहुजन समाज के लोगों को मालूम ही नहीं होता है और खासकर देहात के लोगों को तो बिल्कुल मालूम ही नहीं होता है कि उनको कौन-सी सुविधाएं दी गई है? जब तक बीकर सैक्शन्ज़ के लोगों को सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसका फायदा कैसे लिया जायेगा? इसलिए सरकार की ओर से ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए कि वे सुविधाएं गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक सरकारी खर्चे पर पहुंचाई जाएं ताकि इसकी जानकारी से उन लोगों को फायदा मिल सके। हमने तो यह महसूस किया है कि कागजों के ऊपर तो समाज के दबे-कुचले लोगों को सहायता मिल जाती है और उसमें भी किसी का नाम खचेडू सिंह है तो किसी का बुद्धू सिंह लिखकर खाना-पूर्ति कर दी जाती है लेकिन इसका फायदा दूसरे लोग ले लेते हैं। इस कारण इस देश के अन्दर ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा मिला है, जिससे मुट्ठी भर लोगों को फायदा हुआ है और ज्यादातर लोगों को नुकसान पहुंचा है। इसलिए मैं उप-सभापति महोदय के माध्यम से श्रम मंत्री से गुजारिश करती हूं कि जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, उनके ऊपर गहराई से सोच-विचार करके किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। यदि कागजी कार्रवाई होती रही तो इस देश का 85 प्रतिशत वर्ग —दबा-कुचला वर्ग, धार्मिक अल्संख्यक वर्ग – आपको नहीं बख्शेगा। मैं भाई रामविलास पासवान जी से गुजारिश करती हूं कि आपकी अपनी भी मजबूरी है, क्योंकि आपके ऊपर हुकूमत करने वाले बैठे हुए हैं, वह एक ठाकुर के बेटे हैं। हालांकि मैं जातिवाद को बढ़ावा नहीं देती हूं लेकिन आज भी ठाकुरों के दिल और दिमाग में इन दबे-कुचले लोगों के प्रति नफरत भरी हुई है। गांव में जमीन भी बड़े पैमाने पर ठाकुरों के पास है और माननीय प्रधान मन्त्री के निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर में समाज की एक बहिन श्रीमती कुच्ची देवी के पति के साथ जो कुछ वहां के ठाकुरों ने किया, मैं समझती हूं कि वह लोक सभा ही नहीं राज्य सभा में भी काफी चर्चित हो चुकी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप यदि माननीय वी० पी० सिंह जी के दबाव में आकर या उनके मुताबिक कागजी कार्रवाई करते रहें लेकिन प्रेक्टिकल में आपने कुछ नहीं किया। अब तो आप एक ठाकुर के नेतृत्व में श्रम मन्त्री बन गए लेकिन आपने समाज को धोखा दिया तो बहुजन समाज के लोग आपको अगली पार्लियामेंट में

चुनकर नहीं आने देंगे। इसलिए आप दबाव में नहीं आकर बहुजन समाज के हित में काम करेंगे तो मैं समझती हूं कि बहुजन समाज आपको आगे बढ़ावा देता रहेगा और आपके हाथ मजबूत करता रहेगा। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं।

श्रम कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय सदस्या मायावती ने जो कुछ कहा है, उसके सम्बन्ध में, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार, सरकार है। इस देश को पहली बार यह गर्व होना चाहिए कि वी० पी० सिंह जैसा प्रधान मंत्री मिला है जो समाज के शोषित, पीड़ित और मजदूर वर्ग के उत्थान एवं उसके अधिकार दिलाने हेतु कमिटेड है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हम लोगों को मिलकर जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए लेकिन यदि मायावती जी दूसरे ऐंगल से देखेंगी तो अहितकर होगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे। वह कोई दलित या पिछड़ी जाति के नहीं थे इसलिए हम लोगों को समता की लड़ाई लड़नी चाहिए न कि जाति के आधार पर लड़ाई करें।

कुमारी मायावती : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वेस्ट है और मैं अपनी एक बात आपके सामने रखना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मायावती जी, ऐसा नहीं चलेगा। यदि एक-एक प्वायन्ट पर डिस्कशन करेंगे तो कैसे चलेगा ? मैंने आपको पहले ही काफी समय दिया है। प्लीज, नहीं।

कुमारी मायावती : इस देश के अन्दर और प्रधान मन्त्री के निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर में जो काण्ड हुआ है, उसका यह एक जीता-जागता उदाहरण है। यह जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब उच्च जाति के मृतक के परिवार के लोगों को कम्पैन्सेशन देने का सवाल आता है तो किसी को दो लाख, किसी को तीन लाख रुपये देने की बात होती है, दूसरी तरफ शोषित समाज के मृतक के परिवार को कोई सहायता देने की बात आती है तो दस हजार या पन्द्रह हजार रुपये से ज्यादा किसी को नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, उस पैसे को लेने के लिए भी उस बेचारी को कभी मुलायम सिंह यादव के दफ्तर में चक्कर लगाने पड़ते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : अब नहीं चलेगा। अब तो आपको बैठना पड़ेगा।

कुमारी मायावती : कभी यहां चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी उसकी कोई नहीं सुनता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको बैठना ही होगा। मैंने पहले ही आपको काफी टाइम दे दिया है बोलने के लिए। इससे ज्यादा नहीं हो सकता।

कुमारी मायावती : एक बात और मैं कहना चाहती हूं कि यह राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार देश में जातिवाद को बढ़ावा देने की नीति पर चल रही है। (व्यवधान) नहीं तो नारे लगाने की क्या जरूरत थी। (व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुशान्त चक्रवर्ती।

श्री सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : श्रीमान्, यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे देश का श्रम क्षेत्र विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है। कृषि क्षेत्र मे बेरोजगारी, अल्प रोजगार, गरीबी, कर्ज जैसी समस्याएं हैं और औद्योगिक क्षेत्र में तालाबन्दी, बन्द, रुग्णता इत्यादि।

जनगणना सम्बन्धी रिपोर्ट और उपलब्ध रिकार्डों पर एक नजर डालने से यह पता लगता है कि जमीन से बेदखल किये गए कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही हैं। मैं यह खुलासा करना चाहूंगा कि इसमें बंधुआ मजदूर हैं, बाल मजदूर है और उन्हें दी जाने वाली मजूरी में असमानतायें और खामियां हैं।

कृषि में, सबसे ज्यादा वेतन पाने वाला मजदूर हर वर्ष 3900 रुपये कमाता है जबकि 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा 6400 रुपये प्रति वर्ष है। लघु क्षेत्र में औद्योगिक मजदूर लगभग 4,000 रुपये और 6,000 रुपये के बीच प्रति वर्ष कमाता है। यह भी, गरीबी रेखा के नीचे है। दूसरी ओर, केन्द्रीय सरकार के गैर-विभागीय उपक्रमों में मजदूर की औसतन वार्षिक आय 32,239 रुपये है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में वेतन दर और भी ऊंची है।

ये असमानताएं जारी नहीं रह सकतीं। ये असमानताएं सरकार पर दबाव डालती हैं कि उन्हें एक संवैधानिक गारंटी न्यूनतम वेतन निश्चित करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार उनकी कैलोरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और अन्य सुविधाएं जैसे ईंधन और आवास आदि का ख्याल करते हुए, श्रमिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श करके एक कानून बनाएगी, जिससे मापदण्ड निर्धारित होगे।

हमारे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी का लाभ उठाते हुए निजी मिल मालिक एकतरफा तालाबन्दी का आश्रय ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में, जूट मिलों में, ये बातें ज्यादा दिखाई देती है। वहां तालाबन्दी होती है, वेतन नहीं दिए जाते हैं इत्यादि और जूट मिलें आए दिन बन्द कर दी जाती हैं। सरकार को, कामगारों के हितों को देखते हुए इन जूट मिलों को अपने प्रबन्ध में लेने के बारे में सोचना चाहिए।

हमारे देश में श्रमिक हमेशा इन बुराइयों के खिलाफ विरोध में आवाज उठाते हैं। किन्तु पिछली सरकार ने ई० एस० एम० ए० 'एसमा' एन० ए० एस० ए० 'नासा' आदि के द्वारा इन विरोधों को दबा दिया और संविधान की धारा 311 (2) यह अधिकार देती है कि कर्मचारियों को बिना कोई कारण बताए बर्खास्त किया जा सकता है।

यहां तक कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एसोसिएशन की स्वतन्त्रता की गारन्टी, संगठित होने और सामूहिक समझौते के अधिकार को सुनिश्चित करने वाली प्रतिज्ञा संख्याओं 87 और 98 को संपुष्ट करने से भी इन्कार कर दिया। अब मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि उत्पीड़ित करने वाले ये उपाय लागू न किए जाएं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रमिक संघों के अधिकारों को कम करने वाला औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक अभी भी राज्य सभा के पास है। मैं सरकार को इस पर विचार करने के लिए प्रार्थना करता हूं कि वह श्रमिक संघों के परामर्श से एक नया औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक बनाये जाने पर विचार करे।

श्रम कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि यह बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर न करे। पिछली सरकार द्वारा इसी विषय पर गलती की गई थी। इस बुराई को दूर करने के लिए मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहूंगा।

1. न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जानी चाहिए है। मुझे याद है कि 1985 में श्री राजीव गांधी ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने की मांग की थी। परन्तु इन्हीं श्री राजीव गांधी ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की न्यूनतम मजदूरी संबंधी प्रतिज्ञा संख्या 131 की संपुष्टि नहीं की थी। अतः न्यूनतम मजदूरी संबंधी एक विधेयक तुरन्त सदन के समक्ष लाया जाना चाहिए।

2. राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कई आश्वासन दिए हैं। उदाहरण के लिए, प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी, काम का अधिकार, निर्माण श्रमिकों के लिए बोर्ड का गठन। समाजवाद के आरम्भिक दिनों में नेहरू जी ने श्रमिकों की भागीदारी की बात की थी। परन्तु यह विचार केवल निम्न स्तर और संयंत्र स्तर की चर्चा तक सीमित रह गया था। बोर्ड स्तर पर श्रमिकों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। अतः सरकार को श्रमिकों की प्रबन्ध में प्रभावी भागीदारी के पहलू पर विचार करना चाहिए। मेरा विचार है कि इसमें निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए :—

(एक) सभी क्षेत्रों के कामगारों की प्रबन्ध में प्रभावी भागीदारी होनी चाहिए। (दो) सभी सूचनाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। (तीन) इसके अतिरिक्त, निर्णय करने संबंधी सभी पहलुओं में उनकी पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। अब इसे अर्थ पूर्ण बनाने के लिए संगठनों की अधिकता पर रोक लगाई जानी चाहिए। अतः इन श्रम संगठनों को मान्यता देने के लिए हमें एक कानून की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को धन्यवाद है कि इसने श्रमिक वर्ग की गुप्त मतदान के द्वारा श्रम संगठनों को मान्यता देने संबंधी मांग को मान्यता दे दी है। गुप्त मतदान में अपने प्राप्त मतों के आनुपातिक आधार पर ये संगठन अपने प्रतिनिधि इस प्रकार की भागीदारी वाले मंचों में भेजेंगे। निजी मालिकों ने इसका विरोध किया है। हमारी यह प्रार्थना है कि सरकार उनके समक्ष आत्मसमर्पण न करे। 'काम का अधिकार' एक स्वागत योग्य कदम है और इसे अवश्य ही वास्तव में कार्य रूप दिया जाना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए और इसे भूमिहीन मजदूरों में तर्क संगत आधार पर बांटा जाना चाहिए। इससे देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में बहुत मदद मिलेगी।

निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के सम्बन्ध में एक बोर्ड का गठन श्रमिकों को भर्ती करने के अधिकार के साथ और निर्माण कार्यों को नियमित करने के लिए गठित किया जाना चाहिए।

बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए मैं सरकार से केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण वाली संस्थाओं और सार्वजनिक उद्यमों में रोजगार पर लगी रोक को हटाने पर विचार करने की प्रार्थना करता हूं। मैं सरकार से रेलवे के उत्पीड़ित कर्मचारियों के प्रश्न पर विचार करने के लिए भी प्रार्थना करता हूं। सरकार ने उन्हें पुनः बहाल करने का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद इस सम्बन्ध में आज तक कुछ नहीं किया गया है।

[श्री सुशान्त चक्रवर्ती]

अन्त में सरकार को सामान्य परिदृश्य में एक आदर्श नियोक्ता के रूप में सामने आना चाहिए। यदि मैं यह कह सकता कि इस शासन के दौरान सरकार द्वारा आदर्श नियोक्ता के पथ का अनुसरण किया जा रहा है तो मुझे प्रसन्नता होती। परन्तु वास्तविकता यह नहीं है। तमिलनाडु में नयवेली लिगनाईट कारपोरेशन के मामले में हमने पाया कि प्रबन्धकों ने सी०आई०टी०यू० और एच०एम०एस० श्रम संगठनों से परामर्श नहीं किया। आई० डी० पी० एल० के मसले में जब कुछ श्रमिकों ने भ्रष्टाचार के कुछ मामलों का उल्लेख किया था तो जांच समिति द्वारा उन आरोपों की पुष्टि भी की गई थी। लेकिन प्रबन्धकों ने उन श्रमिकों का उत्पीड़न किया गया था जिन्होंने इन भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी दी थी।

बर्न स्टैण्डर्ड एण्ड कम्पनी के मामले में श्रमिकों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने उद्योग मन्त्री से प्रबन्धक के उस प्रभारी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा था जिसके कारण इस कम्पनी को भारी नुक्सान हो रहा था। परन्तु आज तक इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया है।

महिला श्रमिकों, बन्धुआ मजदूरों, बाल-श्रमिकों, अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों इत्यादि की समस्याएं हैं। इन सब बातों का अनेक बार जिक्र किया गया है और हम इस बारे में काफी समय से कहते आ रहे हैं। संसद में हमारे सहयोगियों और साथियों ने ये बातें कहीं हैं परन्तु इनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। पिछली सरकार ने इनको अनसुना कर दिया था। यदि हम उनको सुनाने में सफल भी हुए तो उन्होंने फिर से वही पुराने राग अलापने शुरू कर दिए थे। अतः मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं कि वह स्थिति के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए। मजदूरों के साथ पूर्णतः न्याय नहीं किया जा रहा है।

लगभग 150 वर्ष पूर्व जब इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार दिया गया था तो लार्ड साल्सबरी ने, जिन्होंने इसका विरोध किया था और हार गये थे, यह टिप्पणी की थी कि "हमें अपने मालिकों को अवश्य ही शिक्षित करना चाहिए"। भारत में भी श्रमिक वर्ग इस प्रश्न का उत्तर चाहता है कि हम कब तक अपने मालिकों को शिक्षित करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं श्रम मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है जब वर्तमान श्रम मंत्री अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांगें इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वे एक बहुत भावुक और जवाबदेह युवक हैं तथा इस देश के शोषित और गरीब लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति किसी भी सन्देह से परे हैं।

यद्यपि श्रम मंत्रालय का कार्य क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है और उन्हें निःसन्देह उद्योग के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के अत्यधिक भिन्न सम्बन्धों के पहलुओं से निपटना है, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं।

मैं इनसे एक या दो प्रश्न पूछना चाहूंगा—पहला कुछ उन मामलों के बारे में जो हाल ही में सामने आए हैं और जो इस सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति से पूर्णतः सम्बन्ध रखते हैं। इनमें से कुछ बातें उद्योग मंत्रालय से भी थोड़ी बहुत सम्बन्धित हो सकती हैं, परन्तु ये अपरिहार्य हैं। उदाहरणार्थ, रुग्ण माने जाने वाले इन बन्द एककों के बारे में सरकार की नीति क्या है या इस सम्बन्ध में यह क्या उपाय करना चाहती है ?

हाल ही में, माननीय उद्योग मन्त्री ने कहा था कि जहां तक बन्द एककों का सम्बन्ध है,

सरकार की इनमें से किसी भी एकक का अधिग्रहण कर उन्हें पुन: खोलने की कोई नीति नहीं है। बाद में उन्होंने कलकत्ता में अपने पहले के वक्तव्य में कुछ परिवर्तन करते हुए कहा कि यदि कोई बन्द एकक अर्थक्षम है और उसमें पुन: लाभकारी उत्पादन आरम्भ किया जा सकता है तो उस एकक को पुन: चालू करने सम्बन्धी उपायों का पता लगाया जाएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। आजकल यहां बहुत से नियोक्ताओं में अपनी मिलें बन्द करने तथा अपने भवन, जमीनें बेचने तथा उन मिलों की सम्पत्ति बेचने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ने लगी है। केवल दो दिन पहले मैं मुम्बई में था। और मैंने देखा कि एक सु-स्थापित कपड़ा मिल्स जोकि इन्दु मिल्स के नाम से जानी जाती है तथा जोकि मुम्बई शहर के बीचों-बीच स्थित है, उसे बन्द किये जाने की प्रक्रिया जारी है। उसे पहले ही बन्द कर दिया गया है। लेकिन वहां बहुत मंहगे अपार्टमेंट बनाने के उद्देश्य से सारी भूमि, भवन और सब चीजों को बेचा जा रहा है। यह मिल समुद्र के किनारे स्थित है। अत: वहां पर स्थित अपार्टमेंट भवनों से भी बहुत अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। और यह केवल अकेला मामला नहीं है। ऐसे और बहुत से मामले हैं जिनके बारे में मुझे यकीन है कि मंत्री जी उनके बारे में जानते हैं। मेरा सुझाव है कि चूंकि वर्तमान कानून के अन्तर्गत सरकार की अनुमति के बिना वास्तव में किसी भी मिल को बन्द नहीं किया जा सकता— सरकार को इसके लिए अनुमति देनी होगी, अन्यथा कोई भी व्यक्ति मिल को बन्द नहीं कर सकता— यह अनुमति सबसे पहले इस बात का पता लगाए जाने के बिना नहीं दी जानी चाहिए कि उसे बन्द किये जाने का उद्देश्य क्या है और क्या जिस मिल को बन्द किया जा रहा है वह वास्तव में अर्थक्षम है अथवा नहीं और क्या इसमें दोबारा उत्पादन शुरू किया जा सकता है अथवा नहीं और क्या इसे स्वाभाविक तौर पर कुप्रबन्ध के कारण बन्द किया जा रहा है, किसी अन्य कारण से नहीं यद्यपि वास्तविकता यह है कि प्रबन्धकों ने मिल का प्रबन्ध ठीक प्रकार से नहीं किया है, धन का अपव्यय किया गया है, धन खाया गया है, जिसमें से अधिकतर धन बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों से लिया गया है, उनकी अपनी जेबों में से बिल्कुल भी नहीं आया है, ऐसे मामलों में जहां मिल को कुप्रबन्ध के कारण बंद किया गया है, सबसे पहले, उस मामले में यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन यदि बंद करने की अनुमति दी गई है, तब कम से कम मैं दो बातों का सुझाव देना चाहूंगा। पहली, इसके लिए एक पर्याप्त तंत्र होना चाहिए जोकि अभी नहीं है। मैं जानता हूं बी० आई० एफ० आर० वहां है। लेकिन यह पर्याप्त तंत्र नहीं है जो वास्तव में इस बात का पता लगा सके कि बंद की गई मिलों में से ऐसी कौन सी मिलें हैं जिन्हें अर्थक्षम बनाया जा सकता है। मैं जानता हूं कि यहां बहुत सी अव्यवहार्य मिलें भी है। लेकिन इसके साथ ही ऐसी बहुत सी मिलें भी हैं जोकि व्यवहार्य हैं। इन्हें बंद किये जाने के कारणों का पता लगाना होगा। और यदि वे व्यवहार्य है, और यहां तक कि यदि उनकी भूमि और भवनों को बेचा जाता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उस धन से उन लोगों को रोजगार देने के लिए, जिन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया है, नया कारखाना अथवा नई उत्पादन मिल को क्यों नहीं शुरू किया जा सकता। इस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि इसका कारण क्या है। और निश्चित रूप से चालू उत्पादक यूनिट के स्थान पर मंहगे अपार्टमेंट, भवन और मकान नहीं बनाए जाने चाहिए जिनके लिए बहुत ही धनवान और अमीर लोग अपने रहने के लिए केवल धन दे सकते हैं। यह एक चूर्णित बात हो रही है। और यह बेहतर होगा कि यदि आवश्यक हो तो सरकार को राज्य सरकारों, श्रमिकों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस बात का पता लगाना चाहिए कि क्या मिल को फिर से शुरू नहीं किया जा सकता, तभी भूमि, भवन और सभी चीज को बेचा जा सकता है। मैं उससे इन्कार नहीं करता। आपको उसका अच्छा धन मिल जाएगा। उस धन को कोई नई उत्पादन यूनिटों को शुरू करने में लगाया जाना चाहिए जहां उन श्रमिकों को, जिन्हें रोजगार से वंचित कर दिया गया है, रोजगार मिल सके।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

दूसरा, यहां एक अन्य प्रश्न है। मंत्रालय द्वारा हाल ही में बुलाए गए भारतीय श्रम सम्मेलन में मैंने यह मामला उठाया था। मैं उसे यहां भी उठाना चाहता हूं। अब हम आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने वाले हैं। इस आगामी योजना के दौरान, मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि इसके लिए बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा—यह पहले ही शुरू किया जा चुका है, बल्कि इसे निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों में तेज किया जाएगा और वह अभियान होगा औद्योगिक उत्पादन का एक प्रकार से पुनर्निर्माण अथवा पुनर्गठन किया जाए। यह ठीक है कि भारत में उत्पादन को और सक्षम बनाया जाना चाहिए, उसे प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अधिक उन्नत बनाया जाए, उत्पादकता को बढ़ाया जाना चाहिए। हमारा इससे कोई विरोध नहीं है। मुद्दा यह है इसे किस प्रकार किया जाए, किस तरीके से किया जाए। उद्योग के संगठित क्षेत्र में जहां पुनर्निर्माण का यह अभियान चल रहा है और उसे तेज किया जा रहा है, मेरी शिकायत यह है कि मजदूर संघों को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जा रही है, कहने का अर्थ यह है कि उनके विचार नहीं लिए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई यह निर्णय लेता है कि जिन वस्तुओं का कारखाने के अन्दर उत्पादन किया जा रहा है अब उन्हें बाहर निजी ठेकेदारों को उत्पादन के लिए दे दिया जाए, उन्हें कम लागत पर निर्माण करने की अनुमति दे दी जाए क्योंकि हम जानते हैं कि ठेकेदार अपने लोगों को किस प्रकार की मजदूरी देता है ऐसा सरकारी क्षेत्र में भी किया जा रहा है, यदि सरकारी क्षेत्र की अधिकतर विद्युत यूनिटों, बिजली उत्पादन यूनिटों में रखरखाव का कार्य निजी ठेकेदारों को दिया जा रहा है, रेलवे में, स्थायी रेल मार्ग के रख रखाव सिगनल के उपकरण लगाने का कार्य और ये सभी कार्य जिन्हें पहले नियमित श्रमिकों द्वारा किया जाता था; अब वह अधिकतर निजी ठेकेदारों को दिया जा रहा है···(व्यवधान)···रक्षा मंत्रालय और बहुत से अन्य मंत्रालयों द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन यदि मजदूर संघ इसका विरोध करते हैं और यदि इसके विरोध में सुझाव देते हैं तो उनके प्रस्तावों पर कभी भी विचार नहीं किया जाता, तब प्रबन्ध में इस भागीदारी का क्या फायदा है जिसे हम विधान के माध्यम से लाने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? नई प्रौद्योगिकी लागू की जा रही है। नई प्रौद्योगिकी के प्रति हमारा सैद्धांतिक रूप में कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल विरोध नहीं है। यह विज्ञान के विकास की एक अभिव्यक्ति है। लेकिन प्रश्न यह है कि एक उद्योग विशेष में अथवा उद्योग विशेष के लिए अथवा एक आपरेशन विशेष के लिए किस प्रकार की प्रौद्योगिकी शुरू की जाए। क्या यह आवश्यक है अथवा नहीं, क्या यह उपयुक्त है अथवा नहीं, क्या कोई चीज जो जापान अथवा पश्चिम जर्मनी में ठीक कार्य कर रही है अथवा अन्यत्र कहीं और, उसे भारत में शुरू की जाए या नहीं, इस पर कहीं पर चर्चा और वार्ता अवश्य होनी चाहिए। नियोक्ता जापानी अर्थव्यवस्था अथवा किसी अन्य यूरोपीय अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करने के प्रति बहुत उत्सुक रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अथवा सौभाग्यवश, हम जापान अथवा पश्चिम जर्मनी अथवा अमरीका में नहीं रह रहे हैं। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसे भारत कहते हैं जिसकी अपनी स्वयं की विशिष्टताएं हैं, अपने स्वयं के चारित्रिक गुण हैं, अपनी स्वयं की आर्थिक और औद्योगिक विशेषताएं हैं। और इसीलिए, इससे पहले कि हम किसी प्रक्रिया विशेष में नई प्रौद्योगिकी शुरू करें, इसके संभावित प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार अवश्य किया जाना चाहिए। हमारे यहां इस देश में बेरोजगारी की विशाल समस्या भी है। यदि किसी प्रौद्योगिकी विशेष से बेरोजगारी की वह समस्या और गम्भीर होती है, यदि इससे जो श्रमिक पहले से रोजगार में है उनके रोजगार की सुरक्षा प्रभावित होती है, यदि उससे उनकी आय पर प्रभाव पड़ता है, उनके पदोन्नति के अवसरों, उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है, तो किसी प्रौद्योगिकी विशेष के बारे में निर्णय लेने से पहले इन सभी बातों पर सावधानीपूर्वक विचार अवश्य किया जाना चाहिए। अन्यथा प्रबंध में भागीदारी का क्या अर्थ है? यह बात मेरी समझ

में नहीं आई। प्रबंध में भागीदारी का अर्थ है कि अधिक मजदूरी, बोनस, मंहगाई भत्ता के लिए सौदेबाजी करना। मजदूर संघों द्वारा वह दूसरे रूप में किया जाता है। लेकिन प्रबंध में भागीदारी का अर्थ है कि यदि उत्पादन के तरीके में परिवर्तनों को लाना है जिससे कि श्रमिकों के सभी पहलुओं -- उनके रहन-सहन के स्तर, उनके कार्य करने की शर्तों आदि सभी पर प्रभाव पड़ेगा, तब इन बातों को लागू करने से पहले उनके प्रतिनिधियों को समस्या के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के पूर्ण अवसर दिए जाने चाहिए। इसीलिए, मैंने हाल में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में माननीय मंत्री को सुझाव दिया था कि एक नई त्रिपक्षीय संहिता तैयार की जाए। जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही शुरू किया जाए।

यह एक संहिता से अधिक नहीं हो सकती। यह एक कानून नहीं हो सकती। लेकिन यह एक संहिता होनी चाहिए जिसमें केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, सभी नियोक्ताओं, श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों आदि को उत्पादन में नए परिवर्तनों को शुरू करने के लिए शर्तों और मार्गनिर्देशों का संचालन करने हेतु शामिल किया जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के परिवर्तन ऐसे तरीके से लाए जाए जिससे कम से कम विरोध तथा संघर्ष हो और जिससे वास्तव में अर्थव्यवस्था में प्रगति करने और उसमें सुधार करने में सहायता मिले, तो यह संहिता के बिना नहीं किया जा सकता और इसका सभी पक्षों द्वारा ईमानदारी से पालन किया जाए। यदि आप ऐसा बिना संहिता के करते हैं तो उससे लगातार विरोध, संघर्ष और गड़बड़ होगी जिससे किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं मिलेगा।

अतः मैं इस प्रकार की संहिता की पुरजोर वकालत करता हूं। उदाहरण के लिए, बहुत से मामलों में, इससे ऐसी समस्या पैदा होती है जहां लोगों को आवश्यकता से फालतू घोषित किया जा रहा है। ठीक है। लेकिन आपका उन लोगों के बारे में क्या करने का विचार है ? क्या जिन लोगों को अन्य कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको वहां फिर से लगाने की कोई योजना है ? यदि वे अपने पुराने कार्यों के लिए ठीक नहीं हैं तो उन्हें नए कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें फिर से वहां लगाया जाना चाहिए और नए कार्यों में उन्हें खपाया जाना चाहिए।

इसके लिए मजदूर संघ के संगठनों के सक्रिय सहयोग से कोई योजना तैयार की जानी चाहिए। अतः ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर मेरे विचार में सरकार को पहल करनी चाहिए। इसलिए सरकार को संहिता का प्रारूप तैयार करना चाहिए। शुरू में वह संहिता सभी पक्षों को बहुत ही आसानी से स्वीकार्य नहीं हो सकती, लेकिन उस प्रारूप संहिता को सरकार की ओर से शुरू किया जाना चाहिए, उसे सभी स्तरों पर विभिन्न दलों द्वारा नियोक्ताओं, श्रमिकों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, प्रत्येक द्वारा उस पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्हें अपने विचार देने दीजिए; उन्हें किस बात पर आपत्ति है, हम यह बात जानना चाहेंगे। वे ऐसी संहिता का पालन क्यों नहीं करते ताकि आर्थिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण तथा विकास बिना किसी झगड़े, टकराव और परिवर्तन से किया जा सके। मैं इसी बात पर जोर देना चाहूंगा।

महोदय, एक और प्रश्न जो मैं उठाना चाहता हूं वह इस विशाल असंगठित क्षेत्र के संबंध में है; जिसके संबंध में माननीय मंत्री जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वे सब लोग जो न्यूनतम मजदूरी कानून की अनुसूची में आते हैं, उनकी संख्या लाखों, करोड़ों में हैं। पहले ही माननीय सदस्य उन दयनीय स्थितियों के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं जिनमें उन्हें काम करना पड़ता है। उनकी अज्ञानता के कारण उन्हें कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का अंश भी प्राप्त नहीं होता। उनमें से बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता कि कानूनी रूप से न्यूनतम मजदूरी क्या तय की गई है। और यह नियोक्ता द्वारा भी उनके साथ किया जाने वाली धोखाधड़ी ही है जो कि उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देते।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मैं केवल ठेकेदारों की ही नहीं बल्कि दूसरे नियोक्ताओं की भी बात कर रहा हूं।

हमने इस असंगठित क्षेत्र के लिए पिछले सालों में इस सदन में बहुत से अच्छे और कल्याणकारी कानून बनाये हैं। ताकि इस क्षेत्र को लाभ पहुंचाया जा सके। बीड़ी मजदूरों के लिए एक बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण कानून विद्यमान है। कृषि मजदूरों के लिए भी कानून बनाने का आश्वासन दिया गया है। ठेका मजदूरों के लिए भी कानून हैं। ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम को इस सदन द्वारा पारित किया गया है; परन्तु सारे दुखों का मूल कारण यह है कि कानून और उसके क्रियान्वयन में बहुत अधिक अन्तर है। यह एक आम बीमारी है जिससे हमारे देश के अधिकतर कानून ग्रसित है और शायद इसी कारण इस संस्था की विश्वसनीयता भी कम हो रही है। हम अच्छे कानून बनाते हैं लेकिन वे कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। इन कानूनों का उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता, जिनके लिए यह कानून बनाये जाते हैं।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस असंगठित क्षेत्र की एक समस्या पर गंभीरता से विचार करें। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस मामले में काफी सशक्त हैं कि उनके अधिकारों का हनन न हो और उनसे किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। मैं यह तो नहीं जानता कि यह कैसे सम्भव है परन्तु हमें ऐसा तंत्र स्थापित करना होगा जिसके द्वारा वे लोग उस तंत्र का हिस्सा बन सकें जो इन कानूनों को लागू करता है, जो कानून इन लोगों के लिए बनाये जाते हैं। अगर निम्न स्तर पर इन कानूनों के क्रियान्वयन में उनकी सहायता नहीं ली जाती और यह काम केवल निरीक्षकों, कुछ अधिकारियों अथवा स्वयं नियोक्तओं पर छोड़ दिया जाता है, तब उनका हमेशा ही शोषण होता रहेगा।

किसी ने पहले ही निरीक्षालय की स्थिति की चर्चा की है। मैं उन्हें दोष नहीं देता। यह निरीक्षक बहुत कम वेतन पाने वाले लोग होते हैं और कई बार उनको सैंकड़ों प्रतिष्ठानों के निरीक्षण का कार्य सौंप दिया जाता है जिससे वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह अच्छी तरह से नहीं कर पाते। वे उस लालच में भी आ जाते हैं जो कि नियोक्ता उनको देने में नहीं हिचकिचाते। वे हमेशा यही रिपोर्ट देते हैं कि सब कुछ ठीक है और कानून का पालन हो रहा है। हमें बहुत सी ऐसी संगठित इकाईयों का पता है जो कि भविष्य निधि के मामले में कामगारों तथा सरकार से धोखाधड़ी कर रही है। यह धोखाधड़ी करोड़ों रुपये की होती है। यह तो दिन दहाड़े डाका डालने वाली बात है क्योंकि जो धन कामगारों के वेतन में से काटा जाता है, वह उनके भविष्य निधि खाते में जमा नहीं करवाया जाता।

मेरे विचार में यह लोग असमाजिक अपराधी हैं। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, उनको क्या दण्ड दिया जाता है। छोटा सा जुर्माना कर दिया जाता है। अगर उसके विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया जाता है तो ऐसी दशा में उसे अधिक से अधिक 1000 रु० से लेकर 2000 रु० तक जुर्माना देना पड़ता है। जब उसने लाखों रुपये भविष्य निधि में हेरा फेरा की होती है तो वह यह जुर्माना आसानी से दे सकता है। इसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। इसलिए ऐसे लोगों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए। परन्तु जहां तक असंगठित क्षेत्र का संबंध है, कृपया कोई ऐसे तरीके ढूंढने का प्रयत्न कीजिए, जिसके द्वारा उन्हें कार्यान्वयन तंत्र का हिस्सा बनाया जा सके। अन्यथा बहुत से ऐसे अच्छे कानून जो कि इस सदन में पारित किए जाते हैं, केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं और उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता जिन के लिए यह कानून बनाए जाते हैं।

हमने बहुत सी बुराइयों को समाप्त किया है। हमने बाल श्रम को समाप्त किया। इस संबंध

में कानून भी है। हम इस कानून के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। हम यह बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे लोगों की आर्थिक दशा ही ऐसी है। मुझे पता है कि तमिलनाडु में शिवाकाशी के माचिस बनाने वाले कारखानों में एक समय यह प्रयत्न किया गया था कि बाल-श्रम बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय। परन्तु इस निर्णय का सबसे पहला और कड़ा विरोध इन बच्चों के माता-पिता ने किया क्योंकि उनको परिवार की आय का साधन माना जाता है जिनको कि अगर स्कूल में शिक्षा दी जाए तो वे कई गुना अच्छे नागरिक सिद्ध हो सकते हैं। 8 से दस वर्ष की आयु के बच्चे ऐसे असगठित क्षेत्रों में सुबह से रात तक काम करते हैं और इसके विरुद्ध कानून भी विद्यमान है। परन्तु यह कानून न होने के बराबर हैं क्योंकि उनके कार्यान्वयन का कोई उचित माध्यम नहीं है।

महोदय, इसलिए मैं और अधिक समय न लेते हुए यह कहना चाहूंगा कि ऐसी बहुत सी चुनौतियां केवल मन्त्री जी के सामने ही नहीं बल्कि हमारे सामने भी हैं। हम सभी गरीब और असंगठित वर्ग के कल्याण के लिए चिंतित हैं। मेरे विचार में यह एक बड़ी शर्मनाक बात है। हम इस संबंध में कुछ भी कर पाने में असफल रहे हैं।

अन्त में, मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। मैं उनको परेशानी में नहीं डालना चाहता। परन्तु पिछले हफ्ते जब पैट्रोलियम क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का मामला उठाया था; तो इस सदन में गर्मागर्मी का वातावरण बन गया था। परन्तु अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कामगार वर्ग की परिभाषा केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं रह गई है जो कि अपने हाथों से मशीनों पर कार्य करते हैं। आजकल अभियन्ता और तकनीकी वर्ग भी कामगारों में आते हैं। अधिकारी वर्ग भी इसमें सम्मिलित है क्योंकि वे उन्नत तकनीक पर आधारित प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करते है और उनके बगैर उत्पादन संभव नहीं।

यहां माननीय पैट्रोलियम मन्त्री जी ने कहा है कि हड़ताल पर जाने वाले पैट्रोलियम अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम श्रम मन्त्रालय की सलाह से लागू किया गया था। मुझे इस पर काफी आश्चर्य हुआ। मुझे हैरानी इस कारण हुई क्योंकि श्रम मन्त्रालय सिद्धांत रूप में इस अधिनियम के विरुद्ध है क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव होता है और इससे न तो कोई समस्या ही हल होती है और न ही लोगों और कामगारों की शिकायतों का ही निवारण होता है। मेरे विचार में यह इस वर्ष 30 सितम्बर को समाप्त होने वाला है। मुझे आशा है कि इस अधिनियम की अवधि और नहीं बढ़ाई जायेगी और इसे समाप्त कर दिया जायेगा यद्यपि ऐसा करना पूर्णतया इनके अधिकार में नहीं है।

परन्तु मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में ही इन कलंकनिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध इस अधिनियम के उपयोग की स्वीकृति दी गई थी। अगर हां, तो इसका क्या उद्देश्य था। इससे कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ और हड़ताल फिर भी हुई। मन्त्री जी ने यहां पर यह कहा है कि इसका एकमात्र उद्देश्य तेल प्रतिष्ठानों की रक्षा करना था, और विचार में इस संबंध में उन्हें किसी ने गलत सलाह दी क्योंकि तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा 'एसमा' के प्रयोग द्वारा नहीं की जा सकती। उनकी सुरक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करके की जाती है, जिसका गठन ही इसी उद्देश्य के साथ किया गया है जिसको कि सामान्य परिस्थितियों में भी तैनात किया जाता है और मेरे विचार में भविष्य में भी इसे तैनात किया जाता रहेगा।

इसलिए इस अधिनियम को किसी की सुरक्षा के लिए प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसका उपयोग तो उसी उद्देश्य के लिए होता है जिस उद्देश्य के लिए इस अधिनियम को बनाया गया

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

है। पिछली सरकार द्वारा जब इस अधिनियम को बनाया गया था तो इसका उद्देश्य इसे उस हथियार के रूप में प्रयोग करने का था, जिसके द्वारा लोगों को डरा, धमकाकर और नौकरी छूट जाने का डर दिखाकर हड़तालों को दबाया जा सके। इसलिए इससे जितनी जल्दी पीछा छुड़ाया जा सके उतना ही अच्छा होगा। मुझे आशा है कि श्रम मन्त्रालय इस संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेगा और अपने सहयोगी नियोक्ता मन्त्रालयों की धमकियों में नहीं आयेगा क्योंकि यह मन्त्रालय कोई नियोक्ता मन्त्रालय नहीं और नियोक्ता मन्त्रालयों का इस संबंध में अलग दृष्टिकोण है, और मुझे आशा है कि श्रम मन्त्रालय इन मन्त्रालयों को भटकने नहीं देगा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि जब अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू हुई उस समय मैं सदन में उपस्थित नहीं था। मैंने सोचा था कि नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा में कुछ अधिक समय लगेगा और उसी कारण मैं यहां उपस्थित नहीं था।

हम आज बड़ी मुश्किल से इस सदन में श्रम और कल्याण मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर सकते हैं। हमें यह आशंका थी कि इस पर बिना चर्चा कराये ही इसे गिलोटिन कर दिया जाएगा। परन्तु हम अध्यक्ष महोदय के आभारी हैं क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमें अवसर दिया है।

2.56 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, सामान्यत: श्रम को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक संगठित है और दूसरा असंगठित है। परन्तु मै समझता हूं कि दो और श्रेणियां हैं जिनके बारे में यह निश्चित नहीं है कि वे कौन-सी श्रेणी मे आती है। उनमें से एक बंधुआ मजदूर और दूसरा बाल श्रम है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बहस में बोलते हुए बाल श्रम की समस्या के बारे में अत्यधिक स्पष्ट रूप से बताया था और यह नियम, कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं करेंगे, अव्यवहारिक हो गया है विशेषकर माचिस उद्योग वाले स्थानों पर जो कि मेरे राज्य के शिवकाशी में है। यहां तक कि बीड़ी उद्योग में भी बच्चे अब मजदूरी कमाने वाले बन गए है। जो बच्चे परिवार की आय में वृद्धि करते हैं तो उनके माता-पिता यह समझते है कि उन्हें रोजगार से रोकना उचित नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि कानून कागज पर तो बना हुआ है, परन्तु जब कानून को बच्चों के बारे में, उनके रोजगार और उनके भविष्य के बारे में लागू करने की बात आती है तो राज्य ऐसा करने में कतराते हैं, हिचकते हैं। मुझे पता चला है कि अनेक बार निरीक्षण किए गए हैं और निरीक्षकों ने आकर यह रिपोर्ट दी है कि वहां 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा कार्य नहीं कर रहा है जबकि यह बात स्पष्ट है कि उद्योगों में कार्य करने वालों में 80 प्रतिशत बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के होते है और अभिभावक, नियोक्ता एवं निरीक्षक के बीच आवश्यक रूप से यह समझौता होता है कि ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करना प्रत्येक के हित मे है। बच्चे के दृष्टिकोण से यह बात अव्यवहारिक हो गई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या सरकार इन दो क्षेत्रों को अत्यधिक गम्भीरता से लेगी, पहला बाल श्रम और दूसरा बंधुआ मजदूर है। मैंने सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और आंकड़ों में यह देखा है कि केवल 3,030 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया गया है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस बात को जानते हैं कि बंधुआ मजदूरों

की केवल इतनी ही संख्या है। यद्यपि हमारे पास सांविधिक, नियम और सरकारी तन्त्र है जिस पर कि हम काफी धन खर्च करते हैं। क्या हमने वास्तव में बंधुआ मजदूरों के लिए पर्याप्त काम के अवसर पैदा किए हैं? काफी प्रचार किया गया है। दूरदर्शन का प्रयोग अति प्रभावी ढंग से किया गया है परन्तु जब अक्सर इन नगण्य आंकड़ों को देखकर निम्न स्तर पर इसके परिणामों को देखते हैं तो हमें निराशा होती है।

3.00 म० प०

मेरे विचार से इन दो क्षेत्रों में पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि इस सदन में अनेक व्यक्तियों के मनों में संगठित श्रम के प्रति काफी अवमानना है। शायद इस ओर से अधिक नहीं है परन्तु इस सदन में दूसरे पक्ष के अनेक सदस्यों को मैं देखता हूं कि वे संगठित श्रमिकों को उच्च मजदूरी प्राप्त अलग वर्ग समझते है। दूसरे शब्दों में उनमे से अधिकांश यह समझते है कि हमारे सभी संगठित क्षेत्र के मजदूर उच्च मजदूरी वाले क्षेत्रों में हैं। मैं समझता हूं कि यह अत्यधिक अनुचित आलोचना है। यह बात सही है कि संगठित श्रम का एक वर्ग ऐसा है जो अब उचित मजदूरी प्राप्त कर लेता है। परन्तु यदि आप इसको जीवन निर्वाह मजदूरी की दृष्टि से देखते है तो मैं कहूंगा कि अनेक मामलों में इसे प्राप्त नही किया गया है। संगठित श्रम के अनेक वर्ग है। मैं समझता हूं कि श्रम मंत्री को यह बताना चाहिए कि वास्तव में संगठित श्रम क्या है। संगठित श्रम बड़े पैमाने के उद्योगों और मध्यम पैमाने के उद्योगों मे है, संगठित श्रम नौकरी के क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में हैं और लघु पैमाने के उद्योगों में भी संगठित श्रम है। दुर्भाग्य से संगठित श्रम के शोषितों मे से वे भी एक हैं। लघु पैमाने के उद्योग के अनेक संगठित श्रमिक वहां और उस राज्य में घोषित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी प्राप्त करते हैं। फैक्ट्री अधिनियम के अधीन जो निरीक्षक आता है, वह इन तथाकथित लघु उद्योगों मे से अधिकांश के साथ खुले रूप से साठ-गांठ किये रहता है। वास्तव में आजकल वहां एक नई प्रवृत्ति मौजूद है। प्रवृत्ति यह है कि एक क्षेत्र में बहुत निवेश से एक बड़ा उद्योग क्यों लगाया जाए और उद्योग को पांच अथवा छ विभागों में क्यों न विभाजित किया जाए? वे एक ही स्थान पर हो सकते हैं परन्तु इन्हें पांच अलग-अलग प्रतिष्ठान कहा जाता है। एक उत्पाद के प्रथम चरण का निर्माण करता है, दूसरा दूसरे चरण का, तीसरा तीसरे चरण का, चौथा तैयार माल का निर्माण करता है और 50 लाख रुपये से कम का निवेश होता है। हो सकता है उद्योग में 2 करोड़ रुपये अथवा उससे कुछ कम का निवेश हो। परन्तु यह अब एक लघु पैमाने का उद्योग है और इसके लिए संरक्षण प्राप्त करता है। वे शोषण करने में समर्थ हैं। अतः यह उपयुक्त समय है कि हम इस बात को उजागर करने के लिए कानून बनाएं क्योंकि प्रोत्साहन का लाभ लघु पैमाने के उद्योग को मिलना चाहिए। आज लघु पैमाने के उद्योग के नाम पर संगठित क्षेत्र में श्रमिक का शोषण सबसे अधिक होता है। मैं समझता हूं कि सरकार के ध्यान में इस बात को लाना भी उचित है कि असंगठित क्षेत्र में केवल एक राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग बनाना ही पर्याप्त नहीं है। सभी पक्षों, सभी दलों और सभी वर्गों ने एकमत से एक केन्द्रीय कानून बनाने की मांग की है। यह उचित समय है कि एक केन्द्रीय कानून बनाया जाए और जो इन विषयों से सम्बद्ध हैं उन सभी से परामर्श करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं। असंगठित श्रम को संगठित करना असम्भव है, विशेषकर ग्रामीण श्रम को। यदि मंत्री महोदय किसी भ्रम मे है कि तथाकथित खेतिहर अथवा किसान संगठनों का सम्बन्ध ग्रामीण खेतिहर श्रम से है तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनकी संख्या का एक प्रतिशत भी असली ग्रामीण खेतिहर श्रम से सम्बन्धित नहीं है। इसके विपरीत वे संगठन छोटे किसान का ध्यान रखते हैं। अनेक मामलो में वे उस हद तक भी नहीं जाते हैं। वे समृद्ध किसानों तक सीमित रहते है। हमें यह बात महसूस करने की जरूरत है

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

कि खेतिहर मजदूरों की संख्या एक जगह पर अधिक नहीं होती है उनकी संख्या कम होती है। उनको एक स्थान पर एकत्रित करना अथवा संगठित करना तब तक अत्यन्त कठिन है जब तक कि नियम और राज्य तन्त्र उनको सांविधिक राहत प्रदान नहीं करते। हमने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाए हैं। आज कानून के अन्तर्गत कोई खेतिहर मजदूर सीधे न्यायालय में जा सकता है और न्यूनतम मजदूरी का दावा कर सकता है। परन्तु क्या वह ऐसा करता है? क्या यह व्यवस्था उसे न्यायालय जाने की अनुमति देती है?

बात यह है कि क्या यह उसे न्यायालय जाने की अनुमति देती है। यदि वह ऐसा करता भी है तो क्या वह न्यायाधीश, जो वहां पर बैठा है, उस सामाजिक व्यवस्था से मुक्त है? यह बात बिल्कुल सम्भव है कि वह उस क्षेत्र में उसकी अपनी कुछ भूमि हो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसकी अवश्य ही कोई पूर्व धारणा होगी परन्तु उसके मूलभूत विचार में निश्चित रूप से परिवर्तन हो जायेगा।

हमारे लिए वास्तव में जिस बात को समझने की जरूरत है वह यह है कि यदि हम 70 प्रतिशत से अधिक मजदूरों की समस्या को हल करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि सरकार को एक कानून और एक विस्तृत कानून बनाना चाहिए। वहां कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं। उनको किसी कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ प्राप्त नहीं है। उनके लिए कोई भविष्य निधि नहीं है। उनके लिए कोई सामान्य सुविधाएं नहीं हैं जो किसी मजदूर को प्राप्त हों, जो मानव की मूल आवश्यकता, खाद्यान्न पैदा करने वाले इन अभागे मजदूरों को उपलब्ध कराई गई हैं।

मुझे याद है कि हमें सलाहकार समिति की बैठक में आश्वासन दिया गया है कि ऐसा कानून बनने के बाद हम गहराई से विचार-विमर्श करेंगे। परन्तु अकेले आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हम वास्तव में चाहते है कि विधेयक प्रस्तुत किया जाए और इस कार्य को शीघ्र करने के लिए गम्भीर प्रयास किया जाना चाहिए।

हमें यह आश्वासन भी दिया गया था कि शहरी असंगठित क्षेत्र के मामले में, निर्माण में लगे मजदूरों के लिए, दोनों अर्थात मजदूरों की भर्ती और काम पर लगाने की दृष्टि से "निर्माण मजदूर परिषदों" का गठन किया जाएगा। परन्तु मैं यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में एक बार फिर लाना चाहता हूं, मैं यह बात पहले भी उनके ध्यान में लाया हूं, कि यह गठन केवल निर्माण में लगे मजदूरों के मामले निपटाने में पर्याप्त नहीं होगा। निर्माण में लगे मजदूरों का प्रतिशत शहरी असंगठित श्रम का केवल 8 से 9 प्रतिशत है। 'सर्विस' उद्योग और सरकारी क्षेत्र में ठेका सम्बन्धी मजदूरों की प्रतिशतता अधिक है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कहा है वह अत्यधिक व्यावहारिक है। आज सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकांश अध्यक्ष, प्रबन्ध विशेषज्ञ और सलाहकार सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को सलाह देते है कि ठेके पर मजदूरों को लेना चाहिए, वे ऐसे निर्णय लेते हैं जबकि वे सरकारी क्षेत्र के उच्च पदों पर होते हैं। मैं जानता हूं कि श्रम मंत्रालय ने अनेक आदेश जारी किये हैं कि सरकारी क्षेत्र को ठेके पर मजदूर रखने की प्रथा को छोड़ देना चाहिए। सरकारी क्षेत्र की कितनी इकाइयों ने इन आदेशों का पालन किया है? वे अपने स्वयं के सरकारी आदेश का खुले रूप से उपहास करते हैं और उनका विभागीय मंत्रालय उनको संरक्षण देता है। मंत्रियों को इस बात को महसूस करने का यह समय है कि यदि वे इस ठेका मजदूर पद्धति के विरुद्ध ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम को हथियार के रूप में इसी प्रकार से प्रयोग करते रहे तो एक ऐसा समय आ जाएगा जब कानून असंगत हो जाएंगे और इस देश में एक वास्तविक क्रान्ति आरम्भ हो जाएगी, आखिरकार यह ठेका श्रम के निचले स्तर

से आरम्भ होगी। आज हम सरकारी क्षेत्र में ठेका श्रम पद्धति जारी रखे हुए हैं जहां कि एक सुरक्षा गार्ड को कम से कम 200 रुपये प्रति महीना दिया जाता है जिसमें उसे एक महीने तक बिना छुट्टी लिए हुए प्रति दिन 12 घंटे की पारी में काम करना पड़ता है चाहे छुट्टियां हों, रविवार हो या शनिवार हो। ऐसा दिल्ली में हो रहा है। मैं मद्रास अथवा अपने कस्बे, सलेम की बात नहीं कर रहा हूं।

राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे सरकारी क्षेत्र के निगम भरपूर पैसा कमाते है। वे सरकारी क्षेत्र की रुग्ण इकाइयां नहीं है। ये तो ऐसी इकाइयां हैं कि यदि आवश्यक हो तो नियंत्रित मूल्य प्रणाली के माध्यम से शोषण करके पैसा कमाती हैं। लेकिन वे कम से कम अपने सुरक्षा गार्डों को बेहतर वेतन क्यों नहीं दे सकते? वे एक बहुमंजिली इमारत में हैं और उन्हें इसका रखरखाव करना पड़ता है। इसलिए वे ठेके के आधार पर अपने सुरक्षा गार्डों को 150 रुपये या 200 रुपये तक की तुच्छ राशि ही देते हैं। आज आपको इस दर पर तो घरेलू नौकर भी नहीं मिल सकता। लेकिन वे तो देश में मौजूद बेरोजगारी की स्थिति का शोषण करते है।

मैं उनके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि मौजूद अधिनियम अर्थात ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम में ठेके के श्रमिकों को नियमित करने का प्रावधान नहीं है। इससे क्या होता है? यदि मैं एक ठेके का मजदूर हूं तो मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है कि यदि मैं इसका विरोध करता हूं तो अन्ततः मैं अपना ही भविष्य समाप्त कर रहा हूं। मैं स्वयं का अन्त कर रहा हूं। मैं 150 या 200 रुपये जो कुछ भी प्राप्त कर रहा हूं, उस पर रोक लगा रहा हूं। इसलिए मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। अब समय आ गया है कि हम यह महसूस करें कि इस सम्बन्ध में कानून को तत्काल संशोधित करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभी तक जहां ठेका श्रम प्रणाली जिसे आप समाप्त करने वाले है, ने अभी तक कानून का उल्लंघन किया है वहां पर कार्य कर रहे ठेके के श्रमिकों की नौकरी स्वतः ही नियमित हो जाए। जब आप जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण करते है तो वहां पर सेवाओं के निबन्धन और शर्तों की विद्यमान में सुरक्षा रखना उचित समझते हैं। जब ठेके के श्रम को समाप्त करते है तो आप मौजूदा ठेके के श्रमिकों की सुरक्षा करना उचित नहीं समझते। यह तो दोहरे मूल्य है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को बतलाना चाहूं कि नौकरशाही आपके द्वारा संशोधन न कर सकने को सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की रुकावटें डालेगी। वे आपको कहेंगे कि अनुच्छेद 14, 15, 19 का उल्लंघन होगा तथा जीने के अधिकार से सम्बन्धित अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। असलियत में यह सब सच नहीं है। जब आपकी इच्छा ही नहीं होगी तो आप कार्य भी नहीं कर सकते यही मुख्य बात है।

इसके साथ ही मैं माननीय श्रम मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि पहले की तरह उनके द्वारा हमें यह आश्वासन देना बहुत अच्छा है कि प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी पर एक संहिता बनेगी, मुझे विश्वास है मंत्री महोदय आज भी ऐसा ही कहेंगे। लेकिन आप प्रबन्ध में कामगारों के भाग लेने पर एक संहिता क्यों ला रहे हैं? मैं समझता हूं कि आप इसमें यह प्रावधान कर रहे हैं कि प्रबन्ध में विभिन्न स्तरों पर भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों का चयन करने हेतु चुनाव करते समय गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा कैसे है कि जब प्रबन्ध में श्रमिक के भाग लेने का प्रश्न होता है तो आप उसे गुप्त मतदान से चुनना चाहते हैं लेकिन जब एक श्रमिक द्वारा अपने हित का प्रतिनिधित्व करने की बात होती है तो आप जांच करने के पुराने तरीके का अनुसरण करना चाहते हैं? ये दोहरे मूल्य क्यों हैं? जब उसके हित की बात होती है तो आपको चिन्ता नहीं होती है कि उसे उचित प्रतिनिधित्व मिले। जब आपके हितों की बात होती हैं तो आप चिन्तित होते हैं कि उसे उचित प्रतिनिधित्व मिले। यही मुद्दे का मुख्य बिन्दु है। आज यदि लोग आपको चुनाव की मान्यता के प्रश्न

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

के बारे में यह बता रहे है कि यह एक अत्यन्त गहन मामला है जिसमें से सभी केन्द्रीय यूनियनें शामिल हैं तो इसमें काफी निहित स्वार्थ लिप्त हैं, हमें इस पर अवश्य ही गहराई से चर्चा करनी चाहिए, हमें इसके मूल्यांकन के लिए एक समिति बनानी चाहिए, जब पिछली बार औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक रखा गया तो इसके सम्मुख कठिनाइयां उत्पन्न हो गई, इसलिए हमें एक और समिति गठित करके इस पर चर्चा करनी चाहिए, यह कुछ भी नहीं है केवल दुर्दिन को टालने की एक तकनीक है। आज लोगों का समर्थन रखने वाली यूनियनों को मान्यता नहीं मिलती। जिन यूनियनों के पास श्रमिकों का समर्थन नहीं होता और जिन्हें प्रबन्धकों का समर्थन प्राप्त होता है उन्हें ही मान्यता मिलती है और जब तक आप इस व्यवस्था को समाप्त कर ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के तरीके के तहत उचित गुप्त मतदान की व्यवस्था नहीं करते तब तक सही आदमी से सही मुद्दे पर वार्ता करना तथा वास्तविक औद्योगिक शान्ति लाना आपके लिए असम्भव है। यदि राजनैतिक हितों के कारण आप यह समझते हैं कि इस सूत्र के दौरान केवल प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी से सम्बन्धित एक विधेयक लाना पर्याप्त है तो मैं आपको बताता हूं कि यह जब तक आप यह सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं होते कि इसके साथ-साथ गुप्त मतदान द्वारा ट्रेड यूनियन को मान्यता देने की व्यवस्था शुरू हो, तो यह कारगर नहीं होगा। अन्यथा आपके सम्मुख द्विभाजन होगा। आपके एक तरफ तो निहित स्वार्थों वाली शक्तिशाली ट्रेड यूनियन होगी और दूसरी तरफ प्रतिनिधित्व करने वाले महत्वहीन लोग होंगे। अथवा अगर आप कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करते हैं और अनेक नामजद प्रतिनिधियों के लिए गुप्त मतदान होता है यह और अधिक हास्यास्पद होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि मान्यता के नाम पर प्रतिनिधित्व करने वाले उन प्रतिनिधियों से भिन्न हैं जो श्रमिकों की भागीदारी के सम्बन्ध में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और चुने नए प्रतिनिधियों को कहेंगे कि "आपको शिकायतें कहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि श्रमिकों की शिकायतों पर तो ट्रेड यूनियनों से चर्चा की जाती है। आप हमसे प्रौद्योगिकी बदलने, प्रबन्ध में नये तरीके उपयुक्त करने पर बात कीजिए।" यदि यह बेचारा व्यक्ति इस बात को श्रमिकों के सम्मुख लाता है तो निर्वाचित हुआ ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि कहेगा ठीक है। आप हमारे लिए यह नई प्रौद्योगिकी लाए। आप हमारा सहयोग चाहते हैं। लेकिन मेरी समस्या, मेरे वेतनमान, महंगाई भत्ते का क्या हुआ?" वह कहेगा "मुझे खेद है, मुझे आपसे इस बारे में बात करने का अधिकार नहीं है।" यह द्विभाजन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यदि आप वास्तव में शान्ति चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप इन समस्याओं का समाधान करें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : हम सिक्रेट बैलट लाना चाहते हैं लेकिन इसके लिए गाइड-लाइन्स जरूर बनाना चाहेंगे। इसमें जो एक व्यावहारिकता है, उसके बारे में तमाम सदस्यों से जानना चाहेंगे। इसमें दो इशूज हैं—एक तो ट्रेड यूनियन के सदस्यों की संख्या के बारे में इशू है। जो वर्तमान पद्धति है, मैं समझता हूं कि सब लोग यह चाहेंगे कि उसी पद्धति के मुताबिक मैम्बरशिप बना दी जाए और आप उसको करें। फिर उसके आधार पर किस यूनियन की क्या स्ट्रैन्थ है, उसके अनुसार इलेक्शन हो। जहां लोकल तौर पर यह माल लेते हैं कि क्या उसकी यूनिट्स हैं वहां सिक्रेट बैलट द्वारा यह तय कर लिया जाएगा कि इस ट्रेड यूनियन में इतना बहुमत है। आज इंटक कहती है कि मेरे पास 50 लाख सदस्य हैं, सीटू कहती है कि मेरे पास 20 लाख हैं और बी०एम०एस० कहती है कि मेरे पास 30 लाख हैं, यह जो ब्रीड वेस्ड है इसके लिए सरकार के पास में कोई मशीनरी होनी चाहिए। इस सिक्रेट बैलट पेपर को हम कैसे लागू कर सकते हैं, इसके बारे में हम सभी माननीय

सदस्यों के सुझाव चाहेंगे। हम ईमानदारीपूर्वक यह चीज करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। सुझाव के दृष्टिकोण से अगर हमें कुछ गाइडलाइन्स मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सारा हिन्दुस्तान आज जानता है कि इन्टक की सदस्य संख्या जो अभी है वह कितनी बोगस है।[व्यवधान]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यह अन्याय है। यह आरोप लगाना बे-मतलब है।

[अनुवाद]

मैं आभारी हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने एक विशेष प्रश्न मुझे सम्बोधित किया है और मेरे सुझाव मांगे हैं। मैं उन्हें यह स्पष्टत: बताना चाहता हूं कि इंटक, सीटू या एटक आदि किसी भी मजदूर संघ की शक्ति सौभाग्य से उनकी सदस्यता पर निर्भर करती है क्योंकि प्रत्येक औद्योगिक इकाई में इनकी स्वतन्त्र संस्था होती है। अन्तत: यदि आप प्रत्येक संस्थान में चुनाव कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मान्यता के उद्देश्य से किस संघ के पास अधिक शक्ति है यह निष्कर्ष निकालना तो केवल वांछित का मुद्दा है कि उस अवधि—के दौरान जब राष्ट्रीय स्तर पर आप उनकी शक्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं, उन्हें कितने मत मिलते हैं। इस बारे में कोई कठिनाई नहीं है। मैं आपको इस बारे में पुन: बता सकता हूं। उदाहरणार्थ इंजीनियरिंग उद्योग फेडरेशन को लीजिए। इस पर इंटक, सीटू तथा एटक सभी ट्रेड यूनियनों का अधिकार है। इस इंजीनियरिंग उद्योग की फेडरेशन में कोई यह दावा करेगा कि उसे दस लाख सदस्यों का बहुमत प्राप्त हुआ है। कोई कहेगा कि उसकी दो लाख की सदस्यता है..

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं तो विशेष रूप से इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मुद्दा एकदम सरल है, प्रत्येक इंजीनियरिंग इकाई में ट्रेड यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव हुए जिसमें इंटक को अमुक मत मिले, ए० आई० टी० यू० सी० से सम्बद्ध संगठन को अमुक मत मिले; सीटू से सम्बद्ध संगठन को अमुक मत मिले। अब अगर इंजीनियरिंग उद्योग में सभी मतों को जोड़ा जाता है तो आप जान जाएंगे कि उस उद्योग में इंटक को कितने मत मिले हैं, सीटू को कितने मत मिले हैं, इत्यादि। आप एक सामान्य उद्योग इंजीनियरिंग उद्योग में इन संगठनों की तादाद की वास्तविक समीक्षा कर सकेंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ जहाजरानी और परिवहन उद्योग है तथा तीसरे ठेका मजदूर हैं, जहां पर आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न श्रेणियां हैं। यदि आप इसकी श्रेणी-वार जांच करें, तो कुल संख्या की जांच कर सकेंगे। केवल इसी तरीके से वास्तविक सदस्यता की जांच की जा सकती है, केवल मेरी सदस्यता की जांच करना तो एक मजाक मात्र है। जब एक बार सदस्यता रजिस्टरों में लिख ली जाती है तो सामान्य मार्गनिर्देश के अनुसार दो में से एक जगह की सदस्यता को हटा दिया जाता है। तब नमूने के तौर पर सत्यापन किया जाता है। यह दोष रहित उपाय नहीं है। जो भी स्थानीय श्रम अधिकारी को प्रभावित कर सके वह इस जांच को पास कर सकता है। यह वास्तविकता है। कई बार हम पाते हैं कि वास्तविक प्रतिनिधि आगे नहीं आ पाता। ऐसा वास्तविक प्रतिनिधि वहां नहीं है जो श्रमिकों के विचारों को मुखरित करने में समर्थ हो, और अंतत: इससे औद्योगिक शांति प्रभावित होती है।

हम देखते हैं कि एक तीसरा दल है, जो पंजीकृत नहीं है और जो कर्मचारी संघ भी नहीं है,

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

वह प्रभावशाली हो रहा है और अन्य व्यक्ति भी सामने आ रहे हैं। यह सब व्यवस्था की गलती के कारण है। अगर आप इकाई स्तर पर चुनाव करते हैं और उसे राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य सदस्यता के चुनाव के लिए प्रयोग करते हैं, तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ऐसा किया जा सकता है।

मुझे एक बात स्पष्ट करने दें। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नाम की कोई चीज़ नहीं है। वास्तव में मान्यता प्रबंध और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच का मामला है। अतः यह उस प्रतिष्ठान का मामला है।

श्री राम विलास पासवान : आप सिर्फ संगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्या असंगठित क्षेत्रों में भी ऐसा है?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आपने संगठित क्षेत्रों का जिक्र किया था इसीलिए मैंने यह कहा। असंगठित क्षेत्रों में मुझे इसे स्पष्ट करने दें, हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं जहां आप चुनाव कर सकते हैं—गुप्त मतदान या सत्यापन कर सकते हैं। वहां न तो सत्यापन हो सकता है और न ही चुनाव हो सकते हैं क्योंकि यह एक असंगठित क्षेत्र है। अन्यथा असंगठित शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : उससे तो आपकी पोल खुल जाएगी, खाली बोगस मैम्बरशिप आपकी होगी, इसीलिए आप जीवित हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : तकलीफ यह है कि आप सुनते भी नहीं हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए आपकी समझ में आ जाएगा।

[अनुवाद]

मुद्दा यह है कि, असंगठित क्षेत्र में वास्तव में कोई भी सदस्यता का दावा नहीं कर रहा। जो भी कहा जा रहा है वह सिर्फ रिकार्ड के लिए है क्योंकि यह असंगठित है। अन्यथा यह नहीं होगा। असंगठित क्षेत्र में आपको विकास पर आधारित नियमों का पालन करना होता है। जब असंगठित क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। जैसे कि बागान, तब आप यह कर सकते हैं क्योंकि वे संगठित बन जाते हैं। बागानों में मजदूर संगठित होते हैं। यह करना संभव है? बीड़ी मजदूर संगठित हैं, इसे करना संभव है। मालिक लोगों के मजदूर संगठित होते हैं, यह करना संभव है। वे वास्तव में असंगठित नहीं हैं। हालांकि वे औपचारिक औद्योगिक श्रमिक नहीं हैं, गैर औद्योगिक संगठित श्रमिक वहां हैं। वहां यह गुप्त मतदान का नियम लागू करना सम्भव है। जो क्षेत्र वास्तव में असंगठित हैं वहां नियमों को लागू करना संभव नहीं है। अन्यथा, असंगठित शब्द लागू नहीं हो सकता।

मैं जानता हूं कि मंत्री जी के मन में क्या है। एक ओर वे औद्योगिक श्रम के बारे में सोच रहे हैं और दूसरी ओर वे ग्रामीण श्रम या गैर-औद्योगिक श्रम सेवा क्षेत्र श्रम के बारे में सोच रहे हैं। जहां यह संगठित है, वहां गुप्त मतदान का नियम समानता से लागू किया जा सकता है और जहां असंगठित हैं, वहां आप सत्यापन का कोई भी तरीका लागू नहीं कर सकते क्योंकि यह असंगठित है। उनके सभी दावे चुनौतियां है। उस क्षेत्र में आपको केन्द्रीय कानून लाना होगा और जब उस क्षेत्र को संभालने के लिए आप वहां केन्द्रीय कानून लागू करेंगे तो आपको एक ऐसा तरीका देना होगा जिसमें न्याय के अधीन

क्षेत्रवार या खण्डवार आधार पर चुनाव करवाए जाएं। अगर आप एक मण्डल स्तरीय न्याय क्षेत्र, या एक ग्राम स्तरीय क्षेत्र या जिला स्तरीय क्षेत्र रखते हैं तो दोहरी सदस्यता दर्ज की जा सकती है। अल्प संबंध रख सकते हैं। जब आप असंगठित ग्रामीण श्रमिकों के संगठित बनने की बात करते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये कर्मचारी संघ तब सरकार जितने शक्तिशाली बन जायेंगे। हम सब आशा करते हैं कि वह तिथि आए।

मैं सिर्फ एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि यह आपके दिल की भी बात है। यह है देश में बेरोजगार नवयुवकों का मुद्दा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह दूसरे विभाग से संबंधित है—कल्याण।

सभापति महोदय : आप पहले ही ले चुके हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं मंत्री के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। मुझे इस अतिरिक्त समय लेने के लिए माफ कर दिया जाए।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि हम सभी बेरोजगारी के बारे में नारे लगाते रहते हैं और इसके बारे में दुख अनुभव करते हैं। किन्तु जब काम के अधिकार की बात आती है, यहां तक कि माननीय मंत्री से भी दूरदर्शन पर पूछा गया था कि अगर यह न्याय सीमा के अन्दर आ जाता है या अदालत में लाया जाता है और अदालत में अधिकार की तरह लागू किया जाता है तो क्या होगा। यह सब हो सकता है और सरकार के लिए सबसे बुरा यह हो सकता है कि अगर यह एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकती तो उसके अदालत जाने पर उस व्यक्ति को न्यूनतम वेतन देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसका अर्थ अनिवार्य रूप से काम का अधिकार नहीं है—कि आपको उसे वही काम देना होगा जो वह चाहता है। नहीं। इसके विपरीत, आपका कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि वह अपनी रोजी रोटी कमाने में समर्थ हो, चाहे वह उसकी इच्छानुसार हो या नहीं, चाहे उसकी योग्यतानुसार न हो। यह बेकारी अनुदान नहीं है, यह बेरोजगारी भत्ता है, जिसकी कि मैं बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं। यह सरकार द्वारा रोजगार मिल जाने की असमर्थता का विकल्प है। यह सरकार पर एक दण्ड है। बेरोजगार नवयुवक को जो आप न्यूनतम वेतन देंगे वह व्यवस्था पर या सरकार हम सब पर एक दण्ड है कि हम उसे रोजगार देने में अक्षम होगे या हैं। कम से कम यह तो सुनिश्चित होगा, उस राशि से आप उसकी सेवाएं किसी और काम के लिए उपयोग करने की कोशिश करेंगे। अगर वह इकार करता है तो वह योग्य नहीं है। किन्तु, कम से कम उसे प्रस्ताव तो दे ही सकते है, जो करने में हम सफल नहीं हो रहे। अगर कोई बेरोजगारी की समस्या सुलझाना चाहता है, तो पहली चीज जो मेरे विचार में करनी चाहिए वह है गम्भीरता से मानव शक्ति का आकलन करना। मैं समझता हूं कि कुछ मानव शक्ति के सर्वेक्षण किए जा चुके है। मैंने उन रिपोर्टों को देखा है; मैंने उन आंकड़ों पर नजर डाली है। वे बिल्कुल गलत हैं। मैं सोचता हूं कि वास्तव में ये सर्वेक्षण शहरी या अर्धशहरी क्षेत्रों में कभी-कभी किए जाते है, यथार्थ में इन सर्वेक्षणों ने यह कभी भी विश्लेषित नहीं किया कि मानव शक्ति की जरूरतों और मानव शक्ति की क्षमताओं को कैसे विश्लेषित किया जाए।

माननीय मन्त्री के ध्यान में यह बात लाकर कि गरीबी रेखा आज एक मजाक बन कर रह गई है मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। गरीबी रेखा मजाक बन गई है क्योंकि आप गरीबी रेखा का स्तर कभी 3000 रुपये, कभी 5000 रुपये या 7000 रुपये बताते हैं। 1950, की तुलना में रुपये के मूल्य के बारे में सोचिए। मैंने माननीय प्रधानमन्त्री से पहले यह प्रश्न पूछा था जब वह वित्त मंत्री थे—जब वह हमारे दल में थे—मैंने उनसे सीधे ही यह प्रश्न पूछा था कि क्या आप इन आंकड़ों का खेल नहीं

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

कर रहे। यह आंकड़ों की बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि कोई कितना भोजन पाता है और उसका जीवन स्तर क्या है। यह जरूरी है कि आप एक न्यूनतम कैलोरी जरूरत की सूची बनाए, एक आदमी को जिंदगी जीने में लिए क्या न्यूनतम जरूरते है इनकी सूची बनाएं। इस आधार पर आप गरीबी रेखा निकालिए। रुपये का अब कोई अर्थ नहीं रह गया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अगर आपने ऐसा किया, तो आप पाएंगें कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं वे अप्रत्याशित रूप से ऊपर उठ जायेंगे और यही बात है कि गरीबी की रेखा के नीचे वालों की ओर कल्याण की दृष्टि से वास्तविक ध्यान दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री हरि शंकर महाले (मालेगांव) : सभापति महोदय, श्रम और कल्याण मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर मैं अपने विचार रखने के लिए और समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सब लोग बोलते हैं कि देश इतना बड़ा होना चाहिए, जैसे नगाधिराज हिमालय है। लेकिन सोना जमा करने से, लक्ष्मी जमा करने से या सरस्वती जमा करने से यह देश बड़ा होने वाला नहीं है बल्कि उसके साथ-साथ श्रम चाहिए और मजदूर चाहिएं। आज जो मजदूर खेत में और खदान में काम करता है उनकी स्थिति बहुत खराब है।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी स्थिति को सुधारा जाना चाहिए और इस देश में इनके जीवन को सुधारने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। क्या सरस्वती, लक्ष्मी और श्रम, इन तीनों के मिलने से देश बड़ा हो जायेगा। इसलिये मेरी मांग है कि जो संगठित मजदूर है उनकी भी स्थिति खराब है, लेकिन जो असंगठित मजदूर है उनकी स्थिति तो इससे भी ज्यादा खराब है। मैं आपको बम्बई का और नासिक का उदाहरण देता हूं, वहां पर बड़े-बड़े उद्योगपति कारखाने लगाते हैं और एक-दो महीने काम करने के बाद उस कारखाने को बंद कर देते हैं।

बंबई में आज क्या स्थिति है। वहां पर जो मजदूर हैं, कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिक है, उनकी हालत आज बहुत खराब है। सब देहातों में वापिस चले गए हैं। जब देहात में हालत खराब थी, तब मजदूर शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में आए थे, लेकिन अब सरकार और उद्योगपतियों की गलत नीतियों के कारण उन मजदूरों को फिर देहातों में वापिस जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और वे शहरों से देहातों की ओर चले गए हैं। उन मजदूरों की हालत बहुत खराब है। उनके मामलों को हल करने के लिए विशेष अदालतों का निर्माण करना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। श्रमशक्ति, मजदूरों के जीवन को सुधारने की हमको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए।

सभापति महोदय, यहां पर मेरे साथियों ने श्रम कल्याण के बारे में अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं। मुझे भी असंगठित कामगारों के बारे में कुछ कहना है। जब तक मजदूर की स्थिति खराब रहेगी, तब तक देश की स्थिति खराब रहेगी। इनके कल्याण के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

समाज कल्याण के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मैं 1977 में यहां पर चुन कर आया, 1970 से लेकर 1976 तक अनुसूचित जाति, जनजाति कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस नहीं हुई। जब बहस नहीं हुई तो कार्यवाही कैसे हो सकती है। यह बात संविधान के विरुद्ध है, देश की कार्यप्रणाली के विरुद्ध है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को संरक्षण देने के लिए ही बाबा साहेब अंबेडकर

ने संविधान में धारा 46, 47 और 368 का प्रावधान किया था, लेकिन इसके बावजूद अनुसूचित जाति जनजाति कमिश्नर की रिपोर्ट पर इतने वर्षों तक यहां पर बहस नहीं हुई। 1977 में जनता सरकार के समय इस रिपोर्ट पर बहस हुई। उस वक्त मैंने मांग की थी कि हरिजन, गिरिजन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इन सबकी समस्याएं अलग-अलग है, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग कमिश्नर होना चाहिए. उस वक्त श्री मोरारजी भाई ने इन बातों की ओर ध्यान देते हुए इनसे संबंधित ज्यादा से ज्यादा विषयों को गृह मंत्रालय के अधीन रखा और इन चीजों की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया। 1981 से लेकर 1986 तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कमिश्नर का पद खाली रहा, जो अब 1986 में भरा गया है। आज जो विरोध पक्ष में हैं और पहले सरकार में थे, उनका यह किस तरह का कदम था। न ही कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस हुई। ये सारी बातें संविधान के विरुद्ध हैं।

इस बारे में देश के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े नेताओं, सबको इस बारे मे सोचना होगा। जब तक इन चीजों पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक गिरिजनों की हालत सुधर नहीं सकती है। मेरा कहना यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को यह देखना चाहिए कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार मे संविधान के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है।

लेकिन आज यह देखने में आ रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे मे नहीं सोचते हैं। केन्द्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या काम कर रही है, संविधान के अनुसार काम हो रहा है या नही हो रहा है, इस बारे मे कभी नहीं सोचा जाता। ये लोग खाली बैठे रहते है और संविधान के मालिक बन जाते है। बड़ी-बड़ी नीतियों की बात की जाती है, विदेश नीति की बात की जाती है, लेकिन बंगलादेश और श्रीलंका में कितनी मानवशक्ति और अर्थशक्ति खर्च की गई। इस तरह की विदेश नीति का क्या परिणाम हुआ ? मानव शक्ति और आर्थिक सहायता पर बहुत जोर दिया। आदिम जाति और जनजाति के 12 करोड़ लोगों के लिए कभी नहीं सोचा। मेरा कहना यह है कि इस बारे में सोचना चाहिए। बहुत सी बातें हो गयी हैं, इस संबंध में मेरा इतना ही सुझाव है।

शिक्षा के बारे में क्या स्थिति है, समाज के बारे में क्या स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में भारत सरकार कभी नहीं सोचती। नाबार्ड योजना के अन्तर्गत 10 हजार रुपये कुआ बनाने के लिए आदिम जाति के इलाकों में दिए है। इससे कैसे कुआं बन जाएगा ? उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी। देहातों में तो स्थिति और खराब है। साल में दो महीने उनको काम मिलता है। जवाहर योजना आयी। जवाहर रोजगार योजना का बहुत प्रचार किया गया, देश मे टी० वी० पर किया गया, बाहर के देशों में किया गया। मैं माफी चाहता हूं रंगा जी, छाती पर हाथ रख कर आप सोचें जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को कितना काम मिलता है। खाली एक आदमी को वर्ष में पांच दिन रोजगार मिलता है। वायदा किया गया था साल मे पूरे दिन रोजी-रोटी देंगे। लेकिन नहीं दे पाए। बहुत खराब कार्यक्रम है। आदिम जाति और जनजाति के लोग बहुत परेशान हैं।

सभापति महोदय, मेरे पास महाराष्ट्र का एक अखबार है, यह मासिक अखबार है, इसके अन्दर देखिए। 21वीं शताब्दी में आपको जाना है, लेकिन आज भी आदिम जाति के शरीर नग्न है। मैं चन्द्रपुर गया था। वहां आदिम जाति और जनजाति की स्थिति बहुत खराब है। उनको खाने को अन्न नहीं मिलता, शरीर ढकने के लिए उनके पास वस्त्र नहीं हैं। महाराष्ट्र मे अभी अक्कलकोवा और वामणी में 105 आदमी जानवर की मौत मर गए। वहां तक जाने के लिए मुख्य मंत्री को रास्ता नहीं

[श्री हरि शंकर महाले]

मिला। वे गुजरात से आए और वामणी हैलीकोप्टर से गए। कितने शर्म की बात है। स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 43 वर्ष हो गए हैं, अभी तक आदिम जाति के गांवों तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, सड़कें नहीं है। शिक्षा तो दूर की बात है। यदि शिक्षा नहीं होगी तो रक्षा कहां से होगी। उनके लिए सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ये सब प्राथमिक जरूरतें हैं एक मानव की। आदिम जाति और जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में रहते है। उनकी बुरी हालत है, उनको पीने का पानी भी नहीं मिलता। हम सब लोग द्रोणाचार्य को दोष देते हैं कि उन्होंने शिक्षा के बारे में ऐसे-ऐसे किया, एकलव्य का अंगूठा काट लिया।

सभापति महोदय, अभी भी द्रोणाचार्य कम नहीं हैं, बहुत द्रोणाचार्य हैं। उस वक्त अर्जुन के लिए एक शिष्य का द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया था लेकिन आज तो सभी जगह, दफ्तरों में आदिम जाति और जनजाति के लोगों की सी० आर० अफसर खराब लिख देते हैं। जनजाति के लोगों के लिए सिपाही की जगह जो खाली होती है उस पर उनकी भर्ती और उन्नति के लिए कभी भी नहीं सोचते। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सिपाही बहुत कम मिलेंगे, उनकी संख्या नगण्य है। हमारी समझ में नहीं आता कि सवर्ण जाति के लोगों द्वारा आदिम जाति के लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है। अगर एक भाग शरीर का रोगी बन जाये तो दूसरा भाग भी खराब हो जाता है।

इसलिए हर दल को और समाज के उच्च तबके को आदिम जाति और जनजाति के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय सवाल है। अगर सब लोगों ने इस पर एक साथ विचार किया और उनकी उन्नति के लिए अपना योगदान दिया तो देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि यह एक-दो करोड़ नहीं, बल्कि 16 करोड़ लोगों का सवाल है। जनता दल ने उनके लिए अच्छे काम किये हैं। श्रम संबंधी भी सराहनीय कार्य इस सरकार ने किये हैं और कहा है कि मजदूर भी प्रबंध में भागीदार होंगे इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

लेकिन केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ करने से काम चलेगा। मेरा निवेदन है कि जनता सरकार इनकी समस्याओं की तरफ जरूर ध्यान देगी। अभी यहां सेंट्रल हाल में बाबा साहेब अम्बेडकर के तैल चित्र का अनावरण किया उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। बौद्ध पहले भी हरिजन और गिरिजन थे, लेकिन सरकार ने उनको जो सहूलियतें दी और उनको आरक्षित कोटे में रखा वह भी एक सराहनीय काम है। लेकिन यह संविधान से होना चाहिए। वरना कुछ लोग अदालत में चले जायेंगे और स्टे ले आयेंगे। मेरा समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन है कि यह संविधान से करना चाहिए।

आंगनवाड़ी के लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए दो सौ या ढाई सौ रुपये महीना देते हैं, इस पर विचार करके उनको ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह देनी चाहिए। आदिम जाति के लिए विभाग ने एक स्पेशल प्लान तैयार किया है। रंगा साहब को मैं अपने साथ लेता हूं कि इस स्पेशल प्लान का क्या होगा। आप एरिया डवलपमेंट की बात करते हैं लेकिन जहां आदिम जाति के लोग रहते हैं उस एरिया का विकास नहीं होता है। बड़े-बड़े बांध बनाये जाते हैं लेकिन उसका सारा पानी दूसरे लोगों के खेतों में चला जाता है, जबकि इस कार्य के लिए सारा पैसा उनके नाम पर लिया जाता है। हमारे यहां 10 कोटि सूरया बांध के लिए पैसा लिया गया, लेकिन आदिम जाति के लोगों की एक इंच भूमि भी उससे सिंचित नहीं हो पाती है। इसी तरह से 3 कोटि पैसा वैतरणा डैम के लिए और 5 कोटि अन्य बांधों के निर्माण के लिए खर्च किया गया, लेकिन आदिम जाति का जो एरिया है

उसमें पानी का उपयोग करने का प्रावधान नहीं किया गया ; जबकि सारा पैसा आदिम जाति के नाम पर खर्च हो जाता है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश जहां भी राज्य सरकार ने इस तरह से काम किया है और अगर वह इसके लिए जिम्मेदार है तो वह पैसा वापस लेना चाहिए और इन लोगों के विकास के लिए लगाना चाहिए।

जंगल कामगार सोसाइटी पर मजदूर निर्भर करते थे लेकिन फारेस्ट कानून की वजह से उनका काम खत्म हो गया है और काफी मजदूर बेकार हो गये हैं इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

साथ-साथ महाराष्ट्र में आजकल 350 सहकारी संस्थाएं हैं। इनमें से 200 संस्थाएं अच्छी तरह से काम करती हैं लेकिन आदिम जातियों की बाकी संस्थाएं डूब गयी हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आदिम जातियों के नाम पर खड़ी हैं। इन संस्थाओं में बड़े-बड़े अफसर पैसा खा गये हैं। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि इन संस्थाओं को और धन दिया जाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकार से इस संबंध में पूरी जानकारी और सूचना ले ताकि जिस उद्देश्य के लिए पैसा दिया जा रहा है, वह संस्थाएं उसका उचित उपयोग कर रही हैं या नहीं? मैं अपनी इस मांग के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : उप-सभापति जी, कल्याण मंत्रालय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए यह जरूरी है कि हम इस बात पर अवश्य विचार करें कि किस तरह से उन सब कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाए जिससे वास्तव में एक कल्याणकारी समाज की स्थापना की जा सके। यों तो गत कई वर्षों से हमारे जनप्रतिनिधि, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग इस मांग को उठाते रहे हैं कि इसके लिए एक अलग से मंत्रालय होना चाहिए और एक मंत्री के अधीन इस विभाग को रखना चाहिए तो पिछली सरकार ने सितम्बर, 1985 में पहली बार कल्याण मंत्रालय की स्थापना करके इस मांग को पूरा किया है। इसके पहले समाज कल्याण के नाम पर या तो इसे होम मिनिस्ट्री के साथ या ऐजूकेशन मिनिस्ट्री के साथ और किसी अन्य मिनिस्ट्री के साथ जोड़ दिया जाता था। इसलिए इस विषय पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया जा सका था। पिछली सरकार के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इस बात पर गौर किया और यह ऐतिहासिक फैसला लिया और इस सिलसिले में अलग से कल्याण मंत्रालय का सृजन किया गया और यह मंत्रालय इंडेपेंडेंट तौर पर काम करने लगा। इस मंत्रालय के अन्दर होम मिनिस्ट्री के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, माईनरटीज, हरिजन समाज कल्याण विभाग के कार्य, डिस्सेबल लोग, दूसरे जो समाज के निर्बल वर्ग के लोग हैं, उनको और जगह से हटाकर सबको एक किया गया। इसके अतिरिक्त अलग-अलग और भी ऐसे काम जिसका कमिट्मेंट हुआ था या संविधान के अन्दर डायरेक्टिव प्रिंसीपल्ज के तहत गवर्नमेंट को करना चाहिए था, पिछले 42 वर्षों के बाद हम पूरा नहीं कर पाये हैं लेकिन उसकी शुरूआत करने की दिशा में कदम उठाए गए। वैसे तो हमारा संविधान कहता है कि हमें ऐसे दुर्बल लोगों को, विकलांग लोगों को किस प्रकार से ऊपर उठाना है कि वे समाज पर एक भार नहीं बनें परन्तु इस सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बन पाई। बच्चों के लिए तो एक राष्ट्रीय नीति घोषित हुई लेकिन उसका जो सही कार्यान्वयन होना चाहिए था, वह ठीक से ठीक दिशा में नहीं हो पाया है। तो काम आरम्भ जरूर हुआ है, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से जितनी तरक्की करनी चाहिए, उतनी तरक्की भी अभी हो नहीं पाई है। उस तरफ हम बराबर आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज की आवश्यकता है। आज स्थिति यह है कि जिस तरह हम प्लानिंग करना चाहते हैं, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए धन आवंटित करना चाहते हैं, रिसोर्सेज के अभाव में उतना धन लगा नहीं

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

पाते। बाहर से हम जितनी मदद लेते हैं, इंटरनेशनल किसी संस्था से, यूनिसेफ से, उसके बावजूद, चाहते हुए भी, अपेक्षित विकास नहीं कर पाये हैं। आगे के लिए, हमें अपने रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे। पिछली सरकार ने जस्टिस बहरूल इस्लाम साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसे यह काम सौंपा गया था कि विकलांगों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति क्या हो, किस तरह से उन्हें समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है, सहूलियतें दी जा सकती हैं, उन्हें किस तरह के आधुनिक इक्विपमैंट्स दिए जाएं, उन्हें किस तरह की सहायता दी जाए, शहरों में कैसी उन्हें शिक्षा या ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे अपनी जिन्दगी को उपयोगी बना सकें, वे समाज के ऊपर भार बनकर न रहें, अपने माता-पिता के ऊपर भार बनकर न रहें बल्कि दूसरों की कुछ सहायता कर सकें, इन मामले पर उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें देनी थीं। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि वर्तमान सरकार उस कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें लागू करने की दिशा में काम करना आरम्भ करे और विकलांगों से सम्बन्धित बिल में उन सभी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की जाएं क्योंकि इस देश के निर्बलों के लिए, विकलांगों के लिए जैसी राष्ट्रीय नीति हम बनाना चाहते हैं, अभी तक वैसी नीति बन नहीं पाई है। इस मामले में अब तक काफी एक्सपर्ट लोगों ने विचार-विमर्श के बाद, सोच-विचार के बाद अपनी राय जाहिर की हैं। सरकार को चाहिए कि उन सिफारिशों को इम्पलीमैंट करने के लिए कदम उठाये। मैं समझती हूं कि इस विषय में सारा सदन एकमत होकर यह तय करेगा कि इस देश के निर्बलों के सम्बन्ध में, विकलांगों के सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय नीति ऐसी अवश्य होनी चाहिए ताकि वे लोग दूसरों के मोहताज न रहें। दुनिया के अन्य कई देश हैं जहां विकलांगों के लिए अनेक सहूलियतें दी जाती हैं, कानून बने हुए हैं और वे उस स्तर पर काम करते हैं। हमारे यहां भी उन देशों के अनुरूप राष्ट्रीय नीति बन सकती है। सभापति जी, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, हमारे देश में गरीबी के कारण या अन्य कारणों से, जैसे माल-न्यूट्रीशन, उपयुक्त नरिशमैंट का अभाव, आदि से, बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम उचित शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि वे गलत चीजों में पड़ जाते हैं। कई परिवारों में हमने देखा है कि माता-पिता शिक्षित नहीं होते या अपने कार्य में इतने ज्यादा व्यस्त रहते है कि अपने बच्चों की तरफ उचित ध्यान नहीं दे पाते, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। इस वजह से उनके बच्चे गलत रास्तों पर भटक जाते हैं। पिछली सरकार ने जुवैनाइल जस्टिस एक्ट बनाया, पास किया और देश में लागू किया था। मैं चाहूंगी कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे ताकि उस एक्ट को पूरी तरह से सभी स्टेट्स में ठीक से लागू किया जाए और उसके प्रावधानों का कहीं भी उल्लंघन न होने पाये। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे देश का भविष्य कल उनके कंधों पर ही आने वाला है, वे हमारे भावी राष्ट्र निर्माता हैं। जैसे-जैसे हम इंडस्ट्रियली तरक्की करते जा रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे देश में वैसे-वैसे अनेक तरह की खराबियां आती जा रही हैं। हमारी वैल्फेयर स्टेट है। हमें देखना चाहिए कि उन खराबियों को, बुराइयों को कैसे दूर किया जाए और बच्चों को उनसे बचाकर रखा जाए। इसके लिए कुछ कानूनों का सहारा लेना जरूरी था। हमारे समाज के लिए और बच्चों के कल्याण के लिए, वह एक बहुत मजबूत हथियार सिद्ध हो सकता है। मैं चाहूंगी कि इस हथियार का सरकार उचित तरीके से प्रयोग करे। हमारे संविधान के फण्डामैंटल राइट्स में, धारा 17 में आरम्भ से ही अनटचैबिलिटी को अबौलिश करने का प्रावधान है। उसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता के लिए इस देश में कहीं कोई स्थान नहीं होगा और अस्पृश्यता को यहां किसी भी फार्म में प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा सकता। इसको बन्द किया गया, लेकिन कानून बना देने मात्र से ही नहीं हो सकता है। उसके बाद भी यह देखा गया कि यह चीज चलती रही और समाज नहीं

बदला। हरिजनों के ऊपर अत्याचार और छुआछूत देश के अलग-अलग हिस्सों में विशेषकर ग्रामीण अंचलों में अब भी प्रचलित है। यह बहुत शर्मनाक चीज है। इन्दिरा जी ने अपने समय में पी०सी०आर० ऐक्ट को थोड़ा सख्त करके उसे लागू कराया। हमारे देश में अस्पृश्यता का जो ऐक्ट है, उसको और ज्यादा इम्पलीमैंट करने की आज आवश्यकता है। प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स जिसको पी० सी० आर० शौर्ट में कहते हैं, उसके तहत भी जितना होना चाहिए, उतना हुआ नहीं है। अत्याचार जो कम होने चाहिए वह कम नहीं हो पाए हैं।

अभी पिछले वर्ष जब पिछला सदन समाप्त हो रहा था, पार्लियामेंट खत्म हो रही थी तो पिछली सरकार ने एट्रोसिटीज ऐक्ट पास किया। दोनों सदनों की सहमति से, एकमत से उसको पास किया। सब लोगों ने अपनी उस पर राय दी। इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउन्ड था। सबकी यह राय थी कि जो हरिजनों पर उत्पीड़न और अत्याचार होता है उसको रोकने के लिए ठीक से कारगर कदम उठाने चाहिए। ऐसे कांड, या आचरण या इस तरह की घटनाएं जो कि आये दिन होती रहती हैं जिसके कारण देहातों में हरिजनों पर अत्याचार होता है उसको हमने समेटकर 15 हिस्सों में रखा। उसको जोड़कर हमने यह कहा कि यह खासकर एट्रोसिटीज के अन्दर माना जाये और इसके अन्दर जो भी आता है उसको सजा दी जाये। एक कठिन सजा देने की बात उसमें कही गई।

एक सबसे बड़ी शिकायत जो अक्सर आती है वह यह है कि जब कोई हरिजन और कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है तो सबसे पहले थाने में ही रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। हमने उस ऐक्ट में जो थानेदार है, या सरकारी कर्मचारी है, उनके ऊपर भी तुरन्त, फौरन ऐक्शन लेने के लिए प्रावधान किया था और वह सजा दस साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक थी जो इस तरह के अत्याचार हरिजनों के ऊपर करते हैं और जो इसमें भागीदार होते हैं उन पर मुकदमा चलाने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनने चाहिए। अभी फतेहपुर में जो कांड हुआ उसकी चर्चा इस सदन में भी हुई। धनराज नाम के व्यक्ति को जिन्दा जला दिया गया। उसकी जो स्त्री थी वह मुझसे मिली थी। कृष्णी देवी ने अपनी दर्दनाक कहानी मुझे बतायी कि किस तरह से उसका पति तालाब में जलता हुआ कूद पड़ा। जलते हुए उसको निकाला गया। वह काफी जली हुई हालत में था। जब उसे गाड़ी में रखकर ले जाने के लिए बार-बार कहा गया तो जिन्होंने जलाने का काम किया था, उन्होंने बार-बार उसे रोका। वह कहने लगे कि हम इसको अस्पताल ले जाएंगे। उसके घर वाले कहते थे कि हम इसे पहले थाने में ले जाएंगे। इस झगड़े में तीन बार उसको ट्रैक्टर में रखा गया, लेकिन तीनों बार उसको उतारा गया। ऐसे क्रूर और कठोर लोग जिन्होंने धनराज को जलाया उन्होंने उसे थाने ले जाने से रोका। वह काफी देर तक उसे रोकते रहे। लेकिन उसके घर के लोग भाई वगैरह थाने में किसी तरह दौड़कर इत्तला करने आए और पुलिस आती है थोड़ी देर बाद। जब इतना समय बीत गया, वह जला हुआ आदमी छटपटा रहा था, उसके बाद पुलिस ले जाकर किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में उसको रखती है तो यह दर्दनाक कहानी और सारी चीजें होती हैं।

4.00 म० प०

दूसरे दिन वह आदमी मर जाता है, प्राण छोड़ देता है, छटपटा कर, उसकी छोटी सी बहू है, इतनी कम उम्र की लड़की है कि उसको देखकर तबियत दहल उठती है लेकिन पुलिस की और अधिकारियों की इतनी बड़ी बेइन्साफी है, नग्लैक्ट है कि उसका डाइंग डिक्लेरेशन नहीं किया गया। इतना सख्त कानून हमने बनाया, सब कुछ किया लेकिन उसके बावजूद उस कानून का कोई इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ और इतनी दर्दनाक घटना के बाद भी आज उसकी स्त्री मारी-मारी चारों तरफ फिर रही है। उसको 10 हजार रुपया दे दिया गया, तीन-चार एकड़ जमीन दे दी गई और समझा

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

गया कि इससे न्याय मिल गया। आज के दिन, आज के समय बीसवीं सदी में भी इस तरह से अगर हरिजन जलाये जाते हैं, हमारा एट्रासिटीज का एक्ट पास होता है तो मैं क्या इस सरकार से पूछ सकती हूं कि इसके लिए जो स्पेशल कोर्ट नोटिफाइड होनी चाहिए थी, डिस्ट्रिक्टवाइज या जहां ज्यादा ऐसी घटनाएं होती हैं, मैं चाहूंगी कि सरकार वहां पर जल्दी से जल्दी कम से कम ऐसी कोर्ट की स्थापना करे। जब मंत्री महोदय जवाब देंगे तो बताएंगे कि इस सिलसिले में उन्होंने क्या कार्यवाही की, इस पर हम लोगों ने कोर्ट की स्थापना की या नहीं की और जो सही माने में कल्प्रिट थे, जिन लोगों को पकड़ना चाहिए था, इतना शोरगुल मचाने के बाद तो वह पकड़े गये और कितने सही लोग पकड़े गए, कितनों को और पकड़ना चाहिए था, उसकी बोर्ते रिपोर्ट में आई, या नहीं आई, सारी चीजों की जानकारी इस सदन में देंगे ?

इसके साथ उत्तर प्रदेश में तो हरिजनों के ऊपर और भी तरह-तरह के अत्याचार आज हो रहे हैं, चाहे वह इटावा में हों, चाहे आजमगढ़ में हों, चाहे एटा में हों। आज मैं जिस समय हाऊस के लिए आ रही थी तो उसी वक्त एक हरिजन बिल्कुल घबराया हुआ ठीक मेरे सामने आया और उसने मुझे एक रिपोर्ट दी और एक दरख्वास्त दी, मैंने कहा क्या हो गया तो उसने उसमें जो लिखा है वह यह है कि उसकी रिपोर्ट पहले तो पुलिस ने लिखी नहीं, बड़ी मुश्किल से लिखी है और उसके पीछे उसको धमकी दी जा रही है, खुद दरोगा के द्वारा कि तुम अगर रिपोर्ट करते हो तो तुम्हें जान से मार डाला जाएगा। यह सारी चीजें हैं, एक तरफ से लोग परेशान करते हैं और दूसरी तरफ से हरिजनों को खुद पुलिस वाले भी परेशान करते हैं। एक्ट में दोनों बातों के लिए सख्त सजा की बात की गई है, अगर इस एक्ट का इम्प्लीमेण्टेशन तीन जगह, चार जगह भी हो जाए तो मैं समझती हू कि हरिजनों के ऊपर अत्याचार करने में लोगों को घबराहट होगी। इस सरकार से बार-बार मैं यह कहूंगी कि जरा सख्त हाथों से इस एट्रासिटीज एक्ट को लागू करने के लिए कमर कसें और इसकी खूब पब्लिसिटी करने की आवश्यकता है। हमारे गरीब हरिजन गांवों के अन्दर यह नहीं जानते हैं कि इसका खर्चा भी सरकार ऊठायेगी, इसके सारे लीगल खर्चे के लिए प्रावधान है, इस एक्ट के अन्दर तो इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए और किसी न किसी छोटी-सी कमेटी बनाकर, कुछ संस्था के माध्यम से या जिस तरह से भी हो, ऐसे दो-चार केसेज को अगर लड़ा दिया जाय तो जो लोग हरिजनों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको समझ में आयेगा और लोगों को अगर लम्बी सजाएं हो जाएंगी, जहां पर मर जाते हैं उनको तो फांसी ही होनी चाहिए लेकिन बाकी लोगों को और अधिकारियों को लम्बी सजाएं हो जाएंगी तो उनकी समझ में आ जायेगा कि यह नहीं करना है और उनकी बात भी सुनी जायेगी।

मैं यह इसलिए कह रही हूं कि आज हम चाहे कितने ही एक्ट बना लें लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से विल पावर नहीं होगी, विल नहीं होगी कि यहां इस एक्ट का हमको लागू करना है तब तक यह नहीं हो सकता है। समाज को बदलने के लिए मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी है। एक्ट तो बनते ही रहेंगे लेकिन मानसिकता को बदलना भी बहुत जरूरी है। अब मैं एक्सट्रीम बातों पर भी नहीं जाने की बात कहती हूं जैसा कि अभी कुछ समय पहले हमारी एक माननीय सदस्या यहां हाऊस में कह रही थीं कि वेदों को और शास्त्रों को सबको बन्द कर दिया जाना चाहिए। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि हमारा देश मनु से गाईडिड नहीं है। हमारे देश का कानून अपना है हमारे देश का संविधान अपना है। मनु के संविधान से हम लोग नहीं चलते हैं। मनु के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई यह जानता भी नहीं है कि मनु क्या कह रहे हैं, क्या

नहीं कह रहे हैं। इसका किसी के ऊपर कोई अन्तर नहीं पड़ता है।

वेदों के अन्दर क्या है? वेदों की भाषा क्या है उसे कोई नहीं जानता है न वेदों की भाषा कोई पढ़ता है। लेकिन वेदों के अन्दर हमारी संस्कृति है, हमारा विजडम है, विद्वत्ता है। वेदों के अन्दर बहुत सी वैज्ञानिक बातें हैं जिनको हम जान सकते हैं। भारत की वह निधि है, भारत का वह खजाना है। उनका तो हमें हमेशा-हमेशा आदर करके चलना पड़ेगा। वेदों को हमें पोलिटिक्स के अन्दर नहीं डालना होगा। मैं यह समझती हूं कि उनको अलग रखकर बात करनी होगी।

जहां तक आदिवासियों का सवाल है, जनजातियों का सवाल है तो उनके लिए भी आवश्यक है कि हम उनके लिए भी काम करें। हम जनजाति और अनुसूचित जाति इन दोनों के लिए सब तरह के प्रोटेक्शन की बात करते हैं और दूसरी बातें करते हैं। लेकिन मैं यह समझती हूं कि सबसे जरूरी उनकी शिक्षा की बात है। अगर हम उनको शिक्षित कर देंगे तो उनको हम मजबूत कर देंगे। उनको फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि वे दूसरों के भरोसे पर रहें। हम उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दें। उनकी आर्थिक हालत जैसे-जैसे सुधरती जायेगी वैसे-वैसे स्वयं वे अपने को संभालते जाएंगे। फिर वे किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रह जाएंगे।

हमने यहां तक देखा है कि जो जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, पढ़े-लिखे हैं और आर्थिक दृष्टि से अच्छे हैं, उनसे कोई यह नहीं पूछता कि आप आदिवासी हो, जनजाति के हो या अनुसूचित जनजाति के हो। लेकिन जो गरीब लोग हैं और झोंपड़ी में रहते हैं, असहाय हैं। जिनके पास शिक्षा नहीं है, उनके ऊपर ही तरह-तरह की मुसीबत आती है।

हमारे देश में शिक्षा का परसेन्टेज वैसे ही कम है। शिक्षित लोगों में भी शिक्षित महिलाओं का परसेन्टेज और भी कम है। अगर हम महिलाओं के अन्दर शिक्षा को फैलाएंगे तो भी बहुत काम हो सकेगा। गवर्नमेंट से हमारा कहना यह है कि शिक्षा के बारे में गवर्नमेंट की जो भी प्लेनिंग हो, जो भी शिक्षा में विकास के कार्य हों वे ऐसे हों कि शिक्षा हमारी जॉब ओरियन्टेड हो। जॉब ओरियन्टेशन से शिक्षा को जोड़ा जाए। जहां कहीं भी ये आदिवासी और हरिजन काम कर रहे हों वहीं उन्हें काम के साथ शिक्षा मिल सके। जो मजदूर क्लास से लोग आते हैं वे काम भी कर सकें और साथ-साथ शिक्षा भी ग्रहण कर सकें। हमें दोनों तरह की शिक्षा लानी पड़ेगी तब जा करके इन गरीब लोगों का विकास हो सकेगा। इससे हमारा बहुत-सा काम हो सकेगा।

मैं समझती हूं कि वेल्फेअर के काम को हमें कम्प्रीहेंसिव तरीके से देखना होगा। अगर हम इसे अलग-अलग तरीके से देखेंगे तो जो हम परिणाम चाहते हैं वे नहीं मिलेंगे। इस काम को मनुष्य के पूर्ण विकास, व्यक्तित्व के पूरे विकास के रूप में लेना होगा। इसमें पुरुष, बच्चे, महिलाएं सभी के विकास के कामों को लेना होगा तभी इन गरीब लोगों का विकास हो पायेगा।

गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें चल रही हैं वे इस प्रकार की होनी चाहिएं जिससे कि ये लोग गांवों को छोड़कर शहर में न आएं। वे देहात में रहकर ही काम करते हुए वहां का विकास कर सकें। आजकल होता यह है कि हमने हाऊसिंग की स्कीम चलाई। उसमें थोड़े से घर बना दिए। इससे वहां पूरी तरह से काम नहीं हो पाता। वहां रहन-सहन की व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाती। आज जरूरत इस बात की है···आप जहां भी काम करें वहां पर यह देखें कि उस कॉलोनी में, उस एरिया में किस तरह से विकास हो रहा है। हर जगह पर एक तरह का काम नहीं हो सकेगा, कहीं पर एक तरह का काम होगा और दूसरी जगह पर दूसरी तरह का काम होगा। इन सब चीजों के लिए जब बड़े प्लानिंग के साथ काम होगा तभी यह कल्याण विभाग का काम आगे आएगा।

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

इस कल्याण विभाग के बहुत से विस्तृत काम हैं और उस विभाग के भी अलग-अलग हिस्से हैं। प्रधान मंत्री जी का जो 15 प्वाइंट प्रोग्राम है मैं उसकी तरफ नहीं जाती हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूं कि माइनोरिटी वेलफेयर बहुत इम्पोरटेंट हैं। इसलिए इनके डेवेलपमेंट और शिक्षा को भी उस कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

*श्री कांसी पन्नीर सेलवम (चेंगलपट्टु) : माननीय सभापति महोदय, ए०आई०ए०डी०एम०के० की ओर से वर्ष 1990-91 के लिए श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सत्ता में आने के छः महीने बाद भी राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार लोगों से किये गये वायदों को पूरा नहीं कर पायी है। मैं सरकार के इस चुप्पी साध लेने के रवैये की निंदा करता हूं जिसने कि काम के अधिकार को संविधान में शामिल करने के संबंध में लाखों बेरोजगार लोगों से वायदा किया था। कश्मीर, पंजाब और अहमदाबाद में साम्प्रदायिक उपद्रव का मुख्य कारण युवकों का बेरोजगार होना है। देश में शिक्षित बेरोजगार युवकों की परेशानियों को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से इसी सत्र में संविधान में काम के अधिकार को शामिल करने हेतु आवश्यक विधान लाने का अनुरोध करता हूं।

प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की बात राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बहुत समय से कर रही है। माननीय मंत्री महोदय ने भी यह आश्वासन दिया है कि इस सत्र में इस संबंध में आवश्यक विधान लोक सभा में लाया जायगा। इस विचार से आपका क्या मतलब है ? हमारे देश में गैर सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र है। एक राज्य से दूसरे राज्य में औद्योगिक संस्थाओं में भिन्नता है। इसलिए केन्द्र सरकार को प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी हेतु एक सामान्य नीति तैयार करनी चाहिए। इस संबंध में एक श्वेत पत्र जिसमें इस नीति का विस्तारपूर्वक वर्णन हो संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, इसपर चर्चा होनी चाहिए और फिर संसद को संकल्प द्वारा इस नीति का अनुमोदन करना चाहिए। फिर इस संबंध में विधान लाया जाना चाहिए।

महोदय, सीमेंट उद्योग के मजदूरों की मजदूरी की बढ़ोतरी के संबंध में सरकार को अपने रवैये में परिवर्तन करना चाहिए। इस मामले में सभी केन्द्रीय मजदूर संघों की सलाह लेने की बजाए सरकार ने सिर्फ एक केन्द्रीय मजदूर संघ को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए चुना है। इस रवैये में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। सभी केन्द्रीय मजदूर संघों को इस मामले में शामिल करना चाहिए और सीमेंट उद्योग के मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि करनी चाहिए।

यह सरकार जो दावा करती है कि यह श्रम कल्याण में गहरी रुचि रखती है, तमिलनाडु में 30 से अधिक कपड़ा मिलों के बन्द होने की बात को अनदेखा कर रही है। तमिलनाडु सरकार को इस संबंध में क्यों नहीं एक निर्देश जारी किया जाता है ? मेट्टूर कपड़ा मिल 6-7 वर्षों से बंद पड़ी है। अनेक मजदूर बेरोजगार हो गये है और उनके परिवार निर्धनता से परेशान हो रहे है। अतः मैं सरकार से इन मिलों का अधिग्रहण कर लेने का अनुरोध करता हूं।

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इसी प्रकार से तमिलनाडु में स्टैण्डर्ड मोटर्स यूनिट बंद पड़ी है। अनेक मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस यूनिट को पुन: चालू करके मजदूरों को राहत प्रदान की जाए।

तमिलनाडु के परिवहन मंत्री ने तमिलनाडु विधान सभा में यह कहा है कि जैसे ही केन्द्रीय सरकार अनुमति दे देगी राज्य में परिवहन मजदूरों के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित पेंशन योजना लागू कर दी जायेगी।

स्वर्गीय डा० एम० जी० आर० के शासन काल में तमिलनाडु विधान सभा ने तमिलनाडु में भवन और अन्य निर्माणकार्यों के मजदूरों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक विधान पारित किया था। केन्द्र सरकार ने इस विधेयक को स्वीकृति दे दी थी। तमिलनाडु की वर्तमान सरकार इस आधार पर इस अधिनियम को लागू नहीं कर रही है कि इसमें कुछ त्रुटि है। यदि इसमें कुछ त्रुटियां है तो संशोधन द्वारा उन्हें दूर किया जा सकता है। लेकिन पहले इसे लागू तो होने दीजिये। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार पर इस अधिनियम को तत्काल लागू करने हेतु दबाव डाले।

इस अधिनियम को लागू नहीं करने से यह शंका पैदा होती है कि क्या डी० एम० के० सरकार ठेकेदारों के साथ सांठ-गांठ कर रही है। डी०एम०के० की सरकार जिसने जनता का समर्थन खो दिया है, उसके बर्खास्त होने का समय दूर नहीं है और राज्य में श्रीमती पुरातची थालैवी जयललिता के नेतृत्व में सरकार की स्थापना होगी। भवन और निर्माण मजदूरों से सम्बन्धित एक अन्य कानून 1½ वर्ष से राज्य सभा में लम्बित है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह कानून शीघ्र ही बनाया जाये।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र चेंगलपट्टु में अनेक बुनकर है। यदि सरकार हथकरघा बुनकरों के जीवन स्तर को उठाने के प्रति गम्भीर है तो सरकार को सीधे बुनकरों से कपड़ा खरीदना चाहिए जैसे कि वह खाद्यान्न के मामले में करती है। इससे उनके कपड़ों के लिए लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। फिर भी कपड़ा व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए बुनकरों से इस प्रकार खरीदे गये कपड़ों को सरकार को कपड़ा व्यापारियों के माध्यम से बिक्री हेतु वितरीत कर देना चाहिए। इस सन्दर्भ मे एक निश्चित कार्यप्रणाली तैयार करनी होगी।

देश में मछुआरों की जीविका सबसे अनिश्चित है। हमारे डा० एम० जी० आर० के प्रसिद्ध दोहे अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं: "वे एक दिन चले जायेंगे; वे दूसरे दिन वापस आयेंगे; फिर भी प्रत्येक दिन का यही सन्ताप है।" जबकि वह दूर समुद्र में अपनी जीविका का आधार ढूंढता है तट से दूर उसका परिवार निर्धनता में कष्ट उठाता रहता है। हमारे मछुआरों की इस प्रकार की शोचनीय दशा है। अत: मैं माननीय मंत्री जी से वर्षाकाल और तूफानी मौसमों के दौरान जब मछुआरे समुद्र मे नहीं जा पाते है, उनके परिवारों को विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से मछुआरों के लिए सरकार द्वारा विशेष जीवन बीमा योजना शुरू किये जाने का अनुरोध करता हूं।

जब तक कि संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में काम का अधिकार सम्मिलित न हो जाय देश के सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। अथवा सरकार को जीविका के लिए रोजगार या वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहे कांसीपुरम या उत्तीरामेरुर में एक आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

[श्री कांसी पन्नीर सेलवम]

हमें श्रम को पुरस्कृत करना चाहिए और संवैधानिक रूप से रोजगार की गारण्टी देनी चाहिए। इस नारे के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ऐसे मौके पर मैं आपके माध्यम से आज की सरकार का ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहूंगा कि जहां तक श्रम की बात है, श्रम किसी भी राष्ट्र की शक्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि श्रम-शक्ति राष्ट्र-शक्ति। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसा देखा गया है कि श्रम शक्ति के साथ बड़ा क्रूर मजाक हुआ है। जिस देश में श्रम की पूजा होती है, श्रम के अवसर होते है वह राष्ट्र विकसित होता है, सम्पन्न होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ हुआ है हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर ले जाएं ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो। पिछले पांच वर्षों के आंकड़े इस बात की गवाही देने के लिए उस समय के रिकार्ड में मौजूद है कि हिन्दुस्तान के अन्दर रोजगार के अवसर कम किए गए हैं। ऐसी-ऐसी नीतियों को इस देश के अन्दर लागू किया गया है जिनके कारण काम के अवसर कम हुए हैं। 1985 में हिन्दुस्तान के रोजगार दफ्तरों में 2 करोड़ 35 लाख पढ़े-लिखे शिक्षित नौजवानों के नाम दर्ज करवाए थे। साढ़े चार वर्ष के बाद 1989 के मध्य में जब आंकड़ों को इकट्ठा किया गया तो नामों की संख्या लगभग 3 करोड़ 50 लाख थी। साढ़े चार वर्ष में 1 करोड़ 15 लाख की बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन गांवों में बहुत से पढ़े-लिखे नौजवान है जो इन दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाते। तो उस समय सरकार ने बताया कि यदि उन्हें भी जोड़ा जाए तो देश के अन्दर 5 करोड़ पढ़े-लिखे नौजवान हैं जो बेकार हैं। उस समय की सरकार ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि जितने अनपढ़ नौजवान है जो गांवों मे रहते है, उनकी संख्या को भी जोड़ा जाए तो 10 करोड़ नौजवान यानि 20 करोड़ हाथ श्रम के अभाव में, रोजगार के अभाव में हिन्दुस्तान की सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रहे है। पिछले सात वर्षों के अन्दर जो नीतियां देश में आयीं, यह उन्हीं का परिणाम है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं। पिछले पांच वर्षों के अन्दर हिन्दुस्तान में बड़े पैमाने पर विदेशी कम्पनियों का आगमन हुआ, कम्प्यूटर के नाम पर हाथों को रोजगार मिलना बन्द हुआ, रोजगार के अवसर कम हुए और बेरोजगारी बढ़ी। आज हिन्दुस्तान के अन्दर 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन बिता रहे हैं। 30 करोड़ के लगभग लोगों में से एक-तिहाई लोगों को छ: माह तक काम मिलता है, दो-तिहाई लोगों को 7 महीने तक कोई न कोई रोजगार मिलता है और सिर्फ 4 प्रतिशत ऐसे लोग है जिनको वर्ष में 9 महीने तक काम मिलता है। हमारे देश में रोजगार के मामले में बड़ी भयावह स्थिति है।

माननीय मंत्री, श्री राम विलास पासवान जी के आने के बाद एक उम्मीद और आशा का संचार नौजवानों में हुआ है। इसलिए मैं जहां से आता हूं वहां पर जो परेशानियां हैं, मैं चाहूंगा कि उस ओर भी इनका ध्यान ले जाऊं। बिहार के अन्दर बड़े-बड़े कल-कारखाने बंद हैं। पांच हजार से ज्यादा बेकार बरसों से इस प्रतीक्षा में है कि शायद कारखाने खुलेगा और हमें काम मिलेगा। हालत यह हो गयी है कि वहां पांच वर्षों के अन्दर दर्जनों नौजवानों ने आत्म-हत्या की है। पिछली बार मुझे वहां जाने का मौका मिला। वहां स्थिति यह है कि उनके परिवारों में जो माताएं और बहनें है वह अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अपनी इज्जत-आबरू तक बेचने के लिए विवश हैं। यह परिणाम पिछली नीतियों के कारण वहां पर हो रहा है। बिहार में 17-18 बड़े-बड़े कारखानें हैं, लगभग 15 हजार लघु-उद्योग

और मझौले उद्योग हैं, जो बन्द पड़े हैं। 25 हजार से ज्यादा बन्द होने के कगार पर है और इनमें काम करने वाले जो हाथ हैं या तो बेकार हो गये हैं या बेकारी के कगार पर खड़े हैं। इस प्रकार से जो ग्रामीण मजदूर हैं, खासकर बिहार का मैं जिक्र करना चाहूंगा राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम चला, जवाहर रोजगार योजना चली, लेकिन बिहार के गांवों में आप जायें इन नियोजित कार्यक्रमों के नाम पर चर्चा हो रही है कि गांव में शोषण जमींदार करते हैं, लेकिन जमींदारों का दूसरा वर्ग पैदा हो गया है नौकरशाही का और यह वर्ग है ओवरसियर, प्रखण्ड विकास अधिकारी का और इंजीनियरिंग के अधिकारियों का। जो मिलकर गरीबों को, मजदूरों को लूट रहे हैं। एक लाख की योजना है मजदूरों को देना है 172 रुपया मिट्टी की कटाई का, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उनको केवल 70 रुपये दिये जा रहे हैं और बाकी 102 रुपये कहां जाते हैं इसके लिए अलग से गवाही की जरूरत नहीं है, सब को मालूम है।

माननीय मंत्री जी मंत्री की हैसियत से नहीं एक व्यक्ति की हैसियत से गांवों में जायें जहां सड़कों पर मजदूर मिट्टी की कटाई का काम करते हैं तो उनको सब मालूम हो जायेगा। वह यह भी पायेंगे कि उन स्थानों पर इस तरह से धड़ल्ले से ग्रामीण मजदूरों का शोषण हो रहा है उनके हक को लूट-लूट कर ये नौकरशाह अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं। कुछ हद तक नेता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी छत्र-छाया में ये काम हो रहे हैं और उन गरीबों को लूटा जा रहा है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप योजना बनाते हैं, विधेयक लाते हैं तो इस बात का भी प्रावधान करें कि अगर राज्य सरकार या जिला प्रशासन उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता है तो स्वयं अपने मंत्रालय की पहल से देश के कोने-कोने में जाकर ऐसे स्थानों पर अचानक छापे मारें और फिर जांच करें। मजदूरों के भुगतान के लिए जो मस्टर रोल बनते हैं उसमें लाखों मजदूरों के अंगूठे के निशान दर्ज होते हैं, लेकिन पांच लोग मिलकर यह सारा काम करते हैं। आप किसी भी योजना के अन्दर उस मस्टर रोल की जांच करें तो आपको उसका खुलासा मिलेगा।

जब हम ग्रामीण मजदूरों की बात करते हैं, असंगठित मजदूरों की बात करते हैं तो सबसे ज्वलंत सवाल यह है कि जो गांवों में सड़कों पर काम हो रहा है या गांवों में कुओं आदि का काम हो रहा है तो प्रखण्ड अधिकारी, ओवरसियर और इंजीनियर्स उसमें अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, इस लूट को रोकना होगा। एक तरफ खजाना खाली हो रहा है विकास के नाम पर और दूसरी तरफ ये लोग तिजोरियां भर रहे हैं और तीसरी तरफ हम संसद में घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उसके लिए आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

औद्योगिक विकास के नाम पर श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को दांव पर लगाया जा रहा है। 1976 में औद्योगिक दुर्घटनाओं की संख्या 3 लाख थी और दुर्घटनाओं की दर 61.54 प्रतिशत थी और मरने वालों की संख्या 831 थी, लेकिन 1986 में दुर्घटनाओं की संख्या दो लाख सत्तासी हजार थी और दर 58.70 प्रतिशत हुई, लेकिन मरने वालों की संख्या 895 हो गई। दुर्घटनायें दो प्रकार की होती हैं एक तो परम्परागत हैं, जो छोटे उद्योगों में होती हैं, दूसरे प्रकार की दुर्घटनायें होती हैं नई टेक्नोलोजी के विकास के साथ उसका व्यवहार बदलता रहता है इसका असर कल-कारखानों के अन्दर ही नहीं बाहर भी होता है जैसे भोपाल की गैस त्रासदी इसका उदाहरण है। औद्योगिक सुरक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के साथ साथ कुछ कड़े कानूनों का निर्माण करना पड़ेगा और सिर्फ निर्माण ही नहीं, उन कानूनों को कड़ाई से लागू करना पड़ेगा। मेरा अन्तिम विषय होगा हिन्दुस्तान के अन्दर जो महिला और बाल श्रमिक हैं।

[श्री राधा मोहन सिंह]

महिला और बाल श्रमिकों की हिन्दुस्तान के अन्दर एक बहुत बड़ी संख्या है। हिन्दुस्तान के जन-जन के दिमाग में कल्पना है कि बच्चा भगवान का रूप है और महिला देवी का दर्शन। यही हमारे हिन्दुस्तान की संस्कृति है। लेकिन आज हिन्दुस्तान के अन्दर महिला श्रमिक औ बाल श्रमिक का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन और फिर जो उनको नाना प्रकार की सुविधायें मिलनी चाहियें जैसे प्रसूति सुविधा इत्यादि को वंचित किया जा रहा है। इस देश का सौभाग्य है कि आज इस मंत्रालय की एक मंत्री ऐसी महिला है जिनको मैं जानता हूं। गांव-गांव, गली-गलियारे में घूम-घूम कर हमारे बीच में रहने वाली नेत्री सौभाग्य से महिला और बाल विकास की जिम्मेदारी लिए हुए हैं।

मैं चाहूंगा कि इन बातों की ओर उनका ध्यान जाना चाहिए और बाल श्रमिकों के संबंध में इस मंत्रालय को विशेष रूप से विचार करना होगा क्योंकि आज आर्थिक एवं सामाजिक मजबूरियों के कारण विभिन्न रोजगारों में बड़े पैमाने पर बाल श्रमिक विद्यमान हैं और सरकार की नीति है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार देना संविधान के उपबन्ध के विपरीत है। बाल श्रम अधिनियम, 1986 में इस मूल उद्देश्य को प्राप्त करने की व्यवस्था भी है लेकिन आज क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बाल श्रमिक बीड़ी निर्माण, पटाखे और आतिशबाजी के कार्य में, चिमनियों में, सड़क निर्माण के कार्य में और होटलों में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। देश के अन्दर जितने कामगार हैं उसका 5-6 प्रतिशत बाल श्रमिक हैं।

यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण चित्र है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात पर गौर करें कि देश के अन्दर बड़े पैमाने पर जो महिला और बाल श्रमिकों का शोषण हो रहा है, इस दिशा में कोई ठोस व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री जनक राज गुप्त (जम्मू)** : जनाब चेयरमैन साहब, देश की तरक्की और देश में प्राडक्शन बढ़ाने के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए वर्कर्स का एक अहम रोल है। चाहे सन्नत के सैक्टर में हो, इंडस्ट्री सैक्टर में हो, एग्रीकल्चर सैक्टर में हो, कंस्ट्रक्शन के सैक्टर में हो या किसी भी सैक्टर में हो, लेबर का एक अहम रोल रहा है और आने वाले जमाने के वक्त में भी रहेगा। सर, लेकिन देखने में यह आया है कि जो वर्कर्स इस देश को आगे ले जाने और बनाने में मेहनत करते हैं, हिम्मत और दिलेरी से काम करते हैं, उसकी अपनी पोजिशन इस तरह से रह जाती है कि न तो उसे अपने खाने के लिए अच्छी खुराक मिलती है, न रहने के लिए मकान मिलता है और न पहनने के लिए अच्छा कपड़ा मिलता है और न अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए स्कूलों में दाखिला मिलता है क्योंकि उसकी एकनामिक पोजीशन ऐसी होती है कि वह वहां का वहां रह जाता है इतना काम करने के बावजूद।

जनाबे-आला, आज जरूरत इस बात की है कि उसकी हालत को बेहतर बनाने के लिए तवज्जह दी जाये और उनको फैसलटीज देने के लिए जो कानून बनाये जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाये। कानून तो बहुत से बनते हैं लेकिन उनमें से कितने कानूनों पर अमल होता है, यह देखने की बात है। यहां पर अन-आर्गनाईज्ड और आर्गनाईज्ड लेबर का जिक्र आया। आगर आप देखें तो सबसे ज्यादा वर्कर्स आज एग्रीकल्चर सैक्टर में काम करते हैं। एग्रीकल्चर सैक्टर में काम करने वाली लेबर बिल्कुल अन-आर्गेनाइज्ड है। 1981 की सैन्सस के मुताबिक 64.4 मिलियन वर्कर्स एग्रीकल्चर सैक्टर में काम करते थे जिसमें जम्मू-कश्मीर और आसाम के वर्कर्स शामिल नहीं हैं। अब तो इनकी संख्या काफी

ज्यादा बढ़ गई होगी। जनाबेआला, उनकी हालत आज भी बड़ी शोचनीय बनी हुई है। आज भी वे अन-आर्गेनाइज्ड हैं। उन्हें किसी तरह की फैसिलिटीज नहीं मिलतीं। उन्हें अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिलता। यही वजह थी कि जब लेबर मिनिस्ट्री ने यह महसूस किया कि एग्रीकल्चर सैक्टर में काम करने वाली अन-आर्गेनाइज्ड लेबर की हालत बहुत खराब है, उनके हालात को बेहतर बनाने के लिए शायद जनवरी, 1987 में, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की कम्सलटेटिव कमेटी की एक सब-कमेटी बनाई गई। श्री गुरुदास गुप्ता उसके कन्वीनर बनाये गये। उस कमेटी को यह कार्य सौंपा गया कि वह इन लोगों की मसाइल को देख सके और सरकार को सुझाव दे कि उनके हालात को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, उन्हें क्या-क्या फैसिलिटीज देनी चाहिए, क्या-क्या राहत या सहायता मिलनी चाहिए। सारी स्थिति को देखने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि इनके हालात बहुत ही बदतर हैं और दिन-प्रति-दिन और बदतर होते जा रहे हैं, चाहे वे बिहार में हों, यू० पी० में हों, केरल में हों या अन्य किसी स्टेट में हों। मैं चाहूंगा कि एग्रीकल्चर सैक्टर में काम करने वाली अन-आर्गेनाइज्ड लेबर के हालात बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम, ठोस कदम तुरन्त उठाये जाएं ताकि उन्हें मेहनत का पूरा मुआवजा मिल सके, उनका एक्सप्लायटेशन न होने पाये और कोई उन्हें बरगला न सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि मेरे एक हलके में इनकी हालत इतनी दयनीय है कि जब जी में आया, इन्हें रख लिया जाता है, जब जी में आया, इन्हें निकाल बाहर किया जाता है। ऐन पाकिस्तान बॉर्डर पर, हमारे जम्मू में, बॉर्डर से बस इतना ही फासला होगा, जितना मेरे और यहां बैठे रिपोर्टर्स साहेबान के बीच है, एक चकरोही ब्रदर्स फार्म है। वह बहुत बड़ा फार्म है जिसमें शायद हजारों एकड़ जमीन है। तीस साल पहले तक वहां अनेक वर्कर्स काम करते रहे परन्तु जब उस फार्म के संचालकों को ऐसा लगा कि अब इसे खत्म कर देना चाहिए, फार्म को किसी को एलाट कर देना चाहिए, उन्होंने उसी वक्त फार्म को तोड़ दिया और लेबरर्स को निकाल दिया। तीस साल बाद आज तक भी, उस फार्म की लेबर सड़कों पर बैठी है, जिसके पास खाने का कोई गुजारा नहीं है, करने को काम नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी तरफ तवज्जह दे तभी हमारे एग्रीकल्चर सैक्टर में अन-आर्गेनाइज्ड लेबर की पोजीशन अच्छी बनाई जा सकती है। उनके लिए कुछ ठोस उपाय करने की जरूरत है तभी वे समझ सकेंगे कि यह सरकार उनके लिए कुछ कर रही है।

दूसरी बात मैं प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर के बारे में कहना चाहता हूं। आप देखें कि जो उजरतें पब्लिक सैक्टर में एक मजदूर को मिलती हैं, वैसी उजरतें प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले मजदूरों को नहीं मिलतीं जबकि पब्लिक सैक्टर में काम करने वाले वर्कर को जितनी सोशयल सिक्योरिटी उपलब्ध है, उतनी प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले वर्कर को नहीं है। मैं चाहूंगा कि इन दोनों वर्कर्स की उजरतों में जो फर्क है, मिनिमम वेजेज एक्ट को ध्यान में रखते हुए, उनकी उजरतों को फिर से मुकर्रर किया जाये। यह भी जरूर होना चाहिए कि प्राइवेट सैक्टर में किसी भी मजदूर या वर्कर की जब भी एम्पलाय किया जाये, उसकी इंश्योरैंस अवश्य होनी चाहिए। मेरे नोटिस में अनेकों ऐसे मामले आये हैं, जिनमें यदि कोई वर्कर काम करते समय मौत का शिकार हो गया तो उसके बाल-बच्चों के पास अपने गुजारे के लिए कुछ नहीं बाकी रहता, उसे किसी तरह की इमदाद नहीं मिलती। मतलब यह है कि उन्हें इस तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती ताकि वे अपने जीवन को ठीक तरीके से बिता सकें बल्कि उनके सामने अनेक कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। मैं चाहूंगा कि इस तरफ सरकार फौरन तवज्जह दे।

जनाबे आला, जहां तक डिफैंस डिपार्टमेंट में प्राइवेट लेबर का ताल्लुक है, आपके एफ०सी०आई० में भी बड़ी संख्या में प्राइवेट लेबर काम पर लाई जाती है, उनका मिडिलमैन के जरिये भारी एक्सप्लायटेशन होता है। मिडिलमैन तो उनका शोषण करके लाखों रुपया कमा लेता है और अमीर बन

[श्री जनक राज गुप्त]

जाता है लेकिन वर्कर वहीं का वहीं रहता है। आप इसकी स्टडी करवाइए और देखिये किस ढंग से उनकी जो प्राब्लम है, उसको हल करा सकते हैं क्योंकि वर्कर काम हासिल करने के लिए मजबूर है। उसको एक्सप्लाइट किया जाता है और उसकी एक्सप्लायटेशन करके मिडिलमैन पैसा खा जाते हैं और मजदूर को पूरा मुआवजा, पूरी उजरत नहीं मिलती है।

जनावेवाला, जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, मैं उसके बारे में मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कितने लेबर-लाज जम्मू-कश्मीर स्टेट में लागू हुए हैं और जो लागू नहीं हुए हैं, वे कब तक लागू करना चाहते हैं और जो इस वक्त लागू हैं, क्या वे पूरी तरह इम्पलीमेंट हो रहे हैं? मैं मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि वहां लेबर-लाज लागू तो हुए हैं, लेकिन इम्पलीमेंट बिलकुल नहीं हुए हैं। जम्मू-कश्मीर के जो बासिन्दे वहां काम करते हैं, उनको जो उजरत वहां मिलती है, उसको अगर आप कम्पेयर करें तो वह बहुत कम है। वहां पर "ग्रेफ" और "बीकन" जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, वे उस राज्य में चलाई जा रही हैं. उनमें जो उस राज्य के बासिन्दे काम करते हैं उनको वहां के स्थानीय पी० डब्ल्यू० डी० के मुकाबले भी कम उजरत मिलती है। इसके अलावा जितने भी वहां सेण्ट्रल लाज हैं, अगर ये वहां लागू किये जाएं, तो इनके लागू करने से वहां के बासिन्दों को बहुत फायदा होगा।

चेयरमैन सर, एक सजैशन मैं यह दूंगा कि यहां पर रोज अखबारों में हम देखते हैं कि किसी मुलाजिम ने किसी मालिक को मार दिया, कहीं चोरी कर ली, कहीं डाका डाल दिया, तो इस हालत में, मैं यह सजैस्ट करूंगा कि यहां पर एक सेण्ट्रल एजेंसी होनी चाहिए, जो यहां के प्राइवेट लेबरर्स/डोमेस्टिक लेबरर्स हैं, उनके मसाइल को देख सके। आपकी इस एजेंसी के बनने से एम्पलायर और एम्पलाई के जो रिलेशन्स हैं, वे भी ठीक होंगे और क्राइम भी नहीं होंगे। आखिर में, मैं यह कहूंगा कि लेबर की हालत को सुधारने के लिए और एग्रीकल्चरल लेबर के मसाइल को हल करने के लिए एक सैपरेट बोर्ड होना चाहिए, जो उनके मसाइल को देखे कि किस तरह से असंगठित लेबर को एग्रीकल्चर सैक्टर में ज्यादा मजदूरी मिले और उनका कल्याण हो। धन्यवाद!

श्री देसई चौधरी (रोसेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज श्रम और समाज कल्याण विभाग की अनुदान की मांगों पर बहस हो रही है और आज ऐसे तबके और वर्ग के लोगों के बारे में इस सदन में चर्चा हो रही है जिसके बारे में सदियों से इस देश के लोग चिन्तित रहे हैं।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं संगठित मजदूर के बारे में यह कहना चाहता हूं कि आज जो संगठित मजदूर कल-कारखाने में काम करते हैं, उनका सबसे बड़ा शोषण अगर कोई करता है, तो वह ट्रेड यूनियन है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में जितनी भी ट्रेड यूनियन हैं, चाहे वह इंटक हो, सीटू हो या हिन्द मजदूर सभा हो, कहीं पर भी इन ट्रेड यूनियनों के चुनाव प्रॉपर ढंग से नहीं होते हैं और जो भी पदाधिकारी होते हैं वे गैर-मजदूर होते हैं। जो कल-कारखानों में लेबर-क्लास के लोग हैं, वे कभी भी किसी भी ट्रेड यूनियन के बड़े पदाधिकारी नहीं बनाये जाते हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से इस सदन में यह बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे बड़ा शोषण करने वाला जो तत्व है, वह ट्रेड यूनियन है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि ऐसी ट्रेड यूनियन को बर्खास्त करने की जरूरत है। मैं तो आपसे यहां तक मांग करता हूं कि आप इसकी जांच कराएं, जो ट्रेड यूनियन चलाते हैं, जो कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी भले ही रोजी-रोटी नहीं चले, लेकिन ट्रेड यूनियन चलाने वाले जो लोग हैं, वे रातोंरात करोड़पति हो जाते हैं। मैं आपको

बताना चाहता हूं दिल्ली में जो कल-कारखाने हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार से जो लोग वहां पर मजदूरी करते हैं, दो-ढाई महीने बाद उनको कारखाने से निकालकर बाहर कर दिया जाता है, उनकी कभी भी नियमित रूप से नियुक्ति नहीं होने दी जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर जो यूनियन चलाते हैं, वे मैनेजमैंट से मिले रहते हैं और मैनेजमैंट से मिलकर इस बात की साजिश करते हैं कि नये आदमी की बहाली करके दो-तीन महीने बाद उसे निकालकर बाहर कर दो ताकि उसे परमानेन्ट होने का मौका नहीं मिल सके। हमारे श्रम मंत्री श्री राम विलास पासवान जी भी उनको जानते थे, वहां पर एक·····**·····यूनियन चलाते हैं।

एफ० सी० आई० के बारे में छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार के सैकड़ों लोग, उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोग उससे मिले होंगे, श्री राम विलास के पास तो हजारों ऐसे आवेदन होंगे जिनमें दो-तीन महीने काम करने के बाद बिना कारण के उनको हटा दिया गया। **·····जो यूनियन के पदाधिकारी हैं, मैनेजमैंट से मिलकर उनको हटाने का काम करते हैं और बाहर के लोगों को लाकर उसमें रखने का काम करते हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां यूनियन खड़ी होती है, जहां यूनियन बनती है उसका जो चीफ होता है वह बराबर ढंग से होता है या नहीं, जो कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूर तबके के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व उसमें होता है या नहीं और वह उस यूनियन में आते हैं या नहीं, इसके बारे में आज सबसे पहले देखने की आवश्यकता है ? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो असंगठित मजदूर हैं, जो खासकर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, हमारे बिहार में रोजगार न मिलने के कारण वहां से पंजाब, हरियाणा लाया जाता है और दूसरी जगहों पर ले जाया जाता है, वहां पर ले जाकर उनसे काम करवाया जाता है, साल-दो साल काम करने के बाद बिना पैसा दिये लौटा दिया जाता है। आज जो असंगठित मजदूर हैं, जो गांवों में काम करने वाले हैं, वे चाहे कृषक के यहां काम करते हों या चीनी भट्टे में, उनको नियंत्रित मजदूरी नहीं मिलती। मैं श्रम मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, वे जानते हैं कि इस देश में मजदूरों के साथ कैसा अत्याचार और शोषण हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्यूनतम मजदूरी को सख्ती से लागू करने के लिए उसकी एक कमेटी बना दी जाये और उसको अधिकार दें कि जो भी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी देने में हिचकिचाए, उसको पैसा नहीं देंगे तो कमेटी को अधिकार होगा कि उसके विरुद्ध सख्ती से पेश आये। कानून तो बहुत बनते हैं लेकिन कानून बनाने वाले लोग ही उसका शोषण करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज उस कानून को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। लेबर कोर्ट नाम का रह गया है। अगर कोई लेबर कोर्ट में मुकदमा करता है तो मुकदमा दो-दो, तीन-तीन वर्ष तक चलता रहता है, जो मालिक है वह लेबर कोर्ट के पदाधिकारी से मिलकर अपना मुकदमा रफा-दफा कर देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हर जिले में जिला स्तर पर एक कमेटी होनी चाहिए जिसके पदाधिकारी भी उसके सदस्य हों, राजनैतिक लोग भी उसमें सदस्य हों और उसको अधिकार दिया जाए। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजन, आदिवासी किसानों को कोई अधिकार नहीं है। हरिजन, आदिवासी पर होने वाली एट्रोसीटीज के बारे में केस जाते हैं, उसमें हम लोग भी सदस्य हैं, हम लोग निर्णय करते हैं उसका पालन नहीं होता। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है ? हरिजन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए मैं बताना चाहता हूं। हमारे बिहार में पांच जिले में एक हरिजन थाना है। आप समझ सकते हैं कि पांच जिलों में एक हरिजन थाना बना हो और उस थाने में न तो कोई गाड़ी है, न सवारी है जिससे कि हरिजनों पर जो अत्याचार होते हैं और जो केस,

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बसई चौधरी]

मुकदमे होते हैं, उसके बारे में वहां पर जांच करने जा सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आपने यहां अपने अभिभाषण के दौरान कुछ नामों का उल्लेख किया है और कुछ आरोप भी लगाये हैं। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री बसई चौधरी : सभापति महोदय, में आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सच्चे मायने में हरिजनों और आदिवासियों पर जो अत्याचार होते हैं, उसको अगर रोकना है तो हर जिले में हरिजन थानों का गठन करें और उसको सुसज्जित करें। उनको दूसरे साधन दें, गाड़ी महैया कराएं। आप जानते है कि जिले में जो एस० पी० होता है, उसके पास 4-5 गाड़ियां होती हैं। उसकी बीवी और बच्चे अलग अलग गाड़ियों में घूमते है, लेकिन हरिजन थाने में एक मोटर साइकिल तक नहीं होती है। अत: मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हरिजन थाना हर जिले में स्थापित करें ताकि हरिजनो पर हो रहे अत्याचारो को रोका जा सके।

आज बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं है जिनके माध्यम से हरिजन और आदिवासी लोगों का कल्याण हो सकता है। आज इस देश में सैकड़ों ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं है जिनको विदेशों से धन प्राप्त होता है। देश में जिन-जिन स्वयंसेवी संस्थाओं को इस काम के लिए विदेशों से पैसा मिलता है उसकी आप जांच करायें कि वह पैसा उनका कहां गया।

हमारे देश में आंगनवाड़ी और बाल विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं दूसरी जगहों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन बिहार के बारे में कहना चाहता हूं। सौभाग्य से हमारी कल्याण उप-मंत्री श्रीमती उषा सिंह जी जो बिहार की है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आप कुछ कीजिए। हर राज्य और हर जिले में आंगनबाड़ी और बाल विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको सशक्त और सुसज्जित बनाने के लिए आप कुछ कदम उठायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

डा० असीम बाला (नवद्वीप) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। मैं अभी कल्याण के संबंध में कुछ कहूंगा। कल्याण—अर्थात न्यास या कल्याण उन लोगों का जो मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से विकलांग हैं।

यहां प्रश्न यह है कि किन का कल्याण ? इसको तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे जो केवल शारीरिक तौर पर विकलांग हैं, दूसरे वे जिनको सामाजिक रुकावटों अथवा प्रथाओं के कारण अवसर से वंचित किया गया है और अन्त में वे जो शारीरिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शिक्षा और मानसिक दृष्टि से विकलांग हैं। इस समाज में तीसरा वर्ग सबसे अधिक पीड़ित है।

हमारी स्वतंत्रता के 43 वर्ष बाद भी अर्द्ध-सामन्तवाद और जमींदारी प्रभाव हमारे देश में जारी है। इस कारण साधारण गरीब लोग आर्थिक तथा सामाजिक सुविधाओं से वंचित रहते हैं। वे सबसे

अधिक पीड़ित हैं। जमींदार और भू-स्वामी उन लोगों का शोषण करते हैं। यदि हम कुछ आंकड़ों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि विकलांग, विशेषकर शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों की संख्या लगभग एक करोड़ बीस लाख है। अब भारत सरकार उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान कर रही है। प्रशिक्षण, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के लिए कुछ परियोजनाएं/योजनाएं हैं। यह अच्छी बात है, इसमें कोई शंका नहीं है। परन्तु धनराशि पर्याप्त नहीं है और उन विकलांग लोगों को पूरी सहायता देना सम्भव नहीं हुआ। अपराध नियंत्रण के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम है और उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है किन्तु यह मानदण्डों के अनुसार नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उन्हें पर्याप्त स्तर का प्रशिक्षण दें। इसके अतिरिक्त हमारी 2 प्रतिशत जनता कुपोषण और सामाजिक दमन के कारण मन्द बुद्धि वाली है। इन कारणों से वे मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। "यूनिसेफ" के आंकड़ों के अनुसार 40 हजार बच्चे प्रति वर्ष विटामिन "ए" की कमी के कारण दृष्टिहीन हो जाते हैं। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सहायता भी जा रही है। इस संबंध में विदेशी एजेंसियों से अत्यन्त सतर्क रहना चाहिए। ऋण संकट और कम आय के कारण प्रति वर्ष हमारे 40 प्रतिशत युवाओं की मृत्यु हो जाती है और इनमें से अधिकतर भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश से होते हैं। मैं भारत में बाल श्रम की वर्तमान स्थिति के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। मद्रास में एक अध्ययन किया गया था जिसके अनुसार 31.6 प्रतिशत बाल-श्रमिक 10 से 1। घंटे काम करते हैं, 22.4 प्रतिशत 12-13 घंटे और 11.6 प्रतिशत 14-15 घंटे प्रति दिन काम करते हैं। उन्हें केवल 60 रुपये या 70 रुपये प्रति माह मिलते हैं। यह भारत में बाल श्रमिकों की स्थिति है। लोग मुख्यत: कोढ़ के कारण विकलांग हो जाते हैं। यह प्रमुख रोग है, जिसके कारण लोग विकलांग हो जाते हैं। इस समय भारत में 4,50 लाख कुष्ठ रोगी हैं जिनमें से लगभग 5 लाख पश्चिम बंगाल में हैं।

सरकार को कुष्ठ रोग का इलाज किये गये रोगियों तथा अन्य विकलांग लोगों की देखभाल करनी चाहिए। बर्दवान जिले में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इलाज किये गये रोगी एक संगठन बनाते हैं जिसके द्वारा उन्हें सामाजिक वन रोपण, चर्म-शोधन-शाला, मुर्गी पालन आदि में उत्पादन-उन्मुख प्रशिक्षण दिया जाता है। आप जानते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं सबसे अधिक पीड़ित हैं जिन पर सबसे अधिक अत्याचार होते हैं। हमारे देश में 1984—86 में 91,097 और 1987 में अत्याचार के 13,529 मामले हुए। 1988 में ऐसे 15,207 मामले हुए। यह संख्या अत्याचारों के उन मामलों की है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर किए गए।

5.00 प० ब०

सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने में, और इनके लिए नौकरी के कोटे को पूरा नहीं कर सकी है क्योंकि इस संबंध में जो निर्देश और नियम बनाए गए हैं उनको लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा लागू नहीं किया गया है। इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है।

कुछ क्षेत्रों में बाल श्रम की समस्या है। वे असंगठित ढंग से विभिन्न कारखानों में काम करते हैं। अबरक, मीरा अभ्रक, मैंगनीज अभ्रक, कोयला अभ्रक, चूना-पत्थर और डोलोमाइट खानों और छोटे उद्योग में नियुक्त श्रमिक अमानवीय परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। उन्हें उचित चिकित्सा सुविधाएं तथा अन्य कल्याण योजना प्राप्त नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मामले की ओर ध्यान दें ताकि इन्हें शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं।

[डा० असीम बाला]

पश्चिम बंगाल में धूलियाना में बीड़ी श्रमिकों के लिए अस्पताल खोलने का एक स्वीकृत प्रस्ताव है। मैं कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि धूलियाना में प्रस्तावित अस्पताल का काम शीघ्र आरम्भ करवाएं।

———

5.03 म० म०

## नियम 193 के अधीन चर्चा

### मूल्यों में वृद्धि— (जारी)

सभापति महोदय : सभा अब देश में बढ़ते हुए मूल्यों के संबंध में 30 अप्रैल, 1990 को प्रो० सैफुद्दीन सोज द्वारा उठाए गए मुद्दे पर आगे चर्चा आरम्भ करती है। प्रो० मधु दण्डवते उत्तर दें।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : सभापति महोदय, आरम्भ में मैं इस बात पर खेद प्रकट करता हूं कि मूल्यों की वृद्धि पर वाद-विवाद का उत्तर देने में इतनी देर हुई। किन्तु आपको याद होगा, जब प्रो० सोज ने चर्चा आरम्भ की, मुझे उसी दिन शाम को उत्तर देना था। किन्तु बहुत सारे वक्ताओं को भाषण देना था, तो इसलिए मुझे कठिनाई हुई क्योंकि मुझे विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में विकासशील देशों के पक्ष मे बोलने के लिए जाना था, मैंने सभा से अनुमति ले ली कि मुझे वहां से लौटकर उत्तर देने की अनुमति दीजिए, और महोदय अध्यक्षपीठ और सभा ने मुझे वहां से लौटकर वाद-विवाद का उत्तर देने की अनुमति प्रदान की। मैं विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त विभिन्न विचारों का विस्तारपूर्वक उत्तर देना चाहता हूं।

आरम्भ में मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यद्यपि सभा के कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों के दौरान मैं उपस्थित नहीं था, फिर भी मैंने इस वाद-विवाद की पूरी कार्यवाही का वृत्तान्त ध्यान से पढ़ा है और सदस्यों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों और व्यक्त की गई चिन्ता को नोट किया है।

मैं यह बात स्पष्ट करता हूं कि मुझे देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही निरन्तर वृद्धि की समस्या को कम महत्व नहीं देता हूं। मैं इस बात की भी सच्चे मन से प्रशंसा करता हूं कि विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों के संबंध में दोनों पक्षों के सदस्यों ने गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए ठोस और रचनात्मक उपाय किए हैं। मैं इस बात को नोट करता हूं और इस संबंध में किए गए विभिन्न उपायों के संबंध में दृष्टिकोण सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा।

आरम्भ में मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि मूल्यों में इस प्रकार की वृद्धि से पूर्व सभा को इस प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों पर विचार करना चाहिए था जो उस समय विद्यमान थी जब हम अर्थव्यवस्था को एक विशेष दिशा देने का प्रयास कर रहे थे। 1 दिसम्बर, 1989 को दुर्भाग्यवश, 13,790 करोड़ रुपये का घाटा था और दिसम्बर के अन्त तक यही घाटा 11,789 करोड़ रु० का था। सभा को यह याद होगा कि गत बजट में, वित्तीय वर्ष की पूरी अवधि के दौरान घाटा लगभग 7,337

करोड़ रुपये का दर्शाया गया था। इसमें व्यापक वृद्धि हुई। यदि आप दिसम्बर के अन्त तक के घाटे को ही लें आप देखेंगे कि वृद्धि 11,789 करोड़ रुपये का घाटा 7,33,760 अर्थात 4,455 करोड़ रुपये थी यह सबसे बड़ी कठिनाई थी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसा खर्चा भी था जो हमें एक और महत्वपूर्ण दबाव के कारण करना पड़ा और वह था 83 हजार करोड़ रुपये का विदेशी ऋण। यदि आप विदेशी ऋण के ब्याज की देयता और देश पर सभी प्रकार के ऋण को देखेंगे यह ऋण 17,000 करोड़ रुपये के बराबर था। इस वर्ष यह ऋण 20,850 करोड़ रुपये के बराबर होगा।

जहां तक खाद्य भण्डारों का संबंध है यदि घट कर 110 लाख टन हो गया है। विदेशी मुद्रा भण्डार जब हमने अपने हाथ में लिया तो यह केवल डेढ़ महीने के आयात का था जबकि न्यूनतम स्थायी स्तर 3 से 4 महीने के आयात के बराबर था। नवम्बर, 1982 तक विदेशी मुद्रा का भंडार केवल 5,000 करोड़ रुपये के बराबर था और 1989-90 में भुगतान शेष केवल 7,730 करोड़ रुपये के व्यापार घाटे के बराबर था। उस समय की अर्थात वार्षिक आधार पर मुद्रा-स्फीति की दर लगभग 8 प्रतिशत थी। इस प्रकार की कठिनाइयों के होते हुए हमें काम आरम्भ करना था और इसके परिणामस्वरूप हमारी अर्थ व्यवस्था पर कुछ दबाव तो पहले से ही स्पष्ट नजर आते थे।

5.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, मैं बजट के पश्चात की स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी तथा बोझ भूतपूर्व सरकार पर नहीं थोप सकता हूं।

मुझे बजट के बाद की स्थिति की पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और मैं आपके सामने उन विकल्पों को प्रस्तुत करना चाहता हूं जो ऐसी भयंकर स्थिति में हमारे पास उपलब्ध थे जबकि देश को अनेक गम्भीर वित्तीय और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ा।

महोदय, अवसर सभी अर्थ-शास्त्रियों, सभी मजदूर संघों के नेताओं, किसान आन्दोलन के नेताओं ने बजट पेश करने से पहले चेतावनी दी थी कि जब तक सरकार घाटे को बहुत अधिक रोक नहीं सकती तब तक वह मुद्रास्फीति को लम्बी अवधि के लिए रोकने में सफल नहीं होगी। अतः प्रथम महत्वपूर्ण कार्य जो था वह यह देखना था कि जहां तक सम्भव हो घाटे को कम किया जाए। इसके लिए दो सम्भावनाएं थीं। हमारे सामने एक आसान विकल्प यह था कि हमें अधिक संसाधन जुटाने के प्रयास नहीं करने चाहिएं, करों में वृद्धि नहीं करनी चाहिए, विलासिता की वस्तुओं पर भी लेवी नहीं लगानी चाहिए, प्रत्यक्ष करों को इस प्रकार से नहीं लगाना चाहिए कि उच्च पूंजी निवेश वाले उद्योग अस्त-व्यस्त हों और वे अपना क्षोभ प्रकट करें। तब हमारा कार्य यह देखना था कि अधिक संसाधनों का प्रचलन न हो और दूसरी ओर घाटे को बढ़ने दिया जाए। यदि ऐसा हो गया होता तो जहां तक मुद्रा स्फीति का सम्बन्ध है, इस बात में कोई शक नहीं कि इसका प्रभाव अधिक पड़ता और दीर्घकाल में वह मुद्रास्फीति एक लम्बे समय तक और उच्च स्तर पर बनी रहती।

दूसरा विकल्प एक कठोर विकल्प था जिसके अनुसार हमें अधिक संसाधन जुटाने का प्रयास करना चाहिए, औद्योगिक घरानों से अधिक संसाधन जुटाने के प्रयास करने चाहिएं, अमीरों से अतिरिक्त संसाधन अथवा गत वर्ष के मूल्य के मुकाबले 800 करोड़ रु० प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिएं। विलासिता की वस्तुओं और समृद्ध परिवारों के उपभोग की वस्तुओं पर कर और लेवी लगाने के प्रयास करने चाहिएं। क्योंकि यह तरीका पर्याप्त नहीं था, वास्तव में पेट्रोलियम पदार्थों से भी कुछ संसाधन जुटाने

[प्रो० मधु दण्डवते]

के लिए एक अलोकप्रिय और एक अप्रिय कार्य किया गया था। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह एक कठिन कार्य था, यह एक अत्यधिक अप्रिय कार्य था। परन्तु यदि अधिक संसाधन जुटाने पड़ते तो हम इसी क्षेत्र को लेते। वास्तव में, उसे करते हुए हमने कुछ पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़ने का प्रयास किया था। क्योंकि नेपथा किसानों के द्वारा उर्वरकों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे नहीं लिया गया है, क्योंकि मिट्टी के तेल का प्रयोग ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गृहणियों द्वारा किया जाता है उसे नहीं लिया गया है, क्योंकि गैस और खाना बनाने की गैस के कनैक्शन भी 'घरेलू काम में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें नहीं लिया गया था, 'लो स्पीड डीजल' भी नहीं लिया गया था और लघु उद्योगों में 'फर्नेस आइल' का इस्तेमाल किया जाता है, उसे छोड़ दिया गया था परन्तु इसके बावजूद जो कुछ भी हमने लिया, यह कीमतों में वृद्धि करने के लिए काफी संवेदनशील था जिसे मैंने स्वीकार किया है।

एक माननीय सदस्य ने, जो यहां मौजूद नहीं हैं, कहा था—"जब श्री नाथू राम मिर्धा जी बोले और उन्होंने बहस में हस्तक्षेप किया था तो श्री नाईक ने कहा था कि क्या आप इस बात का पता लगाने के लिए कि कीमतों में वृद्धि हुई है, एक संसदीय समिति गठित करने के लिए तैयार होंगे ?" मैं उन्हें बताता हूं कि किसी समिति की आवश्यकता नहीं है। कीमतों में हो रही वृद्धि का पता लगाने के लिए आपको एक उपभोक्ता होना चाहिए। केवल गृहिणी अथवा पत्नी ही बता सकती है कि कीमतों मे वृद्धि हुई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : श्रीमती दण्डवते की तरह।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : और फिर जो प्रदर्शन होंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : एक पत्नी और एक गृहिणी में क्या अन्तर है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने गृहिणी का हवाला दिया है न कि आंधा का। मैं नहीं समझता कि कीमतों में हुई वृद्धि का पता लगाने के लिए किसी संसदीय समिति की जरूरत है। यह एक वास्तविकता है। हमें केवल यह पता लगाना है कि कीमतों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है परन्तु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अत: मुझे कहना चाहिए कि कीमतों में वृद्धि का पता लगाने के लिए किसी संसदीय समिति की आवश्यकता नहीं है। हमे यह बात स्वीकार करनी है कि कीमतों में वृद्धि हुई है और उसे केवल नियन्त्रित करना है।

अत: दूसरा विकल्प कुछ नाजुक वस्तुओं को शामिल करना था। इस बात में कोई शक नहीं कि इसका प्रभाव बहुत अधिक होगा और उसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि भी होगी। परन्तु हमें उस मुद्रास्फीति की तुलना करनी होगी जो कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण होगी, चाहे वह मुद्रास्फीति अधिक हो अथवा वह मुद्रास्फीति घाटे को वित्त व्यवस्था के बढ़ने के कारण एक लम्बी अवधि के लिए हो। उस विशेष तरीके का चयन किया जाएगा और हमने प्रथम तरीके को स्वीकार किया है और वह घाटे को नियन्त्रित करना है। मैं 7,206 करोड़ रुपये के घाटे को नियन्त्रित करने का प्रयास करना है। मैं पुन: याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 1989-90 में प्रारम्भिक घाटा 7,337 करोड़ रुपये का था। पुन: लगाया गया अनुमान 11,750 करोड़ रुपये है। हमें इस घाटे को 7,206 करोड़ रुपये तक नियन्त्रित करने का प्रयास करना है। तब स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न सामने आएगा :

"क्या आप इस घाटे को बरकरार रखने में समर्थ होंगे जिससे कि मुद्रास्फीति पर रोक लगाई जा सके ?"

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वाह, वाह।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रो० रंगा जी ने वाह, वाह ठीक ही कहा है। मैं इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक इस प्रकार की प्रणाली अपनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत यह देखना है कि हमारे प्रशासन पर कुछ ऐसा दबाव हो जिससे कि घाटे को और अधिक न बढ़ने दिया जाए। मैं प्रत्येक चार महीनों के बाद इस सदन के सामने पेश होऊंगा और सदन को बताऊंगा कि एक ओर तो हमने सरकारी खर्च में कमी करने के लिए क्या प्रयास किये थे और अच्छे संसाधन जुटाने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं जिससे कि अपने संसाधनों और खर्च के बीच अन्तर को कम किया जा सके और हम घाटे को उससे भी कम करने में सक्षम हो सकें जो कि मैंने वर्ष 1990-91 के पूरे बजट में प्रस्तुत किया था।

मैं सदन को एक प्रयोग के बारे में बता सकता हूं कि सरकार ने रेलवे में रेलवे की कार्यक्षमता का निरीक्षण और देखभाल करने के प्रयास किये थे। मैंने 1977 में पूरे वर्ष का बजट एक साथ प्रस्तुत करने के साथ-साथ पूरे वित्तीय वर्ष के लिए न केवल राजस्व और व्यय परन्तु बजट को प्रत्येक महीने के लिए पहले ही 12 छोटे बजटों, राजस्व और व्यय में बांट दिया था और लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। हम हर महीने सात मंडलों में गए, सभी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठकर हमने इस बात का पता लगाने का प्रयास किया कि क्या व्यय और विशेषकर राजस्व के लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया क्योंकि सभी महीने एक समान नहीं होते। उदाहरण के तौर पर जब फसलें काटी जाती हैं तो खाद्यान्न का आवागमन अच्छा होगा, जब चीनी बनाने का मौसम होता है तो चीनी का आवागमन अच्छा होगा। इसलिए, सभी महीनों के समृद्ध अथवा खाली न होने के कारण हमने पूरे बजट को 12 भागों में विभाजित किया था। हम प्रत्येक महीने निगरानी करने का प्रयास करते हैं।

सौभाग्य से मेरा यह अनुभव था कि रेलवे के प्रथम बजट में मैंने 80 करोड़ रुपये बचत का बजट पेश किया था और प्रत्येक महीने की जाने वाली देखरेख के परिणामस्वरूप, वर्ष के अन्त में यह बचत 126 करोड़ रुपये हो गई। अब हम सरकारी खर्च एवं राजस्व जुटाने की तिमाही व्यवस्था को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि हम घाटे को न्यूनतम करने में सक्षम हो सकें और हमें विश्वास है हम इस कार्य को करने में सफल होंगे।

हमारी सहयोगी और मित्र श्रीमती गीता मुखर्जी ने इस सदन में कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। मैं उनसे कुछ प्रसन्न और कुछ अप्रसन्न हूं। उन्होंने श्रीमती दण्डवते का हवाला दिया है। उन्होंने कहा था—"मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि श्रीमती दण्डवते ने भी स्त्रियों की ओर से कीमतों में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया था।" उन्होंने उसका जिक्र किया, उन्होंने श्रीमती दण्डवते का जिक्र किया था। जब उन्होंने श्रीमती दंडवते का जिक्र किया था तो मुझे एक विनिर्णय के बारे में याद आ जाती है जो इस सदन में आपके पूर्व उपाध्यक्ष महोदय ने दिया था। एक बार जब प्रो० स्वैल इस आसन पर उपाध्यक्ष के रूप में आसीन थे तो उस समय एक विपक्षी सदस्य बोल रहे थे तब किसी ने कहा था —"उनकी टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दीजिए।" तब उन्होंने कहा—"जो कुछ भी सदन में कहा जाता है, जब तक कि वह असंसदीय न हो, सदन की कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।" और उपाध्यक्ष ने उत्साहपूर्वक कहा—"यहां तक कि यदि मैं अपनी पत्नी का उल्लेख करूं तो वह भी कार्यवाही वृत्तान्त का एक भाग होगा।" तब मैंने कहा—"महोदय, अपनी पत्नी का उल्लेख न

[प्रो० मधु दण्डवते]

कीजिए, अन्यथा कोई यह मांग कर सकता है कि उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।" मैं नहीं चाहता कि ऐसा मेरी पत्नी के साथ हो। इसीलिए, मुझे भय था जब श्रीमती गीता मुखर्जी ने मेरी पत्नी का उल्लेख किया था कि कोई भी वह मांग कर सकता है। मैं सम्पूर्ण सभा का कृतज्ञ हूं कि वह मांग बिल्कुल नहीं की गई।

श्री हरमोहन धवन (चंडीगढ़) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रो० दण्डवते को श्रीमती दण्डवते का उल्लेख नहीं करना चाहिए क्योंकि वह यहां उपस्थित नहीं हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह इस सभा में उपस्थित न हो लेकिन वह मेरे मस्तिष्क में पूरी तरह उपस्थित हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : वित्त मंत्री अपनी पत्नी को उनके विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए भेज रहे हैं। क्या यह संसदीय है?

प्रो० मधु दण्डवते : हां, यह पूरी तरह संसदीय है। इससे परिवार में लोकतंत्र का पता चलता है। मैं आपको मुद्रास्फीति की प्रक्रिया के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने विभिन्न सदस्यों द्वारा की गई आलोचनाओं की ओर ध्यान दिया है। बहुत से सदस्यों का यह कहना सही था कि मूल्यों में वृद्धि का केवल अकेला ही कारण नहीं है। अधिक मुद्रा प्रसार, अधिक सरकारी खर्च और गैर-उत्पादन खर्च के कारण मूल्य वृद्धि हुई है। इसमें रक्षा खर्च भी शामिल है। उदाहरण के लिए, हमारे सदस्यों को इस तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिए कि सुरक्षा वातावरण की वजह से और सीमाओं के पार क्या हो रहा है, जबकि 1989-90 में, रक्षा व्यय 13,000 करोड़ रुपये था और 1989-90 के लिये संशोधित अनुमान 14,500 करोड़ रुपये था, दुर्भाग्यवश 1990-91 में बजट अनुमान में 15,750 करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि इसमें 2,750 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था, मेरे ऊपर यह बड़ा दबाव था कि यह 2,750 करोड़ रुपये का गैर-उत्पादन व्यय मेरे सिर के ऊपर था। यदि रक्षा व्यय में वृद्धि न हुई होती और मेरे पास कुछ और गुंजाइश होती, तो मुझे बहुत ही खुशी होती और जैसा कि मैंने सामान्य वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कहा था, मैं उप-महाद्वीप में नई भावना की प्रतीक्षा कर रहा हूं, गोर्बाचेव की भावना की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जिसमें, पाकिस्तान, चीन और भारत को यह महसूस करना चाहिए कि इन विकासशील देशों की विकास की समस्याओं को एक दूसरे के साथ संघर्ष के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोग के साथ हल किया जा सकता है।

लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता और जब तक सुरक्षा वातावरण जैसा है ऐसा रहता है, रक्षा व्यय इसी प्रकार होगा। अतः देश में रक्षा व्यय का 15,750 करोड़ रुपये का दबाव है।

इसके अलावा 40,000 करोड़ रुपये तक का काला धन यहां है। उसका भी सम्पूर्ण मूल्य ढांचे पर मुद्रास्फीति प्रभाव है। खाद्यान्न के भण्डारों तथा विदेशी मुद्रा के भण्डार में कमी हुई है। उसमें भी कमी के समय में आवश्यक वस्तुओं के आयात में बहुत कठिनाई आती है। इन्हीं समस्याओं की वजह से कठिनाइयां पैदा हुई हैं। हमें इस तथ्य की ओर ध्यान देना होगा कि मुद्रास्फीति के प्रसार को रोकना होगा मुझे प्रसन्नता हुई कि श्री वसंत साठे ने विशेषरूप से इस मुद्दे का उल्लेख किया था। उनको यह कहना ठीक था कि 'मनी सप्लाई' की स्थिति जो पिछले वर्ष 18.1 प्रतिशत थी। अब 19.4 प्रतिशत हो गई है, और उसके परिणामस्वरूप जब पूर्ति 'मनी सप्लाई' इस सीमा तक बढ़ जाएंगी और

यह मुद्रा का अधिक प्रसार ही है तो मुद्रा के इस अधिक प्रसार को रोकने के लिए सभी कदम उठाने की आवश्यकता होगी। हम पहले ही देख चुके हैं कि सांविधिक मुद्रा प्रसार का अनुपात जो कि वास्तव में सरकारी प्रतिभूतियों में कुल बैंक निवेश के अनुपात को दर्शाता है, यदि उसे बैंकों में जमा राशियों से भाग किया जाए तो यह 38 प्रतिशत से बढ़कर 38.5 प्रतिशत हो गया है। मुझे यकीन है कि सांविधिक मुद्रा प्रसार के अनुपात से इस वृद्धि से अन्त में मुद्रा के अधिक प्रसार को कुछ सीमा तक रोकने में हमें सहायता मिलेगी तथा हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव और मुद्रास्फीति दबाव कुछ सीमा तक कम हो जाएंगे।

कुछ सदस्यों द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था। एक प्रश्न उठाया गया था कि किसी वस्तु के मूल्य के रुख के बारे में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सही बताता है न कि थोक मूल्य सूचकांक। इसके बावजूद, लगभग सभी दस्तावेजों में केवल थोक मूल्य सूचकांक का उल्लेख भी किया गया है। श्री बसंत साठे मैंने अभी-अभी आपका उल्लेख किया है। आपने पिछली बार बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख किया था। आपने कहा था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जो कि 'मनी सप्लाई' में वृद्धि के लिए उत्तरदायी था, वह था इसकी सप्लाई में वृद्धि होना जो कि 19.4 प्रतिशत थी। इसका अर्थ यह है कि मुद्रा का प्रसार अधिक हुआ है। इसको रोकने के लिए, हम देख रहे हैं कि सांविधिक मुद्रा प्रसार का अनुपात 38 प्रतिशत से बढ़कर 38.5 प्रतिशत हो गया है। मुझे यकीन है कि इतने अधिक वर्षों में, उसमें यह देखने में सहायता मिलेगी कि 'मनी सप्लाई' में वृद्धि कुछ सीमा तक कम हो जाएगी। जहां तक इन समस्याओं का संबंध है उनको रोकने में प्रभाव पड़ेगा।

मैं एक समस्या का उल्लेख कर रहा था जिसे बहुत से सदस्यों ने उठाया था। समस्या यह है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मूल्यों के रुख का सही संकेत आपको मिलता है। ऐसा क्या है कि सभी सरकारी दस्तावेज थोक मूल्य सूचकांक का उल्लेख करते हैं? मैं केवल इस सरकार का नहीं बल्कि विगत की सभी सरकारों का भी उल्लेख कर रहा हूं। ऐसा क्यों है कि वे अधिकतर थोक मूल्य सूचकांक का उल्लेख करते रहे? यहां केवल तकनीकी और प्रशासनिक कठिनाई है। जहां तक थोक मूल्य सूचकांक का संबंध है, इसकी हफ्ताह-वार सारणी उपलब्ध है। अतः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में—श्री इन्द्रजीत गुप्त का उचित सम्मान करते हुए··· (व्यवधान) ··· महोदय, शहरी, ग्रामीण और सभी वर्गों के लिए सप्ताह वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपलब्ध नहीं है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक साप्ताहिक नहीं बल्कि मासिक उपलब्ध है। थोक मूल्य सूचकांक साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अधिक समय का अन्तर है और उसके परिणामस्वरूप यद्यपि कोई भी थोक मूल्य सूचकांक का उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन मूल्यों के नियमित और मियादी रुख के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपलब्ध नहीं है। अतः हमें केवल थोक मूल्य सूचकांक का उल्लेख करने का सहारा लेना पड़ता है? लेकिन, मैं आलोचना को स्वीकार करता हूं। थोक मूल्य सूचकांक नहीं बल्कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ते हुए मूल्यों की सही तस्वीर देता है। अतः यदि आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को लें तो, आप देखेंगे कि वास्तव में स्थिति उसकी तुलना में अधिक बुरी है जो कि थोक मूल्य सूचकांक द्वारा संकेत की गई थी। बल्कि मैं थोक मूल्य सूचकांक का केवल इसलिए उल्लेख नहीं कर रहा हूं कि मैं वास्तविक मूल्य स्थिति को छुपा रहा हूं। केवल इसी वजह से कि बहुत से स्थानों पर ब्यौरा उपलब्ध न होने की वजह से मुझे थोक मूल्य सूचकांक का उल्लेख करने के लिए विवश होना पड़ा था।

अब मैं कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। सबसे पहले, चीनी को लीजिए। इस सभा में सभी यह जानते हैं कि किसी भी वस्तु की मूल्य स्थिति उस वस्तु के उत्पादन सहित अनेक कारणों से सीधी जुड़ी होती है।

[प्रो० मधु दण्डवते]

दूसरा हमें यह देखना होता है कि क्या उस वस्तु की जमाखोरी हो रही है। तीसरा उसका वितरण किस प्रकार किया जाता है और यदि दोहरी मूल्य प्रणाली लागू है तो लेवी और बिना लेवी के वितरण के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है।

जहां तक चीनी का संबंध है, मैं एक बार इस सभा का फिर से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि वर्ष 1987-88 में चीनी का उत्पादन 92 लाख टन था और 1988-89 में यह घटकर 87 लाख टन रह गया।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : और अब ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उसकी ओर आ रहा हूं। अभी केवल एक सैकिण्ड का इन्तजार कीजिए।

अब चालू वित्तीय वर्ष में चीनी के उत्पादन में बढ़ोतरी करने की समस्या को हमने लिया है। हमने इसके लिए चीनी के कारखानों के मालिकों से बातचीत की है, हमने सहकारी चीनी मिल के कारखानों के मालिको से बातचीत की है। हमने चीनी के निजी मिल के कारखानों के मालिकों से बात-चीत की है, हमने गन्ना उत्पादकों से भी बातचीत की है, हमने उन्हें गन्ने के बेहतर मूल्य देने का आश्वासन दिया है और उन्हें बताया है कि गन्ने की बुआई से पहले गन्ने के मूल्य की घोषणा कर देंगे और तब इसके लिए समेकित और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। मुझे इस सभा में यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इस वित्त वर्ष के अन्त में इसकी जांच करेंगे – मुझे शत-प्रतिशत यकीन है—कि चालू वर्ष में चीनी का उत्पादन 100 से 107 लाख टन होगा।

श्री कल्पनाथ राय : ऐसा कांग्रेस सरकार के कारण हुआ है।

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां, हम भी कांग्रेस सरकार के कारण यहां हैं। यदि आप दुर्व्यवहार नहीं करते तो हम यहां नहीं होते।

श्री पी० जे० कुरियन : आप हमें धन्यवाद दे रहे हैं !

प्रो० मधु दण्डवते : इसलिए सभी वर्गों अर्थात् किसानों, मजदूर संघों तथा उद्योगपतियों से बातचीत करने के पश्चात हमें विश्वास है कि चीनी का उत्पादन 105 लाख टन से लेकर 107 लाख टन तक होगा। इस उत्पादन से हम चीनी मूल्यों पर बेहतर प्रभाव डाल सकेंगे। चीनी मूल्यों में गिरावट पहले से ही शुरू हो गई है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसमें और गिरावट आयेगी। परन्तु हम चीनी मूल्यों मे इतनी कमी नहीं करेंगे कि हम गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य ही नहीं दे सकें। इसलिए हम संतुलन बनाए रखना चाहते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : अच्छा।

प्रो० मधु दण्डवते : धन्यवाद, प्रो० रंगा। इस प्रकार हम गन्ना उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के मूल्यों के बीच संतुलन रख सकेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेवी और गैर-लेवी के अनुपात के सम्बन्ध में क्या विचार है ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह अनुपात 45 और 55 का है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप इसमें परिवर्तन करने की सोच रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे प्रसन्नता है कि इन्द्रजीत जी ने इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने सही प्रश्न पूछा है।

श्री कल्पनाथ राय : यह सही प्रश्न है।

प्रो० मधु दण्डवते : यद्यपि आपने इसे स्वीकार किया है लेकिन फिर भी यह सही प्रश्न है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने यह पता लगाने का प्रयास किया है कि यद्यपि उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो सिद्धान्ततः चीनी मूल्यों में गिरावट क्यों नहीं आई है इसके अतिरिक्त हमने यह भी पता लगाया कि कुछ व्यापारी उतनी गति से चीनी सप्लाई नहीं कर रहे हैं जितनी उनसे आशा की गई थी। इसलिए हमने समूचे चीन उद्योग तथा व्यापारियों को चेतावनी दी है कि वे नियमित समयान्तराल से चीनी नहीं देंगे तो हम गैर-लेवी चीनी को लेवी चीनी कोटा में परिवर्तित कर देंगे, हमें यह कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमने यह धमकी दी है। हमें विश्वास है कि इसमें सफलता मिलेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा अधिक मात्रा में चीनी उपलब्ध कराई जा सकेगी।

जहां तक चाय का सम्बन्ध है, हमारी सरकार बनने से पहले पिछली सरकार के साथ समझौता हुआ था।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय, क्या इसके कार्यान्वयन की कोई समय सीमा है ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह परिणामों पर निर्भर करेगा। यदि हमें पुनः यह प्रतीत होगा कि आपूर्ति न होने के कारण मूल्यों में वृद्धि हो रही है तो हम दी गई धमकी के अनुसार तुरन्त कार्रवाई करेंगे।

श्री कल्पनाथ राय : तुरन्त से आपका क्या तात्पर्य है ?

प्रो० मधु दण्डवते : तुरन्त का तात्पर्य तुरन्त है, विलम्ब से नहीं।

जहां तक चाय का सम्बन्ध है, विगत सरकार ने एक समझौता किया था। मैं उनमें से हूं जो यह विश्वास करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हमें विगत सरकार द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना चाहिए अन्यथा समूचे निवेश सम्बन्धी समूचा वातावरण बदल जाएगा। देश का कोई विश्वास नहीं करेगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : पेप्सी-कोला के सम्बन्ध में क्या विचार है ?

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां, मैं उसका भी उल्लेख करने जा रहा हूं। हम यही करने जा रहे हैं। आपने यह सही प्रश्न पूछा है। कभी-कभी हस्तक्षेप से मुझे बहुत सहायता मिलती है। इसलिए हस्तक्षेपों से मुझे हमेशा लाभ होता है। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने प्रश्न पूछा है कि "पेप्सी कोला के बारे में क्या विचार है ?" जब हम विपक्ष में थे तो मैंने और श्री इन्द्रजीत गुप्त समेत हम में से अनेक सदस्यों ने अनेक आधारों पर पेप्सी कोला परियोजना का विरोध किया था। परन्तु जब हम सत्ता में आए तो हमें बताया गया कि विगत सरकार ने कुछ समझौते किए हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं आपकी बात से सहमत हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : पंजाब की जनता ने भी यह अनुभव किया है कि पेप्सी कोला परियोजना को स्वीकृति से उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। हमने किसी प्रकार का तनाव पैदा करना नहीं चाहा। इसलिए हमने यह अनुभव किया कि यदि निर्णय पहले ही लिया जा चुका है चाहे वह गलत है अथवा सही है, लेकिन यदि सम्पूर्ण विश्व को मालूम पड़ गया कि विगत सरकार ने निवेश के बदले में समझौते किए थे तथा नई सरकार ने उन्हें रद्द कर दिया है तो कोई भी देश हमारे देश में निवेश करने के लिए तैयार नहीं होगा। हम उस नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमने पहले ही पेप्सी कोला परियोजना को स्वीकृति दे दी है। मैं नहीं जानता कि आप खुश हैं अथवा नाराज, परन्तु निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

जहां तक चाय का सम्बन्ध है, हमारे सत्ता में आने से पहले विगत सरकार ने सोवियत रूस को एक विशेष किस्म की चाय के निर्यात के सम्बन्ध में सोवियत रूस के साथ समझौता किया था। हम उस समझौते का, जो विशेषत: सोवियत रूस के, जो हमारा मित्र रहा है, साथ हुआ है पालन करना चाहते हैं। परन्तु हमने यह पाया है कि चाय पत्ती, जिसके संबंध में हमारी आन्तरिक विदेशी चाय की आपूर्ति की मात्रा में कमी है, के निर्यात से हमारे चाय के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है। इसलिए हमने सोवियत रूस से अनुरोध किया है कि हम कुछ समय के लिए चाय के निर्यात को बन्द कर रहे हैं तथा मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारी बात को स्वीकार कर लिया है। मई में हमारी नई फसल आ जाएगी तो हम निर्यात पुन: शुरू कर देंगे। परन्तु तब तक हमें निर्यात रोकने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात को मान लिया है जिसके परिणामस्वरूप चाय के मूल्यों में और वृद्धि नहीं होगी। वे अभी स्थिर नहीं हैं। हम यह मानते हैं कि बाद में इनमें कमी आएगी। मुझे विश्वास है कि मई के अन्त में, जो चाय की फसल का मौसम है, चाय के अच्छे मूल्य होंगे जिससे इस समस्या से मुकाबला किया जा सकेगा। (व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : वे पहले से ही बहुत अधिक लाभ कमा रहे है। आपने उसके विरुद्ध क्या कोई कदम उठाया है ?

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक मुनाफाखोरों का सम्बन्ध है, इन पर नियन्त्रण करने के लिए सभी सामान्य तरीकों को अपनाया जाएगा। परन्तु इसके कारण मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है, इसका मुख्य कारण निर्यात है उसे रोका जाएगा। प्रत्येक वस्तु की जमाखोरी के बारे में हम आपको आश्वासन देते है कि हम इसे रोकने का प्रयास करेंगे।

खाद्य तेल में मामले में हमें बड़ी कठिनाइयां हो रही है। मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि तिलहनों के उत्पादन में कुछ बाधायें हैं। वर्ष 1988-89 में तिलहनों का उत्पादन 178 लाख टन और 1989-90 में 169 लाख टन था। हमें कुछ तिलहनों का आयात करना पड़ा। तिलहनों के उत्पादन में कमी के कारण खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि हो गई। हमने एक तरीका अपनाया है, हम खाद्य तेलों का कुछ आयात करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु फिर भी हम इस पर नियन्त्रण नहीं कर सकते। परन्तु हमें तिलहनों के उत्पादन की वृद्धि पर ध्यान देना पड़ेगा। हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : जिंजली तेल का अत्यधिक निर्यात मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।

प्रो० मधु दंडवते : जहां तक सीमेंट का सम्बन्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बांध निर्माण के कार्यों के लिए भी सीमेंट का उपयोग करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। सीमेंट के मूल्य में वृद्धि हुई

थी। हमने सीमेंट उद्योग की ट्रेड यूनियनों के साथ विचार-विमर्श किया। हमने सीमेंट उद्योग के लोगों के साथ भी बातचीत की। वे इस बात पर सहमत हो गए कि वे मूल्यों को मार्च स्तर पर वापस ले आयेंगे। उनमें धीरे-धीरे गिरावट आनी शुरू हो गई है। दक्षिण में विभिन्न कारणों से यह कमी और भी अधिक है। दक्षिण में इसका उत्पादन अधिक होता है। इसे उत्तर में ले जाया जाता है। उन्हें परिवहन शुल्क देना पड़ता है। जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण की तुलना में, जहां मूल्य कम हैं, उत्तर में मूल्य अधिक हैं।

एक मांग यह भी की गई है कि माल भाड़ा एक समान होना चाहिए। परन्तु इस सम्बन्ध में उत्तर और दक्षिण के विभिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न विचार हैं। उदाहरणार्थ, जहां तक बंगाल और बिहार का सम्बन्ध है, मैंने वहां के मुख्य मंत्रियों से बात की है। वे स्वयं एक समान मालभाड़े के विचार के पक्ष में नहीं हैं। वस्तुतः विद्यमान समान मालभाड़े के सम्बन्ध में भी उन्होंने मांग की थी कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री ने मांग की थी कि यदि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है तो कम से कम कुछ अन्य वस्तुओं को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि वहां भी इसी प्रकार का प्रभाव पड़ सके। बहरहाल, हम इस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, नमक के सम्बन्ध में भी समस्या पैदा हो गई है। यदि हमारे पास साधारण खाद्य नमक होता तो कोई समस्या नहीं होती। परन्तु इस समय यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण उत्पन्न हुई है। सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यह बताया है कि घेघा रोग, जो बिहार के उत्तरी क्षेत्र में अत्यधिक फैल रहा है, उसकी रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है क्योंकि आयोडीन घेघा रोग का निवारक है। परन्तु सामान्यतः यदि आप लोगों से आयोडीन तरल रूप में लेने के लिए कहेंगे तो वे इसे नहीं लेंगे। यदि इसे नमक में मिला दिया जाए तब आम आदमी भी वास्तव में नमक खाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति पर जोर डाला जाएगा कि वह आयोडीन ले तथा इस प्रकार से घेघा नामक रोग से बचा जा सकता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाने वाले नमक की आधी मात्रा आयोडीन युक्त नमक के रूप में होगी। तथा यह इस कठिनाई को उत्पन्न करने का एक कारण है। कुछ व्यक्तियों ने मांग की है कि वे अपने स्वास्थ्य तथा जीवन से खिलवाड़ करने के लिए तैयार हैं परन्तु उन्हें आयोडीन युक्त नमक न देकर सादा नमक ही दिया जाए। हम विशेषज्ञों से परामर्श ले रहे हैं। परन्तु स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञों ने हमें पुनः सावधान किया है कि हम यह कदम न उठाएं। उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है परन्तु स्वास्थ्य तथा जीवन से खिलवाड़ करने का खतरा लेना अधिक हानिकर है तथा इस प्रकार वे यह बात मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री बसंत साठे (वर्धा) : आयोडीन युक्त नमक की कीमत में कितना अन्तर है ?

प्रो० मधु दंडवते : इसे आयोडीन युक्त बनाने में यह और महंगा हो जाएगा। तथा यही सब हुआ है।

श्री बसंत साठे : इसकी कीमत कम कर दीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप इसकी कीमतों में रियायत करने पर विचार क्यों नहीं करते ?

प्रो० मधु दंडवते : खैर, हम इस सुझाव की पुनः जांच करने की कोशिश करेंगे तथा कि क्या इस पर रियायत दी जा सकती है·· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नाथू सिंह (रोसा) : इस सम्बन्ध में, माननीय मंत्री जी, दो-तीन रिपोर्ट्स आई हैं और सब अलग-अलग हैं। आप उनकी जांच करवाइए। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही यह आयोडाइज्ड और नॉन-आयोडाइज्ड साल्ट का झगड़ा खड़ा किया गया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : यह सदस्य गैर-विशेषज्ञता के बावजूद विशेषज्ञ-परामर्श दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नाथू सिंह : ऐसी बात नहीं है अलग-अलग एक्सपर्ट्स की तीन रिपोर्ट्स इस सम्बन्ध में आई हैं, पहली नॉन-आयोडाइज्ड साल्ट की है, दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि इतने परसेंट आयोडीन होना जरूरी है। अब किस रिपोर्ट को सही माना जाए, इसकी आप जांच कराइए, यही मेरा कहना है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैं उनके विशेषज्ञ परामर्श को स्वीकार करता हूं। मैं इसकी वास्तविक विशेषज्ञों से जांच करवा लूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है।

श्री वसंत साठे : प्रश्न यह नहीं है कि इसे आयोडीन युक्त बनाया जाए अथवा नहीं। हमें प्रसन्नता होगी यदि आप सारा नमक ही आयोडीन युक्त करवा दें। केवल एक तरीका है कि इसकी कीमत न बढ़ाई जाए। इसकी कीमत को कम कर दीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब वह अपना वक्तव्य समाप्त कर लेंगे तभी मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में नमक का क्या योगदान है?

प्रो० मधु दंडवते : मुझे बताया गया है कि इससे 1.5 से 2 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। (व्यवधान) खैर, मैं आपका सुझाव स्वीकार करता हूं। मैं इसकी विशेषज्ञों से जांच करवाऊंगा। यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है तब हम यह भी देखेंगे कि क्या इसे रियायती दर पर किया जा सकता है जिससे कृत्रिम मूल्य वृद्धि को कम किया जा सके तथा आम आदमी को कठिनाई में पड़ने से बचाया जा सके। श्री वसंत साठे का सुझाव अत्यधिक अच्छा है। (व्यवधान) मैंने कहा कि इसके दो कारण हैं। मैं दूसरे कारण पर भी आ रहा हूं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अन्त में आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप उन्हें इसी समय अनुमति दे दें तब यह बेहतर होगा। अन्यथा वे और भी कई प्रश्न पूछेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें सन्तुष्ट करने में सक्षम हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन्हें सन्तुष्ट करने में कोताही नहीं

करूंगा। महोदय, जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, हमने यह पता लगाया है कि नमक के लदान के लिए जितना भी आर्डर दिया गया है, उसमें नमक की वैगनों के लदान में कुछ कठिनाई हुई है। उससे भी कुछ बाधायें उत्पन्न हुई हैं। मैंने इस मामले के बारे में रेल मंत्री से कल पुन: बातचीत की है तथा उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बाधा को दूर कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा विशेषकर असम के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। असम के कुछेक हिस्सों में कुछ असामान्य गतिविधियों के कारण हमें यातायात सम्बन्धी कतिपय अड़चनों के बारे में पता चला है। इसके परिणामस्वरूप, आवश्यक वस्तुएं लोगों को समय से तथा ठीक स्थान पर नहीं पहुंच पातीं। अतएव, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कर सकता हूं कि हम इस संबंध में निगरानी रखेंगे तथा विशेषरूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र की अड़चनों पर निगरानी रखेंगे जिससे कि उचित समय में आवश्यक वस्तुएं जनता तक पहुंच सकें तथा आवश्यक वस्तुओं के दाम केवल यातायात संबंधी गत्यावरोधों के कारण कृत्रिम रूप से न बढ़ें।

महोदय, मैं आपको एक और आश्वासन देना चाहता हूं। मैंने आपको कीमतों में वृद्धि होने की अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक बाधाओं के बारे में बताया था। महोदय, हमारा सतत प्रयास यह होना कि गैर-उत्पादक खर्च को कम किया जाए। अतएव हमने वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय सहित सभी मंत्रालयों को यह निदेश भेज दिए हैं कि विभिन्न मंत्रालयों के खर्चों में कटौती की जानी चाहिए। जब सभी मंत्रालयों के खर्चों में कटौती की जाएगी तब कुल खर्च में भी कमी आएगी। तथा यह विशेष सुझाव कि मंत्रालयों के खर्चों में कटौती की जाए तथा गैर-उत्पादक खर्चों में कमी की जाए जिसके परिणामस्वरूप हम गैर-उत्पादक, व्यय के कारण अपनी अर्थ-व्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को कम कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि हम विभिन्न मंत्रालयों के व्यय को कम कर पाने में समर्थ होंगे तथा इसके परिणामस्वरूप हम इन सभी मदों पर होने वाले व्यय को कम कर सकेंगे। जहां तक मूल्य वृद्धि के विभिन्न पक्षों का संबंध है, अब हमने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है।

किसानों से संबंधित एक और पक्ष है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछेक आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं तथा अन्य वस्तुएं जिन्हें किसान उगाता है। अक्सर हम देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती जाती है तथा कृषि उत्पादों की खरीद कीमतें कम होती जाती हैं। कृषकों की लगातार शिकायत यह रही है कि इस देश में जो व्यक्ति वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के बारे में बात करते हैं वे स्वयं चाहते हैं कि कृषि में काम आने वाले औद्योगिक माल तथा उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो तथा इसी के परिणामस्वरूप जब कृषक अपनी कृषि के लिए उन औद्योगिक उत्पादों का उपयोग करते हैं तब कृषि की पूरी लागत बढ़ जाती है। अतएव, जो कुछ भी मूल्य उनको मिलता है, वह लाभकारी नहीं होता, इसलिए हमें भी एक तरफ तो आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के प्रश्न पर विचार करना चाहिए तथा इसके साथ ही साथ कृषकों को लाभकारी मूल्य भी देने चाहिए। अतएव, हमने एक निर्णय लिया है जिससे मुद्रास्फीति सम्बन्धी दबाव भी कम हो जाएगा।

आप जानते हैं कि गेहूं का खरीद मूल्य 183 रुपये सुझाया गया था। हमने इसे बढ़ाकर 215 रुपये करने का निश्चय किया था। खरीद मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी हद तक मुद्रास्फीति पर भी प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि हमारा पूरा मूल्य सूचकांक गेहूं जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के आधार पर बनाया जाता है और इस संबंध में इसका भार बहुत अधिक होता है।

श्री कल्पनाथ राय : यह 200 रुपये है। आप इस प्रकार मत कहिए।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे खेद है कि यह 200 रुपये नहीं बल्कि 215 रुपये है। मुझे अत्यन्त

[प्रो० मधु दंडवते]

प्रसन्नता है कि आप मेरी बात अत्यन्त इतने ध्यान से सुन रहे हैं···(व्यवधान) नहीं, भूल से मैं ऐसे शब्द कह गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कम से कम वह इसे समझ तो सके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह गेहूं का काफी उपयोग करते हैं। वह काफी गेहूं ले रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, यद्यपि मुझसे आंकड़ों संबंधी गलती हो गई है, परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि श्री कल्पनाथ राय जैसे गणितज्ञ ने मेरी यह गलती को ठीक कर दिया है। मैं उस गलती के लिए क्षमा चाहता हूं।

महोदय, जहां तक गेहूं का संबंध है, जब हमने इसका मूल्य 183 रुपये से बढ़ाकर 215 रुपये कर दिया है तब इससे कुछ समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि वस्तुओं की दृष्टि से मूल्य सूचकांक तैयार करने में गेहूं तथा अन्य कृषि उत्पादों का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है तथा उसके परिणाम-स्वरूप इसमें कुछ वृद्धि भी हो सकती है। परन्तु हम उसकी चिन्ता नहीं करते। हमें अन्य तरीके भी अपनाने होंगे तथा यह देखना होगा कि कीमतों में वृद्धि को उचित रूप से रोका जाए। परन्तु इस आधार पर कि अन्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे, हम कृषकों के साथ अन्याय नहीं कर सकते तथा इसीलिए हमने गेहूं के मूल्य को 183 रुपये से बढ़ाकर 215 रुपये करने का खतरा ले लिया है।

महोदय, इस समय देश में मूल्यों का यही व्यापक रूप है। मैंने ईमानदारी से इसमें उत्पन्न कठिनाइयों को स्वीकार कर लिया है।

मैंने मान लिया है कि कितनी तेजी से कीमतें बढ़ी हैं। मैंने आपको यह भी बताया है कि कीमतें कम करने के लिए हम कौन से ठोस उपाय कर रहे हैं, और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि इस सदन द्वारा सर्वसम्मति से व्यक्त की गई चिन्ता का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। यह सिर्फ विरोधी दल द्वारा ही व्यक्त नहीं किया गया है, किन्तु यह मेरे दल के सदस्यों और सरकार के समर्थक दलों के सदस्यों द्वारा भी व्यक्त किया गया है, और इसलिए यह सारे सदन की सार्वजनीन चिंता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस सदन के सभी सदस्यों के सहयोग से, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि बढ़ती हुई कीमतों की रोकथाम हो सके और जनता को उचित दाम पर वस्तुएं उपलब्ध हों।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : महोदय, मैंने चर्चा आरम्भ की थी। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कहिए, मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : महोदय, मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर कि कीमतें कम की जाएंगी, मधु जी ने पहले क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री जी ने वास्तव में व्यापक उपभोग की वस्तुओं की बहुत महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया था और समय की अवधि निर्धारित की थी। उन्होंने कहा था कि कीमतें कम की जाएंगी। क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि अब वह समय अवधि क्या है जिसमें वह कीमतें कम करेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब मैंने चर्चा शुरू की थी, तो मैंने कहा था कि तकनीकी रूप से मधु जी का जवाब नहीं। वह किसी प्रकार के विवाद का उत्तर दे सकते हैं और हजारों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? किन्तु एक बात रह जाती है। मैंने एक प्रश्न उठाया था कि क्या सरकार इतनी हिम्मत दिखाएगी कि वह मुनाफाखोरों, कालाबाजारियों, जमाखोरों और तस्करों

के साथ कड़ाई से पेश आए। मैं जानना चाहूंगा कि वह इस पर क्या कर रहे हैं। तीसरे, अर्थशास्त्र का एक छात्र होने के नाते, मैंने उन्हें एक परिवार बजट दिया था। अगर एक परिवार में पांच आदमी हैं, तीन बच्चे हैं—क्योंकि पहले यही प्रचलन था—और इसकी मासिक आय 1,000 रुपये है, तो वे कैसे जिन्दगी गुजारेंगे? उनके बजट में क्या ह्रास होगा? वे कैसे स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर खर्च करेंगे? ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर मैं माननीय वित्त मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या आप अभी उत्तर देना चाहेंगे?

**प्रो० मधु दंडवते :** जी हां, मैं एक-एक करके उत्तर दूंगा, अन्यथा, मैं भूल जाऊंगा।

महोदय, प्रो० सोज़ भूल गए हैं कि मैंने उनके भाषण से शुरू किया था। मैंने सबसे पहले उनका उल्लेख किया, क्योंकि वह अनुपस्थित थे, ताकि वे बीच में बोल सकें। जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कीमतें एक महीने के अन्दर कम कर दी जाएंगी, मैं उन्हें बता सकता हूं कि हमने जिन ठोस कदमों को उठाने की घोषणा की है, उनसे इस दिशा में परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। हम उन्हें सही समय नहीं बता सकते जिसमें कीमतें साधारण स्तर पर लाई जाएंगी। किन्तु मैं उन्हें कह सकता हूं कि हमारी पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी संभव हो, हम कोशिश करेंगे कि कीमतों को उस स्तर पर ला सकें जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है। दूसरे, उन्होंने काफी की कीमतों का उल्लेख किया। मैंने एक स्पष्ट रूप से बताया था कि कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण था कि जब उत्पादन ठीक है, क्योंकि माल समय पर नियमित रूप से नहीं निकाला जा रहा, अतः मुनाफाखोरी, संग्रहण और जमाखोरी वहां है। जिसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ जाती है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम मुनाफाखोरों और जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज़ :** वे उपाय क्या हैं?

**प्रो० मधु दंडवते :** उपाय यह है कि मैं उन्हें दण्ड दूंगा और गिरफ्तार करूंगा।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज़ :** ठोस उपाय क्या है?

**प्रो० मधु दंडवते :** हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। अगर मुनाफाखोर चेतावनी पर ध्यान नहीं देते तो सिर्फ यही रास्ता रह जाता कि कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अतः, यह सभी उपाय पहले से ही उपलब्ध है और वर्तमान कानून की हदों के अन्दर, उनसे निपटा जा सकता। अन्त में, आपने पारिवारिक बजट की बात की थी। यह सही है कि जब आप जरूरी वस्तुओं के दामों पर नियंत्रण करते है, तो आप अपने वेतन के उपभोग को भी नियोजित करेंगे। अतः पारिवारिक बजट का अलग से नियोजन करना अनिवार्य नहीं है अर्थात उपभोग का नियोजन जरूरी नहीं है। एक बार आप मूल्य नियंत्रण कर लेते हैं और वे उचित दामों पर उपलब्ध है तो पारिवारिक बजट अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगा और यह नियमित हो जाएगा।

[हिन्दी]

**श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) :** अभी मंत्री जी ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने ज्यादा है और वहां इसका उत्पादन ज्यादा होता है। जब यह सीमेंट नार्थ के क्षेत्रों में आता है तो यह महंगा हो जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश और दूर दराज के क्षेत्रों में जो सीमेंट के कारखाने लगे हुए हैं उन्होंने अपना प्रोडक्शन कम क्यों कर दिया है? क्या यह इस वजह से किया है ताकि उनका सीमेंट मंहगे भाव पर बिके? पहले हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की एक बोरी 60 रुपये में मिलती थी लेकिन अब वह 80 रुपये में मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में इलाकों में

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

और गढ़वाल जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में सीमेंट और लोहे के दाम बहुत अधिक हो गये हैं। अतः अब आप कोई ऐसा कदम उठायेंगे जिससे कि वहां इनके दाम कम हो सकें और लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षिप्त प्रश्न के लिए, संक्षिप्त उत्तर दें।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंडवते : मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा तो यह कहेंगे कि बहुत संक्षेप में कहा गया है। माननीय सदस्य ने जो समस्या उठायी है, वह सही है। विशेषकर हिली एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं उनको···ट्रांसपोर्ट की मुश्किल ज्यादा होती है। ट्रांसपोर्ट का कई मर्तबा बहाना करके होर्डर्स फायदा उठाते हैं और फिर कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट की वजह से कीमत बढ़ रही है। इससे ट्रांसपोर्ट और होर्डिंग दोनों का असर होता है। हिमाचल प्रदेश या नार्थ-ईस्ट के जो हल्के हैं, वहां के रहने वालों को इसकी ज्यादा तकलीफ होती है।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : आयरलैंड का भी ख्याल रखें।

प्रो० मधु दंडवते : उनका भी ख्याल रखेंगे। उनको भी ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है। इनका विशेष ध्यान रख कर उनको विशेष सुविधा देने की हम कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं मधु जी को आश्वस्त करना चाहूंगी कि श्रीमती दण्डवते को सभा पटल पर रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वह बिना किसी परेशानी के हमारे साथ रहेंगी। (व्यवधान) हां, वह आपके पास रहेंगी। महोदय, मेरा प्रश्न है : कि क्या आप इस वक्त गेहूं के निर्गम मूल्य को राज सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रहे है, क्योंकि खाद्यान्नों के लिए हमे धान का खरीद मूल्य बढ़ाना होगा, और पेट्रोल और डीजल के बारे में मुझे विश्वास है कि आप इस प्रश्न का अभी जवाब नहीं देंगे बल्कि वित्त विधेयक पर बहस के दौरान हम आपसे इसके उत्तर की आशा करते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उन्होंने एक संक्षिप्त प्रश्न उठाया है कि क्या निर्गम-मूल्य कम करने के लिए राज सहायता दी जाएगी। अब, यह एक माना हुआ तथ्य है कि जब भी खरीद मूल्य बढ़ाए जाते हैं, उनका सीधा प्रभाव होता है। निर्गम-मूल्यों को बढ़ाना है और इसलिए यदि हम सभी वस्तुओं पर राज सहायता देते रहे, जहां निर्गम मूल्य बढ़ाए गए हैं, तो कई आवश्यक वस्तुओं पर जबरदस्त भार पड़ेगा। आप सिर्फ गेहूं पर रोक सकते है। अतः कीमतें कम करने के लिए, राज सहायता देने की अपेक्षा पूरे प्रबंध और अर्थव्यवस्था का नियंत्रण बेहतर समाधान होगा। यह सिर्फ एक तदर्थ समाधान है और एक तदर्थ समाधान कभी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, इसलिए हम राज सहायता देने के उपाय पर विचार नहीं करेंगे।

श्री वसन्त साठे : महोदय, अपने भाषण के दौरान मैंने एक मुद्दा उठाया था, कि परिवहन पर दबाव पड़ने का मुख्य कारण है टायर की कीमतों में बढ़ोतरी। इस सरकार ने एक नीति बनाई है जिसमें

स्वदेशी टायरों की कीमतें कम करने के लिए कुछ टायर आयात किए जाते हैं और कुछ शुल्क लगाए जाते हैं। अर्थ, शुल्क बढ़ा दिया गया है, अत, आयातित टायरों की कीमतें बढ़ गई हैं जिसके परिणाम-स्वरूप आयातित टायर ही देशी टायरों से मंहगे हो गए हैं और सम्पूर्ण मुख्य उद्देश्य ही निष्फल हो गया है। आयात शुल्क कम करने या टायरों की कीमतों को स्थिर करने के उपाय के बारे में वित्त मन्त्री का क्या रुख है ? अन्यथा इसका प्रभाव परिवहन पर पड़ेगा ही।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, माननीय श्री साठे ने जो प्रश्न उठाया है वह वित्त विधेयक के अधिकार क्षेत्र में आता है और मैं वित्त विधेयक का रहस्योद्घाटन नहीं करना चाहता। अन्यथा आप खुद ही कल मेरे खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव रख देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे, मैं समझता हूं कि आजकल तिलहनों का उत्पादन लाभकर व्यापार है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या ? यह एक लाभकर व्यापार है ? (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो क्या आपके अनुसार, यह एक घाटे का व्यापार है ? (व्यवधान) महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने में वास्तविक बाधाएं क्या हैं। इसके उत्पादन में अभी भी भारी कमी है। इसे बढ़ाया क्यों नहीं जा सकता ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जहां तक कृषि वस्तुओं के उत्पादन का संबंध है, यह प्रोत्साहन पर निर्भर है, और लाभ प्रोत्साहन मौसम की दशा पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जहां तक चीनी के उत्पादन का संबंध है यह 92 लाख टन से 87 लाख टन तक गिर गया है। यह वही वस्तु है, वही उत्पादक है, वही उपभोक्ता है, किन्तु फिर भी पिछली बार उत्पादन प्रभावित हुआ। अत:, कुछ मौसम के घटकों के कारण हम पाते है कि लाभ के अतिरिक्त उत्पादन में भी अस्थिरता है, किन्तु हम इसे देखेंगे और हमने कहा है कि कृषक और जलवायु घटकों से जुड़े लोग, मौसम विशेषज्ञ भी यह कहते हैं कि आगामी मौसम कृषि उत्पादन के लिए अच्छा होगा। ऐसी संभावना है।

डा० विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : विशेषकर तिलहन।

प्रो० मधु दण्डवते : तिलहन कृषि उत्पाद है।

श्री वसन्त साठे : कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मूल प्रोत्साहन देने होंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इसी की ओर इशारा कर रहा हूं। वास्तव में, उनका आशय यह है, कि वहां अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि तिलहनों का उत्पादन ··· (व्यवधान)। वह अनुभव करते हैं कि तिलहनों का उत्पादन खुद ही एक लाभकर काम है, यही हमने सुना। मुझे नहीं मालूम कि तिलहनों का उत्पादन या अन्य वस्तुओं के उत्पादन है। मुझे नहीं मालूम कि गेहूं, चावल या अन्य कई कृषि वस्तुओं की तुलना में तिलहनों का उत्पादन अधिक लाभकर है। इस दृष्टिकोण से कृषि की अच्छी व्यवस्था ही अच्छी पैदावार को सुनिश्चित कर सकती है और हम आने वाले मौसम में तिल-हन की अच्छी पैदावार, की आशा करते हैं। यदि असफलता मिलती है तो अन्त में हमें आयात का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी होगी जो कि कभी-कभी अपरिहार्य हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री समरेन्द्र कुण्डु बोलें।

डा० बिप्लव दासगुप्त : तिलहन के उत्पादन के लिए विशेष कार्यक्रम बहुत दिनों से चल रहा है।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। वह उसका उत्तर नहीं देंगे। श्री समरेन्द्र कुन्डू बोलें।

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 'उपभोक्ता असंतोष आंदोलन' के बारे में कह रहा था। मेरे विचार से उपभोक्ता संरक्षण के लिए कानून अथवा जो भी व्यवस्था संरक्षण के लिए हैं वह अक्षम है। हाल ही में मैं एक गांव में गया जहां मैंने पाया कि मिट्टी का तेल 7/- रुपये प्रति लीटर के दर से बेचा जा रहा था। मैंने लोगों को बुलाकर पूछा कि मिट्टी के तेल का भाव क्या है चूंकि इसका मूल्य 2.70 रुपये प्रति लीटर है और वहां यह उपलब्ध है या नहीं। तब दुकानदार जिसे लाइसस प्राप्त है, को बुलाया गया और उसने कहा "हमारे पास बहुत मिट्टी का तेल है।" तब वहां कुछ युवक आए और मिट्टी का तेल 2.70 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा गया। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि सभी पार्टियों के लोग मिल कर एक ऐसा मजबूत और कठोर उपभोक्ता विरोध ग्रुप बनाएं जिसे कानून का समर्थन प्राप्त हो। उसकी निगरानी वित्त मंत्रालय द्वारा होनी चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि वे इस मामले की छानबीन करें।

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचार प्रशंसनीय है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं उनके सुझाव को कार्यवाही हेतु स्वीकार करता हूं।

डा० बिप्लव दासगुप्त : महोदय, मैं एक छोटी-सी बात तिलहन के बारे में कहना चाहूंगा जिसकी यहां चर्चा हुई है। कई वर्षों से केन्द्रीय सरकार तिलहन पर एक विशेष कार्यक्रम चला रही हैं। समर्थन और राज सहायता के बावजूद हमें तिलहन के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम हर वर्ष एक ही मुद्दे पर क्यों अटके रहते हैं। मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस मुद्दे पर कोई विशेष बात कहनी है।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक तिलहन का संबंध है, मैं समझता हूं कि पर्याप्त प्रोत्साहन पहले ही प्राप्त हो रहा है। एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया था। फिर भी यदि उत्पादन में कमी आई है तो इसका कारण जलवायु संबंधी परिस्थितियां हैं और मुझे आशा है कि उत्पादन बढ़ेगा। यदि दुर्भाग्यवश जलवायु संबंधी परिस्थितियां हमारी आशा के अनुरूप सहयोग नहीं करती है तो मजबरी में हमें आयात करना पड़ेगा।

श्री पीटर जी० मरबनियांग (शिलांग) : महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क परिवहन के खर्च वृद्धि के आड़ में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गयी है जिससे कि जमाखोरों को लाभ उठाने का मौका मिल गया है तथा वे मूल्य में वृद्धि कर रहे हैं। असम आंदोलन ने भी जमाखोरों को लाभ उठाने का मौका दिया है। इसलिए पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि के कारण जो महंगाई बढ़ी है उसे कम करने के लिए इस क्षेत्र को दी जाने वाली राज सहायता पर विचार किया जाना चाहिए। चाहे वह मेघालय हो, मिजोरम हो या नागालैंड, और असम में चल रहे आंदोलन पर भी काबू पाना चाहिए। अन्यथा, हमें ये सभी आवश्यक वस्तुएं असम से लानी होंगी।

प्रो० मधु दंडवते : यदि सभी वस्तुओं पर राजसहायता देना शुरू कर दिया जाए तो कुल मिलाकर इससे एक नए राजस्व घाटे की स्थिति पैदा हो जाएगी। यह ठीक नहीं होगा। हम गृह

मंत्रालय और असम सरकार से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। कानून और व्यवस्था की समस्या होने पर यदि परिवहन में अड़चन और बाधाएं पैदा हो जाती हैं तो हम उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, परिवहन व्यवस्था की निगरानी करेंगे यह भी प्रयास किया जाएगा कि यह वस्तु विशेष प्रभावित नहीं हो। प्रसंगवश मैं यह आपको बता सकता हूं कि पेट्रोल की कीमत में 15 प्रतिशत तथा डीजल की कीमत में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वाहनों द्वारा ढोए गए माल पर 10 प्रतिशत का पांच प्रतिशत वृद्धि हुई है। परिवहन खर्च में जो भी वृद्धि हुई हो, इसका एक तिहाई वस्तु के मूल्य में जुड़ जाता है। वस्तुतः हमने वाहन द्वारा ढोए गए माल के मूल्य वृद्धि का हिसाब 10 प्रतिशत का पांच प्रतिशत लगाया है, जो केवल आधा प्रतिशत है। इसलिए यदि यह आधा प्रतिशत भी अधिक है तो इसे कम करने के लिए परिवहन कठिनाईयों को दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** (दमदम),: महोदय यदि वित्त मंत्री इस अन्तर को कम करने में सफल होते हैं तो वह मूल्य वृद्धि रोकने में असफल होते हैं। यदि वह अधिक निर्यात और कम आयात करते हैं तो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी। मुख्य बात यह है कि हमें आंतरिक घाटे को कम करना होगा। मुझे एक सुझाव देना है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम सुझाव की अनुमति नहीं दे रहे है। आप केवल प्रश्न कर सकते हैं।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : क्या वित्त मंत्री औ ो वस्तुओं को राज्य नियंत्रण मे थोक व्यापार के अन्तर्गत रखने के लिए सहमत हैं। इसपर कोई त संबंधी वक्तव्य नहीं दिया गया है। दूसरे हमें उन वस्तुओं पर राज सहायता देनी होगी जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अन्तर्गत है। इससे मंहगाई भत्ते की बचत होगी जिसे केन्द्र सरकार और राज्यों को भी देना पड़ता है। इस प्रकार वह अंशतः व्यवस्थित हो जाएगा।

अतः उपभोक्ता सूचकांक में शामिल वस्तुओं पर आर्थिक सहायता दीजिए। इन्होने खाने का जिक्र किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इसका काफी महत्व है। उन वस्तुओं को पहचान कर उनके मूल्य कम करने का प्रयास करें ताकि मंहगाई भत्ते पर भुगतान के भार को उस सीमा तक कम किया जा सके।

**प्रो० मधु दण्डवते** : दूसरे सुझाव का स्वागत है। चयनात्मक तरीके से केवल सूचकांक में काफी महत्व वाली उन वस्तुओं का मूल्य कम करने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे मंहगाई भत्ते के भुगतान से बचा जा सके।

जहां तक प्रथम सुझाव का सम्बन्ध है, जिसमें कुछ वस्तुओं का क्रय-विक्रय सरकार द्वारा करने की बात कही गई है, मुझे डर है कि इस पहलू में कोई मताग्रही दृष्टिकोण नहीं हो सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वी यूरोप में अर्थव्यवस्था की सारी स्थिति ने यह दिखा दिया है कि केवल राजकीय नियन्त्रण के अन्तर्गत वस्तुओं के उत्पादन से समस्या स्वतः ही हल नहीं हो जाती। अतः हम बड़े व्यावहारिक तरीके से समस्या का समाधान खोजेंगे और जिस किसी वस्तु को राजकीय नियन्त्रण में रखने की आवश्यकता होगी उसे हम रखेंगे।

जहां तक सहकारी और निजी आधार पर अन्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, उसके लिए एक कार का सन्तुलन रखना होगा और वह मिश्रित व्यवस्था जारी रहेगी।

**प्रो० राम गणेश कापसे (ठाणे)** : जहां तक उत्पादक और उपभोक्ता सहकारिताओं का सम्बन्ध है, इस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है। परन्तु वास्तविक समस्या थोक बाजार की है,

[प्रो० राम गणेश कापसे]

जिस पर कुछेक लोगों का ही एकाधिकार है। उत्पादक और उपभोक्ता सहकारिताओं के अतिरिक्त क्या सरकार द्वारा थोक बाजार को मजबूत करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं या किए जाने की सम्भावना है ?

प्रो० मधु दंडवते : हमें थोक बाजार पर सामाजिक नियन्त्रण का प्रयास करना चाहिए। आपकी विचारधारा को समझते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि आप थोक व्यापार के राजकीय नियन्त्रण के पक्ष में नहीं हैं।

डा० वेंकटेश काबड़े (नान्देड़) : मुझे नमक में जरूरी तौर पर आयोडीन मिलाने पर आपत्ति है। इससे साधारण नमक का मूल्य छः से आठ गुणा तक बढ़ गया है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि नमक में आयोडीन के होने से गलगण्ड नहीं होगा। यहां तक कि स्विटजरलैण्ड जैसे विकसित देशों मे नमक साधारण और आयोडीन युक्त दोनों रूपों में उपलब्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जाएगी।

डा० वेंकटेश काबड़े : हम पोटाशियम आयोडाइड का आयात कर रहे हैं और लोगों के मन में इस बात का भय हो सकता है कि यदि नमक में पोटाशियम आयोडीन नहीं होगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं बिना आयोडीन और घेघा के नमक का स्वागत करूंगा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को पुनः याद दिलाना चाहूंगा—मुझे विश्वास है कि उन्होंने वाद-विवाद को पढ़ लिया होगा। मैंने दो विषय उठाए थे। एक था···

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप यह विषय पहले ही उठा चुके हैं तो इसे फिर से उठाने की आवश्यकता नहीं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : परन्तु मुझे उत्तर नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न-काल में पूछिए। मेरे पास वक्ताओं की सूची में बहुत सदस्य हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यदि आप नहीं चाहते कि मैं कोई प्रश्न पूछूं तो मैं नहीं पूछूंगा। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। मैं बैठ जाता हूं।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याओं का जिक्र किया। परन्तु इस विषय पर रेल मंत्रालय और आपूर्ति मंत्रालय के साथ विचार करते समय भारत सरकार की जो कोटा प्रक्रिया है और जो कई वर्षों से जारी है। यदि सम्बन्धित सरकार द्वारा उठाया न जाए तो यह कोटा जो कि प्रथम और द्वितीय तिमाही के लिए आवंटित किया जाता है, समाप्त हो जाता है, इस बार यह कोटा उठाया नहीं जा सका। इसमें राज्य सरकार की कोई गलती नहीं थी क्योंकि इस पर विचार विमर्श जारी था। अतः कोटे के आवंटन पर पुनः विचार किया जाए। क्योंकि कोटा न उठाने में उत्तर-पूर्वी राज्यों की कोई गलती नहीं है। इस विषय की ओर ध्यान

दिया जाए और इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया जाए।

**प्रो० मधु दंडवते** : राज्य सरकार की पहुंच से परे जिन कारणों के आधार पर कोटा नहीं उठाया जा सका हम उसके लिए राज्य को सजा नहीं देंगे और कोटा समाप्त नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

**श्री राम धन** (लालगंज) : माननीय मंत्री जी ने बताया कि ट्रांसपोर्ट की वजह से बहुत-सी जगह पर सामान ठीक से नहीं पहुंच पाता है। जबसे यह कानून बना है कि दस टन सामान ले जा सकते हैं तो कंज्यूमर को दुगना भाड़ा देना पड़ता है। पहले बीस टन सामान जाता था। अब पहाड़ों में और सुदूर क्षेत्रों में कंज्यूमर को दुगना भाड़ा देना पड़ रहा है। मंत्री जी, 10 टन का जो ट्रक पर रेस्ट्रीक्शन था, जो मोटर मैनुफैक्चर्स के लिए, क्या मंत्री जी ऐसा करेंगे कि उन्हें वहां से हटा लेंगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर को फायदा होगा।

**प्रो० मधु दंडवते** : उपाध्यक्ष जी, मैंने इस सवाल पर पूरी जांच की है, मेरा, भी यह इम्प्रेशन था कि 10 टन के सिलसिले में जो पहला प्रबन्ध किया गया है इसकी वजह से कई मर्तबा ट्रक्स को ट्रिप्स लगाना पड़ता है, इसलिए किराया ज्यादा पड़ता है और खर्चा भी बढ़ता है। वास्तव में परिस्थिति यह है—कई लोगों ने बताया है कि चाहे हमारा रेस्ट्रीक्शन कुछ भी हो, लेकिन पहले भी यह 10 टन से ज्यादा 15—20 टन सीमेंट ले जाते थे और आज नया कानून बनने के बाद भी 10 टन से ज्यादा सीमेंट ले जाते हैं। (व्यवधान)

**श्री लोपत सिंह मक्कासर** (बीकानेर) : किराया भी ज्यादा ले लेते है और चोरी भी करते हैं।

**प्रो० मधु दंडवते** : आपने ठीक कहा है कि किराया भी ज्यादा ले लेते है और चोरी भी करते हैं।

[अनुवाद]

**श्री मुरली देवरा** (मुम्बई दक्षिण) : मुझे आश्चर्य है कि क्या माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान माननीय प्रधान मन्त्री महोदय के उन दो वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है या नहीं और आज के 'दी टाइम्स आफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' में भी दो सम्पादकीय छपे हैं कि पैट्रोल के उपभोग को कम करने के लिए सरकार इसके राशनिंग पर विचार कर रही है। हम अच्छी तरह से यह जानते हैं कि पेट्रोल का मुख्य मांग सार्वजनिक क्षेत्र के वाहनों में इस्तेमाल होता है। यहां तक कि कारें भी इन्हीं कम्पनियों की होती हैं। मुझे विश्वास है कि प्रो० मधु दण्डवते यह जानते हैं कि इसका यह उपचार बीमारी से भी भयानक होगा। हम लाइनों में खड़े होंगे। आप केवल जमाखोरों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मुम्बई में लोग पहले ही पेट्रोल राशनिंग की बात सोच रहे हैं और उन्होंने इसकी जमाखोरी आरम्भ कर दी।

सर्वप्रथम, क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री ने ऐसी घोषणा की है ? समाचार पत्रों में यह दोबारा आ चुका है कि प्रधान मन्त्री इस पर विचार कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा नहीं की कि "हम पेट्रोल की राशनिंग करने जा रहे हैं।" उन्होंने केवल यह कहा है, "हम राशनिंग चालू करने की सम्भावनाओं का पता लगायेंगे।"

श्री मुरली देवरा : इससे लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। यदि आपके मन में यह बात नहीं है तो आप कहते क्यों नहीं ?

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने कहा है, "हम सम्भावना का पता लगा रहे हैं।" यदि इससे मानसिक भय का वातावरण बना है तो मेरा विचार है कि यह देश के लिए अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री हुकमदेव नारायण यादव प्रश्न पूछेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : क्या हर किसी के लिए प्रश्न पूछना अनिवार्य है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने मुझे अपने नाम दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री हुकमदेव नारायण यादव (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि लागत, खर्चे का पता लगाने के लिए क्या सरकार ने कोई उपाय सोचा है ? जब तक लागत, खर्चे का पता नहीं लगेगा तब तक मुनाफे का पता नहीं लग सकता है, जो जीवनोपयोगी पदार्थ हैं उनके लागत, खर्चे कितने हैं, इसके लिए सोचें और सरकार इनकी कीमतों को पब्लिश करे, जिससे हमें यह पता लगे कि इस पर कितना मुनाफा लिया जा रहा है।

कम्पनी के मालिक जो अपनी सुख-सुविधा, भोग-विलास पर खर्च करते हैं वह भी कम्पनी के खाते में डाल देते हैं, इससे भी कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आप उस खर्चे को कम्पनी के बाहर करेंगे या नहीं ? अब तक किसी व्यापारी को मुनाफाखोरी या जमाखोरी के नाम पर इस देश में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जबकि इस सरकार को बने 6 महीने होने जा रहे हैं। खेतिया माल और कारखनिया माल की कीमत में समानता बनी रहे, इसके लिए कोई प्रोग्राम या कोई पालिसी इस सरकार के पास है या नहीं ? अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि—"महंगाई रोको, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम।" जब हम नारा लगाते थे तो मधु दण्डवते जी उसका नेतृत्व करते थे। क्या इस आन्दोलन का नेतृत्व करेंगे या नहीं करेंगे ?

प्रो० मधु दंडवते : सारे सुझाव मुझे मंजूर हैं।

[अनुवाद]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने मुझे अवसर देने का वायदा किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको पुकारूंगा।

श्री मनोरंजन भक्त : द्वीपीय क्षेत्रों की कुछ विशेष और अजीबोगरीब समस्यायें होती हैं। मैं हाल ही में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में गया था। वहां मैंने पाया कि नमक 5 रुपये किलो, आलू और प्याज 10 रुपये किलो और सरसों का तेल 40 रुपये किलो के भाव से बिक रहा है। वहां

यह स्थिति है और इस दौरान भारतीय तटीय सम्मेलन ने मालवाहक जहाजों की भाड़ा दर बढ़ा दी है। यही कारण है कि वहां मूल्यों में दूसरी तीव्र वृद्धि हुई है। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे आर्थिक सहायता के विचार को पूर्णतः न छोड़ें और इस पर विचार करें। परन्तु चुनिंदा वस्तुओं के कुछ विशेष क्षेत्रों में, जैसे नमक, खाने का तेल और इसी प्रकार की अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं में यदि यातायात में आप कुछ राज सहायता दे सकें तो मेरा विचार है कि लोगों को काफी राहत मिल सकेगी। यहां तक कि सीमेंट का एक थैला 125 रुपये की दर से बेचा जा रहा है जो कि द्वीप क्षेत्र में अभूतपूर्व है। मैं सोचता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे।

**प्रो० मधु दंडवते** : प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में मैं कई बार उस द्वीप क्षेत्र में गया हूं। माननीय सदस्य महोदय इस बात को जानते हैं। और मैं भी इस कठिनाई से पूर्णतः सहमत हूं। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में निजी व्यापारी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। अतः वहां जब तक प्रभावी सहकारी आन्दोलन नहीं आरम्भ किया जाता तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हम सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे और वहां सुदूर द्वीप की सहायता के लिए चुनींदा तरीके से राज सहायता का उपयोग भी किया जाएगा।

**श्री भोगेन्द्र झा** : व्यापारियों और जमाखोरों के प्रति आरोप लगाते और केवल धमकी देने, अपने वित्त मन्त्री की दयनीय दशा देखकर चिन्ता होती है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि देश में एक भी थोक विक्रेता अपने पैसे से थोक व्यापार नहीं करता। वह यह बैंक से पैसा उधार लेकर करता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय वित्त मन्त्री इसे रोकने को या बैंक से उधार कम करने को तैयार हैं ताकि मूल्य शीघ्र कम हो सकें।

**प्रो० मधु दंडवते** : मेरा विचार है कि जो आपने प्रस्ताव किया है, ठीक वैसा हम कर रहे हैं। यदि हमें कुछ ऐसे व्यापारियों का पता चलता है जो समाज विरोधी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हैं और उनके बारे में सतर्कता समितियों का किसी अन्य संस्था द्वारा बैंक को जानकारी दी जाती है, तो हमने उन्हें पर्याप्त उधार देने से मना कर दिया है। मैं इस सुझाव को पूर्णतः स्वीकार करता हूं और माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव को मैं लागू करूंगा।

[हिन्दी]

**श्री बाबूभाई मेघजी शाह (कच्छ)** : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भोगेन्द्र झा जी ने बताया कि बैंकों के पैसे से, सरकार के पैसे से होर्डिंग होती है। मार्केट इंटरवेंशन आपरेशन के जरिये एन० डी० डी० बी० को 800 करोड़ रुपये की क्रेडिट फेसिलिटी दी गई, यह इसलिए कि इससे एडीबल आयल महंगा नहीं होगा और किसानों को भी नुक्सान नहीं होगा। इस नीति के तहत उनको यह कहा गया कि जब 22 रुपये से नीचे ग्राउंडनट आयल का भाव जाए तब मार्केट से खरीदना है और जब 28 रुपये से भाव ऊपर जाए, तब बेचना है। इस नियम का पालन वहां पर नहीं किया जा रहा है, फिर भी सरकारी सहायता उसको दी जा रही है। जब तेल के भाव नीचे जा रहे थे, तब आंध्र प्रदेश में उन्होंने 25 रुपये के भाव से मूंगफली का तेल खरीदा, जिससे जो बाजार भाव नीचे जाना चाहिए था, वह और ऊपर चला गया। शर्त यह थी कि जब 22 रुपये से नीचे भाव जाएगा, तब वे खरीदेंगे। इस तरह से होर्डिंग करने वाली जो सरकारी एजेंसियां हैं, क्या उनकी भी जांच करवाई जाएगी ?

**प्रो० मधु दंडवते** : जरूर जांच करवाएंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11.00 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.19 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 16 मई, 1990/26 वैशाख, 1912 (शक) के 11.00 म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53